द्वादश माला, खंड 8, अंक 4

गुरुवार, 25 फरवरी, 1999
6 फाल्गुन, 1920 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

**चौथा सत्र**

**(बारहवीं लोक सभा)**

सत्यमेव जयते

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**मूल्य : पचास रुपये**

## सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री शारदा प्रसाद
वरिष्ठ सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.पी. शर्मा
सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

# विषय-सूची

*[द्वादश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]*

**अंक 4, गुरूवार, 25 फरवरी, 1999/6 फाल्गुन, 1920 (शक)**


| विषय | कालम |
|---|---|
| **निधन संबंधी उल्लेख....** | 1–2 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 41 और 42 | 2–41 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 43 से 60 | 41–75 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 368 से 597 | 75–378 |
| **संचार संबंधी स्थायी समिति** | |
| आठवां प्रतिवेदन – *प्रस्तुत* | 378 |
| **रक्षा संबंधी स्थायी समिति** | |
| चौथा प्रतिवेदन – *प्रस्तुत* | 378 |
| **गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति** | |
| पचासवें से बावनवां प्रतिवेदन तथा साक्ष्य – *सभा पटल पर रखे गये* | 378–379 |
| **विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति** | |
| तिरेसठवां प्रतिवेदन – *सभा पटल पर रखा गया* | 379 |
| **कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव....** | 379–380 |
| **बजट (रेल) 1999-2000** | |
| श्री नीतीश कुमार | 380–411 |
| **नियम 377 के अधीन मामले.....** | 412–419 |
| (एक) कानपुर में काकिन और कल्याणपुर गांवों के बीच गंगा नदी पर लिफ्ट केनाल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री श्याम बिहारी मिश्र | 412 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | | कालम |
|---|---|---|
| (दो) | उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बांसगांव संसदीय क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री राजनारायण पासी | 412–413 |
| (तीन) | सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच करने के लिए विशेषज्ञों और जनता के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय | 413 |
| (चार) | असम में हाथियों द्वारा विध्वंस को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री विजय हान्दिक | 414 |
| (पांच) | दक्षिण-मध्य रेलवे में आंध्र प्रदेश में बित्रगुन्टा अथवा नेल्लोर अथवा गुड्डूर में एक नए रेल मंडल का सृजन किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्रीमती लक्ष्मी पनबाक | 414–415 |
| (छह) | बरहामपुर-रायपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्रीमती जयन्ती पटनायक | 415–416 |
| (सात) | केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु और धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री टी. गोविन्दन | 416 |
| (आठ) | गन्ना उत्पादकों और ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चीनी मिलों के श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री हरिकेवल प्रसाद | 416–417 |
| (नौ) | दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री तथागत सत्पथी | 417 |
| (दस) | ट्रकों की लदान क्षमता बढ़ाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता | |
| | प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा | 417–418 |

| विषय | | कालम |
|---|---|---|
| (ग्यारह) | कर्नाटक में महालेखापरीक्षक के कार्यालय में नियुक्ति हेतु तमिलनाडु के उन्नीस व्यक्तियों को जारी किए गए नियुक्ति आदेशों को रद्द करने संबंधी निर्णय को वापस लेने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री के. पैरीमोहन | 418 |
| (बारह) | डुमरियागंज में 132 के.वी.ए. सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री राम पाल सिंह | 418–419 |
| बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प | | 419–518 |
| | श्री लाल कृष्ण आडवाणी | 421 |
| | श्री शरद पवार | 434 |
| | प्रो. रीता वर्मा | 447 |
| | श्री सोमनाथ चटर्जी | 459 |
| | श्री कृष्ण लाल शर्मा | 470 |
| | श्री लालू प्रसाद | 479 |
| | श्री प्रभुनाथ सिंह | 496 |
| | डा. शकील अहमद | 515 |

## लोक सभा

गुरूवार, 25 फरवरी, 1999/6 फाल्गुन, 1920 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई*

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

### निधन सम्बन्धी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यो, मुझे हमारे दो भूतपूर्व सहयोगियों, सर्वश्री मोहन लाल पिपिल और जी. नारायण रेड्डी के निधन की दुखद सूचना देनी है।

श्री मोहन लाल पिपिल छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश के खुर्जा संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पिपिल एक जाने-माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए अथक रूप से कार्य किया। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और ग्राम विकास में भी गहरी रुचि ली।

एक योग्य सांसद के रूप में श्री पिपिल ने सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया। और दलित वर्ग की समस्याओं को उठाने का कोई अवसर नहीं गंवाया।

श्री पिपिल ने विभिन्न समाचार-पत्रों में अनेक लेख लिखे।

श्री मोहन लाल पिपिल का 68 वर्ष की आयु में 13 अगस्त, 1998 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अस्वस्थता के कारण देहान्त हो गया।

श्री जी. नारायण रेड्डी तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1962-1967 तक आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1970-1976 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

उससे पूर्व श्री रेड्डी 1957 से 1962 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री रेड्डी व्यवसाय से कृषक थे और उन्होंने किसानों के उत्थान और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य किया।

वह एक जागरूक सांसद थे और वे किसानों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को लोक सभा में रखने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे।

16 दिसम्बर, 1998 को श्री नारायण रेड्डी की हत्या कर दी गई। उस समय उनकी आयु 72 वर्ष थी।

हम अपने इन साथियों के देहान्त पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करेगी।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

**पूर्वाह्न 11.04 बजे**

*तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।*

---

**पूर्वाह्न 11.05 बजे**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

#### रेल दुर्घटनाएं

***41. श्री के.डी. सुल्तानपुरी :**
**डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन माह के दौरान तथा आज तक रेल दुर्घटनाओं/रेलों के पटरी से उतरने/रेलों और मालगाड़ियों में आग लगने की रेलगाड़ीवार/स्थानवार/राज्यवार कितनी दुर्घटनाएं हुई और इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक घटना में कितने लोग मारे गए/घायल हुए और इससे कितने मूल्य की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में जांच करने के लिए कितनी समितियां नियुक्त की गईं;

(घ) जांच समितियों के निष्कर्ष क्या हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) सरकार द्वारा पीड़ितों को कितनी मुआवजा राशि दी गई; और

(च) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) नवंबर 1998 से जनवरी 1999 तक पिछले तीन महीने के दौरान मालगाड़ियों सहित परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है:-

| | यात्री | अन्य | जोड़ |
|---|---|---|---|
| टक्कर | 3 | 3 | 6 |
| गाड़ी का पटरी से उतरना | 25 | 35 | 60 |
| समपार | 18 | 4 | 22 |
| आग | – | – | – |
| जोड़ | 46 | 42 | 88 |

आंकड़े अनंतिम हैं।

(2) रेलें राज्यवार दुर्घटनाओं के आंकड़े नहीं रखती हैं। बहरहाल, नवंबर 1998 से जनवरी 1999 तक की अवधि में परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं का क्षेत्रीय रेलवे-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

| | टक्कर | गाड़ी का पटरी से उतरना | चौकीदार वाले समपार | बिना चौकीदार वाले समपार | आग | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| म.रे. | – | 19 | – | 3 | – | 22 |
| पू.रे. | – | 5 | 1 | – | – | 6 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उ.रे. | 3 | 6 | 2 | 3 | – | 14 |
| पूर्वो.रे. | 2 | 5 | – | 1 | – | 8 |
| पू.सी.रे. | – | 5 | 1 | – | – | 6 |
| द.रे. | – | 9 | – | 1 | – | 10 |
| द.म.रे. | – | – | – | 3 | – | 3 |
| द.पू.रे. | 1 | 6 | 2 | 5 | – | 14 |
| प.रे. | – | 5 | – | – | – | 5 |
| मैट्रो रे. | – | – | – | – | – | – |
| कों.रे.नि. | – | – | – | – | – | – |
| जोड़ | 6 | 60 | 6 | 16 | – | 88 |

आंकड़े अनंतिम हैं।

(3) इस अवधि की रेलवे दुर्घटनाओं के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं–

| | |
|---|---|
| रेलवे कर्मचारी की चूक | 43 |
| उपस्कर में खराबी | 21 |
| रेल कर्मचारियों से इतर | 18 |
| कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से | 2 |
| आकस्मिक | 2 |
| प्रमाणित नहीं हो सकी | 1 |
| जांचाधीन | 1 |

आंकड़े अनंतिम हैं

(ख) नवंबर 1998 से जनवरी 1999 तक की अवधि की रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या:–

| | | |
|---|---|---|
| मारे गए | – | 255 |
| घायल हुए | – | 270 |

मृत/घायल व्यक्तियों की संख्या का दुर्घटनावार ब्यौरा अनुबंध-क पर संलग्न है। आंकड़े अनंतिम हैं।

(2) उपर्युक्त दुर्घटनाओं में सरकारी संपत्ति को पहुंचे नुकसान का अनंतिम मूल्य 15 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त प्रत्येक दुर्घटना की जांच, अधिकारियों की एक समिति द्वारा अथवा नुकसान की मात्रा के आधार पर, कुछ मामलों में रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई है। जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों को मानवीय चूक, उपस्कर में खराबी, तोड़-फोड़ तथा अन्य विविध कारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध "अनुशासन एवं अपील नियमों" के अधीन कार्रवाई शुरू की गयी है।

(ङ) दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावों पर रेलवे दावा अधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है। पिछले तीन महीनों के दौरान घटित दुर्घटनाओं के लिए रेलवे दावा अधिकरण से अभी तक कोई भी डिक्री प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, गाड़ी दुर्घटना के प्रत्येक मामले में, जिनमें यात्री हताहत हुए हैं, में निम्नानुसार अनुग्रह भुगतान किया गया है:-

| | |
|---|---|
| मृत्यु | 15,000 रुपये |
| गंभीर रूप से घायल | 5000 रुपये |
| मामूली रूप से घायल | 500 रुपये |

(च) भारतीय रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(2) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(3) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को "खतरे के सिगनल" के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(4) चुनिंदा मार्गों पर गार्डों एवं ड्राइवरों को उत्तरोत्तर वाकी-टॉकी सेट सप्लाई किए जा रहे हैं।

(5) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैम्पिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(6) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलन लेखीकारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(7) पटरी की दरारों तथा वेल्डिंग की विफलता का पता लगाने के लिए 96 और डबल रेल अल्ट्रासानिक फ्लाडिटेक्टरों की खरीद की जा रही है।

(8) उपर्युक्त के अलावा, 2 सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासानिक रेल टेस्टिंग कारों की भी खरीद की जा रही है।

(9) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और मालडिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(10) धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं का पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सज्जित किया गया है।

(11) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्ड/गति अवरोधक और सड़क चिह्न मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(12) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(13) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोकथाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(14) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(15) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(16) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(17) कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(परिशिष्ट-क)

| क्र.सं. | तिथि | रेलवे | मंडल | प्रकार | गाड़ी | संक्षिप्त ब्यौरा | के | बी | एस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1.11.98 | पूर्वोत्तर | वाराणसी | टक्कर | अप अमौसी और 5203 | इंजन की खराबी के कारण 458/13 कि.मी. पर अप अमौसी लोड खड़ी थी पीछे से 5203 एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। | | 2 | 1 |
| 2. | 20.11.98 | दक्षिण पूर्व | चक्रधरपुर | पटरी से उतरना | डाउन एसएसएसआर मालगाड़ी | चलती गाड़ी में ड्राइवर ने होम सिगनल की अवहेलना की तथा गाड़ी कैच साइडिंग में प्रविष्ट हो गई जिसके परिणामस्वरूप 6 बीओबीएस तथा गाड़ी का इंजन पटरी से उतर गए। | | | 2 |
| 3. | 20.11.98 | उत्तर रेलवे | मुरादाबाद | चौकीदार रहित | लाइट इंजन सं. 17963 | बिना चौकीदार वाले समपार पर लाइट इंजन के साथ एक विक्रम टैम्पो की भिड़न्त हो गई। | 2 | | |
| 4. | 24.11.98 | मध्य रेलवे | मुंबई | चौकीदार रहित | 2618 एक्सप्रेस | बिना चैकीदार वाले समपार पर चलती गाड़ी के साथ रोड रोलर की भिड़न्त हो गई जिसके परिणामस्वरूप इंजन तथा अगले चार सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। | 2 | | |
| 5. | 26.11.98 | उत्तर रेलवे | अंबाला | टक्कर | 2903 एक्सप्रेस तथा 3152 एक्सप्रेस | चालन के दौरान गाड़ी सं. 2903 पटरी से उतर गई तथा पृथक हुए डिब्बे से दूसरी लाइन अवरुद्ध हो गई, 2903 एक्सप्रेस के पटरी से उतरे हुए डिब्बों से 3152 एक्सप्रेस की टक्कर हो गई। | 212 | 95 | 43 |
| 6. | 29.11.98 | दक्षिण पूर्व | संभलपुर | चौकीदार सहित | 8452 एक्सप्रेस | दोषपूर्ण गेट अन्तर्पाशन के कारण जब गाड़ी को लाया जा रहा था तब एक बस ने गेट बेरियर को तोड़ दिया तथा गाड़ी से आ टकराई। | | 6 | 6 |
| 7. | 29.11.98 | पूर्वोत्तर | वाराणसी | टक्कर | डाउन एनबीक्यू-1 और टाउन एनबीक्यू-2 | एनबीक्यू-1 गाड़ी सीवान के होम सिगनल पर खड़ी थी। एनबीक्यू-2 गाड़ी ने एनबीक्यू-1 को पीछे से टक्कर मार दी। | | 2 | |
| 8. | 2.12.98 | पूर्वोत्तर | समस्तीपुर | बिना चौकीदार वाले | 5201 एक्सप्रेस | बिना चौकीदार वाले समपार फाटक सं. 127/सी पर चलती गाड़ी से जीप टकरा गई। | 1 | 1 | 4 |
| 9. | 2.12.98 | दक्षिण पूर्व | खलतेरू | बिना चौकीदार वाले | अप बीसीएस मालगाड़ी | बिना चौकीदार वाले समपार पर जब गाड़ी गुजर रही थी एक मारुति कार के साथ टक्कर हो गई। | | 1 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 3.12.98 | मध्य रेलवे | भुसावल | पटरी से उतरना | 8029 एक्सप्रेस | चलती गाड़ी का इंजन और 11 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए जिनमें 5 सवारी डिब्बे पलट गए। | 9 | 12 | 42 |
| 11. | 4.12.98 | उत्तर रेलवे | दिल्ली | बिना चौकीदार वाले | 9367 एक्सप्रेस | जब बिना चौकीदार वाले समपार सं. 89-सी पर गाड़ी गुजर रही थी उस समय एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। | 1 | | |
| 12. | 8.12.98 | मध्य रेलवे | सोलापुर | पटरी से उतरना | 6012 एक्सप्रेस | जब मुख्य लाइन पर रेल इंजन और 6 सवारी डिब्बे चल रहे थे तब वे पटरी से उतर गए जिससे संचार में व्यवधान आ गया। | | 1 | 1 |
| 13. | 10.12.98 | दक्षिण पूर्व | खोरधरोड | पटरी से उतरना | 8410 एक्सप्रेस | जब गाड़ी ब्लाक सेक्शन में गुजर रही थी तब 12 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए जिससे संचार में व्यवधान आ गया। | | | 4 |
| 14. | 10.12.98 | उत्तर रेलवे | अम्बाला | चौकीदार वाला | 6 एलबीएच पैसेंजर | जब चौकीदार वाले समपार फाटक संख्या 42-सी पर गाड़ी गुजर रही थी उस समय टाटा सूमो से टक्कर हो गई। | 2 | 1 | |
| 15. | 11.12.98 | मध्य रेलवे | मुंबई | बिना चौकीदार वाले | 3365 एक्सप्रेस | जब बिना चौकीदार वाले समपार सं. 51 पर गाड़ी गुजर रही थी तो खाली गैस टैंकर से टक्कर हो गई। | 1 | 1 | |
| 16. | 13.12.98 | उत्तर रेलवे | दिल्ली | चौकीदार वाला | 2011 एक्सप्रेस | जब चौकीदार वाले समपार फाटक सं. 19-सी पर गाड़ी गुजर रही थी, एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। | 1 | | |
| 17. | 14.12.98 | दक्षिण मध्य रेलवे | विजयवाड़ा | बिना चौकीदार वाले | 7616 एक्सप्रेस | बिना चौकीदार वाले समपार फाटक पर चलती गाड़ी एक कार से टकरा गई। | 2 | 1 | 1 |
| 18. | 15.12.98 | दक्षिण पूर्व रेलवे | खलतेर | बिना चौकीदार वाले | 238 डाउन डीएमयू | बिना चौकीदार वाले समपार फाटक पर चलती गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। और बड़ी लाइन पर संचार में व्यवधान आ गया। | 1 | | |
| 19. | 15.12.98 | पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | अलीपुरद्वार | चौकीदार वाले | 5813 एक्सप्रेस | चलती गाड़ी ट्रक सं. डब्ल्यूबी-031738 से टकरा गई जिसके कारण समानान्तरण लाइन के मार्ग में व्यवधान पैदा हो गया। | | 1 | |
| 20. | 13.12.98 | दक्षिण पूर्व रेलवे | खलतेर | चौकीदार वाले | 7479 एक्सप्रेस | चौकीदार वाले समपार फाटक सं. 43 पर चलती गाड़ी बैलगाड़ी से टकरा गई जिसके परिणामस्वरूप अप लाइन में व्यवधान उत्पन्न हो गया। | | | 1 |
| 21. | 20.11.98 | मध्य रेलवे | भोपाल | बिना चौकीदार वाले | 9167 एक्सप्रेस | बिना चौकीदार वाले समपार सं. 74 पर अचानक एक ट्रैक्टर रेलपथ पर आ गया और गाड़ी के इंजन से टकरा गया। परिणाम में कोई व्यवधान नहीं हुआ। | 2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 25.12.98 | दक्षिण मध्य रेलवे | हुबली | बिना चौकीदार वाले | ट्रिपल लाइट इंजन | बिना चौकीदार वाले समपार सं. 19 पर एक ट्रक चलती गाड़ी के इंजन से टकरा गया। वातायात में कोई व्यवधान नहीं हुआ। | 1 | 4 | |
| 23. | 25.12.98 | मध्य रेलवे | सोलापुर | पटरी से उतरना | खाली पेट्रोल टैंक | लोनी स्टेशन के होम सिगनल के निकट चलता हुआ एक ओटी(ई) पटरी से उतर गया जिसके परिणामस्वरूप केवल अप लाइन में व्यवधान हुआ। | 1 | 5 | |
| 24. | 25.12.98 | पूर्व रेलवे | धनबाद | चौकीदार वाले | 7054 बेडीके स्पेशल | एक चलती बीबीसीएल बस गेट को तोड़कर अन्दर घुस गई तथा गाड़ी के इंजन से टकरा गई परिणामस्वरूप धू संचार ठप्प हो गया। | 10 | 5 | |
| 25. | 2.1.99 | दक्षिण पूर्व रेलवे | आद्रा | पटरी से उतरना | 315 पैसेंजर | ब्लाक खंड में चल रही गाड़ी के 5 पीछे के सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए जिसके परिणामस्वरूप धू संचार ठप्प हो गया। | | 2 | 3 |
| 26. | 4.1.99 | उत्तर रेलवे | दिल्ली | बिना चौकीदार वाले | 2 आरकेबी पैसेंजर | बिना चौकीदार वाले समपार पर चल रही गाड़ी के इंजन से टैम्पो टकरा गया। | 2 | 3 | |
| 27. | 8.1.99 | दक्षिण मध्य रेलवे | संभलपुर | बिना चौकीदार वाले | 8448 एक्सप्रेस | ब्लाक खंड में चल रही गाड़ी से एक ट्रैक्टर बिना चौकीदार वाले समपार पर गाड़ी इंजन से टकरा गया। | 1 | | |
| 28. | 11.1.99 | दक्षिण पूर्व रेलवे | खोरधा रोड | बिना चौकीदार वाले | 8478 एक्सप्रेस | ब्लाक खंड में चल रही गाड़ी से एक ट्रैक्टर बिना चौकीदार वाले समपार पर गाड़ी इंजन से टकरा गया। | 1 | | |
| 29. | 13.1.99 | दक्षिण रेलवे | बंगलौर | बिना चौकीदार वाले | टीएस-1 ईएमयू | ब्लाक खंड में चल रही गाड़ी से एक आटोरिक्शा समपार पर गाड़ी इंजन से टकरा गया। | 1 | | |
| 30. | 15.1.99 | दक्षिण मध्य | विजयवाड़ा | बिना चौकीदार वाले | 351 पैसेंजर | ब्लाक खंड में चल रही गाड़ी से एक ट्रैक्टर ट्राली सहित समपार पर गाड़ी इंजन से टकरा गया। | 3 | 3 | |
| 31. | 27.1.99 | दक्षिण पूर्व रेलवे | बिलासपुर | बिना चौकीदार वाले | 8477 एक्सप्रेस | ब्लाक खंड में चल रही गाड़ी से एक ट्रक बिना चौकीदार वाले समपार पर गाड़ी इंजन से टकरा गया। | | 1 | 2 |
| 32. | 30.1.99 | पूर्वोत्तर रेलवे | लखनऊ | पटरी से उतरना | 1144 एक्सप्रेस | पुल सं. 263 पर चलती गाड़ी के 9 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए परिणामस्वरूप धू संचार में बाधा उत्पन्न हो गई। | | 1 | 9 |

के - मारे गए

जी - गंभीर रूप से घायल

एम - मामूली चोटें

*[हिन्दी]*

**श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है, उसमें बताया है कि 255 आदमी मारे गए और 270 घायल हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में बताया है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनको 15000 रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5000 रुपए और मामूली रूप से घायलों को 500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन मैं उनके उत्तर को पढ़कर बड़ा हैरान हूं कि अभी तक सरकार को यह पता नहीं है कि किस प्रकार से गरीब लोगों की रेलवे एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है और जिसको धन देने का प्रावधान किया गया है, उनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको तीन महीने में पूरी रकम मिली हो।

जब इन्होंने इस बात को आईडेंटिफाई कर लिया कि इतने आदमी मरे हैं तो आपने उनके परिवारजनों को दुबारा आईडेंटिफाई करके पन्द्रह हजार रुपये दिये होंगे लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक उनको पूरा पैसा नहीं मिला है। इन्होंने कह दिया कि रेलवे के बारे में कोर्ट केस देख रही है। इन्होंने यह भी नहीं बताया कि किस राज्य के कितने आदमी मरे हैं और उनको किस आधार पर आपने पन्द्रह हजार रुपये या पांच सौ रुपये दिये हैं? मैं नहीं समझ सकता कि किस आदमी को कितनी राशि प्राप्त हुई है क्योंकि राज्यवार विवरण इसमें नहीं है। आपने जो 255 और 270 की डिटेल दी हैं, उसमें पर व्यक्ति कितना पैसा वितरित किया है, उसकी कोई डिटेल नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विस्तार से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आपने इनको पैसा दिया है?

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, रेलवे एक्सीडेंट में मरने वाले या घायल होने वाले यात्रियों को रेलवे तत्काल राहत के आधार पर एक्स-ग्रेशिया पैमेंट करती है। मृत्यु की स्थिति में पन्द्रह हजार रुपये, ग्रीवस इंजुरी की स्थिति में पांच हजार रुपये और सिम्पल इंजुरी की स्थिति में पांच सौ रुपये दिए जाते हैं। यह कम्पैनसेशन नहीं है, एक्स-ग्रेशिया पैमेंट है। कम्पैनसेशन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के माध्यम से सैटल होने पर प्रदान किया जाता है। मृत्यु की स्थिति में चार लाख रुपये कम्पैनसेशन मिलता है और गंभीर रूप से घायल अवस्था में, वह किस हद तक शारीरिक रूप से अक्षम हो चुका है, उसे तय करके दिया जाता है। किसी मामले में घायल व्यक्ति को जो गंभीर रूप से अशक्त हो जाते हैं उनको चार लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाता है लेकिन इसको रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल सैटल करता है और जब वह इसे सैटल करता है तभी उसका भुगतान किया जाता है।

**श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : मेरा कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को पहले पन्द्रह हजार या पांच हजार रुपये के हिसाब से मदद दी जाती है, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, लेकिन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल जब उसे सैटलमेंट करती है। इस बारे में आपका क्या क्राइटीरिया है कि वह कितनी देर में मैटर सैटल करेगी जिससे उन गरीब लोगों को राहत मिले। जब पहले ही आईडेंटिफाई हो जाता है कि किसे राहत मिलनी चाहिए, फिर भी रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में भेजकर उसे दुबारा आईडेंटिफाई करना, यह उनके लिए प्रौब्लम है क्योंकि कई आदमियों के छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

दूसरा, मंत्री जी कहते हैं कि वाकी-टाकी सेट सप्लाई किये जा रहे हैं, वे कब तक सप्लाई किये जा रहे हैं और कितनी जगह सप्लाई किये जा रहे हैं, इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। जल्दी किये जा रहे हैं, सिर्फ यह आपने इसमें लिखा है। गिट्टी सफाई मशीन का उपयोग कर रहे हैं और उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सुल्तानपुरी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। किसी भी तरह से आज माननीय मंत्री जी अपना रेल बजट पेश करने जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : अगर रेलवे बजट पेश करेंगे तो उनको ताम्र-पत्र देना चाहिए क्योंकि जब दो आदमी मरे थे तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने मिनिस्ट्री से रिजाइन दे दिया था। लेकिन यहां तो इतने ज्यादा आदमी मर गये हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं कहता हूं कि आप इनको हाउस की तरफ से ताम्र-पत्र दे दीजिए क्योंकि यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इसमें लिखा है कि आप वाकी-टाकी देने का काम करेंगे, तो यह कब तक देंगे ताकि दुर्घटनायें रोकी जा सकें। फाटकों पर जो चौकीदार रखे हुए हैं, वहां कुछ ऐसा प्रावधान करें ताकि कोई एक्सीडैंट न हो सके। अगर आपके पास इस तरह की कोई योजना है तो आप हाउस को बताइये।

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के लम्बे वक्तव्य में मैं प्रश्न ढूंढ़ता हूं तो मुझे एक ही प्रश्न नजर आया कि ड्राईवर और गार्ड के बीच सम्पर्क के लिए वाकी-टाकी सेट दिये जा रहे हैं, वे कब तक पूरे तौर पर प्रदान कर दिये जायेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1999 तक जितनी भी

पैसेंजर्स गाड़ियां देश में चलती हैं, उन सबमें ड्राइवर और गार्ड के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए वाकी-टाकी सेट प्रदान कर दिए जाएंगे और अगले वित्तीय वर्ष में जितनी भी मालगाड़ियां हैं, उनमें भी वाकी-टाकी सेट प्रदान करने का विचार है।

*[अनुवाद]*

**डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही ताज्जुब और आश्चर्य की बात है कि नवम्बर, 1998 से जनवरी, 1999 के बीच तीन महीनों के दौरान 80 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा उपायों पर सलाह देने के लिए रेल संबंधी स्थायी समिति तथा विशेषज्ञ समिति है। अब जब उन्हें जांच समिति के जरिए पता चला है कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानव-भूल (कर्मचारियों की गलती) उपकरणों की खराबी तथा तोड़फोड़ के कारण हुई है तो वह एक सामान्य सा उत्तर दे रहे हैं कि विशेषज्ञ समिति मामलों को देख रही है, वह कर्मचारियों से विचार-विमर्श कर रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है तथा स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन दुर्घटना पुन: होती है और जांच पुन: बैठा दी जाती है। उससे कोई फायदा नहीं है। यह बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें इंसान की जिन्दगी शामिल है। 90 करोड़ लोगों का इन दुर्घटनाओं से काफी कुछ लेना-देना है। दुर्घटनाएं विगत 50 वर्षों से होती रही हैं परन्तु गत तीन महीनों के दौरान ही 80 से अधिक दुर्घटनाएं क्यों हो गईं? सदन को इसके बारे में बताया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को हमें यह बात बहुत ठोस और स्पष्ट तरीके से बतानी चाहिए कि क्या वह रेल संबंधी स्थायी समिति के अलावा इस सदन के सदस्यों को लेकर कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या श्रेष्ठ सुरक्षोपाय हमें प्रदान कर सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

**डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या आप दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षोपायों में रुचि नहीं रखते हैं? मैं ये दलीलें अपने लिए नहीं दे रहा हूं। मैं सामान्यतया विमान से यात्रा करता हूं। मैं ये वकालत गरीब लोगों और आम लोगों के लिए कर रहा हूं। इसलिए, कृपया इसे इतने हल्के ढंग से मत लीजिए।

महोदय, श्री नीतीश कुमार एक गतिशील मंत्री माने जाते हैं इसलिए वह सुरक्षोपाय भी उसी ढंग से करेंगे। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षोपाय अवश्य लागू करने चाहिए। विश्व में कितने ऐसे देश हैं जहां इतनी अधिक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं? इसी देश में इतनी अधिक रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? उन्हें भारत के लोगों को बताना चाहिए कि वह सुरक्षा के लिए क्या विशेष प्रणाली लागू करने जा रहे हैं तथा उनकी क्या कार्य योजना है?

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले तीन महीने की ऐक्सीडैंट फिगर्स को लेकर बता रहे हैं। लेकिन यदि इंडियन रेलवेज में एक्सीडैंट्स की संख्या देखें तो 1960-61 में टोटल 2131 एक्सीडैंट्स हुए थे। बाद में घटते-घटते पिछले 3-4 वर्षों से यह फिगर 400 से कम पर चली गई। अत: यह कहना कि इंडियन रेलवेज़ में एक्सीडैंट्स बढ़ रहे हैं, गलत है। ऐक्सीडैंट्स की संख्या में कमी आ रही है, पिछले वर्षों में लगातार सेफ्टी मेजर्स लिए जाने के कारण ऐक्सीडैंट्स की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन ऐक्सीडैंट्स बिल्कुल न हों, वैसी अवस्था को हम सब प्राप्त करें तो बेहतर होगा। इसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहना चाहिए। अगर आप एक फिगर लें कि प्रति मिलियन ट्रेन किलोमीटर में कितने ऐक्सीडैंट्स होते हैं तो जहां 1960-61 में 5.5 प्रतिशत होते थे, वे घटते-घटते 1995-96 में 0.61 प्रतिशत हो गए, 1997-98 में 0.50 प्रतिशत रह गए। इस तरह से ऐक्सीडैंट्स की संख्या लगातार घटती रही है। दुनियाभर में जिस इंडीकेटर को मान्यता दी जाती है, उस हिसाब से सेफ्टी के मामले में पिछले वर्षों की तुलना में परफार्मेंस निरंतर सुधार पर है। इसलिए यह कहना कि ऐक्सीडैंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक नहीं है। लेकिन ऐक्सीडैंट न हों, यह प्रयास होना चाहिए। इसके लिए कई बार इंडियन रेलवेज़ ने ऐक्सीडैंट्स इन्क्वायरी कमेटी सैट अप की है कि ऐक्सीडैंट्स से बचने के लिए कौन-कौन से सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। पिछले वर्ष इंडियन रेलवेज़ में तीन ऐसी कमेटीज गठित हुई थी। पिछले वर्ष जस्टिस एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में सेफ्टी रिव्यू करने की एक नई एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई है। उस कमेटी में तमाम एक्सपर्ट्स हैं और वे जांच कर रहे हैं। पिछले वर्ष ही यह कमेटी गठित हुई है। वे अपनी रिपोर्ट देंगे कि बदलते हुए संदर्भ में इंडियन रेलवेज़ को क्या-क्या सेफ्टी मेजर्स और लेने चाहिए तथा पहले जो कमेटीज़ थी, उनकी रिपोर्ट पर किस हद तक अमल हुआ। उस बारे में वे विचार कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हर एक्सीडेंट से सबक लेकर कई कदम उठाए जाते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

*[अनुवाद]*

**डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : जब विशेषज्ञ समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट दे तो मंत्री जी को पुन: सदन को विश्वास में लेना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा।

*[अनुवाद]*

**श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील** : महोदय, मंत्री जी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम दुर्घटनाएं दो रेलों के बीच ''ज्वाइंटिंग'' (जोड़) के कारण हुई है। आजकल दो रेलों की ''ज्वाइंटिंग'' वेल्डिंग द्वारा की जाती है और इसकी जांच अल्ट्रासानिक परीक्षण द्वारा की जाती है। 3 दिसम्बर, 1998 में भुसावल मंडल में जो दुर्घटना हुई थी वह पूर्णरूपेण ज्वाइंटिंग प्रणाली के असफल होने के कारण हुई। जब इंजीनियरों के साथ मामले पर बातचीत की गई तो मुझे पता चला कि इस प्रकार की ''ज्वाइंटिंग'' प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी ''ज्वाइंटिंग'' के इस विशेष पहलू से अवगत हैं। पुराने दिनों में ''ज्वाइंटिंग'' का काम बोल्टिंग करके किया जाता था जो वेल्डिंग द्वारा ज्वाइंटिंग के मुकाबले अधिक सहायक था। और यदि ऐसा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह दो रेलों की उसी ''ज्वाइंटिंग'' प्रणाली को पुन: लागू करना चाहेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, पहले जमाने में दो रेल्स को फिश प्लेट के सहारे जोड़ा जाता था। उस पर चलने वाली गाड़ियों की बहुत अधिक गति नहीं होती थी। इसको ध्यान में रखकर वैल्डिंग किया जाने लगा और अब लोंग वेल्डो रेल्स का इस्तेमाल होता है ताकि हम हाई स्पीड प्राप्त कर सकें। जहां तक वैल्डिंग का सवाल है, इसमें भी टैक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है और बेहतर टैक्नोलॉजी को एडाप्ट करके अच्छी वैल्डिंग हम कर सकें, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री कांतिलाल भूरिया** : अध्यक्ष महोदय, जार्ज फर्नाण्डीज़ जी और नीतीश कुमार जी के बीच में क्या बिहार में एक्सीडेंट होने की सम्भावना है? *...(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने चतुराई से मूल प्रश्नों का जवाब टालते हुए माननीय सदस्यों को प्रक्रिया बताई कि मरने पर ट्रिब्यूनल कितना पैसा देता है, सिम्पल इंजरी में क्या मिलता है, यह पाठ पढ़ाने का काम किया है और गुमराह किया है। आप मूल प्रश्न देखें, मूल प्रश्न क्या है कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग मारे गये, कितनी सरकारी सम्पत्ति की बर्बादी हुई और उसके लिए आपने कौन से उपाय किये। यह तो तीन महीने का आंकड़ा है। तीन महीने के पहले जायें तो कोई ऐसा दिन नहीं है, जिस दिन से आपने प्रभार लिया है, रेल मंत्री के रूप में पधारे हैं, लगातार ऐक्सीडेंट न होता हो और विशेषकर के बिहार में तो आपके आने से ऐक्सीडेंट्स की बाढ़ आ गई है, यह भी तो आप बताइये, यही तो मूल सवाल है। मूल सवाल है कि,

*[अनुवाद]*

''(क) पिछले तीन माह के दौरान तथा आज तक रेल दुर्घटनाओं/रेलों के पटरी से उतरने/रेलों और मालगाड़ियों में आग लगने की रेलगाड़ीवार/स्थानवार/राज्यवार कितनी दुर्घटनाएं हुईं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी प्रत्येक घटना में कितने लोग मारे गए/घायल हुए और इससे कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

इसका उत्तर आपको देना चाहिए। जान-माल की सुरक्षा के बारे में आज भारत में, विशेषकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं या कोई आदमी ट्रेन से चलना नहीं चाहता, न जाने कहां आप एक्सीडेंट करा देंगे, इसका उत्तर तो आप दीजिए। *...(व्यवधान)*

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, हमने आपका प्रश्न सुना तो क्या आप उत्तर नहीं सुनिएगा? माननीय सदस्य ने प्रश्न को सिर्फ पढ़ दिया, लेकिन सदन में प्रश्न का जो उत्तर रखा गया, उसको नहीं पढ़ा। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर *...(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : नहीं, मौखिक उत्तर देने में क्या आपको कोई कठिनाई हो रही है? आप मिनिस्टर हैं, पदाधिकारियों ने लिख दिया, यह पढ़ना हमारा काम है?

**श्री नीतीश कुमार** : यही यहां का तरीका है, प्रोसीजर है। हर प्रश्न का उत्तर बाहर लौबी में रखा हुआ है। आप नोटिस आफिस में जाकर भी देख सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उस मूल प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। उनको सलाह दी जानी चाहिए कि वे उत्तर भी पढ़ लिया करें।

**श्री लालू प्रसाद** : हमने नहीं पढ़ा है, आप ही बता दें।

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : जहां तक एक्सीडेंट का सवाल है कि कब कितने एक्सीडेंट हुए, इसका उत्तर दिया जा चुका है। रही बात बिहार की तो कुछ आपकी कृपा भी होती है। बिहार में बाज-दफा आप बता देते हैं, पिछले दो-तीन वर्षों से, कि रेल ही टार्गेट है। इसलिए उसका भी कुछ योगदान रहता ही होगा।

**श्री लालू प्रसाद** : उससे एक्सीडेंट कहां हुआ?

*[अनुवाद]*

**प्रो. ए.के. प्रेमाजम** : सभा पटल पर रखे गए उत्तर में यह बताया गया है कि रेल कर्मचारियों की असफलता के कारण अधिकांश दुर्घटनाएं हुईं और जिनमें से 42 दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो इनके कारण हुई। अधिकांश जोन और डिवीजनों में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इन जोन और डिवीजनों में कर्मचारियों की संख्या कम है और जो कर्मचारी हैं उन पर काम अधिक है। जब कर्मचारियों पर काम अधिक हो तो उनकी कार्यकुशलता बुरी तरह प्रभावित होना स्वाभाविक है। क्या समिति ने अधिकांश रेल दुर्घटनाओं का कारण रेल कर्मचारियों की विफलता बताने से पहले समस्या के इस पहलू की जांच की है?

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : एक्सीडेंट के कारणों का जब विश्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि सबसे अधिक दुर्घटनाएं ह्यूमन फेल्योर के कारण होती हैं, यह सत्य है। जहां तक स्टाफ की कमी का सवाल है, उसकी कमी के चलते कोई दुर्घटना हो रही है, इस आसपेक्ट को भी रेल्वे सेफ्टी रिव्यू कमेटी जांच करेगी। जहां तक मेरी जानकारी है इसके चलते दुर्घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है।

**श्री रवि प्रकाश वर्मा** : रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मंत्री जी ने अपना उत्तर सभा पटल पर रखा है। हमने पूर्वोत्तर रेलवे में कई स्थानों पर देखा है कि गोला गोकरन नाथ-मैलानी के बीच एक ही स्थान पर कई बार दुर्घटना घटी है। मैंने रख-रखाव के सम्बन्ध में कई चिट्ठियां आपको लिखी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में रख-रखाव की कमी के कारण जो दुर्घटनाएं घटी हैं, उनका कारण यही हैं। हम मंत्री जी से जो पत्र-व्यवहार करते हैं, उसका जवाब भी हमें नहीं मिलता।

**श्री नीतीश कुमार** : पत्र का जवाब तो पत्र से दिया जाएगा, लेकिन एक खास जगह का जो आपने उल्लेख किया है, उसके बारे में जांच कराएंगे, अगर यह सही है तो इसकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

**श्री रवि प्रकाश वर्मा** : खाली पावती मिलती है, पत्र का उत्तर नहीं मिलता।

**डा. शकील अहमद** : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर यह देखा गया है कि जब कोई बड़ी रेल दुर्घटना घटती है तो उसकी खबर टी.वी., रेडियो और अखबार के जरिए लोगों तक आती है और सारे देश को मालूम पड़ता है। उसके बाद मंत्री महोदय उस पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन देश में जो अन-मैन्ड क्रासिंग हैं, उनमें हर दिन कहीं न कहीं कोई दुर्घटना होती रहती है। सरकार का वक्तव्य आया था, शायद मंत्री महोदय का था या इनके राज्य मंत्री जी का था कि अन-मैन्ड क्रासिंग पर शीघ्र ही लोगों को प्रोवाइड करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश के साथ-साथ बिहार में, खासकर दरभंगा में जो आपका प्रमंडल भी है, उसमें मधुबनी जिला भी आता है, वहां अन-मैन्ड क्रासिंग पर लोगों को नियुक्त करने का विचार आप कब तक रखते हैं?

**श्री नीतीश कुमार** : पूरे रेलवे में 40,000 से ज्यादा लेवल क्रासिंग हैं, उनमें से 24,000 अन-मैन्ड क्रासिंग हैं। एक अन-मैन्ड क्रासिंग को मैन्ड करने में कैपिटल इन्वैस्टमैंट आठ से दस लाख रुपए आता है, 24,000 को मैन्ड करने में कितनी राशि की जरूरत है, आप समझ सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का थोड़ा इंतजार करें, हमारा भी कुछ प्रस्ताव है।

## दूरदर्शन के लिए समान संपादकीय नीति

***42. श्री पी.सी. थामस :**
**श्री जी.एम. बनातवाला :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर इसके अपने तथा गैर-सरकारी समाचार बुलेटिनों दोनों के लिए कोई समान संपादकीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के दर्शकों द्वारा तथ्य जानने तथा सरकार की नापसंद के समाचार को जानने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या 'आज तक' के निर्माता सरकार की नीति का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) दूरदर्शन पर संपादकीय नीति एवं समाचार बुलेटिनों की विषय-वस्तु का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता और यह प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

**श्री पी.सी. थॉमस** : महोदय, मेरा प्रश्न मुख्यत: एक घोषणा से संबंधित था जिसे मैंने माननीय मंत्री की ओर से कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा था कि नई सम्पादकीय नीति बनने जा रही है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार पाने के नागरिकों के अधिकार से भी संबंधित है; मैं समझता हूं कि जो उत्तर दिया गया है उसमें इसके बारे में कुछ भी नहीं है सिवाय खाली वक्तव्य दिया गया है कि ये सारी चीजें प्रसार भारती के पास है लेकिन इस चीज का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रसार भारती के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि इसे स्वायत्तता दी गई है, क्या यह देखना सरकार का काम है कि नई नीति कैसे लाई जाए ताकि सम्पादकीय अथवा दूरदर्शन के समाचार तथा प्राइवेट बुलेटिन जो इसके अंतर्गत आते हैं, उन्हें इस नई नीति के द्वारा नियंत्रित किया जा सके। मैं समझता हूं कि यद्यपि प्रेस जैसाकि हम इसे कहते हैं, प्रजातंत्र के सबसे मजबूत स्तम्भों में से एक है, यह संविधान में नहीं है। लेकिन वह प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ बन गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पी.सी. थॉमस कृपया अपने प्रश्न पर आइए।

**श्री पी.सी. थामस** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या समाचार जो कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है, जो विशेषरूप से दिनांक 24.1.1999 के 'दि पायोनीयर' में प्रकाशित हुआ है इसमें यह बताया गया है कि माननीय मंत्री ने यह कहा है कि दूरदर्शन समाचारों के लिए एक नई सम्पादकीय नीति लाने जा रहे हैं ताकि एक समान नीति हो, क्या यह सत्य है। यदि यह सच है अथवा यह सच नहीं भी है तो मीडिया के माध्यम के समाचारों के स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रचार के संबंध में सरकार के मन में वास्तव में है क्या?

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, सरकार इस बात पर भी सोचती है कि इस देश की जनता का स्वतंत्र और निष्पक्ष समाचार पाने का अधिकार है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित समाचार पत्र का संबंध है, वह इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है, और अब मैं उस समाचार पत्र का उल्लेख नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए दुख है। मैं उस समाचार पत्र के संबंध में उसे व्यक्तिगत रूप से बात अथवा लिख नहीं सकता हूं।

**श्री पी.सी. थॉमस** : यह व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ है।

**श्री प्रमोद महाजन** : जहां तक दूरदर्शन के लिए समाचार नीति तैयार करने का सवाल है, यह निर्णय करना प्रसार भारती का काम है। प्रसार भारती स्वायत्तशासी निगम है। उन्हें जिस तरह की समाचार नीति चाहिए वे लाने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार इसमें दखल नहीं देगी।

**श्री पी.सी. थॉमस** : हालांकि यह सच है कि प्रसार भारती एक स्वतंत्र निकाय है, लेकिन यह भी सच है कि समाचार जो सत्तारूढ़ पार्टी का पक्ष करते हैं ज्यादा विश्वसनीयता पा रहे हैं ...*(व्यवधान)* आप सत्तारूढ़ पार्टी होना नहीं चाहते। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हमारे पास समय नहीं है। श्री पी.सी. थामस आप कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

**श्री पी.सी. थॉमस** : यह भी सच है कि जब राजनीतिक घटनाएं होती हैं तो पार्टियों को प्रचार मिलता है। दूरदर्शन विपक्ष की अनेक पार्टियों को अधिक महत्व नहीं देता। यह एक आम शिकायत है जिसे इस सदन में अनेक अन्य सदस्यों द्वारा भी उठाया गया है और जब आप यहां थे तो आपने भी उठाया था।

अब, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह यहां ऐसी भावना है कि यद्यपि प्रसार भारती का गठन कर दिया गया है, पर मैं नहीं जानता कि क्या वर्तमान के संबंध में क्या स्थिति है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पी.सी. थॉमस क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं अथवा नहीं कृपया मुझे बताएं। यह क्या है?

**श्री पी.सी. थॉमस** : यद्यपि प्रसार भारती का गठन हो चुका है, फिर भी समाचारों और नवीनतम समाचारों को बाहर लाने के संबंध में शिकायतें हैं। यहां इस बात की अत्यधिक आलोचना हुई है कि हमेशा सरकार की ओर से अथवा सत्तापक्ष की ओर से इसमें दखल दिया गया है। यह देखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में ऐसा न हो। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में समाचार जारी किए जाने के संबंध में प्रसार भारती संबंधी कार्य प्रणाली के संबंध में पूर्ण वक्तव्य दिए जाने की योजना है।

**श्री प्रमोद महाजन** : समाचार बुलेटिन के सार के बारे में हमेशा मतभेद रहे हैं। लोग इसे हमेशा उद्देश्यपरक अथवा व्यक्तिपरक मानते हैं। जहां तक प्रसार भारती अधिनियम 1998 के कानून का संबंध है, प्रसार भारती स्वायत्तशासी निगम है और सरकार का इसके समाचारों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। यदि कुछ मामलों में वे व्यक्तिगत हैं, स्वाभाविक रूप से यह वाद विवाद प्रसार भारती के कर्मचारियों द्वारा सुना जाएगा और वे उचित विचार प्रकट कर सकते हैं। मुझे कानून के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं है चाहे प्रसार भारती गलत काम करे।

*[हिन्दी]*

**श्री जी.एम. बनातवाला** : अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादगी के साथ माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इतनी सादगी बीस वर्षों के अंदर शायद मैंने इस पार्लियामेंट में नहीं देखी है कि कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ऑटोनॉमस है वगैरह-वगैरह। अगर माननीय प्रधान मंत्री जी यहां होते तो मैं उनसे यह सवाल करता कि शायद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, क्या वह इसे खत्म करेंगे? लेकिन खैर, एक और सवाल मैं यहां पूछना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब बड़ी तवज्जह के साथ देंगे।

एक प्रोग्राम ''आज तक'' आता है जिसका इस प्रश्न के अंदर जिक्र भी है। यह बड़ा पसंदीदा, पोपुलर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को खत्म करने की या इसमें इंटरफिअर करने की या प्राइम टाइम में चेंजेज लाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्या यह हकीकत नहीं है कि माननीय मंत्री जी को शायद यह प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा है? क्या यह हकीकत नहीं है कि माननीय मंत्री जी इसे खत्म करना चाहते हैं और इसकी कोशिश भी करते रहे हैं? क्या यह हकीकत नहीं है कि अगर हुकूमत की तरफ से नहीं तो प्रसार भारती की तरफ से इस प्रोग्राम को बंद करने या इसे किल करने की कोशिश की गई? क्या यह हकीकत नहीं है कि प्रसार भारती की कुछ गाइडलाइन्स हैं और ''आज तक'' ने शायद इन गाइडलाइन्स के खिलाफवर्जी या वॉयलेशन किया है? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न दूरदर्शन हेतु एक समान सम्पादकीय नीति से संबंधित है।

**श्री जी.एम. बनातवाला** : आपने इसे पढ़ा है। इसमें ''आज तक'' शब्द है। मैं बहुत अनुशासित और सावधान सदस्य हूं।

*[हिन्दी]*

क्या यह हकीकत नहीं है कि ''आज तक'' के लोगों को बगैर कोई नोटिस दिए उसका टाइम बदलने, उसको स्टॉप करने, उसमें चेंजेज लाने की कोशिश की गई और उन्हें दबाने की कोशिश की गई? क्या माननीय मंत्री महोदय इस एवान को यह भरोसा, एहतमाद दिलाएंगे कि प्रसार भारती ''आज तक'' के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी न करे और इसे खत्म करने की कोशिश न करे?

**شری جی ایم بنات والا (پوننانی)**: جناب اسپیکر صاحب، بڑی سادگی کے ساتھ محترم وزیر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اتنی سادگی میں سالوں کے اندر شاید میں نے اس پارلیمنٹ میں نہیں دیکھی ہے کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ آٹونومس ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر محترم وزیر اعظم جی یہاں ہوتے تو میں ان سے یہ سوال کرتا کہ شاید انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ منسٹری کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہ اسے ختم کریں گے؟ لیکن خیر، ایک اور سوال میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اور اُمید کرتا ہوں کہ محترم وزیر صاحب اسکا جواب بڑی توجہ کے ساتھ دیں گے۔

ایک پروگرام 'آج تک' آتا ہے جسکا اس سوال کے اندر ذکر بھی ہے۔ یہ بڑا پسندیدہ، مشہور پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو ختم کرنے کی یا اس میں مداخلت کرنے کی یا پرائم ٹائم میں بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ محترم وزیر صاحب کو شاید یہ پروگرام پسند نہیں آرہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ محترم وزیر صاحب اسے ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسکی کوشش بھی کرتے رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے نہیں تو پر سار بھارتی کی طرف سے اس پروگرام کو بند کرنے یا اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پر سار بھارتی کی کچھ گائڈلائنس ہیں اور 'آج تک' نے شاید ان گائڈلائنس کے خلاف ورزی یا وائلیشن کیا ہے؟ ..(مداخلت)۔

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 'آج تک' کے لوگوں کو بغیر کوئی نوٹس دیئے اسکا ٹائم بدلنے، اسکو اسٹاپ کرنے، اسمیں بدلاؤ لانے کی کوشش کی گئی اور انہیں دبانے کی کوشش کی گئی؟ کیا جناب وزیر صاحب اس ایوان کو یہ بھروسہ، احتماد دلائیں گے کہ پر سار بھارتی 'آج تک' کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ کرے اور اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کرے؟

*[हिन्दी]*

**श्री प्रमोद महाजन** : अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन पर 'आज तक' जो कार्यक्रम आता है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप कर रही है, यह आरोप असत्य है और बेतुका है। इसे मैं पूरी तरह इनकार कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी** : आपने खुद बयान दिया था। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रमोद महाजन** : कृपया व्यवधान न डालें। यदि आप अनुमति लेकर प्रश्न पूछते हैं तो मैं उत्तर देने को तैयार हूं ...*(व्यवधान)* यदि ये इसी तरह व्यवधान डालते रहे तो मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वोरा, कृपया बाधा मत डालें। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, जहां तक 'आज तक' कार्यक्रम की समय-सीमा का सवाल है, हमारी सरकार आने के पश्चात् इसमें कोई भी अन्तर आज तक नहीं हुआ है। जिस समय आता था, उसी समय चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार 'आज तक' का दूरदर्शन से कान्ट्रैक्ट 31 मार्च, 1999 तक है। इसके बाद उसे चलाना है या बन्द करना है, यह दूरदर्शन का निर्णय है। सरकार इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। ...*(व्यवधान)* महोदय, नेता-प्रतिपक्ष कुछ पूछना चाहते हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही कुमारी ममता बनर्जी का नाम पुकार चुका हूं।

**कुमारी ममता बनर्जी** : यह सही है कि 'आज तक' एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है।

**श्री दिग्विजय सिंह** : खुद प्रधानमंत्री तक इसे देखते हैं।

**कुमारी ममता बनर्जी** : हर कोई इसे देखता है। खासतौर पर राजनीतिक लोग। अत: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि सरकार इसे बन्द करने जा रही है। क्या यह सही है कि सरकार 'आज तक' कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं देगी? यदि ऐसा है, तो क्या मैं सरकार से अनुरोध कर सकती हूं कि आज तक कार्यक्रम को जारी रखा जाए? माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वस्त करें कि इसे जारी रखा जाएगा ...*(व्यवधान)* कृपया बाधा मत डालें। मैं 'आज तक' और 'खास खबर' की बात कर रही हूं। एक क्षेत्रीय चैनल भी है। वे वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। मुझे खुशी है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, खासकर 'आज तक' और 'खास खबर' के मामले में। मेरे प्रदेश में, एक क्षेत्रीय चैनल भी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मंजूरी देने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : सरकारी तौर पर, मेरे लिए कुछ कहना कठिन है ...*(व्यवधान)* सरकार का एक मंत्री होने के नाते, मेरे लिए यह आकलन करना काफी कठिन है कि 'आज तक' एक लोकप्रिय कार्यक्रम है या नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, पर यदि कुमारी ममता बनर्जी कहती हैं कि यह लोकप्रिय है, तो मैं उनकी बात मानता हूं, यह एक लोकप्रिय कार्यक्रम है, मैं मान लेता हूं।

जैसा मैंने पहले कहा, देश के कानून के अनुसार, मुझे 'आज तक' को जारी रखने या बन्द करने का कोई अधिकार नहीं है। अत: जब मुझे अधिकार ही नहीं है तो मैं आश्वासन कैसे दे सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

**डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : वे संसद का यह दृष्टिकोण तो जता ही सकते हैं कि 'आज तक' को जारी रखा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**कुमारी ममता बनर्जी** : मंत्री जी को सुस्पष्ट आश्वासन देना होगा। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शरद यादव** : महोदय, मैं ममता बनर्जी जी से सहमत हूं कि 'आज तक' बड़ा पोपुलर कार्यक्रम है, लेकिन मिनिस्टर

साहब के पास इसका पहले से एसेसमेंट नहीं है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जहां तक हस्तक्षेप की बात है, हमें महसूस हो रहा है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से 'आज तक' में न्यूज आ रहो थी और जिस तरह से आज आ रही है, उसमें फर्क दिखाई दे रहा है। पोपुलर चेहरे हमेशा दिखाई देते थे। हंसते हुए चेहरे दिखाई देते थे। वे मदनलाल खुराना जी का हंसता हुआ चेहरा दिखाते थे, लेकिन आजकल नहीं दिखा रहे हैं। मुझे मालूम है, ऐसी कोई खास सूचना इस बारे में दी गई है। अगर दी गई है, तो इसके रीजन्स क्या हैं या इसके पीछे क्या साजिश है — क्या आप वह बतायेंगे?

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, 'आज तक' एक निजी प्रोड्यूसर द्वारा तैयार हुआ कार्यक्रम है, जो 17 जुलाई, 1995 को दूरदर्शन पर शुरू हुआ था। 30 नवम्बर, 1997 तक इसका प्रिव्यू होता था। एक दिसम्बर, 1997 के बाद 'आज तक' जो कैसेट देते हैं, वह कैसेट जैसी की वैसी दिखाई जाती है। एक दिसम्बर, 1997 को लिए गए इस निर्णय में हमारी सरकार ने कोई परिवर्तन किया नहीं है। लेकिन आज भी 'आज तक' जैसे कैसेट भेजता है, वैसा दिखाया जाता है।

*[अनुवाद]*

प्रिव्यू की बात ही छोड़ो सरकार इस ओर देखती तक नहीं। इसे ज्यों का त्यों लोगों को दिखा दिया जाता है। इसलिए, इस तरह का तो प्रश्न ही नहीं है।

*[हिन्दी]*

जहां तक सवाल हंसते हुए चेहरे कम होने का है, 'आज तक' निजी कार्यक्रम है, हम उनको सलाह नहीं दे सकते हैं। लेकिन सदन के द्वारा मैं कह सकता हूं कि वे शरद जी का इन्टरव्यू रोज़ लें, तो हंसते हुए चेहरे फिर दिखाई देंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री के. येरननायडू** : महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री का इस प्रकार उत्तर देना उनके लिए उचित नहीं है। इस देश के 100 करोड़ लोग इस सदन का चुनाव करते हैं। हम लोगों के दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करते हैं। देश की भूमि के लिए कानून संसद द्वारा बनाये जाते हैं। अतः, माननीय सदस्यों के विचारों को प्रसार भारती के हाथों में सौंप दिये जाने चाहिए। अन्यथा, स्वायत्तता के नाम पर वे जो चाहेंगे, वही करेंगे। इस सदन में हम पहले ही एक कानून को स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं। पूर्व मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कुछ संशोधन करके उस विधेयक को प्रस्तुत किया था और उसे हमने स्वीकृति प्रदान की थी; और यह विधेयक राज्य सभा में लंबित पड़ा है।

इसीलिए, माननीय मंत्री से मेरा यही निवेदन है कि वह माननीय सदस्यों के विचारों को प्रसार भारती के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करें। तब, लोग सोचेंगे कि भारत के लोगों की यही मांग है। इसलिए, मेरा यही निवेदन है।

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, तेलुगु देशम पार्टी का नेता इस गठबंधन सरकार का अति महत्वपूर्ण भागीदार है ...*(व्यवधान)*

**श्री वी. सत्यमूर्ति** : महोदय, माननीय मंत्री यह अवश्य बताएं कि यह स्वायत्त निकाय संसद के प्रति उत्तरदायी है या नहीं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, यद्यपि मैं संचार मंत्री के विभाग को संसद और प्रसार भारती के बीच का डाकिया नहीं मानता, जो भी आज यहां चर्चा की जा रही है उसे मैं ईमानदारी से प्रसार भारती के समक्ष रख दूंगा। यदि देश का कानून मुझे आश्वासन देने की आज्ञा नहीं देता और यदि मुझे अधिकार प्राप्त नहीं है, मैं कैसे इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

**श्री वी. सत्यमूर्ति** : तो, यहां प्रसार भारती के लिए मंत्री रखने की आवश्यकता है? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी सीट पर बैठें। श्री रूपचन्द पाल।

....*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदय, माननीय मंत्री ने बार-बार प्रसार भारती की ओर संकेत किया है। लेकिन अब कुछ समय से, ये संकेत मिल रहे हैं कि माननीय मंत्री प्रसार भारती को समाप्त करने

के लिए समयोपरि कार्य कर रहे हैं और क्या प्रसारित होना चाहिए और क्या प्रसारित नहीं होना चाहिए इस संबंध में संपादकीय डेस्क को उनके कार्यालय से निर्देश भेज दिये गये हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि क्या एक राष्ट्रीय घटना को जितनी संभव हो सके उतनी उपेक्षा करने के निर्देश माननीय मंत्री के कार्यालय से भेजे गये हैं, वह भी उस समय जब इस माह की 20 तारीख को धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ?

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। मंत्री जी ने कोई निर्देश नहीं भेजे हैं *...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : तो, इसकी कवरेज क्यों नहीं की गई? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। यह क्या है? *...(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : आपको प्रसार भारती से पूछना पड़ सकता है। मुझसे मत पूछिये; मैं इसके बारे में उत्तर दने के योग्य नहीं हूं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री चन्द्रशेखर** : अध्यक्ष महोदय, हमें स्वायत्ता की नई परिभाषा प्राप्त हो रही है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई संगठन स्वायत्त है तो क्या कोई भी इस स्वायत्त संगठन के संबंध में संभा के प्रति जवाबदेह है अथवा नहीं है। यदि मंत्री महोदय यह कहते हैं कि उन्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है तो उन्हें उस मंत्रालय में मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, हम लगभग अपने पूर्ण जीवनकाल से संसदीय लोकतंत्र के बारे में सीख उन्हें हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी मंत्री को इस तरह उत्तर देते नहीं देखा है। यदि कोई संगठन स्वायत्त भी है, तब भी वह किसी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है।

**श्री वैको** : उन्होंने गलत क्या कहा है?

**श्री चन्द्रशेखर** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि प्रसार भारती, जोकि एक स्वायत्त निकाय है, को किस प्रकार चलाया जा रहा है और संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियमों तथा दी गई राय के बावजूद कर्मचारियों को किस प्रकार बदला गया है। यदि यह मंत्री महोदय और सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है तो वे क्यों इस सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं?

उनका कहना है कि वे संचार मंत्री नहीं हैं। संचार मंत्री का यह कार्य नहीं है कि वह इस सभा के विचारों को प्रसार भारती तक पहुंचाए। लेकिन यह कार्य सूचना और प्रसारण मंत्री का है। यह मंत्री इस सरकार में मंत्री पद पर बने रहने के हकार नहीं हैं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री बोल रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**श्री चन्द्रशेखर** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री को बताया जाए कि सभा में किस तरह व्यवहार किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मंत्री बोल रहे हैं

*...(व्यवधान)*

**नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : श्री चन्द्रशेखर को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि उक्त मंत्री मंत्री पद पर रहने के लिए योग्य हैं अथवा नहीं *...(व्यवधान)* उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए *....(व्यवधान)* यह उनका कार्य नहीं है *...(व्यवधान)* यह निर्णय लेने का विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री को है कि अमुक मंत्री मंत्री पद पर बने रहने के योग्य हैं अथवा नहीं *...(व्यवधान)* वे यह किस तरह कह सकते हैं? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार** : उनके शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया जाए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अनंत कुमार, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार** : यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

**श्री अनंत कुमार** : वे यह किस तरह कह सकते हैं? उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप सबसे अपने स्थान पर बैठ जाने के लिए अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : अध्यक्षजी, यह कार्यवाही में से निकाला जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया** : अध्यक्ष जी, चंद्रशेखर जी एक्स-प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे इस तरह की ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री तपन सिकदर** : क्योंकि वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए वे जो चाहें बोल सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

**श्री हरिन पाठक** : वे वहां आपकी दया पर नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पाठक, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप सबसे अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री अशोक प्रधान** : अध्यक्ष जी, चन्द्रशेखर जी ऐसा कैसे कह सकते हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री विजय गोयल** : अध्यक्ष जी, चन्द्रशेखर जी बोल चुके हैं और यह क्वैश्चन आवर है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, मंत्री महोदय।

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, सबसे पहले आप उन्हें अपने शब्द वापस लेने के लिए कहें। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अब मंत्री महोदय को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

*[हिन्दी]*

**मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम** : इतने सीनियर और वरिष्ठ आदमी ने कहा है,

*[अनुवाद]*

तब उन्हें बताना चाहिए कि यह कहने के पीछे उनकी क्या मंशा है।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रशेखर** : वे लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम तो जवाब देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : चंद्रशेखर जी बोलना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया है तो वे कैसे बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.53 बजे**

*इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : लालू जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप अध्यक्ष मंच की ओर क्यों आ रहे हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे पुन: अपने स्थान पर बैठ जाने के लिए अनुरोध करता हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.56 बजे**

*इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।*

**श्री राजेश पायलट** : महोदय, आप इस सभा की मान-मर्यादाओं के रक्षक हैं *...(व्यवधान)* आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी अथवा विपक्षी पार्टी के सदस्यों को किस तरह व्यवहार करना चाहिए। आपको यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। सभा की कोई परवाह ही नहीं करता। महोदय, मंत्री महोदय हमारे ही एक साथी हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर प्रभावपूर्ण ढंग से दिया है कि वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं *...(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : मैंने यह नहीं कहा है *...(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट** : महोदय, आपको इस सभा के माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**श्री चन्द्रशेखर** : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि अनावश्यक रूप से यह समस्या खड़ी हुई है। मैंने अपने भाषण में यह कहा था कि आप मंत्रियों को बताएं कि उन्हें इस सभा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि यह किस प्रकार असंसदीय है अथवा अपमानजनक है। पिछले 50 वर्षों के दौरान इस सभा में सैकड़ों बार यह बात कही गई है *...(व्यवधान)*

**श्री वैको** : मैं भी यह जानता हूं कि इस सभा में क्या हुआ है *...(व्यवधान)*। यह मेरा अधिकार है *...(व्यवधान)*

**श्री चन्द्रशेखर** : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल इतना ही कहा था कि सूचना और प्रसारण मंत्री जी को यह नहीं कहना चाहिए था कि वह संचार मंत्री नहीं हैं। वह सभा की भावना से प्रसार भारती को अवगत करा देंगे। मैंने कहा था कि जब किसी स्वायत्तशासी निकाय का इस सभा में किसी मंत्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है तो मेरी जानकारी और समझ के मुताबिक इस सभा की भावना से प्रसार भारती को अवगत कराने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति सूचना और प्रसारण मंत्री है। मैंने कहा "कृपया मंत्रियों को बताएं कि इस सभा में कैसे व्यवहार करना है।" मैंने यह कहा था। *...(व्यवधान)*

**श्री वैको** : आपने यह भी कहा था कि वह मंत्री बनने के योग्य नहीं हैं।

**श्री चन्द्रशेखर** : अध्यक्ष महोदय, मैं 35 वर्षों से भी अधिक समय से इस सभा अथवा दूसरी सभा का सदस्य रहा हूं। मैंने कभी भी ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है जो मुझे वापिस लेना पड़े। महोदय, आपके विचार से यदि कोई बात अपमानजनक है तो आप उसे निकाल सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कोई अपमानजनक बात कही है। *...(व्यवधान)*

**श्री वैको** : वह अपमानजनक था। आपने कहा था कि उन्हें मंत्री बनने का अधिकार नहीं है। *...(व्यवधान)*

**श्री चन्द्रशेखर** : अध्यक्ष महोदय, इस बात का निर्णय माननीय सदस्य नहीं कर सकते हैं। मैं अभी भी यह महसूस करता हूं कि इस बात का निर्णय अध्यक्ष महोदय को करना है। ....*(व्यवधान)*

**मध्याह्न 12.00 बजे**

**अध्यक्ष महोदय** : अब मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वैको जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब मंत्री जी उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

**श्री वैको** : यह बिहार विधान सभा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री थॉमस जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। लालू जी, ये क्या हो रहा है। अब मंत्री जी उत्तर देंगे। केवल एक मिनट का समय बचा है और उसके बाद समय समाप्त हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : ठीक है। एक आरोप लगाया गया है और आप मुझे उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह उचित नहीं है। श्री चन्द्रशेखर ने कुछ कहा है और मुझे उनकी बात का उत्तर देना है।

*[हिन्दी]*

अध्यक्ष जी, श्री चन्द्रशेखर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उनको अपना मत रखने का अधिकार है। मैं उनके लिए और खासकर इस सदन के लिए 2-3 बातें कहना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

...*(व्यवधान)*

**श्री शरद पवार** : महोदय, जहां तक प्रसार भारती का संबंध है, पूरे सदन ने इस मुद्दे का समर्थन किया है। हम मंत्री जी का वास्तविक विचार जानना चाहते हैं क्योंकि पूरा सदन प्रसार भारती की वास्तविक अधिकारिता जानने के लिए उत्सुक है। अत: मंत्री जी को उत्तर देने की अनुमति दी जाए और आपको उन्हें उत्तर देने का अवसर देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। यदि पूरा सदन सहमत है तो वह उत्तर दे सकते हैं।

**कुमारी ममता बनर्जी** : महोदय, वह उत्तर दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री पी. उपेन्द्र** : महोदय, हम इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रमोद महाजन** : अध्यक्ष महोदय, आज के विवाद को छोड़ते हुए सदन में 2-3 मुद्दे उठे जिनका मैं उत्तर देना चाहूंगा। मैं श्री चन्द्रशेखर जी की तरह वरिष्ठ सदस्य नहीं हूं। उनका अनुभव और ज्ञान ज्यादा है। यह बात मैं मन से कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए सदस्यों को नहीं। विवाद से बचने के लिए ऐसा करना बेहतर है।

...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : वे कभी भी अध्यक्षपीठ के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री लालू प्रसाद जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : यह राजनीति की प्राथमिक बात है जिसे मैं समझता हूं कि प्रत्येक मंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार

है। किसी मंत्री का संसद के प्रति गैर-जिम्मेदार होने का कोई प्रश्न नहीं है और जो व्यक्ति स्वयं को संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं समझता है जैसा कि श्री चन्द्रशेखर जी ने ठीक ही कहा है, वह मंत्री बनने योग्य नहीं है। यह मेरी पहली बात है। मंत्री की जिम्मेदारी इस माननीय संसद द्वारा पारित कानूनों से बनती है।

**श्री पी.सी. थॉमस** : महोदय, वह उत्तर से बच रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री थॉमस जी, यह क्या हो रहा है? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री ए.सी. जोस** : महोदय, वह हमें व्याख्यान दे रहे हैं। यह क्या हो रहा है?

**अध्यक्ष महोदय** : वह व्याख्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि उत्तर दे रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री प्रमोद महाजन** : एक माननीय सदस्य द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि समाचार विशेष को काट दिया गया था, पर मैंने केवल यही बात कही थी। श्री चन्द्रशेखर मेरे साथ बैठे थे और उन्हें यह बात सुननी चाहिए थी मैंने केवल यही बात कही थी कि मेरे मंत्रालय ने कोई हिदायत जारी नहीं की है। प्रसार भारती जो भी दिखाता है वह उसकी स्वायत्तता है। इस समय मैं यह कैसे कह सकता हूं कि उनके द्वारा समाचार को काटना सही था या गलत था? श्री चन्द्रशेखर जी ने जो कुछ कहा है मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूं।

अत: मैं इस समय कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं क्योंकि हमने जो कानून पारित किए हैं उनके अन्तर्गत प्रसार भारती का दैनिक कार्य स्वतंत्र और स्वायत्तशासी है। *...(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : फिर वह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दूरदर्शन की दो सम्पादकीय नीतियां नहीं होंगी। वह बहुत सी बातें कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने उन्हें हिदायतें जारी करने मे इन्कार कर दिया है। *...(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : मैं विलम्ब से आने वालों को उत्तर नहीं दे सकता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हम विलंब से आने वाले नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : श्री सोमनाथ चटर्जी, हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं।

**डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : मुद्दा यह है कि क्या "आज तक" का प्रसारण जारी रहेगा या नहीं, क्या वह दूरदर्शन को यह बताने जा रहे हैं या नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

**श्री प्रमोद महाजन** : मैं सभा से यह निवेदन करता हूं कि वह मुझे यह बताए कि मैं किस कानून के अन्तर्गत किसी कार्यक्रम विशेष को जारी रखने या बंद करने के लिए अनुदेश जारी कर सकता हूं। मैं सभा की इच्छा का पालन करूंगा। सभा सर्वोच्च है। यदि मुझे कोई अधिकार नहीं है तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता हूं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ये क्या हो रहा है?

**डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : महोदय, आप उन्हें निर्देश दे सकते हैं।

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, मेरी अंतिम बात यह है कि श्री चन्द्रशेखर जी ने हमेशा की तरह कुछ कटु टिप्पणियां की हैं। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। श्री चन्द्रशेखर जी को उसी तरह से यह कहने का अधिकार है कि क्या मैं मंत्री बनने योग्य हूं या नहीं जिस तरह से मुझे यह सोचने का अधिकार है कि वह प्रधान मंत्री बनने के योग्य हैं या नहीं। *...(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट** : अध्यक्ष महोदय, उत्तरदायित्व का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पायलट जी, प्रश्नकाल पहले ही समाप्त हो चुका है।

**श्री राजेश पायलट** : मुझे एक और बात कहनी है। ऐसी कोई संस्था नहीं है जो संसद के प्रति उत्तरदायी न हो। उन्होंने अपने भाषण में कहा है "मैं संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं।" यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि हर कोई संसद के प्रति उत्तरदायी है। अन्यथा संसद का कोई मतलब ही नहीं है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[अनुवाद]*

### सैन्य बलों में भर्ती

***43. श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
**कर्नल सोना राम चौधरी :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सेना के तीनों अंगों में विशेषत: पूर्वोत्तर राज्यों, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के विशेष संदर्भ में/राज्यवार की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पूर्वोत्तर राज्यों में की गई ऐसी कुल भर्तियों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में अत्यंत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) महाराष्ट्र, राजस्थान और पूर्व-उत्तर राज्यों में भर्ती केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने भर्ती केन्द्र हैं जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती की गई;

(ङ) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों तथा आश्रितों को भर्ती में कोई वरीयता दी गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री ( श्री जॉर्ज फर्नान्डीज )** : (क) से (च) राज्यवार भर्ती केवल सेना में ही की जाती है जबकि नौसेना और वायुसेना में भर्ती अखिल भारतीय योग्यता क्रम के आधार पर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नौसेना और वायुसेना में की गई भर्ती का ब्यौरा इस प्रकार है:-

| नौसेना | | वायुसेना | |
|---|---|---|---|
| वर्ष | कुल भर्ती | वर्ष | कुल भर्ती |
| 1996 | 2915 | 1995-96 | 4209 |
| 1997 | 2918 | 1996-97 | 3136 |
| 1998 | 1142 | 1997-98 | 3640 |

2. पिछले 3 वर्षों के दौरान सेना में भर्ती के राज्यवार आंकड़े इस संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

3. पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में भर्ती की औसत प्रतिशतता इस प्रकार है:-

| राज्य | 1995-96 से 1997-98 तक भर्ती | आबंटित रिक्तियों की तुलना में प्रतिशतता |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 15380 | 98.4 |
| राजस्थान | 13488 | 101 |
| पूर्वोत्तर राज्य | 7424 | 95 |

4. महाराष्ट्र, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में भर्ती केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

5. तीनों सेनाओं में भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों को कुछ रियायतें/छूट और अधिमानता दी जाती है। इनमें शारीरिक मानकों में छूट, बोनस अंक तथा युद्ध अथवा शांतिकाल में युद्ध जैसी स्थिति में भारतीय सेना में मारे गए भूतपूर्व सैनिक के एक बेटे को तत्काल भर्ती किए जाने की सुविधा शामिल है। भूतपूर्व सैनिकों के बेटों (2 बेटों तक प्रतिबंधित) को भारतीय नौसेना में उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के अलावा अतिरिक्त अधिमानता दी जाती है। भारतीय वायुसेना में भी भूतपूर्व सैनिकों के बेटों को इसी तरह की अतिरिक्त अधिमानता दी जाती है।

विवरण-I

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | की गई भर्ती | | |
|---|---|---|---|
| | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| असम | 2157 | 1187 | 762 |
| आंध्र प्रदेश | 3276 | 2862 | 1809 |
| अरुणाचल प्रदेश | 42 | 66 | 101 |
| बिहार | 5807 | 4069 | 2721 |
| गोवा | 12 | 17 | 08 |
| गुजरात | 1841 | 890 | 700 |
| हरियाणा | 5381 | 2945 | 2468 |
| हिमाचल प्रदेश | 3356 | 2481 | 1811 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 6097 | 2144 | 1967 |
| केरल | 2322 | 1816 | 1135 |
| कर्नाटक | 2712 | 2135 | 1278 |
| महाराष्ट्र | 8198 | 4262 | 2920 |
| मध्य प्रदेश | 2137 | 1754 | 1519 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मणिपुर | 578 | 286 | 368 |
| मेघालय | 215 | 164 | 125 |
| मिजोरम | 131 | 95 | 117 |
| नागालैंड | 129 | 183 | 370 |
| उड़ीसा | 2110 | 1294 | 889 |
| पंजाब | 6456 | 4394 | 3740 |
| राजस्थान | 6052 | 4601 | 2835 |
| सिक्किम | 13 | 21 | 16 |
| तमिलनाडु | 4315 | 2845 | 1936 |
| त्रिपुरा | 129 | 137 | 82 |
| उत्तर प्रदेश | 15402 | 11926 | 8155 |
| पश्चिम बंगाल | 5838 | 3292 | 1900 |
| अंडमान निकोबार | 81 | 92 | 64 |
| चंडीगढ़ | 07 | 26 | 04 |
| दिल्ली | 327 | 157 | 191 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| दादर एवं नागर हवेली | – | – | – |
| लक्षद्वीप | – | – | 49 |
| पांडिचेरी | 11 | 03 | – |
| नेपाल | 2126 | 1201 | 919 |
| दमन एवं दीव | – | – | – |
| लाहुल स्पीति | – | 49 | – |
| कुल योग | 87258 | 57394 | 40959 |

*विवरण-II*

*भर्ती केन्द्र*

| राज्य | भारतीय सेना | भारतीय नौसेना | भारतीय वायुसेना |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | मुख्यालय भर्ती जोन, पुणे<br>शाखा भर्ती कार्यालय, मुम्बई<br>शाखा भर्ती कार्यालय, नागपुर<br>शाखा भर्ती कार्यालय, कोल्हापुर<br>शाखा भर्ती कार्यालय, औरंगाबाद | भा.नौ.पो. शिवाजी, लोनावाला<br>भा.नौ.पो. आंग्रे, मुम्बई<br>भा.नौ.पो. हमला, मुम्बई | 6 वायुकर्मी चयन केन्द्र, मुम्बई |
| राजस्थान | मुख्यालय भर्ती जोन, जयपुर<br>शाखा भर्ती कार्यालय, जोधपुर<br>शाखा भर्ती कार्यालय, अलवर<br>शाखा भर्ती कार्यालय, कोटा<br>शाखा भर्ती कार्यालय, झुनझुनू | नं. 5 वायुकर्मी चयन केन्द्र, जोधपुर | 5 वायुकर्मी चयन केन्द्र, जोधपुर |
| पूर्वोत्तर राज्य | मुख्यालय भर्ती जोन, शिलांग<br>शाखा भर्ती कार्यालय, जोरहाट<br>शाखा भर्ती कार्यालय, नारंगी<br>शाखा भर्ती कार्यालय, रंगापहाड़<br>शाखा भर्ती कार्यालय, सिल्चर | नं. 11 वायुकर्मी चयन केन्द्र, गवाहाटी | 11 वायुकर्मी चयन केन्द्र, गुवाहाटी |

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त, इन राज्यों में स्थित विभिन्न रेजीमेंट प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा सेना में भर्ती यूनिट मुख्यालय कोटे के अंतर्गत भी की जाती है।

*[हिन्दी]*

## दूरदर्शन के कार्यक्रमों का स्तर

***44. श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री विजय गोयल :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1998 के दौरान दूरदर्शन कार्यक्रमों के खराब स्तर के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार दूरदर्शन के सभी चैनलों पर अश्लील फिल्मों और कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब तक लगाए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) जी, हां। आमतौर पर दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर दो प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं; पहली केबल के जरिए संकेत की ही गुणवत्ता से संबंधित तथा दूसरी कार्यक्रमों की विषय-वस्तु की गुणवत्ता से संबंधित होती हैं।

(ख) कार्यक्रमों की विषय-वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई दूरदर्शन द्वारा की जानी होती है और सरकार दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण नहीं करती। केबल के जरिए संकेतों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी दूरदर्शन द्वारा विभिन्न तकनीकी, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक उपाय किए जाने होते हैं। सरकार केबल के जरिए दूरदर्शन प्रसारण के संकेतों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु केबल कानून में उपयुक्त संशोधन करने का विचार कर रही है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करता है और अपने किसी चैनल पर केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 'व' (वयस्क) प्रमाणित फिल्मों का प्रसारण नहीं करता है। दूरदर्शन में विशेषज्ञों की समिति द्वारा फिल्मों का पूर्वदर्शन करने की एक पद्धति भी है। उपरोक्त के मद्देनजर सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध लगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

## अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को निगम का दर्जा देना

***45. श्री सुनील खां :**
**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को निगम का दर्जा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ इन हवाई अड्डों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों पर ऐसे किसी निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या हैदराबाद हवाई अड्डे को भी निगम का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) जी, हां। मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई तथा कलकत्ता के विद्यमान विमानपत्तनों तथा बंगलौर में नए प्रस्तावित विमानपत्तन के नैगमीकरण के विषय में निर्णय ले लिया गया है। इन विमानपत्तनों का चयन इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर किया गया है कि इन विमानपत्तनों से भारत में/यहां से बाहर होने वाले यातायात का एक बड़ा भाग संचालित होता है और विमानपत्तनों को विश्व श्रेणी का बनाने की दिशा में उनकी पुनर्संरचना के लिए व्यापक निवेश अपेक्षित है। नैगमीकरण होने से प्रबंधन में प्रभावी परिवर्तन होंगे और जो उत्पादकता में समग्र वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगे और इससे विमानपत्तन सेवा/सुविधाओं के स्तर में सुधार लाकर निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम होंगे।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वित्तीय तथा विधि संबंधी परामर्शदाताओं की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में रत है जो मानव संसाधन के पहलू सहित नैगमीकरण के विभिन्न पहलुओं पर उसे परामर्श देंगे।

(घ) और (ङ) चूंकि आंध्र प्रदेश सरकार की हैदराबाद के निकट एक नया अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन विकसित करने की योजना है जो निगमित क्षेत्र का होगा, हैदराबाद स्थित विद्यमान विमानपत्तन के नैगमीकरण के संबंध में विचार नहीं किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की स्थापना**

***46. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद :**
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

**क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन विमानपत्तनों पर I, II और III श्रेणी का इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित किया गया है;

(ख) इस अत्याधुनिक श्रेणी-II के इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की स्थापना से अब तक क्या लाभ हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1998 और जनवरी, 1999 में दिल्ली और श्रीनगर में घने कोहरे के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ-साथ घरेलू उड़ानें रद्द और स्थगित होने के कारण एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और विदेशी विमान कम्पनियों को हुए वित्तीय घाटे का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपने विमान चालकों को प्रशिक्षण देकर घने कोहरे में भी विमान को उतारना सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) अगरतला, अमृतसर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, बंगलौर, भोपाल, खजुराहो, कलकत्ता, चेन्नई, कोयम्बटूर, कालीकट, डिब्रुगढ़, दिल्ली (धावनपथ 28 तथा 10), गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इन्दौर, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मंगलौर, मुंबई, नागपुर, पटना, रांची, राजकोट, त्रिची, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी और वडोदरा विमानपत्तनों पर श्रेणी-I उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली विमानपत्तन (धावनपथ 28 छोर) पर श्रेणी-II प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस समय किसी भी विमानपत्तन पर श्रेणी-III उपकरण अवतरण प्रणाली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(ख) श्रेणी-II उपकरण अवतरण प्रणाली के संस्थापन से जब धावनपथ दृष्टि परास 600 मीटर से कम तथा 350 मीटर से अधिक हो तब विमानों के विपथन नहीं होने दिया जाता है।

(ग) और (घ) धुंध की वजह से उड़ानों के अवरोध के कारण होने वाले वित्तीय घाटे को अभिनिश्चित किया जा रहा है।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सभी संबंधित विमानकंपनियों को श्रेणी-II तथा श्रेणी-III ए प्रचालनों को संचालित करने के लिए विमान चालकों को प्राधिकार प्रदान करने हेतु अपेक्षाएं विहित करते हुए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत परिचालित किए जा चुके हैं।

**पाकिस्तान द्वारा सियाचिन में भारतीय चौकी पर कब्जा करने की कोशिश**

***47. श्री अजय कुमार एस. सरनायक :**
**श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना ने हाल ही में कश्मीर में सियाचिन हिमनदी के रेवाड़ी काम्पलेक्स में सादी चौकी पर कब्जा करने के पाकिस्तानी सेना के प्रयास को विफल कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान सियाचिन में कितने आतंकवादी पकड़े गए;

(ग) दिसंबर, 1998 और जनवरी, 1999 के दौरान पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन चौकी पर कब्जा करने का कितनी बार प्रयास किया;

(घ) क्या भारत सरकार ने सियाचिन में भारतीय चौकी पर कब्जा करने के पाकिस्तानी सेना के प्रयासों के बारे में पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध व्यक्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, हां।

(ख) कोई नहीं। सियाचिन ग्लेशियर बिना आबादी वाला क्षेत्र है जो पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में कोई उग्रवाद नहीं है। तथापि, यहां पर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ गोलीबारी होती ही रहती है।

(ग) सियाचिन क्षेत्र में सल्तोरो रेंज पर बनी हमारी चौकियों पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दिसंबर, 1998 और जनवरी, 1999 के दौरान तीन बार प्रयास किए गए थे।

(घ) और (ङ) पाकिस्तानी सैनिकों के इस प्रकार के प्रयासों से संबंधित मामलों को दोनों देशों के सैन्य संक्रिया महानिदेशकों के स्तर पर होने वाली वार्ताओं के दौरान तथा राजनयिक माध्यमों से उठाया जाता है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से की जाने वाली अकारण गोलीबार तथा हमारी चौकियों पर कब्जा करने के उनके प्रयासों से संबंधित मुद्दा नवंबर, 1998 में सियाचिन मामले पर हुई भारत-पाकिस्तान विस्तृत वार्ता के दौरान भी उठाया गया था। किंतु पाकिस्तान अपने सैनिकों द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों की बात से इंकार करता रहा है।

## चीनी उद्योग में कार्यरत कामगारों के लिए राष्ट्रीय मजूरी ढांचा

*48. **श्री मदन पाटील :**
**श्री अभयसिंह एस. भोंसले :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग में कार्यरत कामगारों के लिए राष्ट्रीय मजूरी ढांचा निर्धारित करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी;

(घ) क्या उक्त समिति में कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय मजदूर संघों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) और (ख) दिनांक 18.1.99 को आयोजित चीनी उद्योग संबंधी औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की बैठक में समिति के कुछ सदस्यों द्वारा चीनी उद्योग में कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय मजदूरी ढांचा की सिफारिश करने हेतु एक उप-समिति गठित करने का विचार व्यक्त किया गया था। सरकार को ऐसी एक उप-समिति के गठन के संबंध में अभी अंतिम निर्णय लेना है।

(ग) गठन और रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने की समय-सीमा के संबंध में ब्यौरे उप-समिति के गठन के लिए सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही तैयार किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) चूंकि उप-समिति का अभी तक गठन नहीं किया गया है इसलिए उप-समिति में केन्द्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधित्व के बारे में शिकायतें प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## विज्ञापनों से आय

*49. **डा. चिन्ता मोहन :**
**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विज्ञापनों के प्रसारण के माध्यम से आय अर्जित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान दोनों संगठनों द्वारा पृथक-पृथक राज्यवार कितनी आय अर्जित की गई;

(ग) क्या पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इनके द्वारा अर्जित आय में कमी होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दूरदर्शन और आकाशवाणी का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के रख-रखाव और नवीकरण पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) दर्शकों के विभाजन तथा उपग्रह चैनलों से बढ़ती होड़ के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय में कमी होने की संभावना है। तथापि, इस वर्ष का राजस्व पिछले वित्त वर्ष के दौरान आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व से अधिक होने की संभावना है।

(ङ) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन अपने वाणिज्यिक राजस्व की आय में वृद्धि करने के लिए सतत् प्रयास कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने गुणवत्ता वाले कार्यक्रम प्रसारित करने और वाणिज्यिक केन्द्र खोलने, वाणिज्यिक विज्ञापन शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, दूरदर्शन को और आकर्षक बनाने के लिए विज्ञापको को प्रोत्साहन देने आदि के कदम उठाए हैं। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, अपनी राजस्व आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न एफ.एम. मैट्रो चैनलों में प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

(च) उपरोक्त अवधि में हुआ व्यय निम्न अनुसार है:-

(रु. लाख में)

| | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|---|---|---|---|
| आकाशवाणी | 1118.42 | 1505.32 | 1631.24 |
| दूरदर्शन | 649.71 | 539.89 | 748.00 |

*विवरण*

*वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के लिए सकल राजस्व आंकड़े (राज्यवार)*

आकाशवाणी

(करोड़ रु. में)

| राज्य | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| महाराष्ट्र | 9.11 | 9.56 | 10.70 |
| गोवा | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| पश्चिम बंगाल | 4.51 | 4.59 | 5.21 |
| दिल्ली | 5.14 | 6.00 | 6.38 |
| तमिलनाडु | 10.58 | 10.26 | 10.39 |
| गुजरात | 2.53 | 2.58 | 3.83 |
| कर्नाटक | 4.87 | 5.34 | 5.42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 7.79 | 6.87 | 7.32 |
| राजस्थान | 2.63 | 2.79 | 3.16 |
| उत्तर प्रदेश | 7.07 | 6.47 | 8.25 |
| बिहार | 2.70 | 2.89 | 3.92 |
| मध्य प्रदेश | 4.12 | 4.16 | 5.77 |
| चंडीगढ़ | 1.82 | 1.83 | 2.04 |
| उड़ीसा | 1.46 | 1.38 | 1.73 |
| केरल | 5.25 | 5.47 | 5.34 |
| जम्मू तथा कश्मीर | 0.30 | 0.30 | 0.72 |
| विविध भारती पर नेटवर्क बुकिंग | 1.33 | 1.54 | 2.28 |
| राष्ट्रीय नेटवर्क तथा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम | 10.02 | 7.32 | 10.73 |
| कुल | 80.97 | 79.69 | 93.44 |

असम और उत्तर-पूर्वी राज्य विज्ञापन प्रसारण सेवा, कलकत्ता के कार्य क्षेत्र में आते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में शामिल है।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ विज्ञापन प्रसारण सेवा, चंडीगढ़ के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

दूरदर्शन

*आय का विवरण*

(रुपये करोड़ में)

| राज्य का नाम | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| डी.डी.-1/राष्ट्रीय नेटवर्क | 87.97 | 283.55 | 263.88 |
| डी.डी.-2/मैट्रो | 79.54 | 102.74 | 93.79 |
| डी.डी.-इन्टरनेशनल | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| दिल्ली | 14.18 | 18.04 | 4.93 |
| गुजरात | 4.01 | 3.14 | 1.90 |
| कर्नाटक | 18.96 | 26.28 | 21.97 |
| मध्य प्रदेश | 0.89 | 0.89 | 0.97 |
| उड़ीसा | 0.85 | 2.37 | 2.05 |
| पश्चिम बंगाल | 14.09 | 17.75 | 15.58 |
| असम | 0.48 | 0.90 | 0.76 |
| आंध्र प्रदेश | 18.30 | 24.13 | 18.10 |
| राजस्थान | 0.52 | 0.93 | 0.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| पंजाब | 2.66 | 2.46 | 2.50 |
| उत्तर प्रदेश | 4.14 | 3.53 | 2.80 |
| महाराष्ट्र | 18.43 | 26.17 | 14.49 |
| बिहार | 0.15 | 0.30 | 0.64 |
| तमिलनाडु | 40.45 | 42.83 | 27.64 |
| केरल | 14.41 | 16.71 | 16.60 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| कुल | 430.13 | 572.72 | 490.15 |

नोट : शेष राज्यों में वाणिज्यिक केन्द्र नहीं हैं।

*[अनुवाद]*

## सवारी डिब्बों की खरीद

***50. श्री महबूब जहेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (आरडीएसओ) को सवारी डिब्बों की प्रौद्योगिकी और 160 मील प्रति घंटा की गति क्षमता वाले प्रोटो-टाइप कोच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने जुलाई, 1995 में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ में पटरी से फिसलन-रोधी (ऐन्टी स्किड डिवाइस) रहित 21 वातानुकूलित चेयर कारों और विद्युत उत्पादन उपकरण रहित तीन जेनरेटर-कम-ब्रेक वैन 169 करोड़ रुपये की लागत से खरीदने का निर्णय लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे को सवारी डिब्बों के आयात के लिए वित्त व्यवस्था करने में विफलता और निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के परिणामस्वरूप 98.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के संबंध में कारण क्या हैं?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) जी नहीं। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन ने सवारी डिब्बे का आई.आर.वाई. डिजाइन विकसित किया है जिसे राजधानी मानक रेल पथ पर 125 किलोमीटर प्रति घंटा और मुख्य लाइन रेल पथ पर 105 किलोमीटर प्रतिघंटा की अधिकतम गति पर परिचालित करने के लिए मंजूर किया गया है।

(ख) जी नहीं। प्रस्ताव की तारीख को विदेशी मुद्रा विनिमय दर के अनुसार पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफ.ओ.बी.) लागत 143.14 करोड़ रुपये थी।

(ग) जी नहीं, 1990 के पिछले प्रस्ताव और 1994 के स्वीकार किए गए प्रस्ताव के बीच पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफ.ओ.बी.) रुपये मूल्य में वृद्धि 65.74 करोड़ रुपये थी।

(घ) भारतीय मुद्रा में 65.74 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि में से 52.60 करोड़ रुपये की वृद्धि 1990 और 1994 के बीच हुए भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के कारण थी। चार वर्षों में विदेशी मुद्रा की वृद्धि 7 करोड़ 22 लाख डच मार्क से 7 करोड़ 94 लाख डच मार्क, अर्थात् लगभग 9.97 प्रतिशत थी। पिछला प्रस्ताव, उस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा के उपलब्ध न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

**आतिशबाजी का सामान और माचिस बनाने के कारखानों के कर्मचारी**

***51. श्री वैको** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतिशबाजी का सामान और माचिस बनाने के कारखानों के कर्मचारियों को श्रम अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत बनाई गई योजना में कुछ अस्पष्टता होने के कारण सांविधिक लाभों से वंचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में पिता या माता को शामिल कर लिया गया है और अविवाहित कर्मचारी की मृत्यु होने पर वे भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के लाभ प्राप्त करने के हकदार हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हाल ही में आश्रित पिता अथवा आश्रित माता को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में योजना में आवश्यक संशोधन किए जाने संबंधी एक अधिसूचना 22.2.99 को हाल ही में जारी कर दी गयी है। आश्रित माता-पिता, योजनाओं के उपबंधों के अनुसार भविष्य निधि तथा कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा लाभों की अदायगी के लिए पहले ही पात्र हैं।

**रक्षा संबंधी गुप्त सूचना का बाहर प्रकट होना**

***52. श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रक्षा संबंधी गुप्त सूचनाओं के बाहर प्रकट करने के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा संबंधी गुप्त सूचना के बाहर प्रकट होने के बारे में सरकार के ध्यान में आई घटनाओं की संख्या इस प्रकार है:-

| 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|
| 2 | 7 | - |

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रति-आसूचना तथा निरोधक सुरक्षा उपायों के बारे में व्यापक निर्देश विद्यमान हैं। इन उपायों की भी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

**परिष्कृत एवरो विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना**

***53. श्री रंजीब बिस्वाल :**
**श्री जयराम आई.एम. शेट्टी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में डी.आर.डी.ओ. का एक परिष्कृत एवरो विमान तमिलनाडु में अरकोणम के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटना के कारणों का पता करने के लिए कराई गई जांच का क्या परिणाम निकला है और पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस दुर्घटना से डी.आर.डी.ओ. द्वारा ऐसे भारतीय 'अवाक्स' का विकास करने के बारे में सन्देह पैदा हो गया है; और

(ङ) 'अवाक्स' को सफल बनाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, हां।

(ख) परीक्षण वायुयान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चार वैज्ञानिकों तथा वायुसेना के 2 परीक्षण पाइलटों और 2 उड़ान परीक्षण इंजीनियरों की जानें गईं।

(ग) जांच अदालत की सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। मुआवजा दिए जाने संबंधी अपेक्षित कार्रवाई शीघ्रता से की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) विकसित प्रौद्योगिकियों तथा प्राप्त अनुभव का उपयोग 'अवाक्स' कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है।

**भारत-पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी**

***54. श्री सत्यपाल जैन :**
**श्री हरिभाई चौधरी :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसंबर, 1998 और जनवरी, 1999 के दौरान भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य बलों ने कितनी बार गोलीबारी की;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए अथवा घायल हुए;

(ग) ऐसी गोलीबारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसी गोलीबारी के शिकार हुए लोगों को कितना मुआवजा दिया गया?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) दिसंबर, 1998 और जनवरी, 1999 के दौरान जम्मू-कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी की 642 घटनाएं हुईं। इस अवधि में पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात से लगी भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई।

(ख) पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा दिसंबर, 1998 तथा जनवरी, 1999 में सीमा पर अकारण गोलीबारी किए जाने से सेना के पांच, सीमा सुरक्षा बल का एक कार्मिक तथा एक सिविलियन मारा गया और सेना के 21, सीमा सुरक्षा बल के 3 कार्मिक तथा 2 सिविलियन जख्मी हुए।

(ग) हमारे सैनिकों द्वारा सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही अकारण गोलीबारी का समुचित जवाब दिया जाता है तथा साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये घटनाएं क्षेत्र विशेष तक सीमित रहें और हमारी ओर से की जाने वाली जवाबी कार्रवाई दंडात्मक व प्रभावी साबित हो। सीमा पर तनाव कम करने के लिए जब भी आवश्यक हो रक्षा संक्रिया महानिदेशक स्तर पर बातचीत भी की जाती है या राजनयिक माध्यमों से मामला उठाया जाता है।

(घ) युद्ध या युद्ध जैसी संक्रियाओं, प्रति विद्रोही कार्रवाइयों अथवा सीमा पर झड़पों में मारे गए या जख्मी हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक उदारीकृत पेंशन स्कीम के तहत मुआवजे के हकदार हैं।

*[हिन्दी]*

**घाटे में चल रहे विमानपत्तनों का हस्तांतरण**

***55. डा. मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में विमानपत्तनों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने विमानपत्तन लाभ कमा रहे हैं;

(ग) घाटे में चल रहे विमानपत्तन किन-किन स्थानों पर हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रहे विमानपत्तनों को राज्य-सरकारों/गैर-सरकारी संस्थाओं को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 5 अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों, 87 घरेलू विमानपत्तनों तथा 28 सिविल एन्कलेवों का संचालन करता है। इन 120 विमानपत्तनों में से, केवल 13 विमानपत्तन ही लाभ में चल रहे हैं।

(ग) घाटे में चल रहे विमानपत्तनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उन 32 विमानपत्तनों की पहचान कर ली है जिनकी देखरेख और सुव्यवस्था के लिए उन्हें राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जा सकता है। जबकि कोल्हापुर और शोलापुर विमानपत्तनों का हस्तांतरण महाराष्ट्र सरकार को किया जा चुका है, अकोला विमानपत्तन के हस्तांतरण के संबंध में भी अनुमोदन दिया जा चुका है।

***विवरण***

*घाटे में चल रहे विमानपत्तनों की सूची*

दिल्ली सफदरजंग, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, उदयपुर, खजुराहो, कुल्लू, शिमला, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर (सिविल), विलासपुर, दीसा, खांडवा, कोल्हापुर, शोलापुर, अकोला, पन्ना, जबलपुर, ललितपुर, पंतनगर, सतना, कोटा, झांसी, देहरादून, कांगडा, औरंगाबाद, नागपुर, भावनगर, काण्डला, केशोड, पोरबन्दर, राजकोट, बडोदरा, भोपाल, रायपुर, मदुरई, त्रिची, सेलम, तिरुवनन्तपुरम्, वैलगांव, हुबली, मंगलोर, हैदराबाद, तिरुपति, राजामुन्दरी, अगत्ती, पाण्डिचेरी, तूतीकोरिन, वेल्लोर, विजयवाड़ा, कुड्डपा, दोना, कोन्डा, मैसूर, वारंगल, हासन, भुवनेश्वर, पटना, रांची, गया, जोगबनी, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, चाकुलिया, झारसुगुड़ा, वेलूरघाट, कूचबिहार, माल्दा, बेहाला, डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, उत्तरी लखीमपुर, इम्फाल, आईजौल, दीमापुर, अगरतला, कैलाशहर, कमालपुर, पासीघाट, रुपसी, शिलौंग, खोवाई, शेला और सिविल इंकलेव, आगरा, जोधपुर, जैसलमेर, चंडीगढ़, ग्वालियर, जम्मू, लेह, इलाहाबाद, गोरखपुर, बीकानेर, श्रीनगर, कानपुर (चकेरी), भुज, जामनगर, विशाखापत्तनम (नेवी), बागडोगरा, पोर्टब्लेयर, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, तेजू, जेरो, अलौंग और डपारिजो।

*[अनुवाद]*

**दिल्ली विमानपत्तन पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती**

***56. श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स रेथिऑन द्वारा दिल्ली विमानपत्तन पर लगाए गए विमान यातायात नियंत्रण टॉवर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमान यातायात नियंत्रित करने के लिए अमेरिका में प्रशिक्षित लोगों को इस बीच दिल्ली के बजाय अन्य स्थानों पर तैनात कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विमानपत्तन पर रेथिऑन विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली को संचालित करने हेतु प्रशिक्षित अधिकारियों को तत्काल दिल्ली में पुन: तैनात करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) जी, नहीं। दिल्ली विमानपत्तन पर विमान यातायात नियंत्रण टावर पर संस्थापित स्वचालित विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**अंतरराष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तनों का निर्माण**

***57. डा. सरोजा वी. :**
**श्री तेजवीर सिंह :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधारभूत संरचना संबंधी कार्यदल ने देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तनों के निर्माण हेतु शहरों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल लागत सहित तत्संबंधी विमानपत्तनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु गैर-सरकारी/विदेशी भागीदारी की भी अनुमति दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहरवार इन विमानपत्तनों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) से (ङ) सरकार ने अभी तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता के विद्यमान विमानपत्तनों तथा बंगलौर में नए प्रस्तावित विमानपत्तन के नैगमीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ताकि उनका विकास विश्व श्रेणी के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के रूप में किया जा सके। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित नैगमीकरण के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श हेतु कानूनी तथा वित्तीय परामर्शदाताओं से 'एक्सप्रेसन्ज आफ इंटरेस्ट' आमंत्रित किये हैं।

**'डी.एच.टी.' पारेषण सेवा हेतु लाइसेंस जारी करना**

*58. **श्री माधवराव पाटील :**
**श्री नरेश पुगलिया :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'डयरेक्ट टू होम' (डी.टी.एच.) प्रसारण पारेषण सेवा के लिए दूरदर्शन को लाइसेंस जारी करने हेतु प्राधिकृत किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डी.टी.एच. पारेषण हेतु लाइसेंस जारी करने संबंधी प्रस्तावों की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'डी.टी.एच.' के मुद्दे को प्रसारण विधेयक से अलग किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) डी.टी.एच. प्रसारण सेवा शुरू किए जाने से सरकार को कौन-कौन से लाभ होंगे?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ) सरकार ने डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण से संबंधित विषयों पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया है जिसमें गृह, वित्त, संचार, रक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्री शामिल हैं। इस दल के शीघ्र ही विचार-विमर्श शुरू करने की संभावना है।

**प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन**

*59. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु एवं मझौले समाचार-पत्रों के अनेक संगठनों ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में कुछ संशोधनों पर विचार न करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार ने अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में दी गई सिफारिशों को कहां तक स्वीकार कर लिया है; और

(घ) अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने लघु और मझौले श्रेणी के समाचारपत्र संगठनों द्वारा व्यक्त चिन्ता पर ध्यान दिया है।

(ग) और (घ) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और संबंधित नियमों में संशोधन संबंधी एक प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है। चूंकि इस प्रस्ताव में विधायी संशोधन शामिल हैं, इसलिए इस मामले में कोई निर्णय लेने से पहले अन्त:मंत्रालयीय परामर्श सहित विभिन्न स्तरों पर परामर्श आवश्यक है।

**श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग**

*60. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
**श्री डी.एस. अहिरे :**

**क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं तथा यह पिछले आयोग से किस तरह भिन्न है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय मजदूर संघों से परामर्श किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को प्रस्तुत कर देने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार का राज्य स्तर पर भी किन्हीं आयोगों के गठन का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो कब तक?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** (क) से (ज) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग को गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। सरकार, उद्योग और कर्मकारों आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें 7 अंशकालिक सदस्य होंगे। आयोग का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से 24 माह का होगा। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का संघटन और विचारार्थ विषय का संकल्प तथा द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषय क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन का प्रस्ताव, सर्वप्रथम सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन जो मंत्रालय का सर्वोच्च त्रिपक्षीय निकाय है, की सिफारिश के आधार पर किया गया था। विभिन्न केन्द्रीय नियोक्ताओं तथा श्रमिक संघों ने भी श्रम मंत्रालय को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन का लिखित सुझाव दिया था तथा द्वितीय श्रम आयोग का गठन करते समय इन विचारों पर भी पर्याप्त विचार किया गया था।

राज्य स्तर पर किसी आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव श्रम मंत्रालय के पास नहीं है।

***विवरण-I***

*श्रम, रोजगार एवं पुनर्वास मंत्रालय*

*श्रम एवम् रोजगार विभाग*

*संकल्प*

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर, 1966

संख्या : 36/14/61 आई एंड ई - भारत सरकार ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है।

**अध्यक्ष**

श्री पी.वी. गजेन्द्र गाडकर

**सदस्य**

सर्वश्री

1. नवल एम. टाटा
2. एन.के. जालान
3. बी.आर. रामकृष्णन, संसद सदस्य
4. जी.डी. खंडेलवाल
5. एस.आर. वालम्मा
6. एस.ए. हांगे
7. जी. रामानुजम
8. मनोहर कोटवाल
9. आर.के. मालवीय

10. रामानंद दास

11. राजा राम शस्त्री

12. डा. बी.एम. गांगुली – सदस्य-सचिव

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नवत् होंगे:-

(1) श्रमिकों की दशाओं में आजादी के बाद से आए बदलावों की समीक्षा करना तथा उनकी मौजूदा दशाओं के संबंध में रिपोर्ट करना।

(2) इन प्रावधानों के हितों के संरक्षण को संक्षिप्त मौजूदा विधान तथा अन्य उपबंधों की समीक्षा करना, जो श्रम मुद्दों पर संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन तथा समाजवादी समाज की स्थापना तथा नियोजित आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करते हैं।

(3) विशेषकर निम्नलिखित के संबंध में अध्ययन कर रिपोर्ट करना:-

(i) कामगारों की आय का स्तर, मजदूरी से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सहित न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की जरूरत, बढ़ती उत्पादकता के साधन तथा कामगारों को प्रोत्साहन के साधन,

(ii) कामगारों का जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य, दक्षता सुरक्षा, कल्याण, आवास, प्रशिक्षण तथा शिक्षा और श्रमिकों के कल्याण हेतु केन्द्र तथा राज्य दोनों के स्तर पर मौजूद व्यवस्थाएं,

(iii) सामाजिक सुरक्षा हेतु मौजूदा व्यवस्थाएं,

(iv) नियोक्ताओं तथा कामगारों के संबंधों की स्थिति तथा स्वस्थ औद्योगिक संबंधों व राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देने में मजदूर संघों तथा नियोक्ता संगठनों की भूमिका,

(v) श्रम कानून तथा आचार संहिता, संयुक्त प्रबंधन परिषद, स्वैच्छिक विवाचन जैसी स्वैच्छिक व्यवस्थाएं और वेतन बोर्ड तथा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उनके प्रवर्तन हेतु तंत्र,

(vi) ग्रामीण मजदूरों तथा अन्य असंगठित प्रकार के मजदूरों की दशाओं में सुधार के उपाय, तथा

(vii) श्रम सतर्कता तथा अनुसंधान हेतु मौजूदा व्यवस्थाएं।

(4) उक्त मामलों के संबंध में अनुशंसाएं करना।

टिप्पणी : आयोग के कार्य के उद्देश्य से, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 द्वारा कवर किए गए ग्रामीण श्रमिक समस्त कर्मचारी के साथ, "श्रमिक व कामगार" को जोड़ा जाएगा।

3. आयोग, जितनी जल्दी संभव हो, अपनी अनुशंसाएं देना। यदि आवश्यक हो, तो आयोग किसी मुद्दे विशेष के संबंध में अंतरिम रिपोर्टें भी सौंप सकता है।

4. आयोग अपने कार्य के तरीकों का निर्धारण स्वयं करेगा। यह ऐसी सूचनाएं व प्रमाण मांग सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग ऐसी अपेक्षित सूचनाएं, दस्तावेज तथा सहायता मुहैया कराएंगे।

5. भारत सरकार को यह विश्वास है कि राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, नियोक्ताओं व कामगारों के संगठन तथा अन्य सभी संबद्ध संगठन आयोग को अपना पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

***विवरण-II***

*प्रस्तावित द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषय*

(1) संगठित क्षेत्र में श्रम संबंधी मौजूदा कानूनों के युक्तीकरण का सुझाव देना, तथा

(2) असंगठित क्षेत्र में कामगारों को कम से कम कुछ हद तक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधान का सुझाव देना।

उक्त की रूपरेखा तैयार करते समय, आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:-

(1) उद्योगों पर लागू होने वाले विभिन्न प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा हेतु, मई 1998 में गठित आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के निहितार्थ;

(2) उभरते आर्थिक परिदृश्य, जिनके लिए त्वरित प्रौद्योगिकीय परिवर्तन जरूरी हैं, और जिनके लिए तरीकों, समय तथा उद्योगों में काम की परिस्थितियों में बदलाव के संदर्भ में कार्रवाई की जरूरत है, व्यापार तथा सेवाएं, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण, व्यापार व उद्योग का उदारीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर बल और मौजूदा कानूनों को भविष्य के श्रम बाजार की जरूरतों व मांगों के अनुरूप ढालना;

(3) कम से कम एक हद तक श्रमिकों की संरक्षता तथा इसके लिए कल्याणकारी उपाय तथा ऐसा बुनियादी संस्थात्मक ढांचा निर्धारित करना, जो लचीले श्रम बाजार के लिए उपयोगी हो तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं; तथा

(4) सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से संबंधित उपायों को और अधिक प्रभावी बनाना तथा न्यूनतम मजदूरी का उत्पादकता के साथ संबंध तथा खासकर महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए नियोजन में अपेक्षित सुरक्षा उपाय व सुविधाएं।

## ''पैट्रियट'' समाचार-पत्र और ''लिंक'' समाचार-पत्रिका को दोबारा शुरू करना

368. **श्री अजीत जोगी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी अरूणा आसफ अली द्वारा संस्थापित ''पैट्रियट'' समाचार पत्र और ''लिंक'' समाचार पत्रिका को पुन: आरंभ करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त समाचार पत्र/पत्रिका के प्रभावित कर्मचारियों की सहायता हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, श्रम आयुक्त कार्यालय के प्रयासों के बावजूद कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था। तथा मैसर्स यूनाइटेड इण्डिया पीरियॉडिकल्स प्रा. लि. के प्रबन्धकों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनेक अवसरों पर अभियोजन चलाये गए हैं। कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने संबंधी अपना विवाद सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख दायर करने की सलाह भी दी गई थी।

## प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र विकास निधि का सृजन

369. **श्री के.पी. मोहन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रसंस्कृत खाद्य विकास निधि बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्य और कृषि प्रसंस्करण कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) वित्तीय संस्थानों के सहयोग से प्रसंस्कृत खाद्य विकास निधि की स्थापना की संभावनाएं तलाशने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। अब तक केवल प्रारंभिक उपाय ही किए गए हैं इसलिए ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रस्तावित निधि का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रणोद क्षेत्रों को पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराना है।

(ग) सरकार ने अब बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत खाद्य (तथा कृषि आधारित) प्रसंस्करण क्षेत्र को शामिल कर लिया है।

## रूस से टी-90 टैंक की खरीद

370. **श्री डी.एस. अहिरे :**
**श्री एस.एम. ओवेसी :**
**श्री अभय सिंह एस. भोंसले :**
**श्री जयराम आई.एम. शेट्टी :**
**श्री यू.वी. कृष्णमराजु :**
**श्री गुरूदास कामत :**
**प्रो. अजित कुमार मेहता :**
**डा. उल्हास वासुदेव पाटील :**
**श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
**श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन्हीं टी-90 टैंकों को खरीदने के लिए रूस से सौदा करने का विचार है जिन्हें पहले अस्वीकृत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं एवं प्रत्येक टैंक की खरीद पर कितना खर्च आयेगा;

(ग) रूस इन टैंकों की कब तक सुपुर्दगी कर देगा;

(घ) क्या इन टैंकों का क्षेत्र परीक्षण किया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ये टैंक पाकिस्तान द्वारा उक्रैन से खरीदे गए टी-80 टैंक से कहां तक बेहतर हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) यद्यपि रूस से ये टैंक खरीदे जाने का विचार है तथापि यह सही नहीं है कि इन्हें पहले नामंजूर कर दिया गया था।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) वर्ष 1998 की पहली तिमाही में रूस में इन टैंकों का पहले से ही मूल्यांकन किया जा चुका है और आगामी गर्मियों में भारत में इनका ग्रीष्मकालीन परीक्षण किया जाएगा। टी-90 परवर्ती पीढ़ी का टैंक है। इसके तुलनात्मक विवरण सुरक्षा के हित में प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

## ई.एस.आई. अस्पतालों का कार्यकरण

371. **श्री वारकला राधाकृष्णन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ई.एस.आई. के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) और (ख) सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए 22 जुलाई, 1998 को एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 जनवरी, 1999 को प्रस्तुत कर दी है।

## बिहार में उच्चशक्ति वाले ट्रांसमीटरों एवं आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

372. **श्री राजो सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के जिला मुख्यालयों बेगूसराय, शेखपुरा और लखी सराय में उच्च क्षमता वाले टी.वी. ट्रांसमीटरों एवं आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के किसी मौजूदा आकाशवाणी केन्द्र का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बिहार राज्य में रेडियो ट्रान्समीटरों के उन्नयन/प्रतिस्थापन करने संबंधी निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं:-

| क्र.सं. | स्थान | मौजूदा ट्रान्समीटर | कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर |
|---|---|---|---|
| 1. | रांची | 2 कि.वा.शा.वे. | 50 कि.वा.शा.वे. |
| 2. | रांची (विविध भारती) | 1 कि.वा.मी.वे. | 2×3 कि.वा.एफ.एम. |
| 3. | जमशेदपुर | 1 कि.वा.मी.वे. | 2×3 कि.वा.एफ.एम. |
| 4. | पटना | 3 कि.वा.एफ.एम. (बिना स्टीरियो) | 2×3 कि.वा.एफ.एम. (स्टीरियो सुविधा सहित) |

*[अनुवाद]*

**विदेशों में प्रचार-प्रसार पर खर्च की गई राशि**

373. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में प्रचार-प्रसार तथा वहां स्थित कार्यालयों की देखरेख पर खर्च की गई धनराशि पर्यटन मंत्रालय के बजट का कितना प्रतिशत है; और

(ख) बजट का शेष हिस्सा किस प्रकार खर्च किया जाता है और पर्यटन विकास में सरकार को इससे किस प्रकार सहायता मिलती है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग)** : (क) वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान पर्यटन मंत्रालय के कुल बजट का 53 प्रतिशत प्रचार-प्रसार और विदेशों में कार्यालयों की देख-रेख पर खर्च किया गया।

(ख) बजट का शेष प्रतिशत संरचनात्मक विकास, प्रचार और संवर्धन सामग्री के मुद्रण और निर्माण, मेलों और उत्सवों के लिए इमदाद, विदेशी मीडिया और व्यापार के आतिथ्य, होटलों को ब्याज इमदाद आदि पर खर्च किया जाता है। यह सब कार्यकलाप देश के भीतर पर्यटन का संवर्धन करने में सरकार की सहायता भी करते हैं।

*[हिन्दी]*

**स्लेट और पेंसिल उद्योग में बाल और महिला मजदूर**

374. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में "स्लेट और पेंसिल उद्योग" में भारी संख्या में बाल मजदूर और महिलाएं कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग में कार्यरत लोग "सिलिकोसिस" बीमारी की चपेट में आ जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इन मजदूरों को उपरोक्त बीमारी से बचाने के लिए कोई योजना है अथवा बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) से (घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में "स्लेट और पेंसिल उद्योग" में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक नियोजित नहीं किए जाते हैं। महिला कर्मकार उक्त उद्योग में कार्य कर रही हैं। इस उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्ति "सिलिकोसिस" बीमारी से प्रभावित होते हैं।

राज्य सरकार ने श्रमिकों को उपर्युक्त बीमारियों से बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) गर्द/प्रदूषण रोधी उपस्करों के साथ 800 से अधिक कटर मशीनें लगाना;

(2) 33 कार्यशालाओं में से 21 कार्यशालाओं को शहर से बाहर रिहायशी इलाकों से दूर बाहर पुनर्स्थापित करना;

(3) माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार, कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बीमा निगम में 1 लाख रुपये का बीमा करवाना;

(4) मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि की स्थापना;

(5) सिलिकोसिस से प्रभावित कर्मकारों को क्षतिपूर्ति रूप में 550 रु. प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। विधवा कर्मकारों को 300 रु. प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*[अनुवाद]*

**आसनसोल से पूर्वोत्तर राज्यों को सीधी रेलगाड़ी**

**375. श्री विकास चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आसनसोल से पूर्वोत्तर राज्यों को सीधी रेलगाड़ी शुरू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अण्डाल-सैंथिया-रामपुरहाट के रास्ते आसनसोल और नार्थ बंगाल के बीच गाड़ी शुरू करना संसाधनों की तंगी के अलावा अण्डाल-सैंथिया खण्ड पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है:

**उड़ीसा में बालासोर स्थित दूरदर्शन केन्द्र का दर्जा बढ़ाना**

**376. श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में बालासोर और भद्रक में वर्तमान दूरदर्शन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है ताकि इसके अंतर्गत अधिक-से-अधिक क्षेत्र लाए जाएं और दर्शकों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध की जाएं; और

(ख) यदि हां, तो सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और उनके सुधार के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) और (ख) हालांकि बालासोर में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर के स्थान पर 10 किलोवाट क्षमता के बीच एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रा.) को पहले ही चालू कर दिया गया है तथापि, भद्रक स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

**रेलवे-स्टेशनों का पुनरुद्धार**

**377. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केरल में कन्नानूर, तेल्लिचेरी, बडगारा, कालीकट और पालघाट रेलवे-स्टेशनों के पुनरुद्धार या उनमें कोई सुधार लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक आरंभ होने और पूरा हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) से (ग) जहां कहीं स्टेशन की स्थिति अथवा सुविधाओं के संवर्धन की आवश्यकता की दृष्टि से आवश्यक होता है, वहां स्टेशन का नवीकरण/सुधार किया जाता है। कन्नानूर, तेलीचेरी, बडगरा, कालीकट और पालघाट में स्टेशन

इमारतें अच्छी हालत में है और इस समय किसी नवीकरण पर विचार नहीं किया जा रहा है, इन स्टेशनों पर यातायात की मांग के अनुरूप सुविधाएं पहले से ही मुहैया करायी गयी हैं।

**मुम्बई में हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली**

**378. श्री अमर राय प्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में 40 करोड़ रुपए की हवाई यातायात नियंत्रण परियोजना की जांच करने के लिए चार सदस्यीय सुरक्षा समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या इस समिति ने यह सिफारिश की है कि मुम्बई में बने नए हवाई यातायात नियंत्रण टावर को गिरा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) जी, हां। समिति की अध्यक्षता एयर मार्शल जे.के. सेठ (सेवानिवृत्त) ने की थी और इसमें कैप्टन जे.आर.डी. राव, उप प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, कैप्टन एम.आर. वाडिया एअर इंडिया लिमिटेड और कैप्टन वी.के. शर्मा, सहारा इंडिया एयरलाइन्स लिमिटेड शामिल थे।

(ग) जी, हां। समिति की सिफारिशों में यह भी एक सिफारिश थी।

(घ) चूंकि विषय की और वृहत् जांच करने की आवश्यकता थी, अन्तर-राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) से अध्ययन कार्य करने के लिए एक विशेषज्ञ भेजने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। समग्र आसूचना तथा विमानपत्तनों के निरीक्षण के पश्चात् अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1998 में प्रस्तुत की। परामर्शदाता तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है। अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के विशेषज्ञ की सिफारिश के अनुसार मुंबई विमानपत्तन पर नियंत्रण टावर को ध्वंस करने की आवश्यकता नहीं है और इसे प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं (क्रिया विधियों) में कुछ प्रतिबंध लगाए जाने के बाबत प्रयोग में लाया जा सकता है। ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**मुम्बई में नया विमानपत्तन**

**379. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मुम्बई में बढ़ते हुए हवाई यातायात को देखते हुए शहर के निकट कोई नया विमानपत्तन बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस हेतु आवंटित स्थान और भूमि के क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) मुम्बई में एक नये विमानपत्तन की आवश्यकता की जांच करने और इस प्रयोजन के लिए कोई भी स्थान सुझाने के उद्देश्य से, सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद, सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

*[अनुवाद]*

**भारतीय पर्यटन विकास निगम के विदेशों में स्थित होटल**

**380. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के होटलों की विदेशी में कितनी शाखाएं हैं और उनमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या किन्हीं निजी-क्षेत्र के होटलों की भी विदेशों में शाखाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आई.टी.डी.सी. का दक्षिण पूर्व एशिया व अन्य देशों में कुछ होटल खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) :** (क) भारत पर्यटन विकास निगम का विदेश स्थित कोई होटल नहीं है।

(ख) और (ग) फेडरेशन आफ होटल एण्ड रेस्टोरेंट एशोसिएशन आफ इण्डिया (भारतीय होटल एवं रेस्टोरेंट महासंघ) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ओबेराय ग्रुप ही एकमात्र निजी क्षेत्र की श्रृंखला है जिसके विदेश में 14 होटल हैं। इन 14 होटलों में से 6 होटल मिश्र में, 4 होटल सऊदी अरब में, दो होटल इंडोनेशिया में तथा एक-एक होटल श्रीलंका और आस्ट्रेलिया में हैं।

(घ) वर्तमान में विदेश में भारत पर्यटन विकास निगम का कोई होटल खोलने की योजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## सुरक्षा बलों द्वारा हथियार/गोला-बारूदों का जब्त किया जाना

**381. श्री चमन लाल गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में पाक-प्रायोजित आतंकवाद आरंभ होने के बाद से सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा जब्त किए गए/पकड़े गए हथियारों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और उनके उपयोग/निपटान के लिए क्या तरीका अपनाया गया है;

(ख) इन हथियारों का उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने और इनका दुरूपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन हथियारों के राज्य में आने के रास्तों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा 1990 से जनवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान उग्रवादियों से बरामद किए गए हथियारों की संख्या इस प्रकार है:-

| | |
|---|---|
| (i) 1990 | 2315 |
| (ii) 1991 | 3599 |
| (iii) 1992 | 4735 |
| (iv) 1993 | 3488 |
| (v) 1994 | 3560 |
| (vi) 1995 | 3271 |
| (vii) 1996 | 3605 |
| (viii) 1997 | 2223 |
| (ix) 1998 | 2770 |
| (x) जनवरी, 1999 | 200 |

2. बरामद/कब्जे में लिए गए शस्त्रों की अभिरक्षा और उसके पश्चात् उनके निपटान के लिए सुनिर्धारित प्रक्रियाएं हैं। शस्त्रों पर नियंत्रण को सुनिश्चित करने तथा उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए इन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाता है।

3. जब कभी सुरक्षा बलों द्वारा इन शस्त्रों को बरामद किया जाता है/पकड़ा जाता है तो संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती हैं जो इन मामलों की जांच करते हैं और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

## केरल में समुद्र-तटों का विकास

**382. श्री टी. गोविन्दन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में बेकल और मुझप्पीलन्गद (केन्नौर) समुद्रतटों की पर्यटक सम्भावनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार के अभ्यावेदन के प्रत्युत्तर में केन्द्र सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ग) क्या सरकार की ओर से विदेशी पर्यटकों को वहां बढ़ावा देने के लिए कोई पैकेज है;

(घ) क्या इन समुद्रतटों को विकसित करने हेतु केरल सरकार संघ सरकार से मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग)** : (क) से (ङ) जी, हां। केरल में बेकल को एक विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और पर्यटन मंत्रालय ने क्षेत्र के सर्वेक्षण और मास्टर प्लान तैयार करने के लिए राज्य सरकार को 1.90 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। राज्य सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बेकल पर्यटन विकास प्राधिकरण और बेकल रिजार्ट विकास निगम बनाए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने कैन्नौर में एक यात्री निवास के निर्माण के लिए 36.49 लाख रुपए और मार्गस्थ सुविधाओं के लिए 10.28 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है।

*[हिन्दी]*

## भाप इंजनों का निर्माण

**383. श्री मित्रसेन यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा अब भी स्टीम लोकोमोटिव इंजनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय चल रहे स्टीम इंजनों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन इंजनों के परिचालन को रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस समय भारतीय रेलों पर 39 भाप इंजन कार्यरत हैं, पर्यटन महत्व के कुछ खंडों को छोड़कर जहां ऐसे इंजनों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में रखा जाएगा, इन इंजनों को भारतीय रेलों पर डीजल इंजनों की उपलब्धता के आधार पर इस शताब्दी के समाप्त होने से पहले बदल दिए जाने की संभावना है।

## अन्तरराष्ट्रीय स्तर की भारतीय विमान सेवा

**384. श्री सुरेश चन्देल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमान सेवाएं अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) क्या इन विमान सेवाओं में अच्छी किस्म के विमान नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विमानों के रख-रखाव का स्तर एकदम घटिया किस्म का है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय विमान सेवाओं को अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के समकक्ष बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) जी, नहीं। भारत में सभी विमानों का प्रचालन नागर विमानन महानिदेशालय (ना.वि. महानि.) के नियमों तथा विनियमों के अनुसार किया जाता है जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं।

(ख) जी, नहीं। भारत के प्रचालकों को सिर्फ ऐसे विमानों को प्रचालित करने की अनुमति दी जाती है जो अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा निर्धारित अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नागर विमानन महानिदेशालय के मानकों को पूरा करते हैं।

(ग) जी, नहीं। सिर्फ ऐसे विमान जिसमें फेडरल एविएशन ऐडमिनिस्ट्रेशन/संयुक्त विमानन प्राधिकारियों/नागर विमानन महानिदेशालय के मानकों के अनुसार विमान के प्रचालन को मौनीटर करने के लिए अपेक्षित यांत्रिक उपकरण/उपस्कर फिट किए गए हैं, को प्रचालन करने की अनुमति दी जाती है।

(घ) जी, नहीं। भारत दिनांक 7 दिसम्बर 1944 को शिकागो में अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का हस्ताक्षरकर्ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विमानों का अनुरक्षण निर्धारित मानकों तथा क्रिया विधियों के अनुसार किया जाता है प्रचालकों द्वारा यथा अनुप्रयोज्य, भारतीय वायुयान नियम, नागर विमानन अपेक्षाओं के उपबंध तथा अन्तरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले अन्य परिपत्रों का अनुपालन किया जाता है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार**

**385. श्री सुशील चंद्र वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भोपाल में बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव बनाने और सुविधाओं में सुधार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को डी.एम.आर. भोपाल के अंतर्गत बैरागढ़ रेलवे स्टेशन को लाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) अध्यक्ष, रेल सुविधा संघर्ष समिति, बैरागढ़ ने गाड़ी सं. 9303/9304 तथा 9305/9306 के ठहराव की व्यवस्था के लिए अभ्यावेदन दिया था। 1.3.99 से बैरागढ़ पर गाड़ी सं. 9303/9304 के ठहराव की व्यवस्था कर दी गई है जो यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त है। इस स्टेशन पर यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाएं पहले ही मुहैया कराई गई हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) बैरागढ़ स्टेशन को भोपाल मंडल के अंतर्गत लाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय विमानपत्तनों का विकास**

**386. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय विमानपत्तनों का पुनरुद्धार/उन्नयन करके उन्हें उन्नत और विकसित देशों के विमानपत्तनों के समान बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन कौन-कौन से हैं; और

(ग) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इस हेतु प्रयोजनार्थ विमानपत्तनवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलौर, गुवाहाटी और हैदराबाद में विमानपत्तनों के स्तरोन्नयन का प्रस्ताव है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए क्रमश: 38.02 करोड़ रुपए और 45.79 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

| | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|
| अहमदाबाद | 6.87 | 13.52 |
| अमृतसर | 1.10 | 6.10 |
| बंगलौर | 10.12 | 7.06 |
| गुवाहाटी | 9.68 | 13.60 |
| हैदराबाद | 10.25 | 5.51 |
| | 38.02 | 45.79 |

**रायपुर को मुम्बई और नागपुर से जोड़ना**

**387. श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रायपुर को वायुमार्ग द्वारा मुम्बई और नागपुर से जोड़ने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो रायपुर-मुम्बई और रायपुर-नागपुर वायुमार्ग पर वायु सेवा कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) रायपुर को मुम्बई तथा नागपुर के साथ हवाई मार्ग से निम्न प्रकार जोड़ा गया है:-

| प्रचालक | मार्ग | आवृत्ति |
|---|---|---|
| एलायंस एयर | रायपुर-नागपुर | दैनिक |
| एलायंस एयर | रायपुर-मुम्बई | सप्ताह में तीन बार |

*[हिन्दी]*

## आदर्श विमानपत्तन

**388. श्री मोतीलाल वोरा :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदर्श विमानपत्तनों विशेषकर इन्दौर, आगरा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो और रायपुर विमानपत्तनों से संबंधित उन्नयन कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक विमानपत्तन पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) इन विमानपत्तनों पर भारतीय विशाखापत्तन प्राधिकरण द्वारा स्तरोन्नयन कार्य पूरा किया जा चुका है। इस संबंध में हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपयों में)

| | |
|---|---|
| इन्दौर | 26.55 |
| आगरा | 14.54 |
| भोपाल | 10.01 |
| ग्वालियर | 06.25 |
| जबलपुर | 11.76 |
| खजुराहो | 00.30 |
| रायपुर | 14.46 |

## 'फायर' फिल्म पर रोक

**389. श्री मोहन रावले :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समलैंगिक संबंधों पर आधारित फिल्म 'फायर' पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को सैंसर बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) से (ख) फिल्म 'फायर' को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु केवल वयस्कों के लिए प्रमाणित किया गया था। इस फिल्म के प्रदर्शन के पश्चात् इसके बारे में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इसे पुन: जांच के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को भेजा गया था। बोर्ड ने फिल्म की पुन: जांच करने के बाद सूचित किया कि फिल्म को दिया गया 'व' प्रमाण-पत्र उपयुक्त था। सरकार ने बोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

## उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

**390. श्री आदित्य नाथ :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में किराये के भवनों में चल रहे दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन केन्द्रों के लिए भवनों और स्टूडियो का निर्माण कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) उत्तर प्रदेश में सत्तर दूरदर्शन केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं।

(ख) गोरखपुर स्टूडियो के अलावा इन दूरदर्शन केन्द्रों के भवनों का निर्माण करने के लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। गोरखपुर में स्टूडियो भवन के दो से तीन वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

**बोधगया, राजगीर-वैशाली क्षेत्र में विमान सेवा**

**391. श्री राजो सिंह :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के बोधगया, राजगृह, वैशाली, भीम बांध के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) मार्ग वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के पालन तथा पर्याप्त यातायात मांग के आधार पर, अंतर्देशीय विमान कम्पनियां किसी भी गंतव्य स्थलों के लिए नई सेवाओं के प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग**

**392. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली के अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संघ से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई.एफ.सी.आई.) में झाड़ू लगाने/सफाई करने/धूल झाड़ने तथा इमारत की चौकीदारी के वास्ते ठेका मजदूरों को नियुक्त करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**रेल द्वारा जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ना**

**393. श्री जयसिंहजी चौहान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य के उन जिलों के नाम क्या हैं जो एकल/दोहरी रेल लाइनों द्वारा राज्य की राजधानी से जुड़े हुए हैं/नहीं जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार रेल लाइन द्वारा उन न जुड़े हुए जिलों को राज्य की राजधानी से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) गुजरात के निम्नलिखित जिले राज्य की राजधानी से इकहरे/दोहरे रेलपथ से जुड़े हुए हैं:-

1. अहमदाबाद, 2. अमरेली, 3. बनासकांठा (पालनपुर), 4. भरूच, 5. भावनगर, 6. जामनगर, 7. जूनागढ़, 8. मेहसाणा, 9. खेड़ा (नाडियाड मुख्यालय), 10. राजकोट, 11. सूरत, 12. कच्छ (भुज मुख्यालय), 13. सुरेन्द्रनगर, 14. बड़ोदरा, 15. पंचमहल (गोधरा मुख्यालय), 16. पोरबंदर, 17. गांधीनगर, 18. आनंद, 19. दाहोद, 20. पाटन, 21. वलसाड, 22. नवसारी, 23. नर्मदा (राजपीपला), 24. सबरकांठा (हिम्मतनगर मुख्यालय)।

इस समय डांग्स जिला (अहवा मुख्यालय) राज्य की राजधानी से रेलपथ से नहीं जुड़ा है।

(ख) फिलहाल डांग्स के जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की तंगी।

**तबादला नीति**

**394. श्री अशोक प्रधान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न रेलवे मंडलों में स्टेशन मास्टर, पार्सल लिपिक, लेखा सहायक आदि पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के तबादले के संबंध में मंत्रालय द्वारा पालन की जा रही नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त नीति का जोनल रेलवे में भी पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) संवेदनशील पदों पर कार्यरत रेल कर्मचारियों और जो बहुधा जनता और/या ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क में आते हैं उनका प्रत्येक चार वर्ष के बाद स्थानांतरण किया जाना अपेक्षित होता है। जहां प्रशासनिक स्थानीय वरिष्ठता जैसे कारणों से दूसरे स्थान/स्टेशन पर स्थानांतरण करना संभव नहीं होता, ऐसे पदधारी को उसी स्टेशन/क्षेत्र/कार्यालय में भिन्न ड्यूटी वाले दूसरे डेस्क पर स्थानांतरण किया जाना होता है। इस उद्देश्य के लिए संवेदनशील पदों की विस्तृत सूची तैयार की गई है और क्षेत्रीय रेलों को परिपत्रित कर दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां। क्षेत्रीय रेलों सहित सभी रेल इकाइयों में संवेदनशील कोटियों में कर्मचारियों का बारी-बारी से स्थानांतरण किया जाता है। एक ही स्थान या सीट पर लगातार चार वर्ष पूरे कर लेने के बाद कर्मचारी का स्थानांतरण कर पाना हमेशा संभव नहीं होता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी का स्थानांतरण चरणबद्ध जैसा कि प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक समझा जाता है, आधार पर स्थानांतरण किया जाता है।

*[अनुवाद]*

## नए विमानपत्तनों के लिए मानदंड

**395. श्रीमती रमादेवी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमान सेवाओं तथा नए विमानपत्तनों के निर्माण हेतु कोई मानदंड, यथा जनसंख्या, तीर्थस्थल, पर्यटक-आकर्षण, रक्षा संबंधी आवश्यकताएं राज्य का क्षेत्रफल इत्यादि तय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अगले दस वर्षों के दौरान बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए बोधगया, विमानपत्तन के रूप में विकास हेतु मानदण्डों को पूरा करता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) और (ख) किसी नए विमानपत्तन का औचित्य यातायात एवं पर्यटक संभाव्यता, पर्याप्त भूमि की उपलब्धता, वित्तीय संसाधन तथा परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होता है।

(ग) हैदराबाद, मुंबई, गोवा, चेन्नै, बंगलौर तथा कन्नौर में नए विमानपत्तनों को विकसित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। कोचीन में नया अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पूरा होने वाला है।

(घ) और (ङ) गया में पहले ही विमानपत्तन है जो साफ मौसम परिस्थितियों के अधीन 50 सीट वाली श्रेणी के विमानों के प्रचालन हेतु उपयुक्त है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बोध गया में कोई नया विमानपत्तन बनाने की कोई योजना नहीं है।

## खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की समीक्षा

**396. श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री अभयसिंह एस. भोंसले :**
**श्री नृपेन गोस्वामी :**
**श्री विट्ठल तुपे :**
**श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**
**श्री भर्तृहरि मेहताब :**
**डा. उल्हास वासुदेव पाटील :**
**श्री एस.एस. ओवेसी :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतिम समीक्षा के कब तक आने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार से परामर्श कर कार्य योजना बनाने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उनके मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण हेतु एक विशिष्ट मंत्रालय अथवा विभाग बनाने के लिए राज्य सरकार से कहा है; और

(छ) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को देश में आठवीं योजना और नौवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का मूल्यांकन करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

(ग) अगस्त, 1999 के अंक तक।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए 51% तक विदेशी इक्विटी की स्वत: मंजूरी उपलब्ध है।

2. बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल किए गए हैं।

3. अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है।

4. सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण मदों के लिए उत्पाद और सीमा-शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया है।

मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता भी देता है।

(च) राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अलग से मंत्रालय/विभाग बनाने पर विचार करने के लिए कहा गया है।

(छ) प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

**फलों और सब्जियों का उत्पादन**

**397. डा. सुशील इन्दौरा :**
**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
**श्री निखिलानन्द सर :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फलों एवं सब्जियों का वार्षिक उत्पादन 110 मिलियन टन के आसपास पहुंचने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या फसल के बाद की सुविधाओं की कमी तथा प्रसंस्करणकर्ताओं तथा बाजारों के साथ सम्पर्क न होने के कारण प्रतिवर्ष 30% से 35% तक फल तथा सब्जियां खराब हो जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्पाद की आंशिक मात्रा का ही प्रसंस्करण किये जाने के कारण इस उद्योग को घाटा हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 में फल और सब्जियों का वार्षिक उत्पादन पहले से ही 113 मिलियन टन था।

(ग) से (ङ) फल और सब्जियों को होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की कमी और उत्पाद के खराब हो जाने के कारण गुणवत्ता और मूल्य में होने वाली कमी की मात्रा कुल फल और सब्जियों का लगभग 25-30% तक होती है। इस नुकसान से प्रसंस्करण हेतु कच्चे माल की उपलब्धता पर अवश्य असर पडता है।

(च) प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना/आधुनिकीकरण विस्तार, अनुसंधान और विकास तथा प्रचार, बाजार संवर्धन, विदेशी बाजार

अध्ययनों और महत्वपूर्ण व्यापारिक मेलों में भाग लेने आदि जैसे विकासात्मक कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की सामान्य नीति के अनुसार शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित यूनिटों को वर्तमान आयात-निर्यात नीति के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्तियों, उपकरणों और कच्चे माल पर सीमा शुल्क में पूरी छूट प्राप्त है। इन यूनिटों को अपने उत्पादन का 50% स्वदेशी बाजार में बेचने की भी अनुमति है।

**वाइस एडमिरल के साथ हथियार सप्लाई करने वाले डीलरों के संबंध**

**398. श्री चंदू लाल अजमीरा :**
**श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौसेना मुख्यालय ने एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी के हथियारों की सप्लाई करने वाली कम्पनियों के साथ तथाकथित संबंधों और उनका आतिथ्य सत्कार करने के बारे में जांच करवाई है;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों और जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) से (ग) एक वाइस एडमिरल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व नौसेनाध्यक्ष द्वारा अपनी दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में की गई कतिपय प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से संबंधित अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सामान्य सेवा माध्यमों से अपना सांविधिक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। बाद में, उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि केन्द्र सरकार रक्षा मंत्रालय के माध्यम से संपूर्ण मामले की जांच करेगी।

2. माननीय न्यायालय के निर्देशों पर रक्षा मंत्रालय ने नौसेना मुख्यालय से पैगावार विस्तृत टिप्पणियां मंगाकर उक्त अफसर के अभ्यावेदन पर विचार किया। इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उक्त अफसर की दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में पूर्व नौसेनाध्यक्ष द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को सरकार ने दिनांक 12.8.98 को हटा दिया। एक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में की गई एक प्रतिकूल टिप्पणी में नौसेनाध्यक्ष ने लिखा था कि उक्त अफसर अपनी निजी विदेश यात्रा के दौरान एक ऐसे सेवानिवृत्त नौसेना अफसर के पास ठहरा था उसकी मेजबानी स्वीकार की थी। जिसे एक एजेंट बताया जाता है। उक्त अफसर ने अपने स्पष्टीकरण में बताया था कि जिस सेवानिवृत्त नौसेना अफसर के पास वह ठहरा था, वह उसका बचपन का दोस्त तथा सहपाठी था तथा वे साथ-साथ पले-बढ़े थे और वर्षों से उनमें दोस्ती तथा पारिवारिक मित्रता रही है, जिसके बारे में नौसेना में सभी को जानकारी थी। उक्त अफसर का यह भी कहना था कि उसने मास्को में नौसेना अताशे को इस संबंध में सूचना दे दी थी कि वह एक पूर्व अफसर के पास ठहरा हुआ है और यह कि यदि उसका कोई गलत इरादा होता तो वह नौसेना अताशे को सूचित ही न करता।

*[हिन्दी]*

**तटीय क्षेत्रों में मत्स्य परिरक्षण और प्रसंस्करण**

**399. श्री रामशकल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय क्षेत्रों में मत्स्य परिरक्षण और प्रसंस्करण हेतु शीतागार निर्माणार्थ गैर-सरकारी उद्यमियों को और अन्य एजेंसियों को अनुदान सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान मत्स्य प्रसंस्करण मशीनें खरीदने के लिए कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) जी हां। बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी स्कीम के तहत अनुदान और ऋण दोनों की व्यवस्था है। निजी उद्यमी केवल ऋण के पात्र हैं।

(ख) मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के वास्ते पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वीकृत अनुदानों/ऋण के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं:-

| 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
|---|---|---|
| 446.05 लाख रु. | 189.17 लाख रु. | 230.02 लाख रु. |

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

(लाख रु. में)

| राज्य/संघ क्षेत्र | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 159.32 | 25.00 | 25.00 (ऋण) | 209.32 |
| गुजरात | 75.00 | – | – | 75.00 |
| कर्नाटक | – | 70.00 | 30.00 | 100.00 |
| केरल | 171.26 | 13.79 | – | 185.05 |
| लक्षद्वीप | – | – | 22.00 | 22.00 |
| महाराष्ट्र | 15.47 | 55.75 | 83.00 | 154.22 |
| मणिपुर | – | – | 4.34 | 4.34 |
| उड़ीसा | – | 24.64 | – | 24.63 |
| तमिलनाडु | 25.00 | – | 44.77 | 69.77 |
| प. बंगाल | – | – | 20.91 | 20.91 |
| | 446.05 | 189.17 | 230.02 | 865.24 |

## विदेश में रोजगार के लिए एजेंसियां

**400. श्री प्रदीप कुमार यादव :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार ऐसी कुल कितनी एजेंसियां हैं जिन्हें विदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ख) लाइसेंसधारकों के राज्यवार नाम, पते, अथवा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री ( डा. सत्यनारायण जटिया ) :** (क) और (ख) विशिष्ट मांग-पत्र तथा मुख्तारनामा के आधार पर भारतीय कामगारों को विदेशी नियोक्ताओं के पास रोजगार हेतु भर्ती करने के उद्देश्य से अब तक 3126 एजेंसियों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिए गए हैं। इन एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है:-

| क्र.सं. | राज्य का नाम | व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 78 |
| 2. | असम | 01 |
| 3. | बिहार | 02 |
| 4. | चंडीगढ़ | 58 |
| 5. | दिल्ली | 566 |
| 6. | गोवा | 32 |
| 7. | गुजरात | 10 |
| 8. | हरियाणा | 18 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 05 |
| 10. | जम्मू व कश्मीर | 03 |
| 11. | कर्नाटक | 45 |
| 12. | केरल | 270 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 12 |
| 14. | उड़ीसा | 12 |
| 15. | पंजाब | 106 |
| 16. | राजस्थान | 32 |
| 17. | तमिलनाडु | 271 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 32 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 12 |
| 20. | महाराष्ट्र | 1561 |
| | कुल | 3126 |

पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त 3126 एजेंसियों में से लगभग 1200 एजेंसियां इस व्यवसाय में दिन-रात सक्रियतापूर्वक संलग्न हैं। एजेंसियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक एजेंसी के बारे में अलग-अलग ब्यौरा दे पाना कठिन है।

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अ.जा./ अ.ज.जा. की भर्ती**

**401. प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के कर्मियों का प्रतिनिधित्व व वर्तमान प्रतिशत क्या है;

(ख) आरक्षित पदों की संख्या में श्रेणी के अनुसार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग व राष्ट्रीय प्रभाग में कितना है;

(ग) यदि वर्तमान प्रतिनिधित्व आरक्षित प्रतिशत से कम है तो उन्हें पूरा करने के लिए पिछले तीन वर्षों में क्या प्रयास किये गये तथा अब तक कितने पद भरे गये हैं; और

(घ) बाकी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है तथा कब तक इन पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) भारतीय विमाननपत्तन प्राधिकरण में अ. जाति, अ.ज. जाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणी के कार्मिकों की वर्तमान प्रतिशतता क्रमश: 24.44%, 4.98% तथा 4.85% है।

(ख) अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग में श्रेणीवार आरक्षित कर्मचारियों की प्रतिशतता समूह 'क' में 26.30% समूह 'ख' में 26.05%, समूह 'ग' में 36.30% तथा समूह 'घ' में 50.56% है जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग में यह समूह 'क' में 15.40%, समूह 'ख' में 15.72%, समूह 'ग' में 29.10% तथा समूह 'घ' में 44% है।

(ग) और (घ) आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, गत तीन वर्ष के दौरान, सभी श्रेणियों में भरे गए आरक्षित पदों की संख्या वर्ष 1995-96 में 263, वर्ष 1996-97 में 214 तथा वर्ष 1997-98 में 235 है।

*[अनुवाद]*

**खानों के सुरक्षा नियम**

**402. श्री सुनील खां** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिलासपुर क्षेत्र (मध्य प्रदेश) की डोलोमाइट खानों के निजी मालिक खानों के सुरक्षा नियमों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं और अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या श्रम आयुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक में श्रम विवाद मामलों को निपटाने के लिए खान मालिक उपस्थित नहीं हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले की डोलोमाइट खानों में सुरक्षा नियमों में विनियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन खानों के निरीक्षण के दौरान देखे गए सुरक्षा नियमों के प्रावधानों के उल्लंघनों पर कार्रवाई की जाती है तथा उन्हें ठीक किया जाता है।

बिलासपुर क्षेत्र स्थित प्राय: सभी डोलोमाइट खानों का निरीक्षण किया गया है किन्तु न्यूनतम मजदूरी से कम की अदायगी किए जाने के मामले केवल एसोसिएटेड माइनिंग कम्पनी में पाए गए हैं तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन प्राधिकारी के समक्ष दावा मामले दायर करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

(ग) और (घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विवाद का निपटान करने के लिए सहायक श्रमायुक्त (के.) द्वारा संराधन बैठकें बुलाई जाती हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान सभी संघों द्वारा लगभग 40 द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तथापि लाल झन्डा मजदूर संघ (सीटू) द्वारा उठाए गए आठ मामलों में हिंसा की कथित धमकी दिए जाने के कारण प्रबोधन ने संराधन कार्यवाही में भाग नहीं लिया। एकपक्षीय संराधन विफलता रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

*[हिन्दी]*

**नई दिल्ली से राज्यों की राजधानियों तक विमान सेवा**

403. **श्री सोहन वीर सिंह :**
**श्री चिन्मयानंद स्वामी :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी के साथ विमान सेवा द्वारा नहीं जोड़ा गया है; और

(ख) सरकार द्वारा इन राजधानियों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों को दिल्ली के साथ हवाई मार्ग से अभी तक नहीं जोड़ा गया है:-

(1) कोहिमा (2) ईटानगर

(3) शिलांग (4) गंगटोक

(ख) कोहिमा, गंगटोक तथा ईटानगर में प्रचालनात्मक विमान क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। शिलांग विमानपत्तन इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में उपलब्ध विमान-किस्म द्वारा प्रचालन करने हेतु उपयुक्त नहीं है। तथापि, निजी प्रचालकों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन शिलांग सहित और अधिक स्टेशनों को अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलना**

404. **श्री जुआल उराम :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) देश में इस समय राज्य-वार कितने उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के क्योंझर जिले में इसका उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्थापनाओं की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, प्राप्त/निपटाये गए दावों की संख्या, क्षेत्र में अंशदाताओं की सेवा आदि जैसे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाते हैं। इस संबंध में प्रस्ताव पर विचार करते समय, क्षेत्रीय भविष्य निधि समिति की सिफारिश को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) क्योंझर में एक उप क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है परन्तु क्षेत्र में योजना की अपर्याप्त व्याप्ति के कारण इसे संभाव्य नहीं पाया गया है।

***विवरण***

*राज्यवार, उप क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/क्षेत्र का नाम | उप क्षे. कार्यालयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5 |
| 2. | बिहार | 4 |
| 3. | गुजरात | 4 |
| 4. | हरियाणा | 2 |
| 5. | कर्नाटक | 4 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | केरल | 3 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 4 |
| 8. | महाराष्ट्र | 6 |
| 9. | उत्तर पूर्वी क्षेत्र | 3 |
| 10. | उड़ीसा | 1 |
| 11. | पंजाब | 3 |
| 12. | राजस्थान | 3 |
| 13. | तमिलनाडु | 6 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 8 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 5 |
| | जोड़ | 61 |

*[हिन्दी]*

**संत कबीर दास की निर्वाण स्थली**

**405. श्री इन्द्रजीत मिश्र :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संत कबीर दास की निर्वाण स्थली-मगहर का विकास पर्यटन केन्द्र के रूप में करने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) :** (क) और (ख) पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे विचार-विमर्श करके, अभिनिर्धारित की गई विशेष परियोजनाओं के लिए, उनके गुण-दोषों और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, पहले ही मगहर का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए कदम उठाए हैं। पिछले 5-6 वर्षों के दौरान 16.46 लाख रुपए लागत के निम्नलिखित कार्य राज्य सरकार द्वारा पूरे कर लिए गए हैं:-

1. घाटों का निर्माण
2. यात्री छाडक का निर्माण
3. शौचालयों का निर्माण।

**बाल श्रमिक**

**406. श्री रामपाल उपाध्याय :**
**श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :**
**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा किये गये मौजूदा आकलन को देखते हुए वर्ष 2000 तक बाल श्रमिकों की संख्या तिगुनी होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, योजना आयोग ने नौवीं योजना में बाल श्रम की संख्या से संबंधित कोई आकलन नहीं लगाया है।

*[हिन्दी]*

**माक्से-गोधरा रेल लाइन का निर्माण**

**407. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माक्से-गोधरा रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त रेल लाइन को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) 31.3.1998 पर खर्च 12.20 करोड़ रुपये है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में यह कार्य पूरा किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**एअर इंडिया के कर्मचारिओं की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करना**

**408. श्री डी.एस. अहिरे :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

**क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1999 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "राइज ऐज आफ रिटायरमेंट एंड एअर लाइंस बिल सिंक ए.आई. वर्कर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एयर इंडिया के प्रबन्धक वर्ग ने अपने बोर्ड स्तर के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है और सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

**इंडियन एयरलाइंस की लाभकारिता**

**409. श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1999 को "द हिन्दू" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "इंडियन एयरलाइंस गोइंग इन फार ए न्यू लुक" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में एयरलाइंस की सेवा और लाभकारिता में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) और (ख) । फरवरी, 1999 के समाचार पर मुख्य जोर विद्यमान विमान (विमानों) के पुनर्मार्जन, बेड़ा नवीकरण योजना तथा हैदराबाद से दोहा, चेन्नई से कुआलालम्पुर तथा कलकत्ता से हांगकांग के लिए उड़ानों के प्रचालन के संबंध में दिया गया था।

(ग) इंडियन एयरलाइंस यात्रियों को दी जा रही सेवा में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक सुधार लाने और निम्न बातों के माध्यम से लाभप्रदता में वृद्धि करने की दिशा में उपाय कर रही है:-

(1) उत्पाद उन्नयन, (2) विमानों का संवर्धित उपयोग, (3) संवर्धित अंतरराष्ट्रीय प्रचालन, (4) संवर्धित उत्पादकता, (5) लाभ केन्द्रों पर निर्माण, (6) अभिनव तथा क्रियाशील विपमन रणनीतियां, (7) एलायंस एयर की लांचिंग, तथा (8) लागत नियंत्रण संबंधी उपाय।

**रेलों में खिलाड़ियों की भर्ती**

**410. श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में कितने रेल कर्मचारियों ने श्रेष्ठ उपलब्धियां पाई; और

(ख) रेलवे में और अधिक खिलाड़ियों की भर्ती करने के लिये क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) 27 ।

(ख) भारतीय रेलों पर खिलाड़ियों की भर्ती के क्षेत्रों में पारदर्शिता पर बल देने के लिए खिलाड़ियों की भर्ती करने संबंधी नई नीति बनाई गई है जिसमें ग्रुप 'सी' में 70% रिक्तियों और ग्रुप ''डी'' में 100% रिक्तियों के लिए खुले विज्ञापनों के माध्यम से भर्ती की जाती है और ग्रुप ''सी'' में शेष 30% रिक्तियों की भर्ती प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की स्काउटिंग से की जाती हैं।

*[हिन्दी]*

**लखनऊ-शरजाह मार्ग में सीधी विमान उड़ानें**

**411. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर लखनऊ और शरजाह के बीच सीधी विमान उड़ान सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस ने 3 फरवरी, 1999 से लखनऊ से शारजाह के लिए सप्ताह में दो बार की सेवा शुरू की है।

*[अनुवाद]*

**बंगलौर के निकट नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करना**

**412. श्री के.एच. मुनियप्पा :**
**श्री के.सी. कोंडय्या :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा कम्पनी ने बंगलौर के निकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए आगे आने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव प्राइवेट समूह की भागीदारी शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) से (घ) सरकार ने बंगलौर में प्रस्तावित नए विमानपत्तन के निगमीकरण के विषय में निर्णय ले लिया है। ऐसा यातायात तथा व्यापक निवेश के दृष्टिगत किया गया है जो इसे विश्व श्रेणी का बनाने के लिए अपेक्षित है। निगमीकरण से प्रबन्धन में प्रभावी परिवर्तन लाने और उत्पादकता में समग्र वृद्धि में सहायता देने में भी मदद मिलेगी और विमानपत्तन सेवा/सुविधाओं के मानकों में सुधार लाने की दिशा में निवेश आकर्षित करने में सक्षम हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वित्तीय तथा कानूनी परामर्शदाताओं की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में रत है जो मानव संसाधन पहलु सहित निगमीकरण के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देंगे।

**दूरदर्शन समाचार तथा कार्यक्रमों में राजनीतिक दलों को 'टाइम-स्लॉट' का प्रावधान**

**413. श्री सुव्रत मुखर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः महीनों से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों तथा जन संगठनों को पार्टीवार तथा संगठनवार और तिथिवार दूरदर्शन समाचार कवरेज तथा अन्य समाचारों में कितना टाइम-स्लॉट दिया गया है;

(ख) पिछले छः महीनों में धार्मिक समारोहों का कार्यक्रम दिखाने के लिए धार्मिक-वार कितना टाइम-स्लॉट दिया गया है;

(ग) संघ तथा राज्य के प्रत्येक मंत्री को पृथक-पृथक कितना टाइम-स्लॉट दिया गया है;

(घ) पिछले छः महीनों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु तथा संसद सदस्या कुमारी ममता बैनर्जी को तिथिवार तथा समयावधिवार कितनी बार दूरदर्शन पर दिखाया गया; और

(ङ) दूरदर्शन द्वारा जिन मुख्य घटनाओं को दूरदर्शन पर दिखाया गया है उनका महत्व क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) से (घ) दूरदर्शन द्वारा केन्द्रीय तौर पर ऐसी सूचना/ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वह समाचारों के समाचारिक महत्व और अपने नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए घटनाओं को कवर करता है।

**प्रसारण नेटवर्क का विकास**

**414. श्री अरविंद कांबले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रसारण नेटवर्क के विकास और विस्तार के संबंध में उपलब्धियां लक्ष्य से बहु कम रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुख्तार नकवी )** : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के आठवीं योजना प्रस्तावों में मूल रूप से निर्धारित लक्ष्यों में कुछ कमी रही है। इस कमी के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

1. योजना अवधि के दौरान संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता, योजना परिव्यय से काफी कम रहना,
2. कुछ परियोजनाओं के मामले में स्टाफ संबंधी स्वीकृति उपलब्ध न होना,
3. कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्थल उपलब्ध कराए जाने में विलम्ब होना,
4. आधारभूत सुविधाओं जैसे पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति आदि की कमी होना जिन्हें राज्य प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है,
5. संबंधित क्षेत्र का दुर्गम पहाड़ी इलाका एवं दूरदराज का क्षेत्र होना,
6. स्थानीय कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं होना, और
7. योजना में बाद में कुछ नई स्कीमों को शामिल किया जाना।

**'टुंगुस्का' एअर डिफेंस सिस्टम का शामिल किया जाना**

**415. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'टुंगुस्का' एअर डिफेंस प्रणाली हाल ही में शस्त्र बलों में शामिल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेषताएं क्या हैं?

**रक्षा मंत्री ( श्री जॉर्ज फर्नांन्डीज )** : (क) जी, हां। तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली 1997 में सेना में शामिल की गई थी।

(ख) तुंगुस्का अति गतिशील तोप तथा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है जो यंत्रीकृत विरचनाओं को नजदीकी वायु रक्षा कवच प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

**निम्न कोटि की रेल पटरियों की आपूर्ति**

**416. श्री एस.एस. ओवेसी :**
**श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**
**श्रीमती रमा देवी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 दिसम्बर, 1998 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में खन्ना ट्रेजडी रिवील सेल सप्लायड लो क्वालिटी रेल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने "सेल" द्वारा उस खेप में आपूर्ति की गई अन्य रेल पटरियों के बारे में जांच करवायी है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे अधिकारियों ने सेल द्वारा आपूर्ति की गई रेल पटरियों का अनुमोदन किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे अधिकारियों द्वारा रेल पटरियों की जांच में हुई कमी के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) विशिष्टियों के अनुरूप पटरियों के अनुरूप पटरियों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है और पटरियों की सप्लाई बी.एस.पी. द्वारा छूट के साथ की जा रही हैं। बहरहाल, रेलवे द्वारा सेल (बी.एस.पी.) को विशिष्टियों के अनुरूप पटरियों की आपूर्ति के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा जा रहा है।

(ग) सभी रेलों को प्राथमिकता के आधार पर पटरियों की इस खेप की पराश्रव्य जांच करने के अनुदेश पहले ही दे दिए गए हैं।

(घ) रेल प्राधिकारियों ने बी.एस.पी. द्वारा समय-समय पर मांगी छूट के साथ सेल द्वारा सप्लाई की गई पटरियों को अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) चूंकि बी.एस.पी. रेलों के लिए पटरियों की सप्लाई करने का एक मात्र स्वदेशी स्रोत है इसलिए राष्ट्र के हित में रेलें भारी आयात से बचने के लिए बी.एस.पी. द्वारा छूट के साथ सप्लाई की जा रही पटरियों को स्वीकार कर रही है।

(च) रेलवे विशिष्टियों के अनुरूप पटरियों के निर्माण के लिए सेल (बी.एस.पी.) के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रख रही है। सेल ने अपने संयंत्र में इस समय में सिफारिश किए गए सभी गुणवत्ता नियंत्रण उपस्कर चालू करने के लिए संशोधित लक्ष्य तिथि दिसंबर, 1999 है।

**महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण**

**417. श्रीमती कमल रानी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिये पिछले तीन वर्षों में दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस वित्तीय सहायता के दुरूपयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई निगरानी दल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) संबंधित राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

***विवरण***

*विश्व बैंक सहायियत व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु दी गई राज्य-वार वित्तीय सहायता*

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | राज्य | पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 182.57 | 41.643 | 57.60 |
| 2. | असम | 25.80 | 4.686 | 17.051 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 13.724 | 5.956 | 19.719 |
| 4. | गोवा | – | – | 15.00 |
| 5. | गुजरात | 18.12 | 20.129 | 33.933 |
| 6. | हरियाणा | 67.88 | 0.342 | 100.515 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 4.455 | 1.702 | 3.407 |
| 8. | केरल | 20.235 | 12.523 | 15.773 |
| 9. | कर्नाटक | 133.63 | 52.973 | 116.464 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 28.90 | 55.064 | 48.774 |
| 11. | महाराष्ट्र | 85.22 | 83.789 | 135.054 |
| 12. | उड़ीसा | 3.123 | 31.654 | 25.583 |
| 13. | पंजाब | 111.94 | 26.204 | 10.205 |
| 14. | राजस्थान | 10.41 | 12.844 | 24.107 |
| 15. | तमिलनाडु | – | 7.074 | 41.137 |
| 16. | त्रिपुरा | – | 1.806 | 0.107 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | उत्तर प्रदेश | 103.155 | 36.909 | 25.479 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 49.70 | 0.885 | 30.417 |
| 19. | दिल्ली | 5.330 | 1.599 | 1.741 |

*[हिन्दी]*

**दूरदर्शन समाचार के प्रति रुचि में गिरावट**

**418. श्री रामपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन समाचार के प्रति रुचि में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दूरदर्शन समाचार को अधिक रुचिकर एवं आकर्षक बनाने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन अब एक स्वायत्त सांविधिक निगम प्रसार भारती के नियंत्रणाधीन है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन समाचारों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनी कार्यकुशलता को सदैव आधुनिक बनाता रहा है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

*[अनुवाद]*

**दिल्ली और मुम्बई स्थित विमानपत्तनों पर सुरक्षा के उपाय**

**419. श्री पी. शंकरन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से दिल्ली और मुम्बई में हवाई अड्डों पर उठाए गए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वायुयान नियंत्रण केन्द्रों की बार-बार हड़ताल के चलते पिछले एक वर्ष के उड़ानों में आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमान यात्रियों की वायु उड़ान सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) भारतीय विमान क्षेत्र में उड़ानों की संरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं:-

1. दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों पर विमान यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण दिल्ली में दिनांक 11.1.99 से एक नए ए.टी.सी. सिस्टम को प्रचालनात्मक बनाया गया है। डाटा प्रोसेसिंग तथा बिल्ट-इन कौलिजन एम्बीयडैंस सिस्टम से पूर्व की तरह मैनुअल प्रचालनों पर निर्भरता नहीं रहेगी।

2. दिल्ली एफ.आई.आर. में ए.टी.एस. मार्गों का एक दिशात्मक मार्गों में पुनर्गठन पूरा कर लिया गया है। ए.टी.एस. मार्ग जी-452, ए-456, आर-460, डब्ल्यू 19/डब्ल्यू 20, ए-474, एन.एस. के छोटे-छोटे मार्गों को एक दिशात्मक बनाया गया है।

3. नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी.ए.टी.सी.), इलाहाबाद में अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के प्रशिक्षक पद्धति की सहायता से संवर्द्धित प्रशिक्षण।

4. दिनांक 1.1.99 से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 30 अथवा इससे अधिक सीटों की क्षमता वाली सभी विमानों द्वारा एयरबोर्न कालिजन के उपयोग को आवश्यक बनाया गया है।

(ख) वर्ष 1998 में विमान यातायात नियंत्रकों (ए.टी.सी.) द्वारा कोई हड़ताल नहीं हुई थी। फरवरी, 1999 में विमान यातायात नियंत्रकों द्वारा धीमें कार्य करने आंदोलन के कारण, विशेष रूप से दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों पर उड़ान-समयावलियों में रुकावट आई थी।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक आकस्मिक योजना तैयार की गई थी। दिनांक 16.2.99 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें विमान यातायात सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया। कतिपय केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को नागर विमानन संरक्षा अधिनियम के गैर-कानूनी कृत्यों के दमन के अंतर्गत गिरफ्तारी, जांच तथा अभियोजन की शक्तियां प्रदान करने के लिए भी एक अधिसूचना जारी की गई है। विमान नियंत्रक गिल्ड ने 19.2.99 को दिल्ली उच्च न्यायालय को एक आश्वासन दिया है कि उड़ान कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने छः कर्तव्यच्युत विमान परिवहन नियंत्रकों को बर्खास्त करते हुए कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई भी की है। इस समय उड़ानों का प्रचालन सामान्य है।

*[हिन्दी]*

## प्रिंट मीडिया में विदेशी निवेश

**420. श्री मोहन सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये कोई पहल कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन इलेक्ट्रोनिक मीडिया का ब्यौरा क्या है जो भारत आए और उन्हें कार्य करने की कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है;

(घ) क्या विदेशी मीडिया को भारत से अन्य देशों के लिए विज्ञापन दिये गये हैं ताकि अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान कितने और कितने मूल्य के विज्ञापन दिये गये?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार की मौजूदा नीति प्रिन्ट मीडिया में विदेशी निवेश का निषेध करती है।

(ग) अभी तक किसी भी विदेशी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को देश से किसी भी प्रकार का प्रसारण करने अथवा प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

*[अनुवाद]*

## शोलापुर-पाकनी रेल लाइन का दोहरीकरण

**421. श्री सुशील कुमार शिन्दे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शोलापुर और पाकनी के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण और शोलापुर स्टेशन पर यातायात की भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) से (ग) पाकनी और शोलापुर के रास्ते भिगवान से गुलबर्गा खंड के दोहरीकरण के लिए एक सर्वेक्षण फिलहाल प्रगति पर है। सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

शोलापुर-होटगी मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के भाग के रूप में शोलापुर यार्ड के ढांचे में परिवर्तन करके शोलापुर पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं का सृजन 1296.26 लाख रुपये की स्वीकृत लागत पर शुरू किया गया है। कार्य के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) लाइनों को बढ़ाना, (2) अतिरिक्त द्वीप प्लेटफार्म, (3) धुलनीय लाइनों का विस्तार, (4) दो आर एंड डी लाइनें, (5) एक मालगाड़ी लाइन, (6) दो अतिरिक्त स्टॉक लाइनें, (7) 2 मरम्मत लाइनें, (8) एक माल उतराई लाइन, (9) दो शंटिंग नैक।

उपर्युक्त कार्य 31.3.99 तक पूरा करने के लिए लक्षित हैं।

## नि:शुल्क रेल पास

**422. श्री सुशील कुमार शिन्दे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 1998 से जनवरी, 1999 तक श्रेणीवार कितने निशुल्क और विशेष अखिल भारतीय रेल यात्रा पास जारी किये गये हैं;

(ख) ऐसे पास, जो राजकोष पर एक बड़ा बोझ सिद्ध हो रहे हैं, जारी करने के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे झूठे और अतर्क-संगत आधारों पर जारी किये गये रेल पासों को रद्द करने का इरादा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) मार्च, 1998 से जनवरी, 1999 तक विभिन्न कोटियों के लिए जारी किए मानार्थ अखिल भारतीय रेल पासों की संख्या इस प्रकार है:-

| कोटि | जारी किए गए कार्ड पासों की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. स्वतंत्रता सेनानी (लागत गृह मंत्रालय द्वारा वहन की गई) | 30,602 |
| 2. भूतपूर्व संसद सदस्य | 1534 |
| 3. अर्जुन पुरस्कार विजेता/ओलम्पिक पदक विजेता/एशियन एवं कॉमनवैल्थ स्वर्ण पदक विजेता | 382 |
| 4. वीरता पुरस्कार (रक्षा) | 735 |
| 5. वीरता पुरस्कार (पुलिस) | 674 |
| 6. राष्ट्रपति/भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद संघ के सचिव | 38 |
| 7. हिंदी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य | 35 |
| 8. द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता | 2 |
| 9. रेल मंत्रालय के विवेक पर व्यक्तिगत एवं संगठनों को | 122 |
| जोड़ | 34,124 |

(ख) मानार्थ कार्ड पास रेल मंत्री जी के स्वविवेक से प्रमुख व्यक्तियों और समाज सेवा सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद और कल्याणकारी गतिविधियों में लगे संगठनों तथा अनुकंपा/चिकित्सा के आधार पर जारी किए जाते हैं। अन्य कोटियां अपने-आप में स्पष्ट हैं।

(ग) और (घ) झूठे और अतर्कसंगत आधार पर प्राप्त किए गए पास पकड़े जाने पर निरस्त कर दिए जाते हैं।

## एयर लाइनों की लेखा नीति

**423. श्री अभय सिंह एस. भोंसले :**
**श्री विठ्ठल तुपे :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने एयरलाइंस की लेखा नीति में कुछ परिवर्तन किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) सरकार द्वारा इन्डियन एयरलाइन्स के कार्य-निष्पादन की सावधिक मानिटरिंग की जाती है। यह समीक्षा निर्धारित मानदंडों के आधार पर की जाती है। पायी जाने वाली कमियों को प्रबंधन के ध्यान में लाया जाता है।

(ग) और (घ) इन्डियन एयरलाइन्स ने कंपनी कानून के अंतर्गत अपनी लेखानीति में परिवर्तन किया है। इसी तरह, इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स आफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए विभिन्न लेखा मानकों के अनुरूप परिवर्तन किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**अहमदाबाद विमानपत्तन पर सुविधाएं**

**424. श्री महेश कनोडिया :**
**श्री हरिभाई चौधरी :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद विमानपत्तन पर यात्रियों को आवास एवं कक्ष सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**जयपुर में नये रेलवे-जोन के लिये भूमि**

**425. डा. प्रभा ठाकुर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पश्चिमोत्तर रेल के जोनल-कार्यालय को अजमेर (राजस्थान) में स्थापित करने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या जयपुर में जोनल-कार्यालय के लिये भूमि उपलब्ध कराई गई है तथा किस वर्ष जयपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था;

(ग) अभी तक जयपुर में भूमि उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस जोनल-कार्यालय को अजमेर में ही स्थापित न करने के क्या कारण हैं, जहां रेलवे के पास काफी भूमि उपलब्ध है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (घ) अजमेर सहित देश के विभिन्न भागों से मांगें उठी थी। एक आमान परियोजना के पश्चात् सरकार ने अन्य स्थानों के साथ-साथ जयपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विनिश्चय किया था।

(ख) और (ग) गैटोर-जगतपुरा स्टेशन के समीप 69 बीघा जमीन की पहचान की गई है और राज्य सरकार से अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा, जवाहर सर्किल के निकट 42 बीघा जमीन की पहचान की गई है और भूमि की दर के लिए राज्य सरकार के साथ बातचीत की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**इंडियन एयरलाइन्स के लिये बंगलौर में अड्डा**

**426. श्री वेंकटेशन भक्त :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाइट पार्किंग, रखरखाव, ओवर हालिंग और विमानों के निरीक्षण की सुविधाओं सहित इंडियन एयरलाइंस के लिए बंगलौर में एक पूर्ण विकसित अड्डा स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस द्वारा इस परियोजना में कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**तत्काल आरक्षण के लिये अतिरिक्त सवारी डिब्बे**

427. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्काल आरक्षण सुविधा प्रदान करने के लिये टी.वी.एम. चेन्नई मेल के किसी सवारी डिब्बे में सामान्य कोटा के अंतर्गत उपलब्ध आरक्षण सुविधा को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 'तत्काल सेवा' उपलब्ध कराने के लिये उक्त रेल गाड़ी में नए सवारी डिब्बे आबंटित करने का है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) से (घ) गाड़ी सं. 6319/6320 चेन्नई-त्रिवेन्द्रम मेल में, एक दूसरे श्रेणी के सवारी डिब्बे में 'तत्काल आरक्षण' प्रणाली शुरू की गई है। इस कारण शयनयान श्रेणी के सामान्य पूल स्थान में कोई कमी नहीं की गई है क्योंकि सामान्य गाड़ी संयोजन के भाग के रूप में शयनयान श्रेणी का एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा बनाया गया है।

**दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों का खराब प्रसारण**

428. **श्री वैद्य विष्णु दत्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ लगे राजौरी, पुंछ, मुंदर तथा स्वर्ण कोट दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्रों के खराब प्रसारण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पाकिस्तान के राष्ट्र विरोधी तथा अलगाववादी प्रचार का सामना करने के लिये इन जिलों में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के अधिक क्षमता वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुख्तार नकवी )** : (क) यद्यपि क्षेत्र में घटिया टी.वी. अभिग्रहण संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथापि, रेडियो कवरेज के बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) राजौरी जिला में नौशेरा में और पुंछ (डी.डी. 2) में एक-एक अर्थात् दो उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का विचार है। पुंछ में एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर और बफिलियाज (पुंछ जिला) और दरहल (राजौरी जिला) में दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले ही कार्यान्वयनाधीन हैं।

जम्मू में आकाशवाणी 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो और बदरवाह में 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रान्समीटर तथा बहुउद्देशीय स्टूडियो भी स्थापित कर रहा है। नौवीं योजना में जम्मू में स्थित मौजूदा 1 कि.वा.शा.वे. ट्रान्समीटर के स्थान पर एक 50 कि.वा.शा.वे. ट्रान्समीटर लगाने का प्रस्ताव है जबकि श्रीनगर में मौजूदा एक कि.वा.शा.वे. ट्रान्समीटर के स्थान पर 10 कि.वा.एफ.एम. ट्रान्समीटर स्थापित किया जाना है। श्रीनगर में एक स्टीरियो स्टूडियो का भी प्रस्ताव है।

उपरोक्त के अलावा, आकाशवाणी द्वारा जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो कवरेज का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का भी प्रस्ताव किया गया है:-

(1) श्रीनगर में 200 कि.वा.मी.वे. के स्थान पर 300 कि.वा.मी.वे. की स्थापना करना।

(2) कुपवाड़ा और नौशेरा (जम्मू क्षेत्र) में प्रत्येक में 20 कि.वा.मी.वे. ट्रान्समीटरों सहित रिले केन्द्रों की स्थापना करना।

(3) राजौरी में 20 कि.वा.एफ.एम. ट्रान्समीटर सहित रिले केन्द्र।

**खन्ना में रेल दुर्घटना**

429. **श्री जी. मंगा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खन्ना में हुई रेल दुर्घटना की जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ख) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) 26.11.1998 को उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के खन्ना और चावपाली स्टेशनों के बीच 2903 गोल्डन टैम्पल मेल पटरी से उतर गई थी और उसके बाद 3152 टाउन जम्मूतवी-सियाल्दह एक्सप्रेस के किनारे से टकरा गई थी। रेल संरक्षा के मुख्य आयुक्त के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना लगातार झली हुई पटरियों पर कई जगह पटरियां टूटने के कारण हुई थी। दुर्घटना के लिए निम्नलिखित को दोषी पाया गया है:-

प्राथमिक — भिलाई इस्पात संयंत्र

गौण — मुख्य इंजीनियर का कार्यालय (पराश्रव्य दोष संसूचक इकाई) उत्तर रेल/नई दिल्ली

दोषी — रेल पथ निदेशालय का कार्यालय/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली

बहरहाल, दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने उच्च न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश से दुर्घटना के कारणों की जांच और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के उपाय सुझाने के लिए न्यायिक जांच करने के आदेश दिए हैं।

(ख) इस तरह की दुर्घटना की आवर्ती जांच के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) चौबीसों घंटे संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर रेल पथों का गहन निरीक्षण शुरू किया गया है।

(2) बेहतर और सुधरे हुए रेल पथ अनुरक्षण के लिए, पारम्परिक मानवीय अनुरक्षण के स्थान पर यांत्रिक रेल पथ अनुरक्षण उत्तरोत्तर शुरू किया गया है।

(3) आंखों से न दिखाई देने वाले रेलपथों में छुपे दोषों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक दोष संसूचक डिटेक्टर (यू.एस.एफ.डी.) उपयोग किए जाते हैं।

(4) पटरियों की हाथ के यू.एस.एफ.डी. टैस्टर के साथ-साथ स्पर्ट (स्वनोदित अल्ट्रा-सोनिक रेल टैस्टिंग) कार द्वारा पूर्व निर्धारित बारम्बारता के अनुसार नियमित जांच की जा रही है।

(5) गर्मी, बरसात और सर्दी के महीनों जैसे अप्रत्याशित मौसम में रेल पथ पर नियमित गश्त लगाई जाती है।

(6) वरिष्ठ अधिकारियों सहित दुर्घटना के लिए दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों को सेवा से बरखास्तगी/हटाना जैसी कड़ी शास्ति दी जाती है।

(7) पटरियों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उन्नत सुविधाओं को स्थापित करने एवं उन्हें चालू करने के लिए रेलवे सेल/भिलाई स्टील संयंत्र से तेजी से अनुसरण कर रही है।

*[हिन्दी]*

**जैसलमेर और बीकानेर में विमानपत्तनों का निर्माण**

**430. श्री शांतिलाल चपलोत** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैसलमेर और बीकानेर (राजस्थान) में नागरिक विमानपत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) और (ख) जी नहीं। राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर में विमानपत्तन रक्षा मंत्रालय के हैं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन विमानपत्तनों पर सिविल एनक्लेव का अनुरक्षण करता है।

*[अनुवाद]*

**यात्री तथा मालभाड़ा यातायात**

**431. श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क मार्ग के किराये की तुलना में रेल की यात्री तथा मालभाड़ा यातायात में भागीदारी में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कदम उठाये गये हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) कई वर्षों से यात्री और माल यातायात में रेलों का हिस्सा सड़क मार्गों की तुलना में कम होता रहा है और 1951 के दौरान माल यातायात में लगभग 89% के हिस्से के कम होकर 1995 में लगभग 40% और 1951 में यात्री यातायात में 68% के हिस्से से कम होकर 1995 में लगभग 20% हो गया है।

यात्री और माल यातायात में रेलों के कम हो रहे हिस्से के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

*(1) अपर्याप्त क्षमता*

माल और यात्री यातायात में रेलों के हिस्से में कमी होने के मुख्य कारणों में से एक यातायात की वृद्धि को सम्हलाने के लिए पर्याप्त क्षमता सृजित करने में उनकी असमर्थता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हाल की योजना अवधियों में रेलों का वित्तपोषण गंभीर रूप से कम रहा है और बजटीय सहायता उनकी आवश्यकता से काफी कम रही है।

*(2) कम हो रही बजटीय सहायता और योजना परिव्यय*

रेलों को प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता भी कई वर्षों से कम होती रही है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल योजना परिव्यय के 75% की तुलना में कम होकर नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल योजना परिव्यय का लगभग 22% हो गई है। कम बजटीय सहायता के परिणामस्वरूप पंचवर्षीय योजनाओं के लिए परिव्यय कम हो गया है और इसलिए अधिक ऊर्जा कुशल, पर्यावरण के अधिक अनुकूल और अधिक सुरक्षित रेल परिवहन की तुलना में कम ऊर्जा-कुशल, पर्यावरण के लिए कम अनुकूल और कम सुरक्षित सड़क परिवहन साधन के बीच साधन हिस्सों में असंतुलन पैदा हो गया है।

*(3) टैरिफ नीति*

कई वर्षों से रेलों को यात्री और अन्य कोचिंग सेवाओं में वहन की जा रही हानि को संतुलित करने के उद्देश्य से माल यातायात से अतिरिक्त राजस्व के माध्यम से क्रॉस-सब्सीडाइजेशन का आश्रय लेना पड़ा है। क्रॉस-सब्सीडाइजेशन की नीति के कारण कई पण्य समूहों की माल दरें अयुक्तिसंगत उच्च स्तर तक पहुंच गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप यातायात सड़क परिवहन की ओर आकृष्ट हुआ है।

*(4) प्रमुख क्षेत्रों से कम यातायात प्राप्त होना*

रेलों ने सामान्यत: लम्बी दूरी के लिए अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्षेत्रों में सामग्री के थोक संचलन पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे रेलें इन क्षेत्रों में चक्रीय उतार-चढ़ाव और उनके परिचालन में भौगोलिक परिवर्तन से प्रभावित होती हैं। चालू वर्ष के दौरान सामान्य आर्थिक मंदी के कारण कोर क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले यातायात में भी कमी हुई है।

(ख) रेलों और सड़क मार्गों के अंतर-मोडल हिस्सेदारी में असंतुलन को सही करने के लिए रेलों ने कई उपाय किए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

*(1) परिसंपत्तियों की उत्पादकता में सुधार*

रेलें उपलब्ध परिसंपत्तियों के अधिकाधिक उपयोग और प्रौद्योगिकी ग्रेडोन्नयन द्वारा चल स्टाक, रेलपथ आदि जैसी परिसंपत्तियों की उत्पादकता में सुधारने के लिए कई उपाय कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप अवसंरचनात्मक सुविधाओं के हिसाब से न्यूनतम साधन-सामग्री के साथ उल्लेखनीय रूप से अधिक यातायात की ढुलाई करने में रेलें समर्थ हुई हैं।

*(2) भारतीय कंटेनर निगम के घरेलू संभाग की स्थापना*

उच्च दर वाले, गैर-थोक माल यातायात को सेवित करने की दृष्टि से भारतीय कंटेनर निगम के भीतर एक घरेलू संभाग स्थापित किया गया है, जिसका कार्यनिष्पादन काफी उत्साहजनक रहा है।

*(3) चालू परियोजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण*

रेलवे परियोजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आनुपातिक रूप से अग्रिम चरणों वाली परियोजना को

शीघ्र पूरा करने के लिए संसाधनों का और युक्तिसंगत आबंटन हो। साथ ही, उच्च घनत्व वाले मार्गों में रेलवे प्रणाली की क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है।

*(4) टैरिफ नीति का युक्तिकरण*

क्रॉस-सबसीडाइजेशन की सीमा कम करना और लक्ष्यबद्ध सब्सिडी के मामलों को छोड़कर यात्री यातायात को आत्मनिर्भर बनाना रेलों का उद्देश्य है। बाजार में उतार-चढ़ाव को सम्हालने के लिए माल दरों में पर्याप्त लचीलापन लाना और माल की सभी कोटियों से पूर्णत: वितरित लागत को वसूल करना भी रेलों का लक्ष्य है।

*(5) माल टैरिफ की पुनरीक्षा*

वर्ष 1998-99 के बजट में, रेलों ने इस्पात, चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम के वर्गीकरण में कटौती की व्यवस्था की है। इसी तरह मध्यम और लम्बी दूरी के लिए कोयले, सीमेंट और लोहे एवं इस्पात के लिए दरों के किराए और अधिक आकर्षक बनाए गए हैं। रेलें सुनिश्चित अतिरिक्त यातायात के उल्लेखनीय प्रस्तावों पर छूट की योजनाओं पर भी विचार कर रही हैं।

*(6) गैर-टैरिफ विकल्पों की संभावना खोजना*

विकास योजना के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से, रेलें अन्य नवीन गैर-टैरिफ विकल्पों यथा रेलवे भूमि और वायु स्थान का वाणिज्यिक दोहन, विशेषकर महानगरों में, और दूरसंचार के लिए रेलों के मार्गाधिकार की संभावनाओं का पता लगा रही हैं।

*(7) बेहतर सेवाएं*

बेहतर सेवाएं यथा अधिक प्रभार/जुर्माने की व्यवस्था के साथ संविदात्मक आधार पर उपभोक्ताओं को निर्धारित सुपुर्दगी भुहैया कराकर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के उपाय किए गए हैं।

*(8) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति का गठन*

रेलों ने एक राष्ट्रीय नीति समिति के गठन का प्रस्ताव किया है जो परिवहन नीतियों की पुनरीक्षा कर सके और अर्थक्षम, कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से वांछनीय परिवहन विकास के लिए एक नई नीति तैयार कर सके। रेल मंत्रालय ने उपर्युक्त समिति के विचारार्थ विषयों को अनुमोदित करते हुए योजना आयोग को पहले ही सूचित कर दिया है।

*(9) लम्बी दूरी की यात्री गाड़ियों की शुरूआत*

24 सवारी डिब्बों वाली गाड़ियों को उत्तरोत्तर शुरू किया जा रहा है ताकि रेलें अपना यात्री यातायात निपज बढ़ा सकें। अधिकतम मांग को सम्हलाने के लिए विशेष गाड़ियां चलाने के अलावा नई गाड़ियां भी शुरू की जा रही हैं।

*[हिन्दी]*

**उपरि-पुलों के उपयोगकर्त्ताओं पर उपस्कर**

**432. डा. अशोक पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास उपरि-पुलों और फाटकों का निर्माण करने तथा रेल-फाटकों को सुरक्षित और सड़क-यातायात के लिये सुविधाजनक बनाने के लिये उन पर आदमी तैनात करने के लिए धन की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सड़क-उपयोगकर्त्ताओं पर उपकर लगाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मंत्रिमंडल को नोट भेजा गया जिसमें ईंधन और वाहनों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जिनकी जांच की जा रही है और मंत्रीमंडल को पुन: नोट भेजा जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**असमिया भाषा में कार्यक्रम**

**433. श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में असमिया भाषा में मूल कार्यक्रम तैयार करने की सुविधा वाले आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में विचाराधीन ऐसी अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय नेटवर्क अथवा दूरदर्शन चैनलों पर असमिया भाषा के प्रसारण के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, हाफलांग, नॉवगोंग, दीफ में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों एवं दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी, कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (उत्तर-पूर्व), गुवाहाटी और दूरदर्शन केन्द्र, डिब्रूगढ़ में असमिया में मूल कार्यक्रम बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध है।

(ख) तेजपुर और कोकराझार में कार्यक्रम निर्माण सुविधा वाले आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। तथापि, असम में दूरदर्शन की कोई अन्य परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) सामान्यतया क्षेत्रीय भाषाओं को विशेष अवसरों पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के अलावा राष्ट्रीय नेटवर्क पर समय नहीं दिया जाता है। असमिया भाषा के कार्यक्रमों को दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी से क्षेत्रीय नेटवर्क में डी.डी. 1 तथा क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा चैनल (डी.डी. 13) पर प्रसारित किया जाता है।

असमिया के क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल (डी.डी. 13) को डिश एन्टिना/केबल आपरेटरों के जरिए सम्पूर्ण देश में देखा जा सकता है।

*[हिन्दी]*

**रीवा-दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी**

**434. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रीवा और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने तथा प्रयागराज एक्सप्रेस का इलाहाबाद से रीवा तक विस्तार करने संबंधी कई ज्ञापन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) से (ग) रीवा और दिल्ली के बीच एक गाड़ी चलाने और 2417/2418 नई दिल्ली-इलाहाबाद प्रयागराज एक्सप्रेस रीवा तक विस्तार करने के लिए श्री चंद्रमणि त्रिपाठी, सांसद सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

*[अनुवाद]*

**रक्षा-वैज्ञानिकों की मांगें**

**435. डा. सुगुण कुमारी चलामेला :**
**श्री कॉची पन्नीरसेल्वम :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा-वैज्ञानिक, वेतन-समानता की अपनी मांगों को लेकर 'यूनियनबाजी' कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्या को समाप्त करने तथा इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**रक्षा कर्मियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच**

436. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में जिन रक्षा अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच चल रही है उनका ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन समस्त जांच कार्रवाईयों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस जांच में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अब तक प्राप्त जानकारी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**नए विमान शामिल करना**

437. **श्री आनंद रत्न मौर्य :**
**श्री तथागत सत्पथी :**
**श्री अमर पाल सिंह :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित रूसी एस.यू.-30 विमान प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) फ्रांस द्वारा बनाये गये मिराज-2000 सहित अन्य विमानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भविष्य में भारतीय वायुसेना में शामिल करने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) और (ख) जी, हां। कुछ एस.यू.-30 वायुयान प्राप्त हो चुके हैं। शेष वायुयान अधिक उन्नत किस्म के होंगे तथा उनका रूस में विकास चल रहा है।

(ग) अब जल्दी ही इन शेष वायुयानों को चरणबद्ध रूप से सेना में शामिल किए जाने की योजना है। पश्चिमी वैमानिकी उपस्कर की अधिप्राप्ति के बारे में अंतिम निर्णय में समय लगने के कारण इन वायुयानों को प्राप्त करने में देरी हो रही है।

(घ) निकट भविष्य में अन्य नए वायुयानों की प्राप्ति की एक योजना है।

**कोंकण रेल परियोजना में कोल्हापुर को शामिल करना**

438. **श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना में कोल्हापुर को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोंकण रेल पर कोल्हापुर को रत्नागिरी से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

**सतर्कता कर्मचारी**

439. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल के प्रत्येक मुख्यालय में सतर्कता निरीक्षकों, पहरेदारों, सिपाहियों, हवलदारों की संख्या क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ख) भारतीय रेलों के प्रत्येक जोन में सतर्कता निरीक्षकों, पहरेदारों, सिपाहियों और हवलदारों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

| क्षेत्रीय रेलें | सतर्कता निरीक्षक | | | | पहरेदार | | | | सिपाही | | | | हवलदार | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| म.रे. | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| पू.रे. | 24 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | 11 | 10 | 7 | – | – | – | – |
| उ.रे. | 38 | 38 | 31 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| पूर्वो.रे. | 28 | 26 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| पू.सी.रे. | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| द.रे. | 24 | 31 | 36 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| द.म.रे. | 19 | 26 | 26 | 26 | 6 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| द.पू.रे. | 25 | 21 | 19 | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | – | – | – | | – | – | – | – |
| प.रे. | 37 | 31 | 29 | 29 | – | – | – | – | 35 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – |
| मेट्रो रे. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| उत्पा. ई. | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| रेलवे बोर्ड | 40 | 48 | 48 | 48 | – | – | – | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| जोड़ | 306 | 317 | 309 | 309 | 76 | 76 | 75 | 67 | 64 | 64 | 63 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 |

(ग) जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, इन कोटियों में परिवर्तन मामूली है।

*[अनुवाद]*

**भुवनेश्वर विमानपत्तन पर टनेल क्लासिंग**

**440. श्री खारबेल स्वाईं :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर विमानपत्तन पर खांडगिरी से सिरीपुर तक "टनेल मार्ग" बनाने का है क्योंकि विमानपत्तन की हवाई पट्टी का विस्तार कार्य पूरा करने के लिए आम रास्ता बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण**

**441. श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायालयों व औद्योगिक न्यायाधिकरणों की राज्यवार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) इन न्यायालयों के लिए न्यायालय-वार न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त थे; और

(घ) सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालय प्रत्येक राज्य में स्थापित नहीं किए जाते। उनकी स्थापना मुख्यत: किसी क्षेत्र में उद्योगों की अधिकता तथा क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे विवादों के आधार पर की गई है। फिलहाल, देश के विभिन्न भागों में ऐसे 12 न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं। विवरण निम्नवत् है:-

| क्र.सं. | केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्याया-धिकरण-सह-श्रम न्यायालय का नाम | न्यायाधीशों के संस्वीकृत पदों की संख्या* | 31.12.98 की स्थिति के अनुसार न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आसनसोल | 1 | - |
| 2. | बंगलौर | 1 | - |
| 3. | कलकत्ता | 1 | - |
| 4. | चंडीगढ़ | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | सं. 1 धनबाद | 1 | 1 |
| 6. | सं. 2 धनबाद | 1 | – |
| 7. | जबलपुर | 1 | – |
| 8. | कानपुर | 1 | 1 |
| 9. | सं. 1 मुम्बई | 1 | – |
| 10. | सं. 2 मुम्बई | 1 | – |
| 11. | नई दिल्ली | 1 | – |
| 12. | जयपुर | 1 | – |

*पीठासीन अधिकारी।

(घ) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए, सभी औपचारिक कार्यवाहियों के बाद, शीघ्र कदम उठाए जाते हैं।

**मध्य प्रदेश में कोयला पूर्ति हेतु रेलवे वैगनों की आवश्यकता**

**442. श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के विद्युत संयंत्रों की कोयले की आपूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध कराये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पर्याप्त वैगन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है:

(चौपहिया इकाई में)

| वर्ष | औसत दैनिक लदान |
|---|---|
| 1995-96 | 370 |
| 1996-97 | 446 |
| 1997-98 | 581 |
| 1998-99 | 468 (जनवरी, 1999 तक) |

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों का पुनर्वास**

**443. श्री सी.डी. गामीत :**
**श्री आर.एस. गवई :**
**श्री पुन्नू लाल मोहले :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक बड़ी पहल की है जिसका उद्देश्य खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे लगभग तीन लाख बच्चों का पुनर्वास करना है, के लिए 261 करोड़ रुपए की बाल श्रमिक परियोजनाओं का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों की भागीदारी सहित सरकार की योजना क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) से (घ) सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की संशोधित योजना को जारी रखने के लिए 261 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। एक केन्द्रीय प्रबोधन समिति है जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालय चलाने के लिए सीधे बाल श्रम परियोजना सोसायटियों को जिला स्तर पर वित्तीय सहायता जारी की जाती है। स्वयंसेवी संगठन सक्रिय रूप से परियोजना सोसायटियों से जुड़े हैं।

**भविष्य निधि, उपदान और कर्मचारी राज्य बीमा की धनराशि का बकाया**

**444. श्री मोइनुल हसन अहमद** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार सरकारी उपक्रमों में भविष्य निधि, उपदान और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने देय बकाया राशियों के भुगतान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा बकाया संबंधी एक विवरण संलग्न है। चूककर्ता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से बकाए की वसूली हेतु अनावश्यक विधिक व दांडिक कार्रवाई पहले से ही की जा रही है। भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा बकाए का शीघ्र परिसमापन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/राज्य सरकारों से भी समय-समय पर सम्पर्क किया जाता रहा है। जहां तक उपदान की बात है, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के तहत, इसके भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की है। इसलिए, उपदान संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

***विवरण***

(करोड़ रु. में)

| राज्य का नाम | | कर्मचारी भविष्य निधि बकाया | कर्मचारी राज्य बीमा बकाया |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5.87 | 14.17 |
| 2. | उत्तर-पूर्व | 1.37 | 1.55 |
| 3. | बिहार | 8.46 | 2.83 |
| 4. | दिल्ली | 0.33 | 0.81 |
| 5. | गुजरात | 10.62 | 7.08 |
| 6. | हरियाणा | 9.68 | 0.29 |
| 7. | कर्नाटक | 0.19 | 6.30 |
| 8. | केरल | 1.61 | 1.73 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 19.34 | 11.87 |

| 1 | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 10. | महाराष्ट्र व गोवा | 23.60 | 38.36 |
| 11. | उड़ीसा | 13.76 | 5.28 |
| 12. | पंजाब | 7.08 | 2.21 |
| 13. | चंडीगढ़ | – | 0.05 |
| 14. | जम्मू व कश्मीर | उ.न. | 1.61 |
| 15. | राजस्थान | 0.47 | 0.25 |
| 16. | तमिलनाडु | 6.53 | 0.27 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 31.82 | 24.09 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 80.70 | 24.16 |

**गोवा में चल रही रेल परियोजनाएं**

**445. श्री रवि सीताराम नायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और 31 दिसंबर, 1998 तक इनको पूरा करने संबंधी कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार नौवीं योजनावधि के दौरान गोवा में कोई नई रेल परियोजना शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) गोवा में कोई रेल परियोजना नहीं चल रही है।

(ख) और (ग) आवश्यकता के आधार पर ही परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। यदि अपेक्षित हुआ तो नई परियोजनाएं निधि की उपलब्धता के आधार पर नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में शुरू की जाएंगी। अतिरिक्त लौह अयस्क और निर्यात यातायात को सम्हालने के लिए गोवा में शेलवोना में एक रेल टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव है।

**खान-पान और पर्यटन निगम**

**446. श्री आर.एस. गवई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में खान-पान सेवाओं में सुधार के लिए खान-पान और पर्यटन निगम बनाने के लिए कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका गठन कब तक हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) से (ग) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम स्थापित करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर निगम की स्थापना की जाएगी।

**केरल में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों की स्थापना**

**447. श्री ए.सी जोस** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केवल केरल राज्य के कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु दूरदर्शन का दूसरे चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से केरल के विभिन्न स्थानों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गयी है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुख्तार नकवी )** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकार सहित विभिन्न मंचों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। कालीकट (स्थायी स्थापना), कैन्नानोर, कोचीन (डी.डी. 2) और त्रिवेन्द्रम (डी.डी. 2) में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना संबंधी स्कीमें वर्तमान में कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

**कर्नाटक में गुलबर्गा दूरदर्शन केन्द्र का विकास**

**448. श्री बासवराज पाटील सेडाम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में गुलबर्गा दूरदर्शन केन्द्र में निधियों और तकनीकी-स्टाफ की कमी है, जिसके कारण स्थानीय कलाकारों को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का गुलबर्गा दूरदर्शन केन्द्र को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुख्तार नकवी )** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि कार्यक्रम निर्माण/प्रसारण के वर्तमान स्तर को देखते हुए दूरदर्शन केन्द्र, गुलबर्गा के लिए उपलब्ध संसाधनों को पर्याप्त समझा गया है इसलिए केन्द्र को सुदृढ़ बनाने के लिए फिलहाल कोई विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्रम अधिनियम में संशोधन**

**449. श्री पवन सिंह घाटोवार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागान श्रम अधिनियम 1951 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के पास बहुत समय से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार कब तक उक्त संशोधन करने का है?

**श्रम मंत्री ( डा. सत्यनारायण जटिया )** : (क) से (ग) बागान श्रम अधिनियम, 1951 को राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह चाय, काफी, रबर और सिनकोना बागानों पर लागू होता है। राज्य सरकार किन्हीं अन्य बागानों पर भी इसे लागू कर सकती है।

सामाजिक प्रतिभागियों की आवश्यकताओं के आधार पर, बागान श्रम अधिनियम, 1951 में विभिन्न संशोधन प्रस्तावित हैं। सभी संगत कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात् इस अधिनियम में कोई संशोधन किए जाने के बारे में एक उपयुक्त नीति अंगीकार की जाती है।

**घाटकोपर रेलवे स्टेशन**

**450. श्री सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न समूहों से मुंबई के घाटकोपर उप-नगरीय रेलवे स्टेशन को उप-नगरीय रेलवे टर्मिनल में परिवर्तित करने तथा वहां से और अधिक लोकल-रेल चलाने के लिए अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं:-

(1) मुम्बई ईस्टर्न सबर्बन पैसेंजर एसोसिएशन का दिनांक 3.4.98 का अभ्यावेदन।

(2) श्री वी.आर. कामथ का दिनांक 12.9.98 का अभ्यावेदन।

(3) श्री जगदीश एस. पाटिल तथा अन्य का दिनांक 2.10.98 ।

(4) श्री वी.वी. पठानिया, दिनांक 2.10.98 का अभ्यावेदन।

(ग) इस समय घाटकोपर से केवल दो प्रारम्भिक/पर्यन्तक सेवाएं उपलब्ध हैं जिन्हें केवल मौजूदा बाईपास प्लेटफार्मों पर आवश्यक रूप से सम्हाला जाता है। यहां तक कि इस गाड़ियों का उपनगरीय सेवाओं के अन्तराल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

यदि ये प्लेटफार्म अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो गुजरने वाली गाड़ियों, जो पांच मिनट के पूर्व निर्धारित अंतराल से चलने के लिए समयबद्ध हैं, की सेवा बारम्बारता और परिचालन कार्य-कुशलता और प्रभावित होगी। उपनगरीय गलियारों का उपलब्ध क्षमता का 100% तक उपयोग किया जा रहा है और इस समय घाटकोपर से अतिरिक्त प्रारम्भिक/पर्यन्तक गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है।

भीड़-भाड़ से उत्पन्न होने वाली यात्रियों की परेशानियों को कम करने के संबंध में मध्य रेलवे ने उपनगरीय खंडों पर विशेष क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्य नियोजित किए हैं। इनमें शामिल हैं:-

(1) पुनः सिगनल कार्यों द्वारा स्थानीय गलियारे का अन्तराल 5 मिनट से घटाकर 3.5 मिनट करने से सेवाओं की बारम्बारता में वृद्धि होगी।

(2) सीधे गलियारे पर 9 कार सेवाओं के स्थान पर 12 कार सेवाओं को चलाना।

इन प्रस्तावों को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है और इससे अतिरिक्त परिवहन क्षमता उत्पन्न होगी और यात्रियों की सुविधा में काफी सुधार होगा। घाटकोपर में, जहां भीड़-भाड़ की समस्या हो रही है, इन उपायों से कुछ सीमा तक समस्याएं कम होने की भी आशा है।

**राजस्थान के लिए विमान सेवा**

**451. श्री राम नारायण मीणा : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के लिए इंडियन एयर लाइन्स की विमान सेवाओं में कमी आई जबकि वहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जयपुर विमानपत्तन की विमान पट्टी को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने कोटा के लिए इंडियन एयरलाइंस की नई उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जयपुर के धावनपथ का चरणबद्ध रूप से विस्तार किया जा रहा है। पहले चरण में, धावनपथ की लम्बाई 6000 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट कर दी है। दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 9000 फुट तक कर दिया जाएगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**संबलपुर-तेल्चेर रेल लाइन**

**452. श्री तथागत सत्पथी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में सम्बलपुर-तेल्चेर रेल लाइन के निर्माण के कारण अपनी भूमि गंवाने वाले लोगों की संख्या क्या है;

(ख) क्या लोगों को क्षतिपूर्ति की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रभावित लोगों का आर्थिक पुनर्वास करने और उन्हें उचित क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

**संदिग्ध हथियार सौदे के लिए भूतपूर्व सेना कप्तान की गिरफ्तारी**

**453. डा. विजय सोनकर शास्त्री :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 30 जुलाई, 1998 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भूतपूर्व सेना कप्तान को गिरफ्तार किया था क्योंकि उन पर रक्षा मंत्रालय के साथ 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की धोखाधड़ी का आरोप था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में संलिप्त/संदिग्ध व्यक्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान संदिग्ध हथियार सौदे और धोखाधड़ी में कितने भूतपूर्व सैनिक संलिप्त पाए गए और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रक्षा मंत्रालय के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में सेना के एक भूतपूर्व कैप्टन को गिरफ्तार किया था।

(ख) रक्षा मंत्रालय के सिविलियन अधिकारी/कर्मचारी श्री पी. वेणुगोपालन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री एच.एल. गुलाटी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री सी.पी. गुप्ता, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री आर.के. वाजपेयी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सुश्री मधु वधवा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री जे.पी. शर्मा शहायक लेखा अधिकारी, श्री स्टीफन जॉर्ज सहायक लेखा अधिकारी, श्री जे.बी. गुप्ता, लिपिक, श्री पी.आर. सुमन, लिपिक, श्री एन.डी. नौटियाल, लिपिक, श्री एस.बी. शर्मा लिपिक तथा एक बाहरी व्यक्ति श्री अनिल कुमार राणे के विरुद्ध रक्षा मंत्रालय को कार्यालय उपयोग के लिए विभिन्न किस्म के उपस्करों की आपूर्ति से संबंधित जाली बिलों को पास करने में किए गए अपराधिक षड्यंत्र, जिससे सरकार को 8 करोड़ रुपए की आर्थिक हानि हुई के लिए एक मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में की गई जांच से कैप्टन (सेवानिवृत्त) आई.बी.एस. उप्पल के भी इस मामले में संलिप्त होने का पता चला है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

(ग) केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो में कथित धोखाधड़ी के मामलों में 2 भूतपूर्व सैनिकों को संलिप्त पाया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रक्षा मंत्रालय के अन्य सिविलियन अधिकारियों और कुछ प्राइवेट ठेकेदारों के साथ-साथ कैप्टन (सेवानिवृत्त) आई.बी.एस. उप्पल और ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) पी.आर.एस. राव के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए हैं।

*[हिन्दी]*

**जबलपुर से राजकोट एक्सप्रेस को चलाया जाना**

**454. श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जबलपुर से राजकोट एक्सप्रेस के चलाए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) से (ग) 1269/1270 राजकोट-भोपाल एक्सप्रेस को जबलपुर तक बढ़ाने के लिए श्री बाबूराव परांजपे, संसद सदस्य तथा श्री सरताज सिंह, संसद सदस्य सहित कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

*[अनुवाद]*

**इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा घटिया सेवाएं**

**455. श्री वी.एम. सुधीरन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया की मौजूदा घटिया ग्राहक सेवा से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) और (ख) सरकार लगातार राष्ट्रीय विमान कंपनियों की

उपभोक्ता सेवा की पुनरीक्षा करती है और इन सेवाओं को सुप्रवाही और सुदृढ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये जाते हैं जिनमें (1) यात्री शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना, (2) उड़ानों में उन्नत सेवा का प्रावधान, (3) भूमि पर यात्री सुविधाओं में सुधार, और (4) समयबद्ध कार्य निष्पादन इत्यादि शामिल है।

**विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से प्रिंट मीडिया में प्रचार करना**

**456. श्री जार्ज ईडन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से प्रिंट मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए मंत्रालयवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए वर्ष, 1997-98 के दौरान मंत्रालय/बिभाग-वार किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

*विवरण*

*वर्ष 1997-98 के दौरान मंत्रालय/विभागवार किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण*

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | किया गया व्यय (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | 38162847 |
| 2. | वाणिज्य मंत्रालय | 744122 |
| 3. | कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय | 84016441 |
| 4. | संचार मंत्रालय | 18117508 |
| 5. | गृह मंत्रालय | 30737292 |
| 6. | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | 3690826 |
| 7. | खाद्य मंत्रालय | 3478484 |
| 8. | सिविल आपूर्ति मंत्रालय | 18263 |
| 9. | खान मंत्रालय | 79740 |
| 10. | इलैक्ट्रानिक विभाग | 2016949 |
| 11. | नागरिक उड्डयन मंत्रालय | 314440 |
| 12. | शहरी विकास मंत्रालय | 11436646 |
| 13. | ग्रामीण विकास मंत्रालय | 3384571 |
| 14. | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | 18000769 |
| 15. | उद्योग मंत्रालय | 5729836 |
| 16. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 2724037 |
| 17. | वस्त्र मंत्रालय | 1072475 |
| 18. | योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 2269710 |
| 19. | ऊर्जा मंत्रालय | 181562 |
| 20. | कोयला मंत्रालय | 35353 |
| 21. | विदेश मंत्रालय | 416394 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22. | पर्यटन मंत्रालय | 79507 |
| 23. | महासागर विकास विभाग | 499371 |
| 24. | संसदीय कार्य मंत्रालय | 149152 |
| 25. | अन्तरिक्ष विभाग | 5757046 |
| 26. | परमाणु ऊर्जा विभाग | 5982865 |
| 27. | जल संसाधन मंत्रालय | 2768991 |
| 28. | श्रम मंत्रालय | 5300699 |
| 29. | वित्त मंत्रालय | 35362425 |
| 30. | कृषि मंत्रालय | 5959176 |
| 31. | सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 98815071 |
| 32. | रक्षा मंत्रालय | 61356356 |
| 33. | भूतल परिवहन मंत्रालय | 3610774 |
| 34. | कल्याण मंत्रालय | 4101477 |
| 35. | खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय | 201979 |
| 36. | रासायनिक एवं ऊर्वरक मंत्रालय | 370491 |
| 37. | राष्ट्रपति सचिवालय | 115107 |
| 38. | अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय | 10100778 |
| 39. | उप राष्ट्रपति सचिवालय | 19226 |
| | कुल | 46,71,78,756 |

**रेलों के लिए आरक्षण में दलाल**

**457. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1999 के ''द पायनियर'' में ''टाउट्स कैश इन आन रेलवेज कंप्यूटर-ट्रिप'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) चार्ट तैयार करने में कुछ समस्या होने से, जिसके परिणामस्वरूप खाली छपाई हो गई थी, 27.1.1999 को 15.20 बजे नई दिल्ली पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली खराब हो गई थी। प्रणाली को उसी दिन लगभग 21.30 बजे ठीक कर दिया गया था। खराबी का कारण हार्डवेयर और साफ्टवेयर समस्याओं का जुड़ना था, जिसका सुधार कर दिया गया है।

**बंगलौर में इंडियन एयरलाइंस का कारपोरेट कार्यालय**

**458. श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स का कारपोरेट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक खोला जाएगा?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**बिलासपुर में उपरिपुल का निर्माण**

**459. श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ते यातायात तथा शहर के विस्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश में बिलासपुर शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर पुल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ख) जी हां। चुचियापारा समपार के स्थान पर 717.528 कि.मी. पर ऊपरि सड़क पुल की स्वीकृति लागत में हिस्सेदारी के आधार पर दे दी गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधित तिरचे संरेखन को ध्यान में रखते हुए संशोधित सामान्य प्रबंध आरेखण तैयार कर लिया गया है और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है जो अभी तक प्रतीक्षित है। रेलवे राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले पहुंच मार्ग के कार्य के साथ-साथ पुल खास का कार्य शुरू करेगी।

**जबलपुर विमानपत्तन की हवाई पट्टी का विस्तार**

**460. श्री अजीत जोगी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां बोइंग विमान उतर सकता है;

(ग) क्या नागपुर और खजुराहो तक की इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों को जबलपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) और (ख) जी हां, जबलपुर विमानपत्तन के धावनपथ का विस्तार 4500 से 6500 फुट तक किया गया है और ये बी-747 श्रेणी के विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पर्याप्त यातायात उपलब्ध न होने और विमान क्षमता की तंगी के कारण, इंडियन एयरलाइन्स इस समय नागपुर-जबलपुर और खजुराहो-जबलपुर के बीच उड़ानें प्रचालित करने की स्थिति में नहीं है।

*[अनुवाद]*

**प्रमुख हथियार प्रणाली के निर्माण में विलम्ब**

**461. श्री ई. अहमद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख हथियार प्रणालियों का निर्माण करने हेतु उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें बीस वर्ष से अधिक विलंब हो चुका है तथा इस विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप रक्षा तैयारी पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज)** : (क) बृहत शस्त्र प्रणालियों के निर्माण संबंधी ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसमें बीस वर्ष से भी अधिक विलम्ब हुआ है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**कटक में रेलवे साइडिंग बिछाना**

**462. श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कटक में रेलवे साइडिंग बिछाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गोपालपुर को तेलचर बरास्ता डिन्डोल और नरसिंहपुर से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त परियोजनाएं कब तक शुरू और पूरी कर ली जाएंगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) तालचेर से गोपालपुर तक नई लाइन के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

**भारतीय दैनिक समाचार-पत्र**

**463. डा. शकील अहमद :**
**श्री यू.वी. कृष्णमराजु :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सबसे अधिक प्रचालन वाले किसी भारतीय दैनिक समाचार-पत्र को यूनेस्को की "द वर्ल्ड कम्यूनिकेशन रिपोर्ट, 1996" में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे दैनिक समाचार-पत्र के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(घ) क्या पूर्व वर्षों के दौरान भी इसी तरह का चयन किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार चकवी)** : (क) यूनेस्को अधिकारियों के अनुसार वर्ष 1996 में कोई वर्ल्ड कम्यूनिकेशन रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) वर्ल्ड कम्यूनिकेशन रिपोर्ट 1989 में निम्नलिखित भारतीय दैनिकों को शामिल किया गया था:-

(1) मलयाला मनोरमा

(2) आनन्द बाजार पत्रिका

(3) दि हिन्दू

(4) जुगांतर

(5) हिन्दुस्तान टाइम्स

(6) दि स्टेट्समैन।

**अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों का उच्चशक्ति ट्रांसमीटरों में स्तरोन्नयन करना**

**464. श्री यू.वी. कृष्णमराजु :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों का उच्चशक्ति ट्रांसमीटरों में उन्नयन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में उन्नयन की अद्यतन स्थिति क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार चकवी)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राजामुण्दरी स्थित 1 कि.वा. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का 10 कि.वा. में उन्नयन करने के अलावा आन्ध्र प्रदेश में वारंगल मौजूदा अल्पशक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना संबंधी स्कीमें इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं।

*विवरण*

*मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर स्थापित किए जाने वाले उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की राज्यवार सूची जो वर्तमान में कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं*

| राज्य | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का स्थान |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आन्ध्र प्रदेश | वारंगल |
| असम | गुवाहाटी (डी.डी. 2) |
| | सिल्चर (डी.डी. 2) |
| बिहार | जमशेदपुर |
| | पटना (डी.डी. 2) |
| गोवा | पणजी (डी.डी. 2) |
| गुजरात | बडोदरा |
| | सूरत |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला (डी.डी. 2) |
| जम्मू एवं कश्मीर | कथुआ |
| | जम्मू (डी.डी. 2) |
| | श्रीनगर (डी.डी. 2) |
| कर्नाटक | हस्सन |
| | मंगलौर |
| | मैसूर |
| | रायचूर |
| केरल | कैन्नानोर |
| | कोचीन (डी.डी. 2) |
| | त्रिवेन्द्रम (डी.डी. 2) |
| मध्य प्रदेश | गुना |
| | शहडोल |
| | अम्बिकापुर |
| | भोपाल (डी.डी. 2) |
| महाराष्ट्र | चन्द्रपुर |
| | जलगांव |
| | रत्नागिरी एवं नागपुर (डी.डी. 2) |
| मेघालय | तुरा (डी.डी. 2) |
| उड़ीसा | बरहामपुर सम्भलपुर (डी.डी. 2) |
| राजस्थान | जोधपुर |
| | अजमेर |
| | जयपुर (डी.डी. 2) |
| तमिलनाडु | कम्बाकोणम |
| त्रिपुरा | अगरतला (डी.डी. 2) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | बांदा |
| | लखीमपुर |
| | लखनऊ (डी.डी. 2) |
| पश्चिम बंगाल | बलूरघाट |
| | कृष्णनगर |
| | खडगपुर |
| | शान्तिनिकेतन |
| | मुर्शिदाबाद (डी.डी. 2) |
| पांडिचेरी | पांडिचेरी |

**उस्मानाबाद में आकाशवाणी भवन**

**465. श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उस्मानाबाद में आकाशवाणी का नवनिर्मित भवन ध्वस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) जी, नहीं। तथापि, भवन का फर्श धंसने के कारण भवन में कुछ दरारें आ गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**भारत में खाद्य उद्योग पर संयुक्त अध्ययन**

**466. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ और मैकेन्सी द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन से अवगत है जिसने भारत में खाद्य उद्योग के 70 बिलियन डालर की संभावना का अनुमान किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की वृद्धि के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित अनुसार हैं:

1. अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए 51% तक विदेशी इक्विटी की स्वत: मंजूरी उपलब्ध है।

2. बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल किए गए हैं।

3. अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है।

4. सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण मदों के लिए उत्पाद और सीमा-शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया है।

मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा मानव संसाधन विकास केंद्रों को ऋण या सहायता-अनुदान के रूप में

वित्तीय सहायता देता है। योजना सहायता के प्रणोद क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

1. कोल्ड चेन बुनियादी सुविधा समेत फसलोत्तर बुनियादी सुविधा की स्थापना।
2. खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संपदाओं/पार्कों की स्थापना।
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण।
4. खाद्य प्रसंस्करण पर अनुसंधान एवं विकास।
5. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास।
6. अध्ययन, सेमिनार, कार्यशालाएं तथा प्रदर्शनियां आदि करने के वास्ते।
7. गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**स्क्रैप प्रबंधन दल की स्थापना करना**

**467. श्री दत्ता मेघे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्क्रैप के निपटान की निगरानी के लिए रेलवे बोर्ड में स्क्रैप प्रबंधन दल की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने अपनी स्क्रैप सामग्रियों का निपटान करके अपनी आय बढ़ा ली है; और

(घ) यदि हां, तो अप्रैल, 1998 से दिसंबर, 1998 तक रेलवे द्वारा जोनल रेलवे/उत्पादन एकक-वार कुल कितनी मात्रा में स्क्रैप की बिक्री की गई?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) स्क्रैप प्रबंधन दल में यांत्रिक, सिविल, बिजली तथा सिगनल निदेशालयों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं।

(ग) जी, हां। स्क्रैप सामग्री का अधिकतम निपटान करने के लगातार प्रयास किए जाते हैं और उसके द्वारा रेलवे को राजस्व प्राप्त होता है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

***विवरण***

*रेलवे द्वारा अप्रैल 1998 से दिसम्बर, 1999 तक बेचे गए स्क्रैप की मात्रा नीचे दी गई है*

| रेलवे | रेल पटरियां और रेल पथ लौह (मी. टन में) | अन्य लौह स्क्रैप (मी. टन में) | गैर लौह स्क्रैप (मी. टन में) | माल डिब्बे (अदद में) | सवारी डिब्बे (अदद में) | रेल इंजन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| मध्य | 56161 | 24615 | 645 | 1325 | 205 | 16 |
| पूर्व | 21922 | 16149 | 707 | 898 | 130 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर | 54146 | 20027 | 203 | 1411 | 231 | 1 |
| पूर्वोत्तर | 17629 | 9643 | 436 | 220 | 135 | 1 |
| पू.सी. | 12878 | 1291 | 8 | 265 | 69 | – |
| दक्षिण | 27789 | 18128 | 664 | 394 | 100 | 1 |
| द. मध्य | 36725 | 14343 | 1282 | 407 | 63 | 7 |
| द. पूर्व | 62458 | 26585 | 255 | 1365 | 72 | 3 |
| पश्चिम | 35042 | 23916 | 763 | 872 | 172 | 12 |
| चिरेका | – | 601 | 9 | – | – | – |
| डीरेका | – | 2610 | 271 | – | – | – |
| डीरेका | – | 2173 | 8 | – | – | – |
| सडिका | – | – | – | – | – | – |
| रेडिका | – | 1862 | 20 | – | – | – |
| मेट्रो रेल | – | 1153 | – | – | – | – |
| पधुका | – | 10260 | 3 | – | – | – |
| संयंत्र | – | – | – | – | – | – |
| कुल | 320360 | 172355 | 5264 | 7193 | 1177 | 42 |

*[अनुवाद]*

**केरल एक्सप्रेस का वारकला स्टेशन पर ठहराव**

**468. श्री वारकला राधाकृष्णन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में वारकला रेलवे स्टेशन पर केरल एक्सप्रेस के ठहराव प्रदान किए जाने संबंधी मांग मंत्रालय को प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) जी हां।

(ख) 2625/2626 केरल एक्सप्रेस के वारकला में ठहराव की जांच की गई है परंतु औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

*[हिन्दी]*

**लखीसराय रेलवे स्टेशन**

**469. श्री शकुनी चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लखीसराय रेलवे स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) जी नहीं।

(ख) लखीसराय एक फ्लैग स्टेशन है जो निकटवर्ती क्यूल और मांकथा ब्लॉक स्टेशनों से केवल क्रमश: 1.1 कि.मी. तथा 5.74 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके ब्लाक स्टेशन में ग्रेडोन्यन करने से इस स्टेशन पर सिगनल की व्यवस्था करनी अपेक्षित होगी और समीपवर्ती स्टेशनों के सिगनलों के बीच दूरी इतनी कम हो जाएगी जिससे गति प्रभावित होगी और क्षमता प्रभावित होगी। इसे आवश्यक नहीं समझा गया।

*[अनुवाद]*

**मैसूर-चमारा-जानगर रेल लाइन का आमान परिवर्तन**

**470. श्री ए. सिद्धराजू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर-चमारा-जानगर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लागत का अनुमान क्या है;

(ग) क्या उक्त परिवर्तन कार्य हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान इस कार्य पर यदि कोई व्यय हुआ है तो राशि क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) जी हां। मेट्टुपलायम तक विस्तार सहित इस लाइन के आमान परिवर्तन का एक मिश्रित सर्वेक्षण किया जा चुका है।

(ख) पूरी परियोजना के लिए 135 करोड़ रु.।

(ग) इस परियोजना को बजट में इस उपबंध के साथ शामिल किया गया है कि कार्य की शुरूआत आवश्यक मंजूरियां मिल जाने के बाद ही की जाएगी। इनकी स्वीकृति अभी प्राप्त होनी बाकी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है और इसके बाद इसे योजना आयोग को उनके विचारार्थ भेजा जाएगा। जब उनका

मूल्यांकन पूरा हो जाएगा, तब इस पर विस्तारित बोर्ड द्वारा विचारा जाएगा और इसके बाद इसकी आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है।

*[हिन्दी]*

**मीटर रेल लाइन और बड़ी रेल लाइन**

**471. श्री हरिभाई चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय छोटी/मीटर/बड़ी रेल लाइनों की लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी लाइनें अभी अप्रयुक्त हैं या क्षतिग्रस्त हैं; और

(ग) सरकार ने क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत करने और अप्रयुक्त लाइनों पर यातायात आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक ) :** (क) 31.03.1998 की स्थिति (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार देश में छोटी, मीटर और बड़ी रेल लाइनों की राज्यवार लम्बाई नीचे दी गई है:

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | मार्ग किलोमीटर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | बड़ी लाइन | मीटर लाइन | छोटी लाइन | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 4335 | 686 | 37 | 5058 |
| अरूणाचल प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 1 |
| असम | 903 | 1471 | 0 | 2374 |
| बिहार | 3830 | 1289 | 69 | 5188 |
| दिल्ली | 178 | 22 | 0 | 200 |
| गोवा | 69 | 0 | 0 | 69 |
| गुजरात | 1914 | 2522 | 876 | 5312 |
| हरियाणा | 1226 | 322 | 3 | 1551 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 23 | 0 | 246 | 269 |
| जम्मू और कश्मीर | 84 | 0 | 0 | 84 |
| कर्नाटक | 2447 | 527 | 0 | 2974 |
| केरल | 933 | 117 | 0 | 1050 |
| मध्य प्रदेश | 4519 | 500 | 900 | 5919 |
| महाराष्ट्र | 4040 | 509 | 916 | 5465 |
| मणिपुर | 0 | 1 | 0 | 1 |
| मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 0 | 2 | 0 | 2 |
| नागालैण्ड | 8 | 5 | 0 | 13 |
| उड़ीसा | 2043 | 0 | 143 | 2186 |
| पंजाब | 2087 | 0 | 11 | 2098 |
| राजस्थान | 3006 | 2815 | 89 | 5910 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 1575 | 2477 | 0 | 4052 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | 0 | 45 | 0 | 45 |
| उत्तर प्रदेश | 6867 | 2019 | 0 | 8886 |
| पश्चिम बंगाल | 2988 | 463 | 318 | 3769 |
| **संघ शासित क्षेत्र** | | | | |
| चंडीगढ़ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| पांडिचेरी | 0 | 11 | 0 | 11 |
| जोड़ | 43083 | 15804 | 3608 | 62495 |

(ख) रेलवे लाइनों के निम्नलिखित खंड अप्रयुक्त पड़े हुए हैं:

| क्र.सं. | खंड | कुल कि.मी. लम्बाई (आमान) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | माकुम-डांगरी | 30.77 (मीला) | गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ टाउन खंड पर बड़ी लाइन के रूप में आमान परिवर्तन के कारण |
| 2. | सिमलगुडी-नागनीमोरा | 9.37 (मीला) | गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ टाउन खंड पर बड़ी लाइन के रूप में आमान परिवर्तन के कारण |
| 3. | अमगुरी-तुली | 14.65 (मीला) | गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ टाउन खंड पर बड़ी लाइन के रूप में आमान परिवर्तन के कारण |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | न्यू मालदोमोहनी | 36.75 (मीला) | खंड का परित्याग कर दिया गया है |
| 5. | तिनधरिया-करसियोंग | 19.71 (छोला) | भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण |
| 6. | मणिहारी-तेजनारायणपुर | 1.2 (मीला) | बाढ़ और तटबंध बह जाने के कारण |
| 7. | सिमलगुडी-नागनीमोरा | 5.22 (मीला) | आमान परिवर्तन के कारण |
| 8. | तेलापुर जं.-पाटनचेरू के बीच एक नई बड़ी लाइन | 8.35 (बला) | कम लोकप्रियता के कारण |
| 9. | गुंडा रोड जं.-कोट्टूर के बीच पहले मीटर लाइन | 49.78 (बला) | कैच साइडिंग की अनुपलब्धता के कारण तेल संरक्षा आयुक्त द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया |
| 10. | कोसम्बा-उमरपाडा | 61.96 (छोला) | बहाल किया जा रहा है |
| 11. | अंकलेश्वर-झगडिया-राज पीपला | 62.80 (छोला) | बहाल किया जा रहा है |
| 12. | झगडिया-नतरंग | 27.21 (छोला) | बहाल किया जा रहा है |
| 13. | छोटा उदयपुर-बोडेली | 36.15 (छोला) | बहाल किया जा रहा है |
| 14. | दबहोई-तिम्बा रोड़ | 100.38 (छोला) | बहाल किया जा रहा है |
| 15. | चम्पारनेर-पानी माइन्स | 49.14 (छोला) | बहाल किया जा रहा है |
| 16. | गोधरा-लूनावाला | 40.63 (छोला) | बहाल किया जा रहा है |
| 17. | मेहसाणा-रानुज | 26.37 (छोला) | बहाल किया जा रहा है |
| 18. | बांकुरा-रायनगर (बीडीआर) | 96.00 (छोला) | अप्रयुक्त पड़ा है |

(ग) 1. तिनधरिया-करसियोंग और मोनीहरी-तेजनारायणपुर में रेलपथ की मरम्मत करने के लिए बहाली कार्य शुरू किया गया है।

2. बांकुरा-रायनगर खंड के आमान परिवर्तन का कार्य 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1998-99 के निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत किया गया है।

निम्नलिखित खंडों को बहाल किया जा रहा है। निम्नलिखित खंडों पर पुलों की आवश्यक मरम्मत और कुछ नए निर्माण शुरू किए गए हैं:

1. कोसम्बा-उमरपाडा

2. अंकलेश्वर-झगडिया-राजपीपला

3. झगडिया-नतरंग

4. छोटा उदयपुर-बोडेली

5. दबहोई-तिम्बा रोड

*[अनुवाद]*

**प्लेटफार्मों का लेवल ऊंचा उठाना**

**472. श्री विकास चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसनसोल रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों के लेवल को ऊंचा उठाने और प्लेटफार्मों की लंबाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आसनसोल स्टेशन पर सभी 6 प्लेटफार्म उच्च सतह के हैं और उनकी लंबाई पर्याप्त है।

**केरल में रेल निर्माण इकाइयों की स्थापना**

**473. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल स्थित रेल निर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का केरल में और अधिक रेल निर्माण इकाइयां स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)**: (क) केरल में कोई निर्माण इकाई स्थित नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**रहामा और पारादीप के बीच दूसरी रेलवे लाइन बिछाना**

**474. श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में रहामा और पारादीप के बीच दूसरी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या थी;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(घ) इस कार्य के कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) 3735 लाख रु.।

(ग) अब तक 901 लाख रु. मुहैया कराए जा चुके हैं।

(घ) मिट्टी कार्य और छोटे-मोटे पुल संबंधी कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। कार्य को भावी वर्षों में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

**कैलाश मानसरोवर दुर्घटना**

**475. श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष कैलाश-मानसरोवर जाते हुए भू-स्खलन के कारण कितने यात्री/पर्यटकों की मृत्यु हुई;

(ख) प्राप्त शवों तथा पता न लगे शवों की संख्या क्या है;

(ग) यात्रियों के संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सावधान किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) घायल व्यक्तियों को दी गई राहत तथा मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और वर्ष 1999 के लिए क्या विशिष्ट सुरक्षात्मक योजना तैयार की गई है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग)** : (क) कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण 205 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा माल्पा हादसे से संबंधित उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस हादसे का शिकार 205 व्यक्ति हुए थे जिनमें 12वें बैच के 60 यात्री भी शामिल हैं। मलबे से केवल 46 लोगों को ही निकाला जा सका था। इनमें से 9 लोगों की पहचान 12वें बैच के यात्री के रूप में की गई थी।

(ग) और (च) बचाव और राहत कार्य जिला प्रशासन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सेना और वायुसेना जिसने बचाव कार्य के दौरान वायु सेवा मुहैया कराई थी, द्वारा किए गए थे। प्रधान मंत्री राहत कोष से इस हादसे के शिकार हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए) राहत-राशि के रूप में दिए जाने की घोषणा की गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसे के शिकार ऐसे व्यक्तियों के लिए एक लाख रुपए की राहत राशि दिए जाने की घोषणा की थी जो अपने परिवार के लिए एकमात्र आय के स्रोत थे तथा हादसे के शिकार ऐसे व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए) दिए जाने की घोषणा की थी जो परिवार के आश्रित थे। उपर्युक्त दोनों तरह की राहत-राशि के वितरण के लिए पिथौरागढ़ के जिलाधीश को वितरण अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा (राहत) कोष से 1,39,20,000 रुपए की राशि भी जिला प्रशासन को दी गई थी, जिसमें से 24,44,000 रुपए माल्पा हादसे के शिकार स्थानीय लोगों में वितरित किए गए हैं।

(घ) कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को (1) ग्रेस विज्ञप्ति जिसके द्वारा यात्रा हेतु नामांकन के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख था, यात्रा के दौरान खतरों से आगाह किया गया था:-

> "कैलाश मानसरोवर यात्रा अधिक कठिन है जिसके दौरान 19,500 फीट की दुर्गम चढ़ाई भी करनी होती है .... यात्रा ऐसे व्यक्तियों के लिए हानिकर साबित हो सकती है जो शारीरिक/डाक्टरी रूप से स्वस्थ नहीं हैं।"

(2) यात्रियों को यात्रा की शुरूआत के ठीक पहले दी जाने वाली हिदायतों के दौरान भी यात्रा के खतरों से दुबारा सावधान किया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) वर्ष 1998 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान हुई जानमाल की व्यापक हानि अप्रत्याशित थी। इसके अतिरिक्त इस वर्ष की यात्रा का प्रबंध पिछले वर्ष के हादसे के मद्देनजर किया गया है। यात्रा की लोकप्रियता को देखते हुए यात्रा के लिए एक विकल्प मार्ग के लिए प्रयास किया जा रहा है।

**ए.बी.बी. लोकोमोटिव का आयात**

**476. श्री महबूब जोहदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने स्वदेश निर्मित इंजनों को 2.93/3.98 करोड़ रुपये के मुकाबले मैसर्स ए.बी.बी., स्विटजरलैंड से प्रत्येक 30 ए.सी. 3 फेज वाले विद्युत इंजनों का 22 करोड़ रुपये में आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मैनुफैक्चर्र आहते में प्रोटोटाईप त्रुटियां मिलने के बावजूद फर्म को इस शर्त पर ईंजन भेजने की अनुमति दी गई कि भारत में इंजन प्राप्त होने के बाद 15 दिन के भीतर-भीतर उनकी त्रुटियों को ठीक कर दिया जाएगा;

(घ) क्या ये इंजन अपने परीक्षण में विफल रहे और कतिपय त्रुटियां अभी भी ठीक की जानी थी; और

(ङ) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और खराब इंजनों को स्वीकृत करने के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलों ने 22 करोड़ रुपए की लागत पर मैसर्स एबीबी, स्विटजरलैंड से 30 एसी तीन फेज के बिजली रेल इंजनों का आयात किया है। इस आयात में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में स्वदेशी तौर पर इन इंजनों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। ये रेल इंजन आधुनिकतम, ऊर्जा कुशल और पुनरूत्पादक ब्रेक, लगभग अनुरक्षण मुक्त कर्षण मोटर और उच्चतर आसंजन जैसी विशेषताओं से युक्त हैं, जिसका अर्थ है कि उच्चतम संतुलित गति से अधिक भार की ढुलाई द्वारा उच्चतर निफ्ज। स्वदेशी तौर पर विनिर्मित डब्ल्यूएपी 4/डब्ल्यूएजी 7 रेल इंजनों की मौजूदा लागत 3.4/3.6 करोड़ रुपए है जिसमें लाभ, उत्पादन शुल्क और विक्रय कर के तत्व शामिल नहीं हैं। इन रेल इंजनों का 1960 के युग की पुरानी टेप चैंजर प्रौद्योगिकी के साथ विनिर्माण किया जा रहा है, जो निम्नतर भार ढुलाई क्षमता के अलावा ऊर्जा अकुशल हैं और इनका गहन अनुरक्षण अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) परीक्षणों में तेजी लाने के लिए प्रोटोटाइप परीक्षणों के दौरान की गई टिप्पणियों के साथ रेल इंजनों को भेजे जाने की अनुमति दी गई थी। ऐसी सभी टिप्पणियों के संबंध में आशोधन कर दिए गए थे। इन रेल इंजनों को सफलतापूर्वक वाणिज्यिक सेवाओं में लगा दिया गया है और चालू करने/परीक्षण के दौरान पाई गई प्रारंभिक समस्याओं को दूर कर दिया गया है।

**चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का विस्तार**

**477. श्री सत्यपाल जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के विस्तार अथवा सुधार करने के लिए कतिपय निर्णय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) जी हां।

(ख) कोचिंग टर्मिनल के विकास, प्लेटफार्म लाइन सं. 1 तथा 4 पर धुलनीय एप्रैन और 2 एवं 3 पर सायंवान की व्यवस्था के कार्य 6.89 करोड़ रुपए की लागत पर पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

**रेलवे स्टेशनों का विकास**

**478. डा. जयन्ती रंगपी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को पूर्वोत्तर रेल के लमडिंग मंडल के अंतर्गत डिफू तथा बोकाजन रेलवे स्टेशनों को विकसित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) उक्त स्टेशनों पर यात्रियों के लिए कब तक उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) जी हां।

(ख) अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों के कारण प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने के अनुरोध को 1999-2000 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका था।

(ग) इन स्टेशनों पर यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराई गयी हैं। इन सुविधाओं की वृद्धि पर भविष्य में विचार किया जाएगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

*[हिन्दी]*

**सुजानपुर टीहरा में कम शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना**

**479. श्री सुरेश चन्देल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीहरा में स्थापित कम शक्ति ट्रांसमीटर तैयार है लेकिन अब तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका उद्घाटन कब तक हो जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुख्तार नकवी )** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सुजानपुर स्थित अल्पशक्ति ट्रांसमीटर पहले ही बिना औपचारिक उद्घाटन के 12.10.1998 को चालू कर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**सिंगापुर को भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण सुविधाएं**

**480. श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर को भारतीय नौवहन प्रशिक्षण सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करने हेतु भारत और सिंगापुर के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) सिंगापुर को भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने से भारत के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री ( श्री जॉर्ज फर्नान्डीज )** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**पटना-गुवाहाटी क्षेत्र में विमान उड़ान**

**481. श्री राजो सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना-गुवाहाटी तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर राज्यों की राजधानियों में विमान उड़ानों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा विमान उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने तथा वहां नई सेवाएं शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री ( श्री अनंत कुमार )**: (क) और (ख) प्रचालक मार्ग वितरण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अध्याधीन यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

इसी बीच विमानपत्तन आधारिक संरचना में सुधार लाने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर विमान संपर्क स्थापित करने के लिए जांच और सिफारिश करने हेतु एक कृतक बल का गठन किया गया है।

**भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गुजरात में व्यय की गई धनराशि**

**482. श्री जयसिंहजी चौहान** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गुजरात में वर्षवार कितना लाभार्जन किया गया;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्य में अपनी इकाइयों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की गई है या तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ओमाक आपांग )** : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की गुजरात में कोई परिसम्पत्ति नहीं है। तथापि यह साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में पर्यटन

मंत्रालय की ओर से एक ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन का प्रबंध कर रहा है। इस पर उठाई गई वर्ष-वार हानि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

| वर्ष | शुद्ध हानि |
|---|---|
| 1995-96 | 5.80 लाख रुपए |
| 1996-97 | 6.25 लाख रुपए |
| 1997-98 | 7.35 लाख रुपए |

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की 1998-99 की वार्षिक योजना में गुजरात राज्य में कोई नई परियोजना प्रारम्भ करने के लिए कोई विशिष्ट योजना/प्रावधान शामिल नहीं है।

*[अनुवाद]*

## श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के लिए दैनिक पारिश्रमिक की दर

**483. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार एवं राज्य सरकारों ने श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के लिए आज तक कितना न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक में वृद्धि करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** (क) से (घ) केवल अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है तथा ये दरें विभिन्न श्रेणी के कामगारों यथा अकुशल, अर्द्धकुशल तथा अति कुशल कामगारों पर लागू होती हैं। केन्द्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी का सूचकांक तैयार करने का निर्देश सभी राज्य सरकारों को पहले ही दे चुकी है ताकि कामगारों की मजदूरी पर मुद्रास्फीति का प्रभाव न पड़े। केन्द्रीय क्षेत्र के तहत सभी अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाता है तथा इसके ब्यौरेवार विवरण संलग्न हैं।

***विवरण***

***वे अनुसूचित नियोजन जिनके लिये केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है***

| क्र.सं. | नियोजन का नाम | निम्नतम मजदूरी पाने वाले कर्मकार के लिए न्यूनतम मजदूरी* |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | कृषि | रु. 68.40 |
| 2. | सड़कों का निर्माण तथा रखरखाव अथवा निर्माण कार्य | रु. 42.02 |
| 3. | पत्थर तोड़ा तथा पत्थर कूटना | रु. 42.02 |
| 4. | इमारतों का रख रखाव | रु. 42.02 |
| 5. | रेलवे का निर्माण तथा रखरखाव | रु. 42.02 |
| 6. | जिप्सम खानें | -वही- |
| 7. | बैराइट्स खानें | -वही- |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | बाक्साइट खानें | रु. 42.02 |
| 9. | मैंगनीज खानें | –वही– |
| 10. | चीनी मिट्टी की खानें | –वही– |
| 11. | कायनाइट खानें | –वही– |
| 12. | ताम्बा खानें | –वही– |
| 13. | क्ले खानें | –वही– |
| 14. | पत्थर खानें | –वही– |
| 15. | व्हाइट क्ले खानें | –वही– |
| 16. | गेरू की खानें | –वही– |
| 17. | फायर की खानें | –वही– |
| 18. | सेलखड़ी (सेलखड़ी तथा पाउडर) खानें | –वही– |
| 19. | एस्बेसटस खानें | –वही– |
| 20. | क्रोमाइट खानें | –वही– |
| 21. | क्वार्टजाइट खानें | –वही– |
| 22. | क्वार्टज खानें | –वही– |
| 23. | सिलिका खानें | रु. 42.02 |
| 24. | मैगेनेसाइट खानें | –वही– |
| 25. | ग्रेफाइट खानें | –वही– |
| 26. | फेल्सपार खानें | –वही– |
| 27. | रेड आक्साइड खानें | –वही– |
| 28. | लेटेराइट खानें | –वही– |
| 29. | डोलोमाइट खानें | –वही– |
| 30. | लौह अयस्क खानें | –वही– |
| 31. | ग्रेनाइट खानें | –वही– |
| 32. | वोल्फार्म खानें | –वही– |
| 33. | मैग्नेसाइट खानें | –वही– |
| 34. | राक फास्फेट खानें | –वही– |
| 35. | हेमेटाइट खानें | –वही– |
| 36. | रेलवे माल शेडों में सामान का लादना-उतारना | रु. 43.31 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 37. | रेलवे में राख-गड्ढों को साफ करना | रु. 43.31 |
| 38. | संगमरमर तथा कैप्साइट खानें | रु. 42.02 |
| 39. | यूरेनियम खानें | –वही– |
| 40. | अभ्रक खानें | –वही– |

*न्यूनतम मजदूरी में विशेष भत्ते का घटक भी शामिल है, जिसे 1.10.98 को संशोधित किया गया था।

*[हिन्दी]*

## प्रसंस्कृत फलों का उत्पादन

**484. श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
**श्री कान्तिलाल भूरिया :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों का उत्पादन, पिछले दो वर्षों की तुलना में कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में काम कर रही फल तथा सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों की राज्य-वार और स्थान-वार संख्या तथा इसकी आकलित अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(घ) देश में प्रसंस्कृत फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) फल प्रसंस्करण-प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(च) प्रशिक्षण-केन्द्रों को स्थापित करने के लिए स्थान के चुनाव में क्या मापदण्ड अपनाया जाता है; और

(छ) इन प्रशिक्षण-केन्द्रों द्वारा अतिरिक्त रोजगार के कितने अवसरों का सृजन हुआ है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) और (ख) प्रसंस्कृत फल और सब्जियों का 1996, 1997 और 1998 के दौरान क्रमश: 9.6 लाख टन, 9.1 लाख टन तथा 9.4 लाख टन उत्पादन हुआ।

(ग) फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत लाइसेंस प्राप्त फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की कुल संख्या 1.1.99 की स्थिति के अनुसार 5112 थी और इनकी स्थापित क्षमता 20.8 लाख टन थी। विभिन्न राज्यों में स्थित इन यूनिटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और फल सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ अपनी योजना स्कीमों के तहत फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं विशेष रूप से कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक सम्पदा/पार्कों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्योगों आदि को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु स्थान के चयन के लिए मंत्रालय द्वारा कोई निश्चित मापदंड नहीं अपनाए जाते क्योंकि स्कीम राज्य विशेष नहीं है। यह कहा जा सकता है कि मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से इन केंद्रों की स्थापना नहीं करता। यह ग्रामीण लोगो के लाभ के वास्ते इन केंद्रों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों समेत विभिन्न संगठनों को केवल सहायता देता है।

(छ) प्राप्त सूचना के अनुसार इन प्रशिक्षण केंद्रों में कुल 6163 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। उनमें से 312 अपने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित कर चुके हैं।

*विवरण-I*

*01.01.1999 के अनुसार विभिन्न राज्यों में स्थित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या और स्थापित क्षमता का अलग-अलग विवरण*

| राज्य का नाम | यूनिटें | क्षमता (टन में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अंडमान एवं निकोबार | 3 | 450 |
| आंध्र प्रदेश | 314 | 305640 |
| अरूणाचल प्रदेश | 3 | 520 |
| असम | 27 | 1030 |
| बिहार | 59 | 43170 |
| चण्डीगढ़ | 55 | 12640 |
| दादर एवं नगर हवेली | 7 | 3120 |
| दिल्ली | 317 | 35380 |
| गोवा, दमण एवं दीव | 164 | 6120 |
| गुजरात | 280 | 161370 |
| हरियाणा | 159 | 71720 |
| हिमाचल प्रदेश | 99 | 11140 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 85 | 8220 |
| कर्नाटक | 265 | 309200 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| केरल | 395 | 78230 |
| मध्य प्रदेश | 104 | 39760 |
| महाराष्ट्र | 961 | 366840 |
| मणिपुर | 10 | 1330 |
| मेघालय | 15 | 650 |
| मिजोरम | 3 | 150 |
| नागालैंड | 5 | 810 |
| उड़ीसा | 44 | 2590 |
| राजस्थान | 114 | 6970 |
| पांडिचेरी | 14 | 350 |
| पंजाब | 314 | 71510 |
| सिक्किम | 3 | 2380 |
| तमिलनाडु | 170 | 272690 |
| त्रिपुरा | 4 | 2240 |
| उत्तर प्रदेश | 513 | 195990 |
| प. बंगाल | 306 | 67790 |
| कुल | 5112 | 2080000 |

*विवरण-II*

*1992 से 19.02.1999 की अवधि के दौरान सहायता प्रदत्त खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | सहायता प्रदत्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 | शलेवरम (कृष्णा जिला), जडचेरला (महबूबनगर) |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 2 | पश्चिम सिआंग, दायमुख |
| 3. | असम | 23 | उलूबारी, मागांव, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, सिलचर, कोकराझार, मंगलदोई, बोन्दा, चंद्रपुर बगीचा, तेजपुर, जागी, तमालपुर, ढींग, रंगीया, धुब्री, हॉली, बेल्टोला (गुवाहाटी) मझगांव जिला, टोपाटोली, सोनापुर, चमाटा, मोरीगांव (एमपी), मंगोलदोई (एमपी)। |
| 4. | बिहार | 22 | कटिहार (भोजपुर), पटना-4, रांची, अंगारा, गुमला-2, गोत्रा, तोरपा-2, दुमका, साहिबगंज, लुम्बई, बड़ाद्वारी, चांडल, भण्डारा, चक्रधरपुर, आसनसोल, देवधर, सुधानगर (मुजफ्फरपुर), सुतीहार नवादा (सोनरक्षपुर)। |
| 5. | दिल्ली | 6 | दिल्ली कैंट, बुराड़ी गांव, हस्तसल, बपरोला, पटपड़गंज, कंझावला। |
| 6. | गोवा | 1 | गोवा के वी आई बोर्ड। |
| 7. | गुजरात | 3 | गनदेवी, जूनागढ़, बारदोली। |
| 8. | हरियाणा | 9 | करनाल-2, मुरूथल, अमोआला, सिरसा, नारनौल, सोनीपत, गुड़गांव-2 । |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 8 | शोगी, कन्रेल, कल्पा, भुन्तर, फैग, चम्बा, शिमला हिल्स, टराड। |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 8 | कठुआ, कुपवाड़ा, श्रीनगर-2, राजौरी, अनंतनाग, फुलवामा, उधेवाला। |
| 11. | कर्नाटक | 11 | बेलगांव-3, बीदर, हब्बल, जुलकोटी, अराभावी, गुलबर्गा, गोनीकोप्पल, मुदीगोरे, बंगलौर। |
| 12. | केरल | 5 | वेल्लेनाई, वेल्लानीक्करा, कन्नूर, चंगनचेरी, नरीक्कुनी। |
| 13. | महाराष्ट्र | 6 | धानु, नासिक, वर्धा, लातूर. इंदिरा नगर, चाकन। |
| 14. | मध्य प्रदेश | 5 | भोपाल, सतपुड़ा, जबलपुर-3 । |
| 15. | मणिपुर | 3 | पोरोम्पाट, तामेई, टॉनसेम। |
| 16. | मिजोरम | 7 | ऐंजल, सैरांग, बैरेंग्टा, खावजेव्ल, छिंगछिप, लुंगलेई, लॉनगुलाई। |
| 17. | मेघालय | 1 | शिलांग। |
| 18. | नागालैंड | 2 | दीमापुर, कोहिमा। |
| 19. | उड़ीसा | 55 | नयागढ़-2, केन्द्रपाड़ा जिला, गजपति, लक्ष्मीपुर, पोन्वदा, तंगारपाली, गांधीनगर, तिकारपाड़ा, कालाहांडी, काशीहारपुर तश्कोविन्दपुर, सुन्दरगढ़, क्योंझर, तोयापुट पंपोश, ओडिवापेंट, आश्रयगढ़, बालांगीर बालातोर, सिगमापुर, ढेंकनाल, मुनींदा, भुबानी, कटक, पुरी-2, गन्जम, सम्बलपुर, सनकुमारी, देवीद्वार, महिमागढ़ी, देवगण (ढेंकनाल), भद्रक, सान्नाकुम्री, किशोरनगर, कटक, जगतसीनगपुर, जतनी, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | ओडागांव, चान्दीपुर, कुआरमीन्डा, बालीसाही, प्रधानपोल्ली, होशिंगा, विरासत नीलगिरि, आनलीलोलि, न्यू जम्पोशी, अरूतान, बेलापडियापटना, रसूलगढ़, सरिऑन, बरिदा, ढेंकनाल। |
| 20. | पंजाब | 2 | चौनीकाल्पन, पटियाला। |
| 21. | राजस्थान | 2 | जयसमन्द, उदयपुर। |
| 22. | तमिलनाडु | 22 | जवारपुरम, सूरापट्टू, नल्लमनारकोट्टी, तूतीकोरिन, तिरूप्पाट्टूर, मद्रास, तिरूचेनगोड्, मदुरई-2, समातुबापुरम, त्रिची, पलानीअप्पा नगर, वालूतरेड्डी, वेलींगटन, दमचीकुलम, चेंगई, शिवगंगई, वदारल्ली, वलयतुर। |
| 23. | त्रिपुरा | 2 | अगरतला-2 । |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 58 | रामनगर, रामगढ़, देवरीसा, इलीया, सुल्तानपुर, मधुपुर, अमेठी-2, हल्द्वानी, गाजीपुर, हरदोई, इलाहाबाद-5, लखनऊ-5, मेरठ, शर्तपुर, चैल, सहारनपुर, फैजाबाद-2, गोरखपुर, बस्ती, बरेली, सीतापुर, अवतारपुर, लैंसडाउन, रानीखेत, फतेहगढ़, सोनभद्र, लालगोपालगंज गांव, रायबरेली, तन्कुही राज, कालाकांकर, आर्यनगर, सिर्डो, आदर्शनगर, कप्सेठी, कौंधीधारा, फतहपुर, रायबरेली, मऊ, फतेहपुर, देवकाली, समलपुर, सओरा-भरोसा रायबरेली, विकेशपुरम, महमूदपुर। |
| 25. | प. बंगाल | 12 | बरूईपुर, माल्दा-2, हावड़ा, बर्दवान, उत्तरी चौबीस परगना, झारग्राम, बेलपठारी, दक्षिण चौबीस परगना, इच्छापुर, कल्याण, कृष्णानगर। |
| 26. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 1 | डिगलीपुर। |
| | कुल | 275 | |

**उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र**

**485. श्री मित्रसेन यादव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में कुल कितने "खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों" की स्थापना की गयी है और तत्संबंधी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (टी.आर.डी.ए.) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास विभाग के बीच किसी प्रकार का समन्वय स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र की क्या उपयोगिता है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 में ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति विकास स्कीम की शुरूआत से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कुल 58 खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों को मंजूरी दी गई है। आज की तारीख में इनमें से 26 केंद्रों में काम शुरू हो चुका है।

मंत्रालय इन उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्रों की स्वयं स्थापना नहीं करता बल्कि इनकी स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के संगठनों, सहकारिताओं, स्वायत्त निकायों, शैक्षिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देता है।

विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों को चालू करने और उन पर निगरानी रखने के लिए मंत्रालय ने राज्य नोडल एजेंसी द्वारा राज्य स्तर की एक मॉनीटरिंग समिति के गठन की व्यवस्था की है। इस मॉनीटरिंग समिति में मंत्रालय भी प्रतिनिधित्व करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों को कारगर ढंग से चालू करने और उनके उत्पादन तथा प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में काम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने जल्दी ही निगरानी समिति के गठन के लिए संबंधित क्षेत्र में लागू स्कीमों और अन्य ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए सभी नोडल एजेंसियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त जनशक्ति को स्वरोजगार मिल सके और खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिल सके।

खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित स्कीम एक लघु प्रसंस्करण यूनिट के प्रबंधन एवं प्रचालन की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करती है। प्रशिक्षु बही-खाते तैयार करने, उत्पादन, गुणवत्ता परीक्षण और उत्पादों की बिक्री आदि जैसे विभिन्न कार्यों में भाग लेते हैं।

*[अनुवाद]*

**एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स हेतु नया निदेशक मण्डल**

**486. श्री पी.सी. थॉमस** :
**श्री सुशील कुमार शिन्दे** :
**डा. सुशील इन्दौरा** :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मण्डल को भंग कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संबंधित निदेशक मण्डलों ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है और क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के प्रशासन हेतु किसी नए निदेशक मण्डल का गठन किया गया है;

(घ) इससे व्यय में कुल कितनी बचत होने की संभावना है; और

(ङ) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कार्यों के बेहतर समन्वय हेतु अपनाई गई नई योजना का ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) से (घ) सरकार ने इन्डियन एयरलाइन्स लि. तथा एयर इंडिया लि. के बोर्डों का पृथक-पृथक पुनर्गठन किया है क्योंकि दोनों विमान-कंपनियों के अपने स्वयं के संगठनात्मक प्रचालनात्मक तथा प्रकार्यात्मक नीति विचार हैं तथा ये अलग विपणन माहौल में कार्य करते हैं। इस कदम से विमान कंपनियों की प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।

(ङ) संसाधनों की उपयोगिता को अनुकूल बनाने तथा प्रचालनात्मक और वित्तीय कुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से

सरकार ने दिसंबर, 1998 में दोनों विमान कंपनियों को निम्न की सलाह देते हुए एक दिशा निर्देश जारी किया है:-

(1) समयावली को युक्तिसंगत बनाना।

(2) समान दर वाले किराए का निर्धारण करना।

(3) कोड-शेयर प्रबंध का विस्तार करना।

(4) यथासंभव समान कार्यालयों/सामान्य विक्रय अभिकर्ताओं को बनाए रखना।

(5) चालू विपणन दरों पर एक-दूसरे तक/से क्षमता को लीज पर दिए जाने और लीज समाप्त किये जाने की संभावना का पता लगाना।

(6) संयुक्त विज्ञापन संवर्द्धन तथा विपणन क्रिया-कलापों को शुरू करना और उड़ानों तथा संबद्ध क्रिया-कलापों की समन्वित ग्राउन्ड हैंडलिंग।

**प्रचार माध्यमों में मदिरा के बारे में विज्ञापन**

**487. श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलैक्ट्रोनिक माध्यमों तथा समाचार माध्यमों में मदिरा के बारे में विज्ञापनों की संख्या में हुई वृद्धि से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विज्ञापनों को विनियमित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन शराब से संबंधित कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं करते तथापि सरकार को प्रिन्ट मीडिया में इस प्रकार के विज्ञापनों की वृद्धि की जानकारी नहीं है। तथापि, विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रम देश से बाहर से अपलिंक किए जाते हैं और इसलिए वर्तमान में भारतीय कानूनों की परिधि में नहीं आते हैं जब तक कि उनके अभिग्रहण के लिए डिकोडर अपेक्षित न हों।

(ख) और (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन की अपनी वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शराब से संबंधित विज्ञापनों के प्रसारण को निषेध किया गया है। प्रेस के मामले में सरकार इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के उद्देश्य से हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण करती है। तथापि, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने और समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार करने हेतु स्थापित एक स्वायत्तशासी सांविधिक निकाय भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता आचरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों को दूर रखा गया है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए केवल कानून में कुछ संशोधन करने संबंधी कार्रवाई की है कि स्वतंत्र चैनलों को पुन: ट्रांसमिट करने वाले केबल आपरेटरों द्वारा भी केबल कानून की कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन किया जाए।

**कलकत्ता विमानपत्तन का विस्तार**

**488. श्री सुनील खां** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता विमानपत्तन के विस्तार और विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली और मुम्बई की तरह ही विस्तार और विकास कार्य करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कलकत्ता विमानपत्तन पर निम्नलिखित विकास कार्य हाथ में लिये हैं:-

(1) अंतर्देशीय टर्मिनल के लिए तीसरे एयरोब्रिज और सिक्योरिटी होल्ड पर कार्य समाप्ति के सन्निकट है।

(2) अन्तर्देशीय प्रचालनों के लिए पहले से चिंहित क्षेत्र को अन्तरराष्ट्रीय प्राचलनों में परिवर्तित करने हेतु पुराने टर्मिनल भवन का परिवर्धन/नवीकरण। इससे अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन की क्षमता के वृद्धि होगी।

(3) यात्रियों को सुगमता से विमान में आने और जाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय भवन में एयरोब्रिजों की व्यवस्था की जा रही है।

(4) बे और टैक्सी ट्रैक के पुन:निर्माण का कार्य भी हाथ में है।

**कश्मीर घाटी तक रेल-मार्ग का विस्तार**

**489. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊधमपुर-बारामूला रेलमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके लिए व्यय की गई राशि और इसे आवंटित की गई निधि कितनी है;

(ख) क्या काजीगुण्ड को रेलमार्ग द्वारा बारामूला से जोड़ने की केंद्र की योजना है;

(ग) यदि हां, तो इस पर किए जा रहे कार्य की प्रगति, निधि का आबंटन तथा अभी तक किया गया व्यय कितना है;

(घ) क्या निधि के अभाव को पूरा करने के लिए कोंकण रेलवे निगम की ही भांति एक संकाय बनाने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कश्मीर घाटी परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक )** : (क) ऊधमपुर-कटरा खंड में निर्माण संबंधी कार्रवाई पूरे जोरों पर है। कटरा-क्वाजीगुंड के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। क्वाजीगुड-बारामूला के बीच अंतिम संरेखण की सीमाबंदी संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। श्रीनगर स्टेशन की इमारत के निर्माण के लिए ठेका दिया जा चुका है। वर्षवार आवंटित निधि और अभी तक हुआ खर्च निम्न प्रकार है:-

| वर्ष | आवंटन | व्यय (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1994-95 | 0.20 | 0.20 |
| 1995-96 | 1.00 | 0.99 |
| 1996-97 | 17.50 | 17.53 |
| 1997-98 | 59.74 | 59.72 |
| 1998-99 | 75.00 (परिव्यय) | |

(ख) जी हां।

(ग) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध होने पर ही कार्य शुरू होगा। ऊधमपुर-श्रीनगर बारामूला पूरी परियोजना के लिए आवंटित निधियां ऊपर दर्शाई गई हैं। निधियां खंडवार आवंटित नहीं की जाती हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में परियोजना पूरी होगी।

**बाल श्रम**

**490. श्री अजय कुमार एस. सरनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु एक गैर सरकारी संगठन अर्थात् साउथ एशियन कोअलिशन ऑन चाइल्ड सर्विटयूड "बचपन बचाओ आंदोलन" द्वारा कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**मुम्बई में इंजन ओवरहाल वर्कशाप**

**491. श्री मदन पाटील** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने हाल ही में मुंबई में एक नई इंजन ओवरहॉल वर्कशाप शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसी वर्कशाप शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया ने दिनांक 14.1.99 को एअर इंडिया के विमानों पर संस्थापित वृहद टर्बोफिन इंजनों की ओवरहालिंग और मरम्मत संबंधी एक नई इंजन ओवरहाल सुविधा चालू कर दी है। इस सुविधा में एक समय में 10 से 12 ऐसे इंजनों का संचालन करने की क्षमता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**रक्षा संबंधी गुप्त सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अध्ययन**

**492. श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों के क्षेत्रों में कार्यरत अमेच्चयोर प्राइवेट रेडियो/वायरलेस आपरेटर्स रक्षा प्रतिष्ठानों/प्रयोगशालाओं से सम्प्रेषित संदेशों/रक्षा संबंधी आंकड़ों को आसानी से बीच में ग्रहण कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो रक्षा संबंधी गुप्त सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए रक्षा प्रतिष्ठानों के इर्द-गिर्द कार्यरत रेडियो/वायरलेस स्टेशनों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) रेडियो संदेशों को बीच में ग्रहण करना तकनीकी तौर से संभव है।

(ख) से (घ) संवेदनशील संदेशों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सभी तरह की एहतियात बरती जाती है। उन ब्यौरों को प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

**गृह पत्रिकाओं में लेखकों को प्रोत्साहन देना**

**493. श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस में अपनी इन-हाउस पत्रिकाओं के लिए देश के विभिन्न भागों के लेखकों तथा छायाकारों को उनकी सामग्री स्वीकार नहीं कर उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन युवा उद्यमियों, कलाकारों तथा छायाकारों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) और (ख) "इन-हाउस" पत्रिकाएं मूलत: संगठन, इसके क्रियाकलापों और कर्मचारियों से संबंधित हैं। इसलिए कुल मिलाकर सामग्री संगठन के भीतर से ही जुटाई जाती है। तथापि समय-समय पर प्रसिद्ध लेखकों तथा फोटोग्राफरों की सामग्री को इन-हाउस पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ स्वीकृत करके अवसर दिया जाता है।

**विमानपत्तन नियामक प्राधिकरण**

**494. श्री माधव राव पाटील** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोई विमानपत्तन नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) जी, हां। विमानपत्तन आधारिक संरचना संबंधी नीति में टैरिफ दरों के निर्धारण, स्लाट-आवंटन हवाई यातायात नियंत्रकों की कार्य प्रणाली, विमानपत्तनों में स्थान आवंटन तथा इसी प्रकार की शिकायतों के संबंध में जांच-पड़ताल करने के लिए नियामक तंत्र संबंधी आवश्यकता को मान्यता दी गई है। प्रस्तावित विमानपत्तन नियामक प्राधिकरण में नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, विमानपत्तन तथा विमान कंपनी प्रचालकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की संभावना है।

## रक्षा मंत्री की फ्रांस यात्रा

495. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**
**श्री डी.एस. अहिरे :**
**डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्री ने हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा संबंधी सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए फ्रांस की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश आपस में दीर्घकालीन सैन्य संबंध बनाने जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी हां।

(ख) फ्रांस के रक्षा मंत्री के आमंत्रण पर रक्षा मंत्री 11-14 जनवरी, 1999 को फ्रांस गए थे। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच परस्पर संबंधों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। इनमें विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामलों के साथ-साथ परस्पर हित के प्रादेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी शामिल किया गया। रक्षा मंत्री ने फ्रांस के प्रधान मंत्री, परिवहन एवं आवास मंत्री, राष्ट्रीय असेम्बली के रक्षा आयोग के अध्यक्ष, भारत-फ्रांस फोरम के सह-अध्यक्ष, सीनेट के आर्थिक आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ बैठकें करने के अतिरिक्त फ्रांस की सैन्य स्थापनाओं का भी दौरा किया।

(ग) और (घ) भारत और रूस दोनों ही दीर्घकालिक संदर्भ में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग देख रहे हैं, जिनमें सामरिक वार्ता, रक्षा आपूर्तियां, रक्षा अनुसंधान और उत्पादन तथा दोनों पक्षो की सशस्त्र सेनाओं के बीच संबंध भी शामिल हैं। ऐसे पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं कि परस्पर बढ़ती जा रही समझ-बूझ और एक-दूसरे देश की सुरक्षा चिन्ताओं तथा प्राथमिकताओं को समझते हुए दोनों देशों के बीच इन सभी क्षेत्रों में समवर्ती प्रगति होगी।

## प्रक्षेपास्त्रों का प्रक्षेपण

496. **श्री कमल नाथ :**
**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :**
**श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
**श्री महेश कनोडिया :**
**श्री तथागत सत्पथी :**
**श्री दत्ता मेघे :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की मध्य दूरी के इंटरमीडिएट प्रक्षेपास्त्र अग्नि और नौसेना के काम आने वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के अन्य रूप धनुष के निर्धारित परीक्षण कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण कब किए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) और (ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अग्नि और धनुष का परीक्षण किए जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था।

(ग) ऐसे ब्यौरे पहले से प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

*[हिन्दी]*

## राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

497. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिन्दी भाषा के राजभाषा के रूप में 14 सितंबर, 1999 को पचासवें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष में वर्ष 1999 को विशेष रूप से स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) जी नहीं। श्रम मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**जैट विमानों का स्वदेशी उत्पादन**

**498. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**डा. अशोक पटेल :**
**श्री के.पी. नायडू :**
**श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जल्दी ही सौ सीटों वाले यात्री जैट विमानों का देश में ही उत्पादन शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यात्री जैट विमानों के उत्पादन पर आने वाली सम्भावित लागत कितनी है;

(घ) क्या यात्री विमान में इस्तेमाल होने वाले सभी पुर्जे स्वदेशी होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक विमान की लागत कितनी है और प्रतिवर्ष देश में कितने विमानों का उत्पादन किये जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) से (ङ) जेट इंजनों वाले 100 सीटों के यात्री विमानों के स्वदेशी निर्माण संबंधी कार्यक्रम अभी वैचारिक स्तर पर है।

*[अनुवाद]*

**नौसेना का विस्तार**

**499. कर्नल सोनाराम चौधरी :**
**श्री गुरूदास कामत :**
**श्री तारिक अनवर :**
**श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को विकसित देशों के समतुल्य करने हेतु बनाई गई योजना, उसके अंतिम रूप और उसे लागू करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय नौसेना देश की रक्षा योजनाओं की प्राथमिकता सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा भारतीय नौसेना की वर्तमान आवश्यकताओं और कमियों के बारे में गहन विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कमियों को दूर करने हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) बेड़े का आधुनिकीकरण तथा उसमें समुचित वृद्धि सतत् रूप से की जाती है ताकि उसे अप्रचलित प्रौद्योगिकी और संख्या में कमी से बचाया जा सके तथा उसे उन्नत देशों के अधुनातन बेड़ों के अनुरूप रखा जा सके। इस संबंध में आगे और सूचना प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नौसेना अपनी सेवाओं की उपलब्ध संख्या तथा चालू प्रौद्योगिकी दोनों ही दृष्टि से नियमित पुनरीक्षा करती है। मौजूदा पोतों को प्रतिस्थापित करने और बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने हेतु सरकार ने अनेक नई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ङ) रक्षा गोदियों में नए विध्वंसकों/फ्रिगेटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) माझगांव डॉक लि., मुम्बई में दो विध्वंसकों का निर्माण किया जा रहा है। एक विध्वंसक पहले ही चालू कर दिया गया है।

(2) गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि., कलकत्ता में तीन फ्रिगेटों का निर्माण किया जा रहा है।

(3) हाल ही में, माझगांव डाक लि., मुम्बई को तीन फ्रिगेटों का निर्माण करने का आर्डर दिया गया है।

मौजूदा बेड़े को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने तीन फ्रिगेटों और दो पनडुब्बियों का आयात करने का अनुमोदन कर दिया है। ऐसी एक पनडुब्बी अब चालू कर दी गई है।

**न्यूनतम मजदूरी**

500. **श्री विकास चौधरी :**
**श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :**
**श्री बसुदेव आचार्य :**
**श्री सुनील खां :**
**श्री अजय मुखोपाध्याय :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के बावजूद अनेक राज्य सरकारों ने मजदूरी सूचीकरण प्रणाली लागू नहीं की हैं, यद्यपि अनेक राज्य सरकारों ने सिद्धांत रूप से सूचीकरण प्रणाली को स्वीकार कर लिया है तथापि वे नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी को अद्यतन नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों के नाम क्या हैं, जहां जून 1990 से उपरोक्त मजदूरी लागू कर दी गई हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध कर दिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के कारण किए गए बढ़े हुए भुगतान को परिवर्ती महंगाई भत्ता कहा जाता है। न्यूनतम मजदूरी के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का भुगतान करने वाले और न करने वाले राज्यों की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। जून 1990 से न्यूनतम मजदूरी के संचलन से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

***विवरण***

*अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में अकुशल कर्मचारी के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें*

(1.10.98 को संकलित)

| क्र.सं. | राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नाम | मजदूरी की न्यूनमत दर और पिछले संशोधनों की तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | राज्य | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 16.00 रुपये से 42.40 रु. प्रति दिन (9.8.96) | रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं। |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 35.60 रु. से 37.60 रु. प्रति दिन (1.1.98) | रोजगार और क्षेत्रों के अनुसार दरें भिन्न हैं। |
| 3. | असम | 32.80 से 49.10 रु. प्रति दिन (1.4.95) | रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 38.61 रु. से 51.00 रु. प्रति दिन (21.12.95) | रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं |
| 5. | गोवा | 21.00 रु. से 93.00 रु. प्रति दिन (1.4.97) | -वही- |
| 6. | गुजरात | 34.00 रु. से 77.80 रु. प्रति दिन (25.4.97) | -वही- (जोन के अनुसार) |
| 7. | हरियाणा | 63.50 रु. से 57.51 रु. प्रति दिन (1.1.95) | कृषि के अलावा सभी रोजगारों के लिए एकल दर |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 26.00 रु. से 45.75 रु. प्रति दिन (1.3.96) | चाय बागान के लिए, अन्य सभी रोजगारों के लिए |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 30.00 रु. प्रति दिन (13.3.95) | सभी रोजगारों के लिए एकल दर |
| 10. | कर्नाटक | 26.00* रु. से 56.50 रु. प्रति दिन (17.12.96) | रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार) |
| 11. | केरल | 19.50* रु. से 114.16 रु. प्रति दिन (25.10.96) | -वही- |
| 12. | मध्य प्रदेश | 26.46 रु. से 55.19 रु. प्रति दिन* (6.2.97) | रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं |
| 13. | महाराष्ट्र | 9.25* रु. से 85.95 रु. प्रति दिन (6.12.96) | रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | मणिपुर | 44.65* रु. प्रति दिन (मैदानी क्षेत्रों के लिए) 49.50 रु. प्रति दिन (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) (8.7.95) | सभी रोजगारों के लिए दोहरी दरें पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी प्रत्येक के लिए एक |
| 15. | मेघालय | 35.00 रु. प्रति दिन (1.1.95) | सभी रोजगार के लिए एकल दर |
| 16. | मिजोरम | 45.00 रु. प्रति दिन (10.7.97) | -वही- |
| 17. | नागालैंड | 25.00 रु. प्रति दिन (6.7.92) | -वही- |
| 18. | उड़ीसा | 30.00 रु. प्रति दिन (15.8.96) | -वही- |
| 19. | पंजाब | 58.07 रु. से 60.62 रु. प्रति दिन (1 7.95) | -वही- (कृषि को छोड़कर) |
| 20. | राजस्थान | 44.00 रु. प्रति दिन (19.11.97) | सभी रोजगार के लिए एकल दर |
| 21. | सिक्किम | -शून्य- | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अभी लागू और प्रवर्तित किया जाना है। |
| 22. | तमिलनाडु | 22.40 रु. से 79.00* रु. प्रति दिन (1.4.97) | रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार) |
| 23. | त्रिपुरा | 17.70 रु. से 36.00* रु. प्रति दिन (29.8.96) | -वही- |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 42.02 रु. से 64.21* रु. प्रति दिन (31.10.96) | -वही- |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 25.47 रु. से 72.00* रु. प्रति दिन (1.1.97) | -वही- |
| 26. | अण्डमान और निकोबार | 37.00 रु. से 40.00 रु. (15.8.94) | -वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | चण्डीगढ़ | 58.06 रु. से 60.15* रु. प्रति दिन (4.11.95) | सभी रोजगारों के लिए एकल दर (कृषि को छोड़कर) |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | 35.00 रु. से 40.00 रु. प्रति दिन (18.5.95) | रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (ज़ोन के अनुसार) |
| 29. | दमण और दीव | 40.00 रु. प्रति दिन (24.8.98) | सभी रोजगार के लिए एकल दर |
| 30. | दिल्ली | 74.50 रु. प्रति दिन (15.2.94) | -वही- |
| 31. | लक्षद्वीप | 41.46 रु. प्रति दिन (1.1.96) | -वही- |
| 32. | पांडिचेरी | 19.25 रु. से 40.20 रु. प्रति दिन (24.7.95) | कृषि कर्मकारों के लिए दरें |
| II. | *केन्द्रीय सरकार | 42.02 रु. से* 75.40 रु. प्रति दिन (12.7.94) | कृषि को छोड़कर रोजगार के अनुसार (क्षेत्रों के अनुसार) दरें भिन्न हैं। |

टिप्पणी : 1. *राज्य में कुछ अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

2. कॉलम (3)के अंतर्गत कोष्ठक में दी गई तिथि अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी में पिछले संशोधन की तिथि है।

*[हिन्दी]*

**मध्य प्रदेश के धार और बदवानी जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्र**

**501. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के धार और बदवानी जिलों में स्थापित दूरदर्शन रिले केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार की इन जिलों में नए रिले केन्द्रों की स्थापना संबंधी कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुख्तार नकवी )** : (क) से (ग) 1991 की जनगणना के अनुसार, बदवानी मध्य प्रदेश के पहले वेस्ट निमाड जिले में पड़ता है जहां खरगौन स्थित अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहा है। अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों में टी.वी. सेवा का और विस्तार करने के विचार से, वेस्ट निमाड़ जिले में बदवानी एवं सिंधवा में एक-एक अर्थात दो और अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा धार जिले में कुक्शी में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं।

*[अनुवाद]*

**विदेशी पर्यटकों का दौरा**

502. **श्री डी.एस. अहिरे :**
**श्री अरविंद कांबले :**
**श्री अभय सिंह एस. भोंसले :**
**श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री रामनारायण मीणा :**
**श्री भर्तृहरि मेहताब :**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने विदेशी पर्यटक देश के विभिन्न राज्यों में घूमने आए;

(ख) इन पर्यटकों के आने के कारण अलग-अलग वर्ष-वार, माहवार तथा राज्य-वार सरकार द्वारा कितनी राजस्व/विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) सारे संसार में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों का प्रतिशत क्या है;

(घ) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के लिए एकीकृत पर्यटन विकास योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) :** (क) राज्य सरकारों से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटको की अनुमानित संख्या निम्नानुसार थी:-

| राज्य | विदेशी पर्यटक आगमन | | |
|---|---|---|---|
| | 1996 | 1997 | 1998 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 63652 | 94384 | 79720 |
| अरूणाचल प्रदेश | 72 | 54 | 34 |
| असम | 1000 | 723 | 754 |
| बिहार | 119147 | 130375 | 130723 |
| गोवा | 237216 | 251673 | 272028 |
| गुजरात | 6581 | 7994 | 9252 |
| हरियाणा | 1763 | 1660 | 1316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 51360 | 62527 | 62952 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 22628 | 22372 | 23137 |
| कर्नाटक | 59009 | 246862 | 249836 |
| केरल | 176855 | 182427 | 184227 |
| मध्य प्रदेश | 99012 | 101982 | 102800 |
| महाराष्ट्र | 949215 | 977691 | 980850 |
| मणिपुर | 241 | 215 | 274 |
| मेघालय | 1512 | 1071 | 1055 |
| मिजोरम | 93 | 90 | 126 |
| नागालैण्ड | 64 | 184 | 210 |
| उड़ीसा | 34303 | 35082 | 35090 |
| पंजाब | 12196 | 12684 | 12690 |
| राजस्थान | 560946 | 605060 | 607000 |
| सिक्किम | 8642 | 9952 | 9960 |
| तमिलनाडु | 613982 | 636640 | 645580 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | 2 | – | – |
| उत्तर प्रदेश | 680000 | 712000 | 719000 |
| पश्चिम बंगाल | 183330 | 193611 | 194011 |
| अण्डमान एवं निकोबार | 5796 | 6028 | 6030 |
| चण्डीगढ़ | 9017 | 9691 | 8603 |
| दमन एवं दीव | 5789 | 7482 | 7600 |
| दिल्ली | 1113803 | 1158355 | 1162400 |
| लक्षद्वीप | 998 | 776 | 807 |
| पांडिचेरी | 12118 | 20774 | 20900 |
| जोड़ | 5030342 | 5500419 | 5528965 |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से माहवार अनुमानित विदेशी मुद्रा आय निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपये में)

| | अनुमानित विदेशी मुद्रा आय | | |
|---|---|---|---|
| माह | 1996 | 1997 | 1998 |
| जनवरी | 952.49 | 1080.81 | 1187.60 |
| फरवरी | 927.57 | 1034.56 | 1090.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मार्च | 860.77 | 993.08 | 1042.45 |
| अप्रैल | 694.02 | 704.18 | 858.70 |
| मई | 557.55 | 617.31 | 657.08 |
| जून | 576.54 | 656.26 | 689.33 |
| जुलाई | 772.85 | 865.55 | 876.51 |
| अगस्त | 746.51 | 831.71 | 864.13 |
| सितम्बर | 708.84 | 748.75 | 797.08 |
| अक्तूबर | 915.33 | 997.67 | 1043.89 |
| नवम्बर | 1099.11 | 1221.23 | 1256.21 |
| दिसम्बर | 1238.37 | 1300.32 | 1381.11 |
| जोड़ | 10049.95 | 11051.43 | 11744.94 |

विदेशी मुद्रा आय के राज्य-वार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1998 के दौरान विश्व पर्यटक आगमन में भारत का प्रतिशत शेयर 0.38 था।

(घ) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में - पर्यटन के लिए संरचनात्मक सुविधाओं का सुधार, पर्यटक आकर्षणों का विकास, प्रचार-प्रसार और संवर्धन प्रयासों का सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास और निजी प्रवेश को प्रोत्साहन, विशेष कार्यक्रम जैसे बौद्ध महोत्सव, भारत भ्रमण वर्ष आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) प्रत्येक राज्य के लिए पर्यटक विकास योजनाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। केन्द्र सरकार प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

**एयर इंडिया में विनिवेश योजना**

**503. श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
**प्रो. अजीत कुमार मेहता :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जनवरी, 1999 के "द बिजनेस स्टैंडर्ड" में "फॉरेन एयरलाइंस अनविलिंग टू बाय गवर्नमेंट स्टेक इन एयर इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विनिवेश आयोग ने एयर इंडिया के विनिवेश/पुनर्गठन के बारे में सिफारिशें की है और ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। एअर इंडिया के वित्तीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन से यह और अधिक प्रतियोगी बन जाएगी। एअर इंडिया के कर्मचारियों को कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना के अंतर्गत शेयर खरीदने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है।

*[हिन्दी]*

**बाल श्रम**

**504. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष निदेशों के तहत, कानपुर (उ.प्र.) में प्रतिवर्ष बाल-श्रम उन्मूलन अभियान शुरू किया जाना है, लेकिन वर्ष 1998 के दौरान यह अभियान शुरू नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अभियान के अन्तर्गत, यदि बाल-श्रम का कोई मामला प्रकाश में आता है, तो प्रति बाल-श्रमिक 20 हजार रुपये नियोक्ता से वसूल किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी वसूली की गई है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**निजी उपग्रहों का छोड़ा जाना**

**505. श्री नरेश पुगलीया :**
**डा. शकील अहमद :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय परिक्रमा पथ पर उपग्रह छोड़ने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी निजी कम्पनियों को अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार की नीति और सेवा शर्तें क्या हैं; और

(घ) आज की तारीख तक लम्बित पड़े निजी उपग्रह छोड़ने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ये मौजूद नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रसारण नेटवर्क पर नियंत्रण**

**506. श्री अरविंद कांबले :** क्या सचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी चैनलों ने देश के प्रसारण नेटवर्क पर अत्यधिक नियंत्रण कर लिया है और दूरदर्शन का स्तर बहुत निम्न पाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) दूरदर्शन गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों को उपलब्ध करवाने और दर्शकों की अत्यधिक संख्या को सुनिश्चित करने के लिए भी अपनी कार्यक्रम नीति की सतत् रूप से समीक्षा करता है।

**मालगाड़ियों के समय का पुनर्निर्धारण/रद्द करना**

**507. श्री चमन लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में मालगाड़ियों के समय को पुनर्निर्धारित करने या रद्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परिवर्तनों से विशेषकर जम्मू-कश्मीर राज्य में खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं का परिवहन प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**त्रुटिपूर्ण व्हील्स की खरीद**

**508. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :**
**श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी, 1999 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "आफ्टर डिफेक्टिव रेल्स इट इज नाउ रिकेटी व्हील्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय रेलवे द्वारा रूमानिया से की गई खरीद के संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) यह समाचार छपा है कि भारतीय रेल दोषपूर्ण पहियों की खरीद कर रही है और रोमानिया से आयात किए गए 30,000 रेल इंजन डिस्कों के पिछले परेषण में लगभग आधा परेषण दोषपूर्ण था। समाचार पत्र में छपी खबर की विषयवस्तु असत्य है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।

रोमानियन फर्मों 1992 से पहियों की आपूर्ति कर रही है और अब तक 1,00,000 पहिए सप्लाई कर चुकी है; सितंबर, 1997 में यह पहला समय था जब एसेम्बली के दौरान चार मी.ला. पहियों में खराबी पाई गई। तत्पश्चात् रोमानियन फर्मों द्वारा जारी किए गए सभी पहियों की भारतीय रेल के कारखानों में पुन: एक-एक करके तुरंत जांच की गई। इन जांचों के दौरान, कुछ प्रतिशत पहिए (1996 और 1997 की निविदा के तहत प्राप्त सप्लाई का लगभग 3%) निर्धारित एक परीक्षण क्लियर नहीं कर पाए थे। इन पहियों को काम में नहीं लिया गया और आपूर्तिकर्ता के साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। पहिए वारंटी में हैं और संदेहास्पद पहियों की कुल पहुंच लागत पूरा करने के लिए पर्याप्त बैंक गारंटी उपलब्ध है। संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् ही आगे की कार्रवाई पूरी की जा सकेगी।

(ग) जी नहीं। जांच आवश्यक नहीं समझी जाती क्योंकि यह सही प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश में श्रम-अदालतों में लंबित मामले**

509. **श्री. अशोक प्रधान :**
**श्रीमती कमल रानी :**
**श्री थावर चन्द गहलोत :**
**श्री अजीत जोगी :**
**श्री रामपाल उपाध्याय :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश की विभिन श्रम-अदालतों के संबंध से लंबित मामलों की संख्या कितनी हैं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार श्रम-अदालतों और औद्योगिक अदालतों में लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालय प्रत्येक राज्य में स्थापित नहीं किये जाते। उनकी स्थापना मुख्यत: किसी क्षेत्र में उद्योगों की अधिकता तथा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विवादों की संख्या के आधार पर की जाती है। फिलहाल, देश के विभिन्न भागों में ऐसे 12 न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय स्थापित हैं। विवरण निम्नवत हैं:-

| क्र.सं. | केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय | 31.12.98 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आसनसोल | 167 |
| 2. | बंगलौर | 587 |
| 3. | कलकत्ता | 231 |
| 4. | चंडीगढ़ | 1237 (30.9.98 की स्थिति के अनुसार) |
| 5. | सं. 1 धनबाद | 1112 |
| 6. | सं. 2 धनबाद | 980 |
| 7. | जबलपुर | 1598 (31.8.97 की स्थिति के अनुसार) |
| 8. | कानपुर | 331 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | सं. 1 मुम्बई | 204 |
| 10. | सं. 2 मुम्बई | 190 |
| 11. | नई दिल्ली | 846 |
| 12. | जयपुर* | |
| | कुल | 7483 |

*1.9.98 से कार्य करना शुरू किया।

(ग) सरकार केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों, जो कि अर्द्धन्यायिक निकाय हैं, के लम्बित मामलों के निपटान में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, समय-समय पर मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया जाता है तथा इसे पीठासीन अधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है।

**अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन**

**510. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
**डा. रवि मल्लू :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन 27 और 28 अक्टूबर, 1997 को ओस्लो में आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या थीं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) :** (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन 27-30 अक्तूबर, 1997 को ओसलो में आयोजित हुआ था।

(ख) ओसलो सम्मेलन ने कार्रवाई के लिए एक कार्यसूची को अंगीकृत किया था। कार्यसूची का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम का प्रभावी रूप से उन्मूलन करना है। बाल श्रम के सबसे घटिया रूप को प्राथमिकता दी जानी है।

(ग) सरकार प्रगामी, शनै: शनै: और क्रमबद्ध रूप में सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है।

*[हिन्दी]*

**रेल दुर्घटना संबंधी एच.आर. खन्ना आयोग**

**511. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
**डा. सुशील इन्दौरा :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को रोकने के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधों के उपाय सुझाने के लिए जस्टिस एच.आर. खन्ना आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो आयोग द्वारा दिए गए सुझाव क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में रेलवे संरक्षा पुनरीक्षा समिति गठित की गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समिति का कार्यकाल 3.2.2000 तक है। बहरहाल, अंतरिम रिपोर्ट अगस्त, 1999 में प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

**भारत और जापान के बीच समझौता**

**512. श्री रामपाल सिंह :**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

**क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जापान रेलवे के आठ क्षेत्रों, विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश अपने-अपने विशेषज्ञ एक दूसरे के यहां भेजने को तैयार हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके विचारणीय विषय क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) से (घ) जी नहीं। बहरहाल, विकासात्मक उद्देश्यों और रेल संरक्षा के लिए विशेषज्ञों के आदान-प्रदान सहित द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श हो रहा है।

*[अनुवाद]*

**दूरदर्शन धारावाहिक चंद्रकांता**

**513. श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "चन्द्रकांता" धारावाहिक का प्रत्येक सप्ताह "प्राइम टाइम" में पुनः प्रदर्शन के लिए लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धारावाहिकों के लिए निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे डरावने रोमांचक धारावाहिक के दूरदर्शन पर पुनः प्रसारित करने के क्या कारण है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) जी, हां। माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार धारावाहिक "चंद्रकांता" को 7.12.1998 से डी.डी. 1 पर पुनः सूचीबद्ध किया गया है।

(ख) दूरदर्शन प्रसारण से पूर्व धारावाहिक "चन्द्रकान्ता" सहित अपने सभी कार्यक्रमों का पूर्वदर्शन यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि वे कार्यक्रम इसकी कार्यक्रम संहिता के अनुरूप हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**केरल के कन्नूर विमानपत्तन का विकास**

**514. श्री टी. गोविन्दन** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कन्नूर विमानपत्तन के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ तकनीशियनों की सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी केरल सरकार के अनुरोध पर विचार कर रही है क्योंकि भूमि अधिग्रहण और अन्य संबंधित कार्य तेजी से किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस समय केरल में कन्नूर विमानपत्तन के विकास के लिए वरिष्ठ तकनीशियनों की सेवाएं मुहैया करने की स्थिति में नहीं है।

**सेवा संबंधी मामलों के संबंध में सैन्य अधिकारियों की याचिकाएं**

**515. श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998 के दौरान मेजर और उससे उच्च रैंक के कितने अधिकारियों ने विभिन्न न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध मामले दायर किए;

(ख) क्या अत्यधिक संख्या में इन मामलों से रक्षा सेवाओं में कुप्रबंधन और असंतोष का पता चलता है;

(ग) क्या असैनिक कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की तरह सैन्य अपीलों के लिए एक सैन्य अपीलीय न्यायालय गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) 150 ।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सरकार पहले सशस्त्र सेना कार्मिकों के संबंध में सशस्त्र सेना प्रशासनिक व कोर्ट मार्शल न्यायाधिकरण गठित किए जाने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई थी। तत्पश्चात् इस मामले पर आगे कार्रवाई करते समय कतिपय कानूनी व प्रशासनिक मुद्दे उठाए गए हैं। इन मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श जारी है, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**उपरि पुलों का निर्माण**

**516. श्री सुशील चंद्र वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हबीबगंज में के.एम. 829/4 और भोपाल-उज्जैन कोर्ड लाइन पर समपार क्रासिंग संख्या 252-ए पर सड़क उपरि पुल के निर्माण के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) उसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उपरोक्त सड़क पर उपरि पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) राज्य सरकार द्वारा निक्षेप शर्त के आधार पर पहले प्रस्तावित हबीबगंज में 829/4 कि.मी. पर उपरि सड़क पुल पर अब राज्य सरकार द्वारा कोटा (निर्माण, परिचालन और स्थानांतरण) के आधार पर कार्रवाई की जा रही हैं। रेलवे ने इस संबंध में पहले ही अनापत्ति दे दी है। आगे कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

निशातपुरा-उज्जैन कार्ड पर समपार संख्या 252/ए के बदले उपरि सड़क पुल लागत की भागीदारी के आधार पर बदलाव हेतु औचित्यपूर्ण है। बहरहाल राज्य सरकार ने वर्तमान नियमों के तहत पूर्व अपेक्षित प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**ठेकरागुड़ी में उपरि पुल का निर्माण**

**517. श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री ठेकरागुड़ी में उपरि पुल के निर्माण के बारे में 9 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3329 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकरागुड़ी में उपरि रेलवे पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव तकनीकी रूप से परीक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना और अनुमान तैयार कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इंडियन ऑयल कारपोरेशन की संस्थापना से उपरि सड़क पुल के पुनःस्थान निर्धारण करने के संबंध में ठेकरागुड़ी रेलवे स्टेशन के "घ" श्रेणी से "ख" श्रेणी में परिवर्तित होने के कारण सामान्य प्रबंधन आरेखण को बदलना पड़ा। रेलवे भूमि और

रेलवे क्वार्टरों के अतिक्रमण को बचाते हुए नया संरेखण परिवर्तित करना पड़ा और लोक निर्माण विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया। राज्य लोक निर्माण विभाग के अनुसार भूतल परिवहन मंत्रालय इस परिवर्तित संरेखण से सहमत नहीं है। इस मामले को निपटाने के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय, रेलवे और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी कार्य को 1998-99 की वार्षिक योजना में शामिल नहीं किया है।

*[हिन्दी]*

**खजुराहो मंदिरों का सहस्राब्दिक वर्ष उत्सव**

**518. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों के सहस्राब्दिक वर्ष उत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वहां आने के लिए आकर्षित करने का कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उत्सव के लिए सभी आकर्षक सुविधाएं मुहैया कराने की दृष्टि से वाराणसी-खजुराहो मार्ग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग)** : (क) जी, हां। भारत सरकार, सहस्राब्दिक वर्ष उत्सव के दौरान, भ्रमण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु प्रयास कर रही है।

(ख) (1) विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों द्वारा इस कार्यक्रम का व्यापक रूप से प्रचार किया जा रहा है।

(2) आ.ई.टी.बी. 99, बर्लिन, थीम आफ इंडिया पवेलियन मार्च, 6-10, 1999 जो अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्यटक मेलों में से एक है में, खजुराहो मंदिरों पर बल दिया गया।

(3) 27.9.98 को खजुराहो में पूर्वविलोकन का आयोजन किया गया।

(4) खजुराहो पर एक विशेष सेक्शन के साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वेब साइट शुरू किया गया।

(5) नीचे दिए गए अनुसार सहस्राब्दि समारोहों के दौरान, खजुराहो का संवर्धन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

* खजुराहो में ध्वनि एवं प्रकाश प्रबंधन-80 लाख रु.।
* सी.डी. रोमों, पोस्टरों एवं अन्य प्रचार सामग्री का उत्पादन-20 लाख रु.।
* खजुराहो सहस्राब्दि समारोह का उद्घाटन समारोह 7 लाख रु.।

(6) खजुराहो पर आडियो गाइड भी राज्य सरकार द्वारा चलाया गया।

(ग) वाराणसी खजुराहो मार्ग की मरम्मत और उन्नयन कार्य आरंभ कर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**हथियार विक्रेताओं, राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों के बीच सांठ-गांठ**

**519. डा. उल्हास वासुदेव पाटील**
**श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नौसेना अध्यक्ष की बर्खास्तगी के पश्चात् हथियार विक्रेताओं, राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों के बीच सांठ-गांठ का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सांठ-गांठ की विशेषकर इसमें शामिल कंपनियों के खिलाफ पूर्ण जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या सशस्त्र सेनाओं से अवकाश प्राप्त कई अधिकारियों द्वारा काली सूची में शामिल इन कंपनियों को चलाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) रक्षा मंत्रालय के साथ व्यापार करने वाली कम्पनियों को भ्रष्ट आचरण से लेकर संविदा में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में विफल होने जैसे अनेक कारणों से काली सूची में डाला जा सकता है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्नल और उससे ऊपर के रैंकों के रक्षा सेवा अधिकारियों के लिए, जो पेंशन, ग्रेचुएटी अथवा अन्य लाभों के साथ सेवा निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्ति से केवल दो वर्ष की समयावधि तक वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करना वर्जित है। अत: यह सम्भव है कि अन्य व्यक्तियों की तरह सेवा निवृत्त सशस्त्र सेना अधिकारी भी रक्षा आपूर्ति से सम्बन्धित कम्पनियों से जुड़ सकते हैं।

**विदेशी शक्तियों द्वारा रक्षा सेवाओं के गुप्त रेडियो संकेतों को बीच में सुनना**

**520. डा. सुगुण कुमारी चलामेला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक विदेशी शक्ति द्वारा रक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के गुप्त रेडियो संकेतों को बीच में सुनने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संकेतों को बीच में सुनने वालों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) संवेदनशील संदेशों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाहरी शक्तियों द्वारा रक्षा संबंधी और अन्य सरकारी संदेशों को बीच में सुनने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) संवेदनशील संदेशों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सभी तरह की एहतियात बरती जाती है। उन ब्यौरों को प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

**हवाई जहाजों का देरी से आगमन**

**521. श्री अर्जुन सेठी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1999 के दौरान विशेषकर महीने के अन्तिम दिनों में जब कोहरा नहीं था, भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों के आगमन/प्रस्थान में विलम्ब के विशिष्ट कारण क्या थे;

(ख) क्या समय-सारणी में बार-बार परिवर्तन किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उड़ानें भुवनेश्वर में और दिल्ली में आधी रात के पश्चात् ही पहुंच पाती थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) जनवरी माह, 1999 के दौरान, भुवनेश्वर को जाने वाली और वहां से आने वाली कुछ उड़ानों में विलंब हुआ था। ये विलंब मुख्यतया प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों, विमानपत्तन पर अवरोधों तथा तकनीकी कारणों की वजह से हुआ था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**नौसेना अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति**

**522. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान नौसना के कितने अधिकारियों ने समय से पूर्व सेवानिवृत्ति ली और उनमें से कितने लोगों को विदेशी/भारतीय निजी कम्पनियों और शस्त्र विक्रेताओं के साथ नौकरी मिली; और

(ख) इस रूझान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) और (ख) पिछले दस वर्षों में जिन अधिकारियों ने समय से पूर्व सेवानिवृत्ति मांगी है, उनकी संख्या इस प्रकार है:-

| | |
|---|---|
| 1989 : 55 | 1990 : 166 |
| 1991 : 109 | 1992 : 161 |
| 1993 : 173 | 1994 : 153 |
| 1995 : 95 | 1996 : 105 |
| 1997 : 134 | 1998 : 192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | गुजरात | 670.3 | 21.0 |
| 7. | हरियाणा | 451.0 | 2.9 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 403.2 | 4.1 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 62.4 | @ |
| 10. | कर्नाटक | 1204.7 | 6.3 |
| 11. | केरल | 2245.2 | 13.2 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1645.6 | 6.5 |
| 13. | महाराष्ट्र | 2906.5 | 12.2 |
| 14. | मणिपुर | 174.1 | 0.1 |
| 15. | मेघालय | 15.5 | 0.1 |
| 16. | मिजोरम | 20.9 | 0.1 |
| 17. | नागालैण्ड | 13.4 | 0.1 |
| 18. | उड़ीसा | 660.1 | 1.5 |
| 19. | पंजाब | 335.6 | 1.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | राजस्थान | 520.3 | 6.8 |
| 21. | सिक्किम* | – | – |
| 22. | तमिलनाडु | 2214.7 | 6.9 |
| 23. | त्रिपुरा | 65.6 | @ |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 1908.9 | 4.6 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 3119.9 | 3.7 |
| 26. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 8.6 | – |
| 27. | चण्डीगढ़ | 83.0 | 0.3 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 1.2 | – |
| 29. | दिल्ली | 819.0 | 4.0 |
| 30. | दमन और दीव | 2.5 | @ |
| 31. | लक्षद्वीप | 1.7 | |
| 32. | पाण्डिचेरी | 90.6 | 0.3 |
| | योग | 24795.0 | 103.6 |

टिप्पणी :

1. *राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।
2. @आंकड़े 50 से कम।
3. हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाते हों।

**धारावाहिकों को बढ़ाया जाना**

**525. श्री जी.एम. बनातवाला :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दूरदर्शन पर चल रहे धारावाहिकों के नाम क्या हैं जिनकी कड़ियों को बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी गयी है और उनमें से प्रत्येक धारावाहिक की अवधि कितनी बढ़ाई गयी है;

(ख) क्या धारावाहिकों को बढ़ाये जाने के संबंध में कोई नीति/निर्देश निर्धारित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त धारावाहिकों की कड़ियों को निर्धारित नीति/निर्देश के अनुरूप बढ़ाया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या उक्त नीति/निर्देशों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुख्तार नकवी ) :** (क) ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ख) से (ङ) दूरदर्शन पर प्रसारित प्रायोजित धारावाहिकों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन समिति एक प्रस्ताव को अपना अनुमोदन देते समय प्रकरणों की संख्या का उल्लेख करती है। सामान्यरूप से प्रकरणों की संख्या 13 से अधिक नहीं होती है लेकिन जहां चयन समिति का यह विचार होता है कि कथावस्तु के उपयुक्त निरूपण के लिए प्रकरणों की अत्यधिक संख्या अपेक्षित होगी तो समय-समय पर यथा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन लिया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार कार्यक्रम की गुणवत्ता, वाणिज्यिक आय, टी.आर.पी. वेटिंग दर्शक लोकप्रियता स्पाट वाई अर्जन, संभाव्यता और विषय संबंधी अपेक्षा आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रख कर समय विस्तार कर विचार किया जाता है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*दूरदर्शन पर समय विस्तार मौजूदा प्रायोजित धारावाहिकों की सूची*

| क्र.सं. | धारावाहिक का नाम | मूल रूप से स्वीकृत प्रकरण | बढ़ाए गए प्रकरण/ अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दयासागर | 52 | 148 |
| 2. | अपराजिता | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| 3. | औरत | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| 4. | इतिहास | 1 वर्ष | 1 वर्ष |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | वक्त की रफ्तार | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| 6. | युग | 262 | 194 |
| 7. | जिंदगी नवरंग है | 26 | 39 |
| 8. | ओम नमः शिवाय | 91 | 65 |
| 9. | जय हनुमान | 52 | 56 |
| 10. | रूप सुहाना | 13 | 13 |
| 11. | समय के साक्षी | 26 | 26 |
| 12. | सी हाक्स | 26 | 130 |
| 13. | हिन्दुस्तानी | 26 | 130 |
| 14. | श्रीमान् श्रीमती | 26 | 78 |
| 15. | आल दी बेस्ट | 26 | 130 |
| 16. | राजा और रैंचो | 26 | 130 |

[हिन्दी]

## दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का लगाया जाना

**526. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार वर्ष 1999 के दौरान किन शहरों/क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के लगाए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पन्हाला में दूरदर्शन ट्रांसमीटर के लगाए जाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ट्रांसमीटर के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन देश के विभिन्न भागों में स्थित भिन्न-भिन्न क्षमता के 276 ट्रांसमीटरों को चरणबद्ध ढंग से दो से तीन वर्ष के दौरान पूरा किए जाने की आशा है। ट्रांसमीटरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) स्थान की उपयुक्तता, परिणामी कवरेज की सीमा, निधियों की उपलब्धता तथा संगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना करना एक सतत् प्रक्रिया है। पन्हाला में एक टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है क्योंकि यह अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कोल्हापुर के कवरेज क्षेत्र में स्थित है, हालांकि टी.वी. संकेतों का प्राप्त होना स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

### *विवरण*

*कार्यान्वयनाधीन टी.वी. ट्रांसमीटर*

(15.2.1999 के अनुसार)

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | | स्थल |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| आन्ध्र प्रदेश | उ.श.ट्रां. | |
| | | राजामुंदरी (स्थायी) |
| | | वारंगल |
| | | विजयवाड़ा (डी.डी. 2) |
| | अ.श.ट्रां. | |
| | | पासरा |
| | | तेक्काली |
| | | शीरपुर |
| | | देवरकोड़ा |
| | | बोबिली |
| | | पियोएपल्ली |
| | | कडुंकूर |
| | | विनूकोंडा |
| | | वेलडांडा |
| | | मेदुगुला |
| | | पुलमनेर |
| | | पुंगानूर |
| | | वेमलवाड़ा |
| | | सिपसिला |
| | | मछलीपट्टनम |
| | | जनीराबाद |
| | अ.अ.श.ट्रां. | |
| | | पाणिगिरी |
| | | दत्तालूर |
| | | मदिपारहू |
| अरूणाचल प्रदेश | | |
| | अ.अ.श.ट्रां. | |
| | | ताली/तुतिंग |
| | | पिपु दिपु/नयापिन |
| | | लोगंडिंग |
| | | हवाई |
| | | करौंली |
| | | मुक्ती |
| | ट्रांसपोजर | |
| | | सांखी व्यू |

| 1 | 2 |
|---|---|
| असम | |
| | अ.श.ट्रां. |
| | गुवाहाटी (डी.डी. 2) |
| | सिलचर (डी.डी. 2) |
| | अ.श.ट्रा. |
| | बोकाखात |
| | ट्रांसपोजर |
| | गुवाहाटी |
| बिहार | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | जमशेदपुर |
| | मुजफ्फरपुर (डी.डी. 2) |
| | पटना (डी.डी. 2) |
| | रांची (डी.डी. 2) |
| | अ.श.ट्रां. |
| | रामनगर |
| | छात्रा |
| | बरहरवा |
| | पोसेरा |
| | अ.अ.श.ट्रां. |
| | गढ़वा |
| गोवा | |
| | अ.श.ट्रां. |
| | पणजी (डी.डी. 2) |
| गुजरात | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | भुज (स्थायी) |
| | बड़ोदरा |
| | सूरत |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | अ.श.ट्रां. |
| | राजूला |
| | खपबालिया |
| | उमरगांव |
| | मडोसा |
| | लूनावाड़ा |
| | जमजोधपुर |
| | राजपीपला |
| | वयारा |
| हरियाणा | |
| | अ.श.ट्रां. |
| | महेन्द्रगढ़ |
| | फिरोजपुर झिरका |
| | तोहाना |
| | करनाल |
| | यमुनानगर |
| हिमाचल प्रदेश | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | शिमला (डी.डी. 2) |
| | अ.श.ट्रां. |
| | मण्डी (डी.डी. 2) |
| | अ.अ.श.ट्रां. |
| | बिजली महादेव |
| | डलहौजी |
| | तीसा |
| | चौरी खास |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | झाटिनगिरि |
| | काजा |
| | आबा देवी |
| | नेहरी |
| | आशापुरी |
| जम्मू और कश्मीर | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | कथुआ |
| | जम्मू (डी.डी. 2) |
| | श्रीनगर (डी.डी. 2) |
| | अ.श.ट्रां. |
| | पूंछ |
| | उधमपुर |
| | अ.अ.श.ट्रां. |
| | धरहल |
| | बफलियाज |
| | रिंगडाम गोमपा |
| | तुपटोक |
| | बाटालिक |
| | ट्राल |
| कर्नाटक | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | हासन |
| | मंगलौर |
| | मैसूर |
| | रायचुर |
| | अ.श.ट्रां. |
| | जमखंडी |
| | डंडेली |
| | मुडहौल |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | तालीकोटा |
| | इंडी |
| | हिरियूर |
| | होसदूर्ग |
| | कोप्पा |
| | बेलधंगगडी |
| | मुंदरगी |
| | सिंधूनर |
| | अ.अ.श.ट्रां. |
| | बादामी |
| | हुविन हिप्पारगी |
| | कुडलिगी |
| केरल | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | कालीकट (स्थायी) |
| | कन्नानोर |
| | कोचीन (डी.डी. 2) |
| | त्रिवेन्द्रम (डी.डी. 2) |
| | अ.श.ट्रां. |
| | पाला |
| | मंजेरी |
| | कोट्टाराकारा |
| | अ.अ.श.ट्रां. |
| | ईरात्तूपेट्टा |
| | मुंडाकायम |
| मध्य प्रदेश | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | गुना |
| | शहडोल |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | अम्बिकापुर |
| | जबलपुर (डी.डी. 2) |
| | भोपाल (डी.डी. 2) |
| | इन्दौर (डी.डी. 2) |
| | रायपुर (डी.डी. 2) |
| अ.श.ट्रां. | |
| | पंडेरा रोड |
| | खरोद |
| | गुलताई |
| | खरड़िया |
| | रेली |
| | लखनाडोन |
| | बड़वानी |
| | कुकशी |
| | पंढरिया |
| | सिंधवा |
| | कोंटा |
| | चम्पा |
| अ.अ.श.ट्रां. | |
| | पाथलगांव |
| महाराष्ट्र | |
| उ.श.ट्रां. | |
| | चन्द्रपुर |
| | जलगांव |
| | रत्नागिरी |
| | नागपुर (डी.डी. 2) |
| अ.श.ट्रां. | |
| | रावेरी |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | पंडरकावाड़ा |
| | खानापुर |
| | मंगलवेड़ा |
| | अकालकोट |
| | दरयापुर |
| | धारगांव |
| | फलतन |
| | पाटन (सतारा) |
| | गंधारा |
| | धर्माबाद |
| | भामरागढ़ |
| | पुलगांव |
| अ.अ.श.ट्रां. | |
| | वई |
| | चिमूर |
| | सकोली |
| | अर्जुनी |
| | कुरखेड़ा |
| | सिंदेवाही |
| | करांजा (वर्धा) |
| | तिवसा |
| | पिम्पलनेर |
| | अस्ती |
| | अम्बेट |
| मणिपुर | |
| उ.श.ट्रां. | |
| | चुराचांदपुर |
| अ.अ.श.ट्रां. | |
| | जीपीबम |

| 1 | 2 |
|---|---|
| मेघालय | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | तूरा (डी.डी. 2) |
| | ट्रांसपोजर |
| | ऐजवाल |
| नागालैण्ड | |
| | अ.श.ट्रां. |
| | मोकोकचुंग (डी.डी. 2) |
| | अ.अ.श.ट्रां. |
| | सताखा |
| | समतौर |
| | ट्रांसपोजर |
| | बड़ा बस्ती |
| उड़ीसा | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | सम्बलपुर |
| | बेरहमपुर |
| | सम्बलपुर (डी.डी. 2) |
| | अ.श.ट्रां. |
| | नयागढ़ |
| | तुषारा/सैंताला |
| | करांजिया |
| | राजगंगपुर |
| | बिरमित्रापुर |
| | जलपाड़ा |
| | गोंदिया (कपिलास) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | कुलाड |
| | चिकिती |
| | अ.अ.श.ट्रां. |
| | मच्छकुंड |
| | कासीपुर |
| | लांजीगढ़ |
| | जयपटना |
| | सिमलीपालगढ़ |
| | सुकिंदा |
| | रायकमल |
| | सबडेगा |
| | ट्रांसपोजर |
| | धेनकनाल |
| | चांदीपाड़ा |
| पंजाब | |
| | अ.श.ट्रां. |
| | फाजिल्का (स्थायी) |
| राजस्थान | |
| | उ.श.ट्रां. |
| | अजमेर |
| | बाड़मेर |
| | जोधपुर |
| | जयपुर (डी.डी. 2) |
| | जोधपुर (डी.डी. 2) |
| | अ.श.ट्रां. |
| | मकराना |
| | नवलगढ़ |
| | सागवाड़ा |
| | कुशलगढ़ |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | पिरावा |
| | नगर |
| | किशनगढ़ वास (अलवर) |
| | नसीराबाद |
| | भीनमाल |
| | सीजत |
| | बाल्ज |
| | संचौर |
| | भरतपुर |
| | किशनगढ़ (अजमेर) |
| | तारानगर |
| | विजयनगर |
| अ.अ.श.ट्रां. | |
| | लक्ष्मणगढ़ |
| | विराटनगर |
| | सिकराई |
| | कोटरा |
| | तीबी |
| सिक्किम | |
| अ.अ.श.ट्रां. | |
| | जोरथंग |
| तमिलनाडु | |
| अ.श.ट्रां. | |
| | कुम्बाकोणम |
| अ.श.ट्रां. | |
| | इरोद |
| | चिदम्बरम |
| | नत्तम |
| | पलानी |
| | अम्बासमुदरम् |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | देनकानीकोटा |
| | वंदावासी |
| | कल्लाकुरूचि |
| | पेशनमपेट |
| | अम्बूर |
| | पोल्लाची |
| अ.अ.श.ट्रां. | |
| | जिन्जी |
| | मेत्तुपलाय्यम |
| त्रिपुरा | |
| अ.श.ट्रां. | |
| | अगरतला (डी.डी.-2) |
| अ.श.ट्रां. | |
| | जौलाई वारी |
| | अमरपुर |
| | अम्बासा |
| उत्तर प्रदेश | |
| उ.श.ट्रां. | |
| | बांदा |
| | लखीमपुर |
| | आगरा (डी.डी. 2) |
| | इलाहाबाद (डी.डी. 2) |
| | गोरखपुर (डी.डी. 2) |
| | लखनऊ (डी.डी. 2) |
| | मसूरी (डी.डी. 2) |
| | वाराणसी (डी.डी. 2) |
| अ.श.ट्रां. | |
| | अल्मोड़ा |
| | धुनाघाट |
| | नरोरा |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | तालबेहाट |
| | कारवी |
| | डुधीनगर |
| | कोसी |
| | खेतीखान |
| | गोपेश्वर |
| | कलागढ़ |
| | भीदूसा |
| | डाक पत्थर |
| अ.अ.श.ट्रां. | |
| | चमोली |
| | सिराकोटा/बैकुंलधाम |
| | मानेश्वर |
| | मनीला |
| | रूद्रप्रयाग |
| | नवगांवखल |
| | केदारनाथ |
| | बद्रीनाथ |
| | दुगाड़ा |
| | पोखरी |
| ट्रांसपोजर | |
| | मसूरी (डी.डी. 2) |
| पश्चिम बंगाल | |
| उ.श.ट्रां. | |
| | बालूरघाट |
| | कृष्णानगर |
| | खड़गपुर |
| | शांतिनिकेतन |
| | आसनसोल (डी.डी. 2) |
| | मुर्शिदाबाद (डी.डी. 2) |
| अ.श.ट्रां. | |
| | बलरामपुर |
| | कूचबिहार |
| | गड़बेटा |
| पांडिचेरी | |
| उ.श.ट्रां. | |
| | पांडिचेरी |

*[अनुवाद]*

**नौपाडा-गुनुपुर आमान परिवर्तन हेतु स्वीकृति**

**527. श्री गिरिधर गमांग :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 के बजट में सम्मिलित नौपाडा-गुनुपुर रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के कार्य हेतु योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक ) :** नौपाड़ा-गुनुपुर अमान परिवर्तन परियोजना रेल बजट, 1997-98 में शामिल की गई थी, लेकिन शर्त यह थी कि वास्तविक कार्य अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही शुरू किया गया जाएगा। इस लाइन के लिए सर्वेक्षण अगस्त-सितम्बर, 1997 में किया गया था लेकिन रिपोर्ट अद्यतन की जानी थी जो जून-जुलाई, 1998 में की गई थी। रेल मंत्रालय द्वारा अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करते समय उड़ीसा राज्य सरकार से गोपालपुर में बनाए जा रहे महत्वपूर्ण बंदरगाह के दृष्टिगत इस लाइन पर यातायात प्रक्षेपण का पुन: आकलन करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तदनुसार, सर्वेक्षण रिपोर्ट को आगे और अद्यतन किया जाना था। संशोधित यातायात संभाव्यता को अंतिम रूप दिए जाने और आशोधित सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच होने के पश्चात् ही प्रस्ताव स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजा जाएगा और तत्पश्चात् विस्तारित बोर्ड/आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमण्डल समिति की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जाएगी।

*[हिन्दी]*

**हबीबगंज-निजामुद्दीन के बीच रेलगाड़ी**

**528. श्री मोती लाल वोरा :**
**श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 के रेल बजट में ''हजरत निजामुद्दीन-भोपाल एक्सप्रेस'' रेलगाड़ी शुरू करने हेतु प्रावधान किया गया था और इस रेलगाड़ी को रेलवे की समय-सारणी में भी दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी को अभी तक शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेलगाड़ी के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हबीबगंज में अतिक्रमणों को न हटाये जाने के कारण गाड़ी शुरू नहीं की गई है तथा जब तक अतिक्रमण हटा नहीं दिए जाते गाड़ी नहीं चलाई जा सकती।

*[अनुवाद]*

**रेल/एक्सप्रेस-वे कौरीडोर परियोजना**

**529. श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बंगलौर और मैसूर के बीच रेल/एक्सप्रेस-वे कौरीडोर परियोजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ संगठनों और विशेषज्ञों ने उक्त परियोजना का पूर्ण रूप से विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**''रनिंग स्टाक'' की कमी**

**530. श्री मोइनुल हसन अहमद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महत्वपूर्ण मार्गों पर रेल लाइनों की क्षमता, सीमाओं तथा अत्यधिक व्यस्तता तथा माल डिब्बों, यात्री डिब्बों तथा लोकोमोटिव इत्यादि की कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : लाइन क्षमता की तंगियों से उत्पन्न स्थिति और महत्वपूर्ण मार्गों में संतृप्तता से निपटने के लिए नियमित आधार पर कदम उठाए जाते हैं। वे खंड जिनकी संतृप्त के रूप में पहचान की गई हैं उनकी लाइन क्षमता में सुधार शुरू कर दिया गया है। एक खंड की लाइन क्षमता (एक खंड पर चलाई जा सकने वाली गाड़ियों की संख्या के आधार पर परिभाषित) में सुधार की महत्वपूर्ण पद्धति इस प्रकार है:-

*1. लम्बे ब्लॉक खंडों को कम करना*

एक लम्बे ब्लॉक खंड को लाइन क्षमता में दो स्टेशनों के बीच मध्यवर्ती ब्लॉक हट/ब्लॉक खंड में स्टेशन की व्यवस्था करके सुधार किया जा सकता है ताकि उस खंड में चलने वाली गाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि की जा सके।

*2. सिगनल व्यवस्था में सुधार*

खंड की लाइन क्षमता में बेहतर सिगनल व्यवस्था यथा ऑटोमैटिक सिगनल आदि की व्यवस्था करके भी सुधार किया जा सकता है। ऑटोमैटिक सिगनल व्यवस्था साधारणतया उपनगरीय क्षेत्रों में शुरू की जाती है।

*3. लाइनों को बहुल बनाना*

एक सीमा से आगे, केवल दोहरी लाइन अथवा यहां तक कि तीहरी या चौहरी लाइन बिछाकर किसी एक खंड की लाइन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। यह उच्च यातायात घनत्व वाले खंडों अथवा उपनगरीय खंडों में किया जाता है।

*4. नई लाइनें और आमान परिवर्तन संबंधी कार्य*

संतृप्त मार्गों पर नई रेल लाइनों और आमान परिवर्तन से संबंधित कार्य के रूप में वैकल्पिक मार्गों को शुरू करके भीड़-भाड़ को कम करने में सहायता मिलती है।

माल भाड़ा लदान के वर्तमान स्तर के लिए मालडिब्बों और रेल इंजनों की उपलब्धता पर्याप्त है। जहां तक सवारी डिब्बों की उपलब्धता का संबंध है, यात्री यातायात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसकी निरंतर कमी बनी रहती है, बहरहाल इसे दो रेलवे, उत्पादन इकाइयों, सडिका और रेडिका की क्षमता का पूर्णतया उपयोग करके हल किया जा सकता है। रेलवे उत्पादन इकाइयों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों में भी रेल इंजनों के उत्पादन के साथ-साथ माल डिब्बा निर्माण का भी पर्याप्त क्षमता में निर्माण हो रहा है ताकि इससे रेलवे की आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा किया जा सके।

बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि लाइन क्षमता में सुधार के लिए परियोजनाएं शुरू करने तथा चल स्टॉक की खरीद के लिए भी भारी निवेश अपेक्षित है। रेलवे की क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के लिए धनाभाव के कारण संसाधनों की निरंतर तंगी का सामना कर रही हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली बजटीय सहायता वर्षों से कम हो रही है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 75% से घटकर नौवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 25% रह गई है। घटी हुई बजटीय सहायता तथा बाजार ऋण को उचित सीमा तक सीमित करने की आवश्यकता ने क्षमता बढ़ाने के लिए रेलों की क्षमता पर अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिया है।

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में बंधुआ मजदूर**

**531. श्री रवि सीताराम नायक :**
**श्री कृष्ण लाल शर्मा :**

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा कई बंधुआ मजदूरों को काम पर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा इन श्रमिकों को नियोजित कर मानव अधिकारों का हनन करने का क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा "ठेका श्रम अधिनियम, 1970" के अंतर्गत इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) से (घ) सरकार को महानगर टेलीफोन निगम लि., नई दिल्ली द्वारा बंधुआ कर्मकारों को कार्य पर लगाए जाने के आरोप से संबंधित एक रिपोर्ट की जानकारी है। इस आरोप की जांच की गई थी। यह पाया गया था कि एक अस्थायी प्रकृति का निर्माण कार्य करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि., नई दिल्ली द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से कार्य पर लगाए गए इन कर्मकारों को महानगर टेलीफोन निगम लि. के अधिकारियों की उपस्थिति में, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया था जैसाकि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित है। इस प्रकार वे बंधुआ श्रमिक नहीं हैं।

**प्रसारण लाइसेंसों पर प्रतिबंध**

**532. श्री ए.सी. जोस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास विशेष श्रेणी के भीतर प्रसारण लाइसेंसों पर प्रतिबंध समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) और (ख) जी नहीं। श्रेणी विशेष के प्रसारण लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध, ग्यारहवीं लोक सभा में प्रस्तुत प्रसारण बिल का हिस्सा था जो सदन के भंग होने के कारण रद्द हो गया था।

**आमान परिवर्तन**

**533. श्री बासवराज पाटील सेडाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सोलापुर-हुबली रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा तथा इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा;

(ख) क्या बीजापुर-गोदाग रेल लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ख) ब्यौरा इस प्रकार है: - सोलापुर-होटगी के 31.3.99 तक पूरा हो जाने की संभावना है। होटगी-बीजापुर खंड पहले ही पूरा हो गया है। बीजापुर-गदग खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा। गदग-हुबली खंड पहले ही पूरा हो गया है।

(ग) संसाधनों की तंगी।

**राजस्थान में पर्यटन-स्थलों के लिए अवसंरचना**

**534. श्री रामनारायण मीणा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान प्रदेश में विशेषकर हाडुती, जयपुर, सवाई माधोपुर में प्राकृतिक संसाधनों, इतिहास, संस्कृति और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए पर्यटन-अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग)** : (क) से (ग) पर्यटक स्थलों के विकास कार्य की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की हैं। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के परामर्श से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उनके गुण-अवगुण तथा धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने वर्ष 1998-99 के लिए राजस्थान की 431 लाख रुपए की 25 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। जिन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है उनमें शामिल हैं- आमेर, जयपुर में ध्वनि एवं प्रकाश प्रबंध, जयपुर स्थित गंगौर होटल तथा जयपुर में पर्यटन भवन (भागीदारी योजना के तहत) का उन्नयन।

मंत्रालय ने वर्ष 1997-98 में सवाई माधोपुर स्थित झूमर बौरी कैसल के उन्नयन के लिए 23.35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की।

**दूरदर्शन का तुलनपत्र**

**535. डा. विजय सोनकर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1999 के "पायोनियर" में "महाजन डिमांड्स डी.डी. लजर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसार भारती अधिनियम के अपने प्रावधानों के अनुसार राजस्व संग्रहण तथा अन्य मामलों के संबंध में प्रसार भारती से आंकड़े/सूचना मंगाना समय-समय पर सरकार द्वारा किया जा रहा एक नेमी कार्य है ताकि उसे भविष्य के लिए बजटीय अनुमान तैयार करने और सूचना/डाटा बैंक को अद्यतन करने के लिए संगठन की वित्तीय स्थिति से अवगत कराया जा सके।

*[हिन्दी]*

**अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन**

**536. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किन-किन विमानपत्तनों का उन्नयन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के स्तर का करने का है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के रूप में घोषित किए गए विमानपत्तनों का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) और (ख) सरकार ने अभी तक दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कलकत्ता के वर्तमान विमानपत्तनों और बंगलौर में नये प्रस्तावित विमानपत्तन के निगमीकरण का अनुमोदन कर दिया है जिससे उन्हें विश्व श्रेणी के अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों के स्तर तक विकसित किया जा सके।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निगमीकरण के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देने के लिए कानूनी और वित्तीय परामर्शदाताओं से एक्सपेशन आफ इन्ट्रेस्ट आमंत्रित किये हैं।

**आकाशवाणी, जबलपुर में हड़ताल के कारण नुकसान**

**537. श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले साल के अंतिम दिनों में हुई हड़ताल के कारण आकाशवाणी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में रिकार्डिंग, डबिंग, कार्यक्रम का निर्माण किया जाना ठप्प रहा है;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण हैं;

(ग) हड़ताल के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) और (ख) जी, नहीं। आकाशवाणी और दूरदर्शन कर्मचारियों की कुछ एसोसिएशनों ने वेतन समरूपता तथा पदोन्नतियां करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने संबंधी अपनी मांगों के बारे में 10 से 13 दिसम्बर, 1998 के बीच 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का नोटिस दिया था। इस नोटिस को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त तैयारियां की गई थीं और तद्नुसार कोई रिकार्डिंग/सम्पादन कार्य नियत नहीं किया गया था। आकाशवाणी, जबलपुर में प्रसारण कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार सुचारू रूप से चला।

(ग) चूंकि सभी निर्धारित वाणिज्यिक कार्यक्रम, पूर्व-निर्धारण के अनुसार प्रसारित किए गए थे, इसलिए इस संबंध में राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।

(घ) कार्यक्रम तथा इंजीनियरी स्टॉफ के बीच वेतन समरूपता संबंधी मामले को सुलझा लिया गया है और कार्यक्रम स्टॉफ को तदर्थ आधार पर काफी अधिक पदोन्नतियां दे दी गई हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम और इंजीनियरी स्टॉफ द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई है। इन एसोसिएशनों के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक शक्ति बनाए रखने हेतु एक समझौता भी किया गया है।

*[अनुवाद]*

**तिरूअनन्तपुरम विमानपत्तन का विकास**

538. **श्री जार्ज ईडन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने तिरूअनन्तपुरम विमानपत्तन (केरल) की हवाई पट्टी के विकास के लिए कोई प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) और (ख) हाल ही में ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तिरूवनन्तपुरम में मुख्य धावनपथ को इसका विस्तार करके इसे 3333 मीटर तक बढ़ा दिया है और यह कार्य अक्तूबर, 1997 में पूरा हो गया था। धावनपथ 747 विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है।

**कोरापुट-रायगढ़ रेलवे लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण**

539. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत कोरापुट-रायगढ़ रेलवे लाइन के संबंध में कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई और कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(ख) अधिग्रहीत की गई भूमि के मालिकों को रोजगार प्रदान करने के संबंध में निपटान के लिए अभी भी कोई लम्बित विवाद है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित गैंगमैन के पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) कुल 1130 निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इस प्रयोजन के लिए भुगतान किए मुआवजे की कुल राशि 16291 लाख रुपए है।

(ख) और (ग) जिलाधीश/विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोरापुट जिला ने कोरापुट से रायगडा तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के संबंध में रेलवे द्वारा अधिग्रहीत भूमि के कारण रोजगार के विचारार्थ लगभग 1400 नामों की सिफारिश की थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में केवल 200 भूमि देने वालों को रोजगार मुहैया कराने की सहमति हुई थी। तदनुसार, रोजगार के विचारार्थ भूमि देने वालों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसमें उप-जिलाधीश, उड़ीसा राज्य सरकार और दो रेलवे अधिकारी शामिल हैं। इस समिति ने रोजगार मुहैया

कराने के लिए 203 भूमि देने वालों (64 अनारक्षित + 36 अनुसूचित जाति + 103 अनुसूचित जनजाति) की सिफारिश की है, जिसमें केवल 188 व्यक्ति आएं हैं और रेलों में नियुक्ति ली है।

मुख्या विवाद कोरापुट-रायगडा लाइन के लिए सभी भूमि देने वालों को रोजगार मुहैया कराने का है। बहरहाल, रेलों ने पात्र 203 भूमि देने वालों को रोजगार मुहैया कराने की अपनी वचनबद्धता पूरी कर दी है। रेलें, सभी 1400 भूमि देने वालों को रोजगार मुहैया कराने की स्थिति में नहीं हैं।

(घ) गैंगमैन (ट्रेक मैन) के लिए पदों की कुल संख्या 551 है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रिक्तियां शामिल हैं। चयन के लिए कार्रवाई की जा रही है और 30.6.1999 तक इसको अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

**खान-कर्मियों के लिए कल्याण योजना**

**540. श्री अजीत जोगी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "मध्य प्रदेश में खान-कर्मियों के लिए कोई कल्याण-योजना बनाई है";

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन्हें समूह बीमा योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना के तहत लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार खान दुर्घटनाओं में मारे गए तथा घायल खान कर्मियों के संबंधियों को मुआवजा उपलब्ध कराती हैं; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जैटिया)** : (क) और (ख) सरकार ने सूचना पत्थर व डोलोमाइट खानों, लौह अयस्क/मैगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क खानों में काम करने वाले कर्मकारों तथा उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, मनोरंजन तथा जल आपूर्ति के संबंध में अनेक कल्याण योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। ये योजनाएं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लागू हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) रोजगार के दौरान लगी चोटों जिनसे मृत्यु/अपंगता हो जाती है, के मामले में कर्मकार उनके आश्रित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदारों में हैं। चूंकि इस अधिनियम के उपबंध का क्रियान्वयन राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। अतएव क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली राशि का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार नहीं रखती। इसके अलावा सरकार एक योजना भी क्रियान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत कर्मकार/विधवा को 100/- रु. से 150/- रु. के मासिक भत्ते के साथ-साथ 500/- रु. की एक मुश्त राशि दी जाती है तथा उनके बालकों को 30/- रु. मासिक छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। यह योजना ऐसे मामलों के लिए है जब दुर्घटना में खान कर्मकारों की मृत्यु हो जाती है अथवा लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क व क्रोम अयस्क तथा चूना पत्थर व डोलोमाइट खानों में हुई दुर्घटना में वे पूर्णत: एवं स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है।

***विवरण***

*लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर व डोलोमाइट खानों में काम करने वाले कर्मकारों के लिए कल्याण योजनाओं की सूची*

**क. स्वास्थ्य**

1. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
2. मानसिक रोगों से पीड़ित खान कर्मकारों के उपचार की योजना।
3. कुष्ठ रोग से पीड़ित खान कर्मकारों के उपचार की योजना।
4. टी.बी. से पीड़ित खान कर्मकारों के घर पर उपचार की योजना।
5. महिला खान कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना।
6. कैंसर से पीड़ित खान कर्मकारों के उपचार की वास्तविक लागत की प्रति-पूर्ति।
7. चश्मों की खरीद के लिए खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता करना।

8. खान कर्मकारों की बंध्याकरण के लिए अतिरिक्त आर्थिक मुआवजे के भुगतान की योजना।

9. हृदय रोगों के सम्बन्ध में खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

10. गुर्दा प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में खान कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

11. घातक और गंभीर दुर्घटनाओं के मामले में खान कर्मकारों को मुआवजे के भुगतान की योजना।

12. खान कर्मकारों को कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना।

13. एम्बूलेंस गाड़ियों की खरीद के लिए लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क व क्रौम अयस्क खानों और चूनापत्थर व डोलोमाईट खान प्रबन्धनों को सहायता अनुदान।

ख. आवास

1. खान कर्मकारों के लिए कार्य स्थल के निकट कम लागत वाले टाईप-I और टाईप-II मकानों के निर्माण के लिए खान प्रबन्धनों को वित्तीय सहायता।

2. अपना घर स्वयं बनाओ योजना, खान कर्मकारों को अपने मकान बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और आर्थिक सहायता।

ग. शिक्षा

1. खान कर्मकारों के स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

2. खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को वर्दी, स्लेट, कॉपी और पाठ्य पुस्तकों का एक सैट प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की कम्पोजिट योजना।

3. केन्द्रीय पुस्तकालय चलाने के लिए खान मालिकों को सहायता।

4. स्कूल बसों की खरीद के लिए खान प्रबन्धनों की सहायता।

5. पुस्तकालयों के रख-रखाव के लिए खान प्रबन्धनों की सहायता।

6. लौह-अयस्क खनन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त स्कूलों को फर्नीचर और उपकरण खरीदने के लिए सहायता अनुदान।

7. मध्याह्न भोजन की योजना।

8. हाई स्कूल से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहनों का भुगतान।

9. खान कर्मकारों की बालिकाओं को स्कूल में उपस्थिति के आधार पर 1/- रुपया प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

घ. आमोद-प्रमोद

1. खान कर्मकारों के लिए खेल-कूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करना।

2. खान कर्मकारों को लाने-ले जाने के लिए बसें प्रदान करने की योजना।

3. श्रव्य-दृश्य सैटों की स्थापना/सिनेमा वैन/फिल्मों का प्रदर्शन।

4. पर्यटन-सह-अध्ययन दौरे।

5. टी.वी. सैटों की आपूर्ति।

6. बहुउद्देशीय/संस्थानों/विकसित बहु-उद्देशीय संस्थानों की स्थापना।

7. कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

8. बहुउद्देशीय संस्थानों/विकसित बहु-उद्देशीय संस्थानों/कल्याण केन्द्रों को सहायता।

9. खेल के मैदान।

10. अवकाश-गृह।

ङ. जलापूर्ति

1. कुएं खोदने के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

2. जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए छोटे खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

3. जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए बड़े खान मालिकों को वित्तीय सहायता।

**रक्षा मंत्रालय में अधिकारी संवर्ग के पद**

**541. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा मुख्यालय में अधिकारी संवर्ग में अनेक प्रशासनिक/गैर-तकनीकी पद सेवा अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं जिन्हें सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा पूरा किया जा सकता है और जिससे समग्र रक्षा व्यय में भी कमी आ जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए इन पदों को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री ( श्री जार्ज फर्नान्डीज )** : (क) और (ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सुझाव दिया है कि सशस्त्र सेनाओं के विभिन्न अंगों और अन्तर सेवा संगठनों में तैनाती के तरीके की पुनरीक्षा करने तथा सिविलियन अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की जाए। यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

**क्षेत्र-प्रचार निदेशालय के एककों का गठन**

**542. श्री यू.वी. कृष्णमराजु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में क्षेत्र प्रचार निदेशालय के एकक राज्य-वार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का देश में और नए एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुख्तार नकवी )** : (क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के मौजूदा क्षेत्रीय प्रचार एककों के स्थानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में दस नए क्षेत्रीय प्रचार एकक स्थापित करने का विचार है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

*विवरण-I*

*क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के विद्यमान क्षेत्रीय प्रचार एककों के राज्यवार स्थल*

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | स्थल | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद | निजामाबाद |
| | वारंगल | कुडप्पा |
| | काकीनाडा | कुरुनूल |
| | श्रीकाकुलम | नेल्लौर |
| | गुंतूर | नालगोन्डा |
| | मेडक | विशाखापत्तनम |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| अरूणाचल प्रदेश | ईटानगर | दापोरिजो |
| | पासीघाट | तेजु |
| | अलोंग | अनिनी |
| | खोंसा | सीप्पा |
| | जाइरो | बोमडिला |
| | नामपोंग | त्वांग |
| | भिगकियोंग | |
| असम | गुवाहाटी | जोरहाट |
| | नागांव | बारपेटा |
| | सिलचर | डिब्रुगढ़ |
| | तेजपुर | हाफलोंग |
| | दिफु | धुबरी |
| | नालबारी | नार्थ लखीमपुर |
| | धेमजी | |
| बिहार | पटना | मुंगेर |
| | सीतामढ़ी | किशनगंज |
| | भागलपुर | मुजफ्फरपुर |
| | छपरा | फोरबिसगंज |
| | मोतिहारी | दरभंगा |
| | बेगुसराय | रांची |
| | हजारीबाग | डाल्टनगंज |
| | जमशेदपुर | गुमला |
| | गया | दुमका |
| | धनबाद | चाइबासा |
| गुजरात | अहमदाबाद | जूनागढ़ |
| | राजकोट | वडोदरा |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| | पालनपुर | आवा |
| | हिम्मतनगर | भावनगर |
| | गोधरा | सूरत |
| | भुज | |
| गोवा | पणजी | |
| हिमाचल प्रदेश | धर्मशाला | हमीरपुर |
| | रेक्कोंग पिओ | मण्डी |
| | नाहन | शिमला |
| | चम्बा | |
| हरियाणा | अम्बाला | हिसार |
| | नारनौल | रोहतक |
| जम्मू तथा कश्मीर | जम्मू | कंगन |
| | ऊधमपुर | श्रीनगर |
| | रजौरी | अनंतनाग |
| | कुपवाड़ा | कथुआ |
| | कारगिल | बारामूला |
| | चदूरा | शोपियां |
| | डोडा | पुंछ |
| | लेह | |
| कर्नाटक | बंगलौर | बेल्लारी |
| | मंगलौर | बीजापुर |
| | मैसूर | चित्रदुर्ग |
| | बेलगांव | गुलबर्ग |
| | शिमोगा | धारवाड़ |
| | हासन | |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| केरल | तिरूवनन्तपुरम | त्रिचुर |
| | क्विलोन | मलाप्पुरम |
| | कालपेट्टा | कन्नानोर |
| | (व्यानाड) | कोचीन |
| | कोजीकोड | पालघाट |
| | अलेप्पी | |
| मध्य प्रदेश | रायपुर | दुर्ग |
| | कंकेर | शहडोल |
| | जबलपुर | अम्बिकापुर |
| | सीधी | बालाघाट |
| | जगदलपुर | रीवा |
| | बिलासपुर | बस्तर |
| | सागर | उज्जैन |
| | भोपाल | ग्वालियर |
| | होशंगाबाद | छिंदवाड़ा |
| | झाबुआ | गुना |
| | मंदसौर | छतरपुर |
| | इन्दौर | |
| महाराष्ट्र | पुणे | सतारा |
| | नासिक | अमरावती |
| | वर्धा | रत्नागिरी |
| | अहमदनगर | नांदेड़ |
| | चन्द्रपुर | मुम्बई |
| | शोलापुर | कोल्हापुर |
| | औरंगाबाद | जलगांव |
| | नागपुर | |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| मेघालय | शिलांग | जोवई |
| | तुरा | विलियमनगर |
| | नोंगस्टाएन | |
| मिजोरम | आइजोल | लुंगलेई |
| | साईहा | |
| त्रिपुरा | उदयपुर | अगरतला |
| | कैलाशहर | |
| नागालैंड | कोहिमा | मोकोकचुंग |
| | मोंन | तुयेनसंग |
| मणिपुर | इम्फाल | उखरूल |
| | चुराचांदपुर | चण्डेल |
| | तमैंगलोंग | सेनापति |
| पंजाब | अमृतसर | फिरोजपुर |
| | जालंधर | लुधियाना |
| | पठानकोट | |
| उड़ीसा | भुवनेश्वर | भवानीपटना |
| | क्योंझर | पुरी |
| | बालासोर | कटक |
| | फुलबनी | सम्बलपुर |
| | धेनकनाल | जैपोर |
| | ब्रहम्पुर | बारीपाड़ा |
| राजस्थान | जयपुर | जोधपुर |
| | सीकर | उदयपुर |
| | बाडमेर | बीकानेर |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| | जैसलमेर | श्रीगंगानगर |
| | अजमेर | अलवर |
| | डुगेरपुर | कोटा |
| | सवाई माधोपुर | सिरोही |
| तमिलनाडू | चेन्नई | तिरूनलवेली |
| | सलेम | रामानाथपुरम |
| | वैल्लूर | तिरूचिरापल्ली |
| | थंजापूर | कोयम्बटूर |
| | मदुराई | धर्मापुरी |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ | बांदा |
| | झांसी | मैनपुरी |
| | वाराणसी | गौड़ा |
| | कानपुर | रायबरेली |
| | इलाहाबाद | आजमगढ़ |
| | गोरखपुर | लखीमपुर खीरी |
| | सुल्तानपुर | देहरादून |
| | अलीगढ़ | मुरादाबाद |
| | पौड़ी | उत्तरकाशी |
| | गोपेश्वर | मुज्जफरनगर |
| | पिथौरागढ़ | आगरा |
| | बरेली | मेरठ |
| | नैनीताल | रानीखेत |
| पश्चिमी बंगाल | सिलीगुड़ी | मालदा |
| | कुच्च भेहार | जलपाईगुडी |
| | रायगंज | कलीमपोंग |
| | गंगटोक | जोरथंग |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| | कलकत्ता-। | कलकत्ता (एफ) |
| | बंकपुरा | भिदंसुराह |
| | राणाघाट | बरदवान |
| | ब्रंहम्पुर | चिंदसुराह |
| | बैरकपुर | |
| अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | पोर्ट ब्लेयर | कार निकोबार |
| चण्डीगढ़ | चण्डीगढ़ | |
| दिल्ली | दिल्ली-1 | दिल्ली-2 |
| लक्षद्वीप | कावारती | |
| पांडिचेरी | पांडिचेरी | |

*विवरण-II*

*नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के क्षेत्रीय प्रचार एककों के राज्यवार स्थान*

| क्र.सं. | राज्य | स्थान |
|---|---|---|
| 1. | नागालैण्ड | वोखास |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | रोइंग |
| 3. | असम | कोकराझार |
| 4. | उत्तर प्रदेश | हरिद्वार |
| 5. | उड़ीसा | बोलंगीर |
| 6. | तमिलनाडु | नीलगिरि |
| 7. | महाराष्ट्र | धुले |
| 8. | हरियाणा | कुरूक्षेत्र |
| 9. | मध्य प्रदेश (प.) | घरगोन |
| 10. | मध्य प्रदेश (पू.) | रायगढ़ |

**एस.एस.के पनडुब्बी का अधिग्रहण**

**543. श्री तथागत सत्पथी :**
**श्री सी.डी. गामीत :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मन सरकार ने दो और एस.एस.के. श्रेणी की पनडुब्बी की आपूर्ति करने से मना कर दिया है जबकि उस देश के साथ इस संबंध में समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी 6 पनडुब्बियों का बेड़ा रखने की नौसेना की योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) देश की नौसना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक योजना क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) भारत सरकार ने जर्मन सरकार से एस.एस.के. श्रेणी की दो और पनडुब्बियों की

आपूर्ति करने के लिए अनुरोध नहीं किया है, अतः जर्मन सरकार का उनकी आपूर्ति करने से मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश की नौसेना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पनडुब्बियों का देश में ही निर्माण करने की योजनाएं बनाई गई हैं।

**भांडागारों की स्थापना करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां**

**544. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फलों तथा सब्जियों में फसल के बाद हुए नुकसान को कम से कम करने के लिए भारत में भांडागारों की स्थापना करने, कोल्ड चेनों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए भारतीय कंपनियों में शामिल होने के लिए एंग्लो डच बहुराष्ट्रीय कंपनी, यूनीलेवर द्वारा किए गए किसी प्रस्ताव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) :** (क) और (ख) एक समाचार मद में यूनीलेवर के अध्यक्ष को उद्धृत करते हुए उल्लेख किया गया है कि उन्होंने भारत में भंडागारों/कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना के लिए देश की सरकार, वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है ताकि फल और सब्जी में फसलोत्तर नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन यूनीलेवर ने अभी तक न तो कोई प्रस्ताव विशेष अथवा ठोस योजना तैयार की है और न ही सरकार के समक्ष पेश की है।

**अंगमालि-सबरिमाला रेललाइन को कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाना**

**545. श्री वारकला राधाकृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंगमालि-सबरिमाला रेललाइन को पुनलुर-नेदुमनगाड़ और तिरूअनंतपुरम से होकर कन्याकुमारी तक बढ़ाये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी हां।

(ख) अंगमाली-सबरीमाला लाइन का तिरूवनंतपुरम तक विस्तार करने के लिए केरल के कुछ माननीय संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) कृपया आज बाद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट की प्रतीक्षा करें।

*[हिन्दी]*

**अधिक संख्या में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलना**

**546. श्री राजो सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से बेगूसराय, बरौनी, किऊल, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा रेलवे स्टेशनों पर और अधिक संख्या में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने के बारे में अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) 31.3.95 से बरौनी में यात्री आरक्षण सुविधाएं पहले ही मुहैया कराई जा चुकी है। केवल क्यूल में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र खोलने के लिए मांग प्राप्त हुई है।

(ख) कई अन्य स्टेशन/स्थल हैं जहां आरक्षण कार्यभार क्यूल से अधिक है लेकिन वहां इन सुविधाओं की अभी व्यवस्था की जानी है। क्यूल में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**एअर स्पेस म्यूजियम**

**547. श्री रंजीब बिस्वाल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में एअर स्पेस म्यूजियम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, नहीं। तथापि, वायुसेना मुख्यालय को दो वायुसेना म्यूजियम हैं जिनमें से एक वायुसेना स्टेशन पालम, नई दिल्ली में और दूसरा वायुसेना अकादमी डुंडीगुल, हैदराबाद में है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**किफायत संबंधी उपाय**

**548. श्रीमती शीला गौतम** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किफायत संबंधी उपाय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपायों से वर्ष 1998-99 के दौरान कुल कितनी राशि की बचत होगी?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) से (ग) सरकार द्वारा समय-समय पर किफायत संबंधी उपायों के बारे में अनुदेश जारी किये जाते हैं और इस मंत्रालय द्वारा भी उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 1998-99 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के संशोधित बजट प्राक्कलनों को अंतिम रूप देते समय, किफायत संबंधी उपायों से होने वाली संभाव्य बचतों को पहले ही ध्यान में रख लिया गया है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई सही बचत राशि के बारे में वर्षान्त के बाद ही पता चल सकेगा।

*[अनुवाद]*

**रक्षा मंत्रालय द्वारा बेतार उपकरण उपलब्ध कराना**

**549. श्री पी.एस. गड़वी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा संगठनवार खरीदे गये कुल बेतार उपकरणों/ट्रंक रेडियो प्रणालियों की संख्या कितनी है और उनकी खरीद के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या यह सारे उपकरण अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ही खरीदे गए थे;

(ग) यदि हां, तो खरीदे गये इन उपकरणों की कीमत और उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या है;

(घ) क्या यह उपकरण "इंटेलिजेंस ब्यूरो" और "रॉ" के द्वारा अनुमोदित हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा खरीदे गए बेतार/ट्रंक रेडियो प्रणालियों की संख्या जैसे ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। यद्यपि इस उपस्कर को स्वदेशी स्रोतों से खरीदे जाने के लिए सदैव प्रयास किए जाते हैं लेकिन इसके स्वदेश में उपलब्ध न होने पर समय-समय पर आयात का सहारा लिया जाता है। सशस्त्र सेनाओं की तात्कालिक संक्रियात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे उपकरण निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विदेशी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों सहित विभिन्न स्रोतों से खरीदे गए हैं।

**पर्यटकों के लिए शुल्क-दरें**

**550. श्री माधव राव घाटील** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के होटल-मालिकों से इस वर्ष के लिए शुल्क-दरों में कमी करने की बात की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में होटल-मालिकों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस वर्ष भारत आने वाले पर्यटकों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे अन्य प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ होटल मालिक "भारत भ्रमण वर्ष" के दौरान अप्रैल-अक्तूबर, 1999 के ऑफ सीजन में दरें कम करने को सहमत हैं।

(घ) भारत सरकार ने अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक "भारत भ्रमण वर्ष" प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। वर्ष के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों को उद्योग द्वारा विशेष पैकेज/सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तथापि, सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान नहीं किए जाएंगे।

*[हिन्दी]*

**रेलवे पत्रिका का हिंदी में प्रकाशन**

**551. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 14 सितम्बर, 1999 को प्रारम्भ होने वाले "हिंदी स्वर्ण जयंती वर्ष" में रेल पर्यटन पत्रिका का राजभाषा में विशेष अंक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1999 "भारत वर्ष का भ्रमण" तथा सितम्बर, 1999 से शुरू होने वाले राजभाषा स्वर्ण जंयती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, के परिप्रेक्ष्य में रेल मंत्रालय का वर्ष के दौरान "भारतीय रेल" और "रेल राजभाषा" की अपनी हिन्दी पत्रिकाओं में पर्यटन पर विशेषांक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

*[अनुवाद]*

**एयर इंडिया का प्रतिस्पर्धात्मक रवैया**

**552. कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं तथा अब तक क्या प्रगति हुई है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) से (ग) जी, नहीं। एअर इंडिया इसके अस्तित्व में आने से लेकर आज तक विदेशी विमान कम्पनियों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर रही है। सरकार लगातार एअर इंडिया के कार्य-कलापों पर नजर रखती है और समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं जिससे एयरलाइन प्रतियोगी बनी रहे। हाल ही में इस संबंध में विनिवेश आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं।

**प्रमुख कार्यकारी अधिकारी की शर्तें**

**553. श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती चयन समिति ने इसे स्वायत्त प्रदान करने की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के नियमों और शर्तों के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रश्नों के समाधान में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)** : (क) और (ख) चयन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, चयन को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से प्रसार भारती बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा शर्तों को जानने की इच्छा व्यक्त की है। इसको अन्तिम रूप देने हेतु अन्तर विभागीय परामर्श प्रगति पर है।

*[हिन्दी]*

**अयोध्या तथा खदौली रेलवे स्टेशनों का नवीकरण तथा उन्नयन**

**554. श्री मित्रसेन यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को पूर्ण रैल के अंतर्गत अयोध्या तथा खदौली रेलवे स्टेशनों का नवीकरण तथा उन्नयन किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ख) जी हां। बजट पास होने के पश्चात् रूदौली में सुधार कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। अयोध्या में ऊपरी पानी टैंक और यार्ड में अतिरिक्त सुविधाओं का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

*[अनुवाद]*

## त्रिपक्षीय श्रम वार्ता प्रणाली

**555. श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 1999 के "दि हिन्दु" में "पैनल टू डिस्कस ट्रयपार्टी लेबर डायलोग सिस्टम" नामक शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने श्रम कानूनों में और संशोधन करने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय तंत्र अपनाने और श्रम कार्यक्रम तैयार करने की अनिच्छा जाहिर की है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं और उनकी अनिच्छा के लिए उनके द्वारा क्या कारण दिए गए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) से (घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय परामर्शदात्री तंत्र के पुनरूज्जीवन का प्रश्न भारतीय श्रम सम्मेलन के 31वें, 32वें, 33वें तथा 34वें सत्रों में विचार-विमर्श का विषय रहा है। मामले को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों में उच्च स्तर पर समय-समय पर आगे बढ़ाया गया है। चार राज्य/संघ शासित क्षेत्र अर्थात् सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम तथा लक्षद्वीप ने इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान न होने के कारण त्रिपक्षीय समिति की आवश्यकता न होने से गठन नहीं किया हैं। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पांडिचेरी तथा दादर एवं नगर हवेली से अब तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को त्रिपक्षीय परामर्श तंत्र मौजूद है।

## आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन की मांगें

**556. श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल ही में आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन ने अपना वेतन अभियन्ता कर्मचारी वर्ग के समरूप करने और रिक्त पदों को भरने की मांगों को पूरा करने हेतु विरोध प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएशन की वेतन समरूपता संबंधी मांग मंजूर करा ली गई है। भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा और कार्यक्रम निष्पादकों के विभिन्न ग्रेडों में तदर्थ पदोन्नतियां देकर रिक्तियों को भरने संबंधी मांग यथासंभव सीमा तक पूरी कर दी गई है। एसोसिएशन ने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया है।

*[हिन्दी]*

## कपड़ा मिलों के कामगारों का पुनर्वास

**557. श्री अरविंद कांबले** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कपड़ा मिलों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने बेरोजगार हुए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का एन आर एफ योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**जम्मू स्थित केन्द्र में कार्यक्रम निर्माण सुविधा का उन्नयन**

558. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू स्थित केन्द्र में कार्यक्रम निर्माण सुविधा का उन्नयन करके इसे पूर्ण रूप से सुविधा सम्पन्न केन्द्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस केन्द्र से डोगरी समाचार प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) दूरदर्शन जम्मू स्टूडियो केन्द्र और उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर वाला एक पूर्ण रूप से सुसज्जित केन्द्र है जो अपने बनाए कार्यक्रमों को रिले करता है।

(ख) जन-शक्ति, हार्डवेयर, प्रसारण समय और अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण इस समय दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू से एक डोगरी समाचार बुलेटिन को प्रसारित नहीं किया जाता है। तथापि, नौवीं योजना के दौरान जम्मू से डोगरी समाचार प्रसारित करने के लिए प्रयास जारी है।

**पूर्वोत्तर में "गुड समेरिटन" अभियान का रद्द किया जाना**

559. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 1999 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "गुड समेरिटन" अभियान रद्द करने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सेना का कश्मीर में अपने नवगठित सेना विकास दल के अंतर्गत कुछ विकास परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो दल और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) से (ग) "आपरेशन गुड समेरिटन" को 10 करोड़ रुपए तक सीमित एक ही समय के एक गहन कार्यक्रम के रूप में चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत सेना के माध्यम से लघु विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं। धनराशि का उपयोग होने पर यह संक्रिया समाप्त कर दी गई। तथापि, समग्र कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में, सेना पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम चलाती रही है जो लगातार चल रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जम्मू-कश्मीर में चिकित्सा शिविरों, खेलकूद तथा संस्कृति कार्यकलापों का आयोजन करने, गरीब तथा जरूरतमंद स्कूली बच्चों को अध्ययन सामग्री देने, सड़कें सुधारने, स्कूल भवनों व जलापूर्ति तथा सफाई सुविधाओं का जीर्णोद्धार करने जैसी विकास परियोजनाएं चलाने के लिए चालू वर्ष के दौरान 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

**दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण बन्द कर देना**

560. **श्री अशोक प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अनेक दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा कुछ निर्धारित कार्यक्रमों का प्रसारण रद्द या बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) और (ख) प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क या मेट्रो सेवा द्वारा सीधे रिले किए गए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रों के निर्धारित समय चार्ट के अनुसार किसी भी सूचीबद्ध कार्यक्रम को रद्द अथवा बन्द नहीं किया गया है। तथापि, ऐसे कार्यक्रमों को बाद में प्रसारण हेतु सूचीबद्ध कर लिया गया था।

**केबल कानूनों में संशोधन करने के लिए विधेयक की पुरःस्थापना**

**561. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
**श्री माधवराव सिंधिया :**
**श्री सी.डी. गामीत :**
**श्री एम. बागा रेड्डी :**
**श्री अजय कुमार एस. सरनायक :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आरम्भिक वितरण स्तर पर कार्यक्रमों की विषय वस्तु (प्रोग्रामिंग कंटेंट) को नियमित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए केबल कानूनों में संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में विधेयक कब तक पुरःस्थापित किए जाने की सम्भावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) से (ग) सरकार का केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने हेतु संसद के चालू सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है जिसके ब्यौरे अभी तैयार किए जा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**टेलीविजन चैनलों के लिए प्रसारण कोड**

**562. श्री रामपाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन कार्यक्रमों को जो हिंसा से भरे होते हैं और जिनका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से टेलीविजन के लिए प्रसारण कोड तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रसारण कोड कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) से (ग) दूरदर्शन में पहले से ही एक प्रसारण संहिता विद्यमान है और दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम इसके द्वारा विनियमित होते हैं। इस संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्ति किया गया है कि दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों में किसी प्रकार की अत्यधिक हिंसा या अश्लीलता न हो जिससे दर्शकों/समाज पर बुरा प्रभाव पड़े। देश से अपलिंक करने वाले निजी चैनलों द्वारा भी दूरदर्शन पर लागू इस संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रम देश से बाहर से अपलिंक किए जाते हैं और इस समय भारतीय कानूनों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते जब तक कि उनके अभिग्रहण के लिए डिकोडर अपेक्षित न हो। तथापि, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए केबल कानून में उपयुक्त रूप से संशोधन करने पर विचार कर रही है कि सभी स्वतंत्र चैनल भी केबल कानून में निर्धारित संहिताओं का पालन करें। अपेक्षित संशोधन को संसद में चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने के प्रयास जारी हैं।

*[अनुवाद]*

**विमान यातायात नियंत्रकों (ए.टी.सी.) द्वारा हड़ताल**

**563. श्री सुशील कुमार शिंदे :**
**श्री माधवराव सिंधिया :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष क्रिसमश के मौके पर विमान यातायात नियंत्रकों ने अपने वेतन/भत्तों में उचित बढ़ोत्तरी संबंधी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाने की धमकी दी थी;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी बढ़ोतरी किए जाने की मांग की है और उनके वर्तमान मासिक वेतन/भत्ते क्या हैं तथा जुल्का कमेटी द्वारा क्या सिफारिश की गयी है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विमान यातायात नियंत्रण गिल्ड की ये मांगें हैं, 1. विमानचालकों के समान वेतन, 2. ड्यूटी के घंटें

सप्ताह में 42 घंटों से सप्ताह में 36 घंटे करना, 3. विमान यातायात नियंत्रण ड्यूटी भत्ते का भुगतान, 4. अधिक पदों का सृजन, 5. मानव संसाधन विकास भत्ते में वृद्धि, 6. दो वर्षों में एक बार पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण और 4 वर्षों में एक बार पश्चिमी देशों में प्रशिक्षण, 7. विमान यातायात नियंत्रकों को उच्चतर वाहन भत्ते का भुगतान, 8. ऊंची दर पर बाल शिक्षा भत्ते का भुगतान, 9. अंतर्देशीय सेक्टरों पर विमान यातायात नियंत्रकों को नि:शुल्क विमान यात्रा पास दिया जाना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और एटीसी गिल्ड के प्रतिनिधियों की समय-समय पर बैठकें की जाती है जिससे इन मामलों का सद्भावनापूर्ण हल निकाला जा सके। रेटिंग भत्ते, उड़ान डाटा प्रोसेसिंग भत्ते, ऑन दि जॉब प्रशिक्षण भत्ते, नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र भत्ते से संबंधित जुल्का समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इसे नवम्बर, 1997 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है। जुल्का समिति की शेष सिफारिशों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। 01.12.1998 को विमान यातायात नियंत्रकों की परिलब्धियों को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी/अधिकारी तथा ए.टी.सी. गिल्ड के प्रतिनिधि इन मुद्दों का मैत्रीपूर्ण हल ढूंढ़ने के लिए समय-समय पर मिलते रहे हैं।

***विवरण***

*1 दिसम्बर, 1998 को विमान यातायात नियंत्रकों के मासिक वेतन तथा भत्ते*

| | वरिष्ठ प्रबंधक | प्रबंधक | सहायक प्रबंधक |
|---|---|---|---|
| मूल वेतन | 7962 | 6700 | 6287 |
| महंगाई भत्ता | 4043 | 4043 | 3910 |
| नगर प्रतिपूर्ति भत्ता | 100 | 100 | 100 |
| मकान किराया भत्ता 30 प्रतिशत के दर पर | 2388 | 2010 | 1886 |
| धुलाई भत्ता | 75 | 75 | 75 |
| कैन्टीन सब्सिडी | 300 | 300 | 300 |
| वाहन प्रतिपूर्ति | 1915 | 1436 | 835 |
| एच.आर.डी. भत्ता | 331 | 279 | 262 |
| बच्चों का शिक्षा भत्ता | 300 | 300 | 300 |
| योग | 17414 | 15243 | 13955 |
| लागू दर पर भत्ता (अधिकतम) | 13500 | 13500 | 6000 |
| उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि (मूल वेतन का 9 प्रतिशत + महंगाई भत्ता) | 717 | 603 | 566 |
| कुल योग | 31631 | 29346 | 20521 |

*ब्याज जीवन बीमा का वार्षिक भुगतान

**केरल में कन्हानगढ़ में दूरदर्शन-रिले केन्द्र का कार्यकरण**

**564. श्री टी. गोविन्दन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में कासरगौड जिले में कन्हानगढ़ में दो वर्ष पूर्व स्थापित किया गया दूरदर्शन-रिले केन्द्र अभी तक काम नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) केरल के कासरगौड़ जिले के कन्हानगढ़ में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा.) दिसम्बर, 1995 से कार्यरत है। तथापि, स्टाफ की कमी के कारण अल्प शक्ति ट्रान्समीटर द्वारा इस समय केवल अंश-कालिक प्रसारण उपलब्ध कराया जा रहा है। पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**माकुम-डांगोरी खण्ड पर आमान परिवर्तन**

**565. श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के तिनसुकिया जिले में माकुम-डांगोरी रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन क्रियान्वयन के कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) कार्य नवीं योजना अवधि में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**रीवा में हवाई पट्टी का निर्माण**

**566. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि खजुराहो शताब्दी महोत्सव के दौरान सुप्रसिद्ध वांधवगढ़ अभयारण्य में पर्यटकों को आने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से हवाई पट्टी का विस्तार करने और खजुराहो-वाराणसी विमान सेवा का ठहराव रीवा में बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का रीवा विमानपत्तन जो कि मध्य प्रदेश सरकार का है, के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। क्षमता कमी की वजह से इंडियन एयरलाइंस की रीवा के लिए सेवाएं प्रचालन संबंधी कोई योजना नहीं है।

*[अनुवाद]*

**एफ.एम. रेडियो स्टेशन खोला जाना**

**567. डा. उल्हास वासुदेव पाटील** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और एफ.एम. रेडियो स्टेशन खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान मौजूदा एफ.एम. सेवा से सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रसार भारती ने संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार और अधिक एफ.एम. केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। तथापि, नौवीं योजना के दौरान पर्याप्त वित्तीय संसाधन न होने के कारण इन स्कीमों को आस्थगित रखा जाना था।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ.एम. सेवा से अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्न अनुसार है:-

| | |
|---|---|
| 1995-96 | 41021034 रु. |
| 1996-97 | 41885250 रु. |
| 1997-98 | 42196850 रु. |

***विवरण-I***

*नौवीं योजना के दौरान प्रस्तावित एफ.एम. स्टेशन/ट्रांसमीटर*

| क्र.सं. | स्थान का नाम | राज्य | क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **क. नई स्कीमें** | | | |
| 1. | काकीनाडा | आन्ध्र प्रदेश | 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. |
| 2. | महबूबनगर | -तथैव- | -तथैव- |
| 3. | कासरगोड | केरल | -तथैव- |
| 4. | अमरावती | महाराष्ट्र | -तथैव- |
| 5. | धर्मपुरी | तमिलनाडु | -तथैव- |
| 6. | पुरूलिया | पश्चिम बंगाल | -तथैव- |
| 7. | दार्जिलिंग | -तथैव- | -तथैव- |
| 8. | जूनागढ़ | गुजरात | 5 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. |
| 9. | इम्फाल | मणिपुर | 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. |
| 10. | अगरतला | त्रिपुरा | -तथैव- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **ख. प्रतिस्थापन स्कीमें** | | | |
| 1. | राजकोट | गुजरात | 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. |
| 2. | वड़ोदरा | -तथैव- | -तथैव- |
| 3. | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | -तथैव- |
| 4. | धारवाड़ | कर्नाटक | -तथैव- |
| 5. | बंगलौर | कर्नाटक | -तथैव- |
| 6. | मैसूर | कर्नाटक | -तथैव- |
| 7. | मंगलोर | कर्नाटक | -तथैव- |
| 8. | कालीकट | केरल | -तथैव- |
| 9. | तिरूचिरापल्ली | तमिलनाडु | -तथैव- |

*विवरण-II*

*संसाधनों के अभाव में नौवीं योजना के दौरान आस्थगित स्कीमों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | स्थान का नाम | राज्य | क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **क. नई स्कीमें** | | | |
| 1. | श्रीकाकुलम | आन्ध्र प्रदेश | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. |
| 2. | दुमका | बिहार | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | सीतामढ़ी | बिहार | 10 कि.वा. एप.एम. ट्रा. |
| 4. | कटिहार | ,, | ,, |
| 5. | धनबाद | ,, | 5 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. |
| 6. | देवगढ़ | उड़ीसा | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. |
| 7. | सलेम | तमिलनाडु | ,, |
| 8. | मेदिनीपुर | पश्चिम बंगाल | ,, |
| 9. | अमृतसर | पंजाब | ,, |
| 10. | गंगानगर | राजस्थान | ,, |
| 11. | अलीपुरद्वार | पश्चिम बंगाल | ,, |
| 12. | डलहौजी | हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 13. | राजौरी | जम्मू एवं कश्मीर | ,, |
| 14. | फजिल्का | पंजाब | ,, |
| 15. | सिन्धनूर | कर्नाटक | ,, |
| 16. | ललितपुर | उत्तर प्रदेश | ,, |
| 17. | कोहिमा | नागालैण्ड | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 18. | ईटानगर | अरूणाचल प्रदेश | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. |
| 19. | गंगटोक | सिक्किम | ,, |
| 20. | शिमला | हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 21. | कानपुर | उत्तर प्रदेश | ,, |
| 22. | पांडिचेरी | संघ शासित प्रदेश | ,, |
| 23. | पोर्टब्लेयर | ,, | ,, |
| 24. | कोसानी | उत्तर प्रदेश | ,, |
| 25. | सीतामढ़ी | बिहार | ,, |
| 26. | कटिहार | बिहार | ,, |
| 27. | धनबाद | बिहार | 5 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. |
| **ख. प्रस्तावित स्कीमें** | | | |
| 1. | औरंगाबाद | महाराष्ट्र | 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. |
| 2. | कटक | उड़ीसा | ,, |
| 3. | जालन्धर | पंजाब | ,, |

**भुवनेश्वर में आधारभूत सुविधा**

**568. श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में भुवनेश्वर स्थित पूर्वी तट रेल जोन में आधारभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूलभूत सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक ) :** (क) 1998-99 के दौरान 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई थी जो वर्तमान में निपटाई जा रही गतिविधियों के लिए पर्याप्त है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जोन को 60 महीनों की अवधि में चरणबद्ध आधार पर स्थापित करने की योजना है।

**दूरदर्शन/आकाशवाणी का प्रसारण क्षेत्र**

**569. श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के अंतर्गत शामिल न किए गए क्षेत्र की अलग-अलग प्रतिशतता क्या है; और

(ङ) शत प्रतिशत क्षेत्र को कब तक आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री मुख्तार नकवी ) :** (क) इस समय देश में भिन्न-भिन्न क्षमता के 196 रेडियो स्टेशन, 46 टी.वी. स्टूडियो केन्द्र तथा 1034 टी.वी. ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) यद्यपि दूरदर्शन कार्यक्रम उपग्रह पद्धति के माध्यम से सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हैं और उपयुक्त डिश एंटिना पद्धति का उपयोग करके इन्हें देखा जा सकता तथापि स्थलीय रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कार्यक्रम क्रमश: 23.1% और 10% अनुमानित क्षेत्र को उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि देश के अधिकतम क्षेत्र और जनसंख्या को रेडियो एवं टी.वी. कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सरकार सतत् रूप से प्रयासरत है जिसके लिए विस्तार योजनाएं बनाई जाती हैं और इन्हें चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाता है तथापि जिस वर्ष तक 100% रेडियो एवं टी.वी. कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी उसे विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है।

***विवरण-I***

*देश में कार्य कर रहे रेडियो एवं टी.वी. स्टेशनों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | रेडियो केन्द्र | दूरदर्शन | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ट्रांसमीटर | स्टूडियो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | असम | 7 | 27 | 3 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 12 | 77 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 4 | 40 | 1 |
| 4. | बिहार | 10 | 52 | 4 |
| 5. | गोवा | 1 | 2 | 1 |
| 6. | गुजरात | 7 | 60 | 2 |
| 7. | हरियाणा | 3 | 10 | – |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 6 | 42 | 1 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 6 | 46 | 2 |
| 10. | केरल | 7 | 27 | 1 |
| 11. | कर्नाटक | 13 | 50 | 2 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 19 | 86 | 2 |
| 13. | मेघालय | 3 | 8 | 2 |
| 14. | महाराष्ट्र | 20 | 85 | 2 |
| 15. | मणिपुर | 1 | 7 | 1 |
| 16. | मिजोरम | 2 | 6 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | नागालैंड | 2 | 10 | 1 |
| 18. | उड़ीसा | 11 | 79 | 2 |
| 19. | पंजाब | 3 | 11 | 1 |
| 20. | राजस्थान | 17 | 79 | 1 |
| 21. | सिक्किम | 1 | 7 | – |
| 22. | तमिलनाडु | 8 | 45 | 1 |
| 23. | त्रिपुरा | 3 | 7 | 1 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 18 | 106 | 6 |
| 25. | प. बंगाल | 5 | 28 | 3 |
| 26. | दिल्ली | 1 | 4 | 1 |
| 27. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1 | 13 | 1 |
| 28. | दमण एवं दीव | 1 | 2 | – |
| 29. | पांडिचेरी | 2 | 5 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30. | लक्षद्वीप समूह | 1 | 10 | – |
| 31. | चण्डीगढ़ | 1 | 2 | – |
| 32. | दादरा एवं नगर हवेली | – | 1 | – |
| | कुल | 196 | 1034 | 46 |

*विवरण-II*

*नौवीं योजना के दौरान बढ़ाई गई कवरेज हेतु आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | रेडियो | दूरदर्शन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | असम | 4 | 4 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | – | 22 |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | – | 9 |
| 4. | बिहार | – | 9 |
| 5. | गोवा | – | 1 |
| 6. | गुजरात | – | 11 |
| 7. | हरियाणा | – | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | हिमाचल प्रदेश | – | 11 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 11 |
| 10. | केरल | – | 9 |
| 11. | कर्नाटक | – | 18 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 2 | 20 |
| 13. | मेघालय | – | 2 |
| 14. | महाराष्ट्र | 1 | 28 |
| 15. | मणिपुर | 1 | 2 |
| 16. | मिजोरम | – | 2 |
| 17. | नागालैण्ड | 1 | 4 |
| 18. | उड़ीसा | 1 | 23 |
| 19. | पंजाब | – | 1 |
| 20. | राजस्थान | 1 | 26 |
| 21. | सिक्किम | – | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 22. | तमिलनाडु | – | 14 |
| 23. | त्रिपुरा | – | 4 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 2 | 31 |
| 25. | प. बंगाल | – | 9 |
| 26. | दिल्ली | – | – |
| 27. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 | – |
| 28. | दमण और दीव | – | – |
| 29. | पांडिचेरी | – | – |
| 30. | लक्षद्वीप | – | – |
| 31. | चण्डीगढ़ | – | – |
| 32. | दादरा और नगर हवेली | – | – |
| | कुल | 15 | 278 |

**एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स के परिचालनों को युक्तिसंगत बनाना**

**570. श्री ए.सी. जोस :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स ने सूचना प्रौद्योगिकी, क्षेत्र अंतरण, मार्ग निर्धारण, किरायों को युक्तिसंगत बनाने, अभियांत्रिकी, स्थान समायोजन, सामान्य बिक्री एजेंटों की नियुक्ति, विज्ञापन, विपणन संवर्धन और भूमि से उड़ान नियंत्रण से संबंधित क्षेत्रों में अपने परिचालन एक साथ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) से (ग) जी हां। संसाधनों की उपयोगिता को अनुकूल बनाने तथा प्रचालनात्मक और वित्तीय कुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने दिसम्बर, 1998 में दोनों विमान कंपनियों को यथा अधोलिखित सलाह देते हुए एक दिशा-निदेश जारी किया है:

(1) समयावली को युक्तिसंगत बनाना।

(2) समान दर वाले किराए का निर्धारण करना।

(3) कोड-शेयर प्रबंध का विस्तार करना।

(4) यथा संभव समान कार्यालयों/सामान्य विक्रय अभिकर्त्ताओं को बनाए रखना।

(5) चालू विपणन दरों पर एक दूसरे तक/से क्षमता को लीज पर दिए जाने और लीज समाप्त किये जाने की सम्भावना का पता लगाना।

(6) संयुक्त विज्ञापन संवर्द्धन तथा विपणन क्रिया-कलापों को शुरू करना और उड़ानों तथा संबद्ध क्रिया-कलापों की समन्वित ग्राउन्ड हैंडलिंग।

**सेरम में "हुसैन सागर" को रोकना**

**571. श्री वासवराज पाटील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेरम के लोगों ने सेरम में "हुसैन सागर रेलगाड़ी" को रोकने की मांग को लेकर आन्दोलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करने हेतु सेराम में हुसैन सागर रेलगाड़ी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) और (ख) जी हां। जनवरी-फरवरी, 1995 के दौरान आंदोलन हुआ था।

(ग) 15.3.95 से सेरम में 7001/7002 मुंबई-हैदराबाद हुसैन-सागर एक्सप्रेस का ठहराव मुहैया करा दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**मध्य प्रदेश स्थित नीमच में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना**

**572. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश स्थित नीमच जिले में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) और (ख) जी, हां। संसाधनों की बाध्यताओं के कारण इस परियोजना को आठवीं योजना में शामिल नहीं किया जा सका। तथापि, इस परियोजना को 9वीं योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते संसाधन एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

**सैन्य वाहन कारखानें, जबलपुर के लिए कुशल कामगार**

**573. श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य वाहन कारखाना, जबलपुर में आधुनिक सैन्य वाहनों के विनिर्माण हेतु आयुद्ध निर्माणी बोर्ड द्वारा 200 कुशल

कामगारों के संबंध में विधिवत अनुमोदित मांग-पत्र स्वीकृति हेतु लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रक्षा मंत्री (जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**प्रसार भारती निगम**

**574. श्री जॉर्ज ईडन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती निगम के ढांचे, कार्यकरण तथा अन्य विशेषताओं पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**ठेकेदारों के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति**

**575. श्री पुन्नुलाल मोहले** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंत्रालयों और लिमिटेड कम्पनियों में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति बड़े पैमाने पर ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया को रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 9.12.1976 की अधिसूचना द्वारा, अन्यों के साथ-साथ, प्रतिष्ठानों की निजी स्वामित्वाधीन अथवा अधिग्रहीत इमारतों की चौकीदारी के लिए ठेका श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया है जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार है। तथापि, मंत्रालयों और लिमिटेड कंपनियों द्वारा सुरक्षा के प्रयोजनार्थ नियोजित ठेका कर्मकारों, यदि कोई हों, के बारे में केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों को कड़ाई से प्रदर्शित किया जाता है तथा उल्लंघन के मामलों में कानूनी उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

*[अनुवाद]*

**अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय की निगरानी**

**576. श्री अजीत जोगी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान रक्षा बजट से अनुसंधान और विकास पर कितनी प्रतिशत धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार की गत तीन वर्षों के दौरान डी.आर.डी.ओ. द्वारा किए गए तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधानों का मूल्यांकन करने एवं इनमें व्यय के संबंध में कोई निगरानी प्रणाली है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर रक्षा बजट का कितना प्रतिशत व्यय हो रहा है इसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | व्यय |
|---|---|
| 1996-97 | 4.90 |
| 1997-98 | 5.42 |
| 1998-99 | 5.99 |

(ख) और (ग) विभिन्न रक्षा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में किए गए व्यय के आकलन और तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानीटरी और समीक्षा तंत्रों का गठन किया गया है। इन तंत्रों में विविध क्षेत्रों के अनुसंधान तथा विकास पैनल, बहु-स्तरीय प्रबंधन-बोर्ड और संचालन समितियां शामिल हैं जिनमें प्रयोक्ता सेवाओं, उत्पादक और गुणता आश्वासन एजेंसियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक रक्षा और अनुसंधान परियोजना की प्रत्येक वर्ष में दो बार रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन परिषद द्वारा समीक्षा की जाती है।

**खनन निरीक्षकों की कमी**

**577. श्री विकास चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खनन निरीक्षकों की कमी की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 और 1998 में खनन निरीक्षकों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या खनन निरीक्षकों की कमी के कारण खानों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया जाता है जिसकी वजह से प्राण घातक दुर्घटनाएं होती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के खानों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए खनन निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : (क) और (ख) वर्ष 1980 में खान निरीक्षकों की स्वीकृत नफरी 127 थी जबकि वर्ष 1998 में यह 167 थी।

(ग) से (ङ) यह कहना सही नहीं है कि निरीक्षकों की कमी के कारण घातक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। खान निरीक्षकों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर विभिन्न समितियों तथा खानों में दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित जांच न्यायालयों ने भी बल दिया है। तदनुसार, खान निरीक्षकों की नफरी में बढ़ोतरी करने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए नई योजनागत स्कीमें तैयार की गई हैं।

*[हिन्दी]*

**गोरखपुर-नरकटियागंज रेल मार्ग का आमान परिवर्तन**

**578. श्री जयसिंहजी चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखपुर-नरकटियागंज रेल मार्ग का आमान परिवर्तन पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) से (ग) कार्य पूरा हो गया है और लाइन 31.3.99 तक चालू हो जाएगी।

**दोहद-इन्दौर रेलवे लाइन को स्वीकृति**

**579. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा दोहद (गुजरात) से इन्दौर (मध्य प्रदेश) वाया (झाबुआ/धार) तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) झाबुआ/धार के रास्ते दाहोद और इंदौर के बीच नई लाइन का निर्माण गोधरा-दाहोद-इंदौर और देवास्-मक्सी परियोजना के तहत पहले ही शुरू हो चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पटना विमानपत्तन पर अति विशिष्ट व्यक्तियों हेतु प्रतीक्षाकक्ष**

**580. श्री राजो सिंह :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पटना विमानपत्तन पर अति विशिष्ट व्यक्यिों हेतु प्रतीक्षाकक्ष बनाने की किसी योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार):** (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वर्तमान टर्मिनल भवन का 10.30 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार कर रहा है। कार्य के मई, 1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

**उड़ीसा में चल रही दूरदर्शन परियोजनाएं**

**581. श्री रंजीब बिस्वाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में चल रही दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में इन परियोजनाओं के मामले में कितनी प्रगति हुई है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा में दूरदर्शन के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है.

(ग) स्थल, पर्याप्त संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं, अपेक्षित जनशक्ति की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन इन परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से 9वीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने की आशा है।

*विवरण*

*उड़ीसा में कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन परियोजनाओं की स्थिति*

| स्टूडियो | परियोजना | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| सम्बलपुर | (स्थायी स्थापना) | चालू |
| भवानी पटना | | संस्थापन कार्य प्रगति पर है इसके 1991 में पूरा हो जाने की आशा है। |
| उ.श.ट्रां. | | |
| बरहामपुर | | सिविल निर्माण कार्य सौंप दिया गया है तथा 1999-2000 में पूरा हो जाने की आशा है। |

| | |
|---|---|
| संबलपुर (डी.डी.-1) | 10 कि.वा. शक्ति के ट्रांसमीटर का डम्मी लोड पर परीक्षण किया गया है। |
| संबलपुर (डी.डी. 2) | उपकरण हेतु आदेश दे दिए गए हैं, परियोजना के 1999-2000 के दौरान पूरा होने की आशा है। |
| **अ.श.ट्रां.** | |
| बीरमित्रपुर | स्थल की पहचान कर ली गयी है, उपकरणों की आपूर्ति हो गयी है, मार्च, 1999 तक पूरा होने की आशा है। |
| चिक्ती | स्थल की पहचान कर ली गयी है, उपकरण हेतु आदेश दे दिए गए हैं। |
| गोंदिया (कपिलास) | तकनीकी रूप से तैयार। |
| जलपाड़ा | स्थान की पहचान की जानी है, उपकरण हेतु आदेश दे दिए गए हैं। |
| करंजिया | स्थान उपलब्ध हो गया उपकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। |
| खारियार | स्थान उपलब्ध है, संस्थापन कार्य शुरू किया जा रहा है। |
| कुलाड़ | स्थान की पहचान की जानी है उपकरण की आपूर्ति हो गयी है। |
| नयागढ़ | स्थान की पहचान की जानी है उपकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। |
| राजगंगपुर | स्थान की पहचान की जानी है। ट्रांसमीटर उपकरण को पटनागढ़ भेज दिया गया है। |
| तुशारा/सैंटाला | स्थान की पहचान की जानी है। ट्रांसमीटर उपकरण को केन्द्रपाड़ा भेज दिया गया है। |
| **अ.अ.श.ट्रां.** | |
| जयपटना | स्थान की पहचान की जानी है, उपकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | काशीपुर | स्थान की पहचान कर ली गयी है उपकरण हेतु आदेश दे दिए गए हैं। |
| | लांजीगढ़ | स्थान की पहचान कर ली गयी है, उपकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। |
| | मच्छकुण्ड | स्थान की पहचान कर ली गयी है, उपकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। |
| | पाइकमल | स्थान की पहचान की जानी है, उपकरण के लिए आदेश दे दिए हैं। |
| | सबडागा | स्थान की पहचान की जानी है। |
| | सिमिलीपालगढ़ | स्थान की पहचान कर ली गयी है, उपकरण की आपूर्ति हो गई है। संस्थापन कार्य शुरू किया जा रहा है। |
| | सुकिन्डा | स्थान की पहचान की जानी है। उपकरण आपूर्ति कर दी गई है। |
| | **ट्रांसपोजर** | |
| | चांदीपाड़ा | स्थान की पहचान की जानी है। |
| | धेनकनाल | स्थान की पहचान की जानी है। |

**पर्यटन पर निर्भर राज्यों के लिए योजना**

**582. श्री माधव राव पाटील :**
**श्री विठ्ठल तुपे :**
**श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन पर निर्भर राज्यों में पर्यटन विकास के लिए कोई विस्तृत सूत्रबद्ध की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें इन योजनाओं में शामिल किया गया है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग) :** (क) से (ग) राज्यों में पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटक परिसरों, पर्यटक बंगलों, पर्यटक स्वागत केन्द्रों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, यात्री निवास, मेले और उत्सवों, साहसिक पर्यटन का विकास आदि जैसी पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता अभिनिर्धारित तीर्थ/पर्यटक केन्द्रों के एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास के लिए भी प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता मेले और उत्सवों का आयोजन करने सहित संवर्धनात्मक और प्रचार कार्यकलापों के लिए भी मुहैया की जाती है। सभी राज्य सरकारें योजनाओं में शामिल हैं।

*[हिन्दी]*

**राजभाषा का रक्षा क्षेत्र में प्रयोग**

**583. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने के मामले में पिछड़ रहा है जिसके कारण यह हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभाग द्वारा हिंदी पत्रिका के वार्षिक या अर्ध-वार्षिक संस्करण प्रकाशित करने का क्या औचित्य है जबकि इसे मासिक या त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित होना चाहिए; और

(घ) क्या सरकार का राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर एक विशेष संस्करण निकालने का प्रस्ताव है जिससे सैन्य बलों की सही तस्वीर हिंदी भाषी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जा सके?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने किसी भी गृह-पत्र या पत्रिका को मासिक या त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। रक्षा मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा इनका प्रकाशन पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*[अनुवाद]*

## राजस्थान में पर्यटन का विकास

**584. कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को चालू वित्तवर्ष के दौरान राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए योजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान के विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष कितने विदेशी पर्यटक घूमने आए?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग)** : (क) पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय उनसे विचार-विमर्श करके अभिनिर्धारित की गई चुनिंदा परियोजनाओं के लिए, उनके गुण दोषों और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। इस मंत्रालय ने वर्ष 1998-99 के लिए 431 लाख रु. की वित्तीय सहायता से 25 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की है।

(ख) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान, राजस्थान के विभिन्न पर्यटक स्थलों का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है:-

| वर्ष | विदेशी पर्यटकों की संख्या |
|---|---|
| 1996 | 5,60,946 |
| 1997 | 5,83,384 |

## इंडियन एयरलाइंस को घाटा

**585. श्रीमती गीता मुखर्जी :**
**श्री अजय चक्रवर्ती :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1999 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "द ग्रेट इंडियन एयरलाइंस रोप ट्रिक, लॉसेस टर्न प्राफिट ऑन पेपर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमान मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लेखा पद्धति कानूनी है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अधीन इसकी अनुमति दी जाती है। इंडियन एयरलाइंस के लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किये जाते हैं। वर्ष के दौरान पूरे आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा लेखाओं की लेखा-परीक्षा का सत्यापन किया जाता है। कम्पनी के लेखाओं की लेखा-परीक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों और सरकारी लेखा-परीक्षकों द्वारा भी की जाती है। ये बाहरी एजेंसियां हैं जो अपनी रिपोर्ट शेयरधारकों और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करती हैं।

## रेल लाइनों का पुनर्निर्माण

**586. श्री सुरेश धरपुडकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भूलन एवं बनारस के बीच 2000 मीटर लम्बी रेल लाइन तथा बिहार में लोदना के निकट 1000 मीटर से अधिक लम्बी रेल लाइन के टूट जाने का तत्काल खतरा है तथा इन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में रेल लाइन के धंस जाने के कारण किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए उपर्युक्त रेल लाइनों को बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित ऐहतियाती उपाय किए गए हैं:-

(1) उपयुक्त स्थानों पर पानी के तालाबों की व्यवस्था।

(2) नामित प्वाइंटों पर तापमान की आवधिक जांच।

(3) निष्क्रिय सामग्रियों अर्थात् रेत आदि को भरना।

मै. भारत कोकिंग कोल लि. जिसका इस क्षेत्र में खदान कार्य चल रहा है, को आग पर नियंत्रण रखने के लिए रेलवे के परामर्श से उपरोक्त उपाय करने के लिए कहा गया है। फिलहाल, उपरोक्त लाइन के पुन: निर्माण की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है क्योंकि प्रचलित सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संरेखण के मार्ग परिवर्तन को झरिया लोडना आदि के स्थानीय जनता द्वारा विरोध किए जाने की संभावना है।

अतिरिक्त ऐहतियाती उपाय के रूप में प्रभावित क्षेत्र में स्थायी पेट्रोलमैन भी तैनात किए हैं और गति-प्रतिबंधों पर गाड़ियां सावधानी पूर्वक चलाई जा रही हैं।

*[हिन्दी]*

## सी-बर्ड नेवल बेस

**587. श्री अरविंद कांबले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम भारत में एक "सी-बर्ड नेवल बेस" स्थापित करने के प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों से भी विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और यह अड्डा किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)** : (क) से (ग) भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक राज्य के कारवाड़ क्षेत्र में नौसेना बेस "सी-बर्ड" को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है और उसकी स्थापना संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

*[अनुवाद]*

## रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती

**588. श्री चमन लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1997 में जम्मू-कश्मीर में रेलवे सुरक्षा बल की भर्ती हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू-कश्मीर की इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थी अब भी प्रशिक्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या-क्या हैं; और

(घ) इन अभ्यर्थियों को कब तक प्रशिक्षण दे दिया जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी हां। जनवरी से अक्तूबर, 1997 के दौरान रेल सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल के पदों की नियुक्ति करने के लिए जम्मू और कश्मीर में भर्ती आयोजित की थी।

(ख) और (ग) चयनित उम्मीदवार संतोषजनक चिकित्सा रिपोर्ट और पुलिस सत्यापन रिपोर्टें के पूर्ववृत्त उनके पक्ष में प्राप्त हो जाने पर प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं बशर्ते कि प्रशिक्षण स्कूल में क्षमता उपलब्ध हो। इस मामले में पुलिस सत्यापित रिपोर्टें भागों में प्राप्त हुई हैं। चयनित उम्मीदवारों की अधिकांशत: रिपोर्टें

अब प्राप्त हुई है और तदनुसार उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए बुलावा पत्र जारी कर दिए गए हैं। शेष चयनित उम्मीदवारों की पुलिस सत्यापन रिपोर्टें पुलिस विभाग से प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो रही हैं।

(घ) जम्मू और कश्मीर में चयनित उम्मीदवारों का प्रारंभिक प्रशिक्षण मई, 1999 के प्रथम सप्ताह में शुरू करना निर्धारित है।

**फ्रेंकफर्ट विमानपत्तन पर बोईंग 747-400 की दुर्घटना**

**589. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के बोईंग 747-400 विमान की फ्रेंकफर्ट विमानपत्तन पर दुर्घटना हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एयर इंडिया को उससे कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या इसे बीमा कम्पनी से वसूल किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री ( श्री अनंत कुमार ):** (क) एअर इंडिया का बोइंग 747-400 विमान बीटी-ईवीए दिनांक 20.1.1999 को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह फ्रैंकफर्ट विमानपत्तन पर अवतरण कर रहा था।

(ख) इस घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) एअर इंडिया की संभाव्य हानि मरम्मत लागत के बतौर 127.82 लाख रु. है जबकि जनशक्ति तथा सामग्री के संचालन के संबंध में लागत बतौर 14.21 लाख रु. है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**कोहरे से घिरी रेल पटरियां**

**590. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
**श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
**श्री रवि सीताराम नायक :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ ने भारतीय रेलों और केब सिगनलिंग सिस्टम में विशेष उपकरण लगाने का निर्णय लिया है ताकि रेलगाड़ियों को कोहरे वाले मौसम में भी आसानी से चलाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिसंबर, 1998 में मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अंतर्गत वे कुछ चुनिंदा मार्गों पर परीक्षण के आधार पर इन उपस्करों को लगाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रेलों में इस विशेष उपकरण को कब तक लगा दिया जाएगा और इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राम नाईक ) :** (क) यू.आई.सी. (इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज/पेरिस) के समन्वय के साथ दिल्ली-मथुरा खंड पर रेडियो आधारित यूरोपियन गाड़ी नियंत्रण प्रणाली (ईटीसीएस)-लेवल 2 की पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है। भारतीय रेलों पर कैब सिगनल प्रणाली स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) स्टेशन अंतर्पाशन से सिगनल संबंधी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जाती है और तब इंजन को रेडियो के माध्यम से इसके संप्रेषण के लिए इसे प्रोसेस किया जाता है। स्वचल सिगनल, मध्यवर्ती ब्लाक सिगनल और अंतर्पाशित गेटों की सिगनल पहलु संबंधी स्थिति सिगनल केबल पर स्थित एक स्टेशन पर एक केंद्रीय स्थान में लाई जा सकती है। इससे सिगनल पहलुओं की जांच करना संभव हो जाता है। जहां स्टेशन पर अंतर्पाशन के लिए एक से अधिक केबिनों का इस्तेमाल होता है, केबल द्वारा सिगनल पहलुओं को एक ही केबिन में लाया जा सकता है और, तब रेडियो के जरिए आगे संप्रेषित किया जा सकता है। निकटवर्ती स्टेशनों के सिगनल पहलू भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(ग) इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(घ) यू.आई.सी., पेरिस के परामर्श से ईटीसीएल लेवल-2 के परीक्षण के लिए समय सीमा निर्धारित किया जा रहा है। इस पर लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

**इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय**

**591. श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस का विलय एयर इंडिया के साथ करने का है ताकि उपलब्ध बुनियादी साधनों, विमान बेड़े, दोनों राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के उपस्करों और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके तथा दोनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**रोजगार साधन के रूप में पर्यटन**

**592. श्री टी. गोविन्दन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन उद्योग को रोजगार का प्रमुख साधन बनाने हेतु देश में अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उद्यमियों द्वारा पर्यटन उद्योग में दीर्घ अवधि का निवेश कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक आपांग)**: (क) पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग को रोजगार का प्रमुख साधन बनाने तथा देश में अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी गई है।
- विदेशी प्रचार एवं व्यापार माध्यमों के लिए रुचिकर यात्रा का आयोजन।
- समय-समय पर भारत पर्यटन सप्ताह, खजुराहो-सहस्त्राब्दि, बौद्ध महोत्सव, भारत भ्रमण वर्ष तथा अन्य विशेष समारोहों का आयोजन।
- राज्य सरकारों को क्षेत्र विशेष में मेलों, उत्सवों तथा शिल्प मेलों के आयोजन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दिया जाना।
- नई होटल परियोजना के लिए ब्याज इमदाद दिया जाना।
- होटल प्रबंधन तथा खान-पान से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना।

(ख) और (ग) तकनीकी परामर्श सेवा, विशेषाधिकार, प्रबंधन शुल्क आदि के संबंध में विदेशी सहयोग के साथ-साथ 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश तथा 100 प्रतिशत तक अप्रवासी भारतीय निवेश स्वत: अनुमोदन योजना के तहत हैं जिसमें ऐसे प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही निपटा दिए जाते हैं। विदेशी निवेश के अन्य प्रस्तावों के निपटान के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड तथा परियोजना अनुमोदन बोर्ड का गठन किया गया है।

**असम में अधूरे एचपीटीज/एलपीटीज/ट्रांसपोजर्स**

**593. श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम के विभिन्न जिलों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर/कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर्स के शुरू किए गए निर्माण कार्यों ट्रांसमीटर का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं में प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की शुरूआती अनुमानित लागत और तत्पश्चात् लागत में कितनी राशि की वृद्धि हुई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान असम में सात ट्रांसमीटरों की प्रतिष्ठापना का कार्य हाथ में लिया गया था जिनमें गुवाहाटी तथा सिलचर में दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डी.डी. 2), बोकाखात, सिलचर (डी.डी. 2), डिब्रूगढ़ (डी.डी. 2), गोहपुर में चार अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और गुवाहाटी में ट्रांसपोजर शामिल हैं। इनमें से सिलचर (डी.डी. 2), डिब्रूगढ़ (डी.डी. 2) तथा गोहपुर में तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर चालू किए जा चुके हैं तथा शेष चार को वर्ष 1999-2000 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) उपर्युक्त सात ट्रांसमीटरों को 1396.75 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया था और आज की तारीख तक इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है।

**हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन**

**594. डा. उल्हास वासुदेव पाटील :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हैदराबाद में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में असंतोषजनक प्रदर्शन सुविधाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष फिल्म समारोह निदेशालय को कितना केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया गया?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) :** (क) सरकार को कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, इस संबंध में कुछ अनौपचारिक फीडबैक तथा मीडिया रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इन्हें फिल्म समारोह निदेशालय ने भविष्य के लिए नोट कर लिया है।

(ग) पिछले पांच वर्ष के दौरान फिल्म समारोह निदेशालय के लिए बजटीय आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

| वर्ष | योजना | गैर-योजना |
|---|---|---|
| 1994-95 | 249.16 | 217.06 |
| 1995-96 | 453.58 | 224.84 |
| 1996-97 | 251.52 | 239.75 |
| 1997-98 | 267.38 | 302.13 |
| 1998-99 | 326.00 | 332.13 |

*[हिन्दी]*

**अनुचित साधनों द्वारा भर्ती**

**595. श्री दादा साहूराव परांजपे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ लोगों ने 506 आर्मी बेस वर्कशाप, जबलपुर (मध्य प्रदेश) में गलत तरीके से नौकरी पाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) भविष्य में ऐसे अनुचित कार्य पुन: न हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) :** (क) से (घ) वर्कशॉप में भर्ती "ई.एम.ई. औद्योगिक कार्मिक भर्ती नियम, 1989" का कड़ाई से पालन करते हुए की जा रही है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी एहतियात बरती जाती है कि भर्ती के दौरान तथा उसके बाद किसी भी समय किसी तरह से अनुचित तरीके इस्तेमाल न किए जाएं। यद्यपि, सिविल प्राधिकारियों द्वारा जांच किए जाने पर दो मामलों में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए जाति प्रमाण-पत्र झूठे पाए गए थे। इसलिए उन दो अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अति सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है और जाति प्रमाण-पत्रों की कड़ाई से जांच की जाती है।

*[अनुवाद]*

**समूल्य प्रकाशन**

**596. श्री ए.सी. जोस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98 और 1998-99 के दौरान मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा कौन-कौन से समूल्य प्रकाशन निकाले गये हैं;

(ख) क्या सभी प्रकाशनों की बिक्री के लिए एजेंटों/पुस्तक विक्रेताओं की पहचान कर ली गई है;

(ग) कौन-कौन से स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालय इन प्रकाशनों के उपभोक्ता हैं;

(घ) क्या प्रकाशन प्रभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान कोई पुस्तक प्रदर्शनी लगाई है अथवा किसी पुस्तक मेले में भाग लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी)** : (क) 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित समूल्य पुस्तकों को दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को बेचने हेतु 943 एजेंटों/पुस्तक विक्रेताओं को अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) अन्य के साथ-साथ स्कूल, कालेज एवं विश्वविद्यालय प्रकाशन विभाग की पुस्तकों को सीधे पुस्तक विक्रेताओं/एजेंटों से खरीदते हैं जिसकी सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान प्रकाशन विभाग ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 242 पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन किया/में भाग लिया है:-

| | |
|---|---|
| (1) 1996-97 | 62 प्रदर्शनी |
| (2) 1997-98 | 75 प्रदर्शनी |
| (3) 1998-99 | 105 प्रदर्शनी (27.12.98 तक) |

***विवरण***

*वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें*

| क्र.सं. | पुस्तक का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | **अंग्रेजी** |
| 1. | इंडियन प्रेस सिन्स 1955 |
| 2. | सिटीज आफ इंडिया - बंगलौर |
| 3. | हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म (पुनः मुद्रित) |
| 4. | 2500 इयर्स आफ बुद्धिज्म (पुनः मुद्रित) |
| 5. | 1857 ए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन (पुनः मुद्रित) |
| 6. | कोटेबुल कोट्स : अरविंदो |
| 7. | मेघनाथ साहा |
| 8. | इंडिया - 96 - ए रेफरेंस एनुअल |
| 9. | कॉमन मैन्स गाइड टू राइट्स एंड फेसिलिटीज़ |
| 10. | कम्युनिकेशंस, टैक्नोलोजी एंड डेवलपमेंट |
| 11. | सिटीजन्स एंड द कांस्टीटयूशन |
| 12. | साइंजन : जेयर्स काफीकैट |
| 13. | इंडिया इन ऑरबिट |
| 14. | स्टेट्स ऑफ अवर यूनियन : मिजोरम |
| 15. | स्टेट्स ऑफ अवर यूनियन : उड़ीसा |
| 16. | एडवेंचर्स ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट (पुनः मुद्रित) |
| 17. | चिल्ड्रेन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया (पुनः मुद्रित) |
| 18. | फ्रिडम फाइटर्स रिमेम्बर |
| 19. | प्रेस इन इंडिया -1996 |
| 20. | फ्रिडम फाइटर्स रिमेम्बर (दिल्ली) |
| 21. | द गजेटियर ऑफ इंडिया-वाल्यूम-II (पुनः मुद्रित) (दिल्ली) |
| 22. | स्टेट्स ऑफ अवर यूनियन : महाराष्ट्र |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 23. | गॉसपेल ऑफ बुद्धा (पुनः मुद्रित) |
| 24. | सिटीज ऑफ इंडिया : हैदराबाद (दिल्ली) |
| 25. | स्टेट्स ऑफ अवर यूनियन : हिमाचल प्रदेश |
| 26. | इंडिया-96—ए रेफरेंस ऐनुअल (एडिशनल कॉपीज) |
| 27. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम 96 (पुनः मुद्रित) (दिल्ली) |
| 28. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम 94 (पुनः मुद्रित) (दिल्ली) |
| 29. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम 91 (पुनः मुद्रित) (दिल्ली) |
| 30. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम 95 (पुनः मुद्रित) (दिल्ली) |
| 31. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम 97 (पुनः मुद्रित) (दिल्ली) |
| 32. | कॉमन मैन्स गाइड टू राइट्स एण्ड फैसीलिटीज (पुनः मुद्रित) (दिल्ली) |
| 33. | पब्लिकेशन्स डिविजन - डायरी 1998 (दिल्ली) |
| 34. | ए न्यू एप्रोच टू इकबाल (पुनः मुद्रित) |
| 35. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम 100 (पुनः मुद्रित) (दिल्ली) |
| 36. | लाइफ एण्ड इनवाइरैनमैन्ट : ए फोटो एलबम (दिल्ली) |
| 37. | नागेन्द्र सिंह - ए मेनी स्प्लेन्डर्ड लाइफ |
| 38. | इंडिया 1998 - ए रेफरेंस एनुअल |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | हिन्दी |
| 1. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-28 (पुनः मुद्रित) |
| 2. | आचार्य विनोबा भावे (बी.एम.आई.) |
| 3. | मजरूल हक (बीएमआई) (पुनः मुद्रित) |
| 4. | शान्तिदूत गांधी |
| 5. | अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल |
| 6. | कौन हंसा |
| 7. | सिक्किम संस्कृति और जनजीवन |
| 8. | बौद्धधर्म के 2500 वर्ष (पुनः मुद्रित) |
| 9. | भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास (पार्ट-III) (पुनः मुद्रित) |
| 10. | एक दिन का मेहमान (पुनः मुद्रित) |
| 11. | भारतीय जनजातियां अतीत के झरोखे से |
| 12. | अवध की लोककथाएं (पुनः मुद्रित) |
| 13. | विपिन चन्द्र पाल (बी.एम.आई.) |
| 14. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-II (पुनः मुद्रित) |
| 15. | भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास-वाल्यूम 4 (पुनः मुद्रित) |
| 16. | भारतीय चित्रकला में संगीत तत्व (दिल्ली) |
| 17. | साधुमत और लोकमत |
| 18. | चितरंजन दास (पुनः मुद्रित) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 19. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-84 |
| 20. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-85 |
| 21. | भारत का संक्षिप्त इतिहास |
| 22. | बाल गंगाधर तिलक (पुनः मुद्रित) |
| 23. | उत्तर मध्य क्षेत्र की लोक संस्कृति |
| 24. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-71 (पुनः मुद्रित) |
| 25. | बच्चों के लिए भारत का इतिहास (पुनः मुद्रित) |
| 26. | स्वतंत्रता सेनानियों की यादों के झरोखे |
| 27. | याद कर लेना कभी (शहीदों के प्रति) |
| 28. | भारत 1998 |
| 29. | लोक गीतों में क्रान्तिकारी चेतना |
| 30. | सरोजनी नायडू (बीएमआई) (पुनः मुद्रित) |
| 31. | नेताजी सम्पूर्ण बांडमय-वाल्यूम-6 |
| 32. | नेताजी सम्पूर्ण वांडमय-वाल्यूम-1 (पुनः मुद्रित) |
| 33. | उत्तर प्रदेश की लोककथाएं (पुनः मुद्रित) |
| 34. | हिन्दी राष्ट्रभाषा से राजभाषा तक |
| 35. | इन्दिरा गांधी (बी.एम.आई.) |
| 36. | जवाहर लाल नेहरू के भाषण - वाल्यूम-I (पुनः मुद्रित) |
| 37. | स्वतंत्रता सेनानियों की यात्रा के झरोखे (दिल्ली) |
| 38. | जवाहर लाल नेहरू के भाषण-वाल्यूम-II (पुनः मुद्रित) |
| 39. | स्वामी विवेकानन्द (बीएमआई) (पुनः मुद्रित) |
| 40. | भारत के समाचार पत्र 1996 |
| 41. | नेताजी सम्पूर्ण वांड़मय वाल्यूम-II (पुनः मुद्रित) |
| 42. | कब्बू रावी (पुनः मुद्रित) |
| 43. | राजस्थान के नारी रत्न (पुनः मुद्रित) |
| 44. | नेताजी सम्पूर्ण वांड़मय-वाल्यूम-III (पुनः मुद्रित) |
| 45. | सी.डब्ल्यू.एम.जी.-वाल्यूम-13 ((पुनः मुद्रित) |
| 46. | हंसने वाला कुत्ता (दिल्ली) |
| 47. | पामू का घर (लोक प्रकाश) |
| 48. | बाघ की तलाश (दिल्ली) |
| 49. | भारत 1996 (अतिरिक्त प्रतियां) (लोक प्रकाशन) |
| 50. | अभ्यारण्य (पुनः मुद्रित) |
| 51. | विदेशी यात्रियों की नजर में भारत (पुनः मुद्रित) |
| 52. | विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं - पार्ट 4 (पुनः मुद्रित) |
| 53. | हमारे स्काउट गाईड (पुनः मुद्रित) |
| 54. | भारत के प्राचीन स्मारक (पुनः मुद्रित) |
| 55. | भारत के महान शिक्षा शास्त्री (पुनः मुद्रित) |
| 56. | झलकारी-बाई (पुनः मुद्रित) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 57. | पौराणिक बाल कथाएं (पुनः मुद्रित) |
| 58. | बेताल कथाएं (पुनः मुद्रित) |
| 59. | कार्बन कॉपियों की करामात (पुनः मुद्रित) |
| 60. | गिनतीलाल की हीरा (पुनः मुद्रित) |
| 61. | क्रान्तिकारियों का बचपन (पुनः मुद्रित) |
| 62. | हमारे बहादुर बच्चे (पुनः मुद्रित) |
| 63. | हमारे परमवीर (पुनः मुद्रित) |
| 64. | कम्प्यूटर सबके लिए (पुनः मुद्रित) |
| 65. | पैगम्बरों की कथाएं (पुनः मुद्रित) |
| 66. | रोचक ऐतिहासिक कथाएं भाग-2 (पुनः मुद्रित) |
| 67. | महारथी कर्ण (पुनः मुद्रित) |
| 68. | सांस्कृतिक एकता का गुलदस्ता (पुनः मुद्रित) |
| 69. | लक्षद्वीप की समुद्री कथाएं (पुनः मुद्रित) |
| 70. | रोचक ऐतिहासिक कहानियां (भाग-1) (पुनः मुद्रित) |
| 71. | बस पांच मिनट (पुनः मुद्रित) |
| 72. | श्रद्ध की दक्षिण तथा अन्य हॉस्य कथाएं (पुनः मुद्रित) |
| 73. | भारत की लोककथा गीत-भाग-2 (पुनः मुद्रित) |
| 74. | भारतीय संस्कृति की झांकी (पुनः मुद्रित) |
| 75. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. भाग-2 (पुनः मुद्रित) |
| 76. | भारतीय जहाजरानी |
| 77. | बागवानी कैसे करें |
| 78. | नेताजी सम्पूर्ण वांड़मय-वाल्यूम-4 (पुनः मुद्रित) |
| 79. | विश्व की श्रेष्ठ लोककथाएं-वाल्यूम-2 (पुनः मुद्रित) |
| 80. | नेताजी सम्पूर्ण वांड़मय वाल्यूम 8 |
| 81. | हमारी झीलें और नदियां |

**क्षेत्रीय भाषाएं**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बद्रूद्दीन तेंयाबजी (बीएमआई) | उर्दू |
| 2. | मजरूल हक (बीएमआई) | उर्दू |
| 3. | कोटेबल कोट्स : सुब्रहमन्यम भारती | तमिल |
| 4. | सोसल फिलॉस्पर्स | गुजराती |
| 5. | ग्रेट क्लासिक | तेलगू |
| 6. | एक दिन का मेहमान | गुजराती |
| 7. | एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिपुल | बंगाली |
| 8. | धन्ना राजा | गुजराती |
| 9. | एन आउटलाईन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिपुल | तमिल |
| 10. | ग्रेट क्लासिक रिटोल्ड | मराठी |
| 11. | एन आउटलाईन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिपुल | मराठी |
| 12. | स्टोरीज ऑफ टैगोर (बाल कहानियां) | मराठी |
| 13. | एन आऊटलाईन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिपुल | गुजराती |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| 14. | आर.एन. टैगोर (बी.एम.आई.) | मराठी |
| 15. | डा. एन.एस. हार्दिकर (बी.एम.आई.) | मराठी |
| 16. | ग्रेट क्लासिक | गुजराती |
| 17. | जवाहरलाल नेहरू (बी.एम.आई.) | उर्दू |
| 18. | मैडम भीकाजी रूस्तम, कामा (बी.एम.आई.) | गुजराती |
| 19. | डेवोसनल पोएट्स ऑफ मिस्टीक पार्ट-2 (संता कवि) | गुजराती |
| 20. | स्वामी दयानंद सरस्वती (बी.एम.आई.) | गुजराती |
| 21. | सफीना-ए-मालिब | उर्दू |
| 22. | बायोग्राफो ऑफ बक्कर बाना (बी.एम.आई.) | गुजराती |
| 23. | मुख्तार अहमद अंसारी | उर्दू |
| 24. | ए गाईड टू होम मार्डनिम (आंगनबाड़ी मार्गदर्शिता) | गुजराती |
| 25. | कालीदास की कहानी | गुजराती |
| 26. | भामा शोनो बीजो फेरो | गुजराती |
| 27. | मुथी भुलनी पूजा | गुजराती |
| 28. | अक्ल नो इजारो | गुजराती |
| 29. | मुथी उछेड़ा बालको | गुजराती |
| 30. | मेघ धनुष | गुजराती |
| 31. | पृथ्वी नी परकामा | गुजराती |

वर्ष 1997-98 के दौरान प्रकाशित कुल शीर्षकों की संख्या:-

| | |
|---|---|
| अंग्रेजी | 38 |
| हिन्दी | 81 |
| क्षेत्रीय भाषाएं | 31 |
| कुल | 150 |

भाषानुसार ब्यौरा:

| | |
|---|---|
| गुजराती | 17 |
| मराठी | 5 |
| उर्दू | 5 |
| तमिल | 2 |
| तेलुगू | 1 |
| बंगाली | 1 |

*वर्ष 1998-99 के दौरान 18 फरवरी तक निम्नलिखित पुस्तकों को प्रकाशित किया गया*

| क्र.सं. | पुस्तक का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | **अंग्रेजी** |
| 1. | इंडियन क्लासिकल डान्स (पुन: मुद्रित) |
| 2. | श्री अरविन्दो (पुन: मुद्रित) |
| 3. | चिल्ड्रेन इन क्वोट्स |
| 4. | इंडियन कैलेंन्ड्रीक सिस्टम |
| 5. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-1 (पुन: मुद्रित) |
| 6. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-14 (पुन: मुद्रित) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 7. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-15 (पुनः मुद्रित) |
| 8. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. वाल्यूम-16 (पुनः मुद्रित) |
| 9. | शहीदों के खत |
| 10. | चिल्ड्रेन्स पंचतंत्र (पुनः मुद्रित) |
| 11. | चिल्ड्रेन्स रामायण (पुनः मुद्रित) |
| 12. | चिल्ड्रेन्स महाभारत (पुनः मुद्रित) |
| 13. | वन्स अपान ए टाईम (फोक टेल्स ऑफ पंजाब) (पुनः मुद्रित) |
| 14. | फोक टेल्स आफ इंडिया (पुनः मुद्रित) |
| 15. | सरकार पनिक्कर-हिज लाईफ एण्ड टाईम्स (बी.एम.आई.) |
| 16. | इंडियन सिनेमा : बिजुअल टोएज |
| 17. | फोक टेल्स ऑफ इंडिया (पुनः मुद्रित) |
| 18. | स्टोरी ऑफ अेट सेन्ट रिफॉरमर्स (पुनः मुद्रित) |
| 19. | इंडिया 1999 : ए रेफरेंस एनुअल |
| 20. | इण्डो-इस्लामिक आर्किटेक्चर (पुनः मुद्रित) |
| 21. | स्टेट्स ऑफ आवर यूनियन : हिमाचल प्रदेश (पुनः मुद्रित) |
| | **हिन्दी** |
| 1. | सर शहीद भगत सिंह (पुनः मुद्रित) |
| 2. | हमारे त्यौहार (पुनः मुद्रित) |
| 3. | असली जिमाकड़े (पुनः मुद्रित) |
| 4. | युगप्रवर्तक आविष्कार |
| 5. | अमीर खुसरो (पुनः मुद्रित) |
| 6. | तेंदुआ और चीता (पुनः मुद्रित) |
| 7. | भारत की वैज्ञानिक विभूतियां |
| 8. | ट्रेकिंग |
| 9. | नेताजी संपूर्ण वांड़मय (वाल्यूम-5) |
| 10. | नेताजी संपूर्ण वांड़मय (वाल्यूम-7) |
| 11. | नेताजी संपूर्ण वांड़मय (वाल्यूम-9) |
| 12. | 1857 का स्वतंत्रता संग्राम |
| 13. | पहेलियां (पुनः मुद्रित) |
| 14. | लो गुब्बारे |
| 15. | भारत-1998 |
| 16. | अंजाने में हुए आविष्कार (पुनः मुद्रित) |
| 17. | कोक्कास का उड़न खटोला (पुनः मुद्रित) |
| 18. | सर्वधर्म संभाव |
| 19. | आजादी की लड़ाई के जब्तशुदा तराने |
| 20. | धनुआ राजा |
| 21. | अटपटनगर की कहानियां |
| 22. | बिहारीसतसई |
| 23. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. (वाल्यूम-15) (पुनः मुद्रित) |
| 24. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. (वाल्यूम-16) (पुनः मुद्रित) |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| 25. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. (वाल्यूम-17) | (पुनः मुद्रित) |
| 26. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. (वाल्यूम-27) | (पुनः मुद्रित) |
| 27. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. (वाल्युम-29) | (पुनः मुद्रित) |
| 28. | राजभाषा हिंदी | |
| 29. | हसरत मोहानी | |
| 30. | हमारा राष्ट्रीय ध्वज | |
| 31. | हकीम अजमल खान (बी.एम.आई.) | |
| 32. | क्रांतिकारी महिलाएं | |
| 33. | भारत में शारीरिक शिक्षा | |
| 34. | रऊफ चचा के गधा | |
| 35. | संपूर्ण गांधी वांडमय (वाल्युम-90) | |
| 36. | भारत के नारी रत्न | (पुनः मुद्रित) |
| 37. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. (वाल्युम-12) | (पुनः मुद्रित) |
| 38. | सी.डब्ल्यू.एम.जी. (वाल्यूम-88) | (पुनः मुद्रित) |
| 39. | नेताजी संपूर्ण वांड़मय (वाल्यूम-6) | (पुनः मुद्रित) |
| 40. | सी.डब्ल्यू.एम.वी. (वाल्यूम-89) | |
| 41. | नेताजी संपूर्ण वांड़मय (वाल्यूम-5) | (पुनः मुद्रित) |
| 42. | नेताजी संपूर्ण वांडमय (वाल्युम-7) | (पुनः मुद्रित) |
| 43. | नेताजी संपूर्ण वांडमय (वाल्यूम-3) | (पुनः मुद्रित) |
| 44. | ट्रेकिंग | (पुनः मुद्रित) |
| 45. | भारत के पक्षी | (पुनः मुद्रित) |
| 46. | सिन्हा | |
| 47. | भारत-1999 | |
| 48. | नेताजी संपूर्ण वांड़मय (वाल्युम-9) | (पुनः मुद्रित) |
| 49. | नेताजी संपूर्ण वांड़मय (वाल्युम-8) | (पुनः मुद्रित) |
| 50. | नेताजी संपूर्ण वांड़मय (वाल्युम-4) | (पुनः मुद्रित) |
| 51. | नेताजी संपूर्ण वांड़मय (वाल्युम-2) | (पुनः मुद्रित) |
| 52. | हमारे त्यौहार | (पुनः मुद्रित) |
| 53. | रवीन्द्रनाथ टैगोर (बी.एम.आई.) | (पुनः मुद्रित) |
| 54. | हिंदी : राष्ट्रभाषा से राजभाषा तक | (पुनः मुद्रित) |
| 55. | आचार्य विनोबा भावे (बी.एम.आई.) | (पुनः मुद्रित) |
| 56. | स्वामी विवेकानंद (बी.एम.आई.) | (पुनः मुद्रित) |
| 57. | हंसने वाला कुत्ता | (पुनः मुद्रित) |
| 58. | बच्चों के लिए भारत का इतिहास | (पुनः मुद्रित) |
| 59. | हमारे बहादुर बच्चे | (पुनः मुद्रित) |

**क्षेत्रीय भाषाएं**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | टुगेदर वी मार्च | (तमिल) |
| 2. | सरदार वल्लभ भाई पटेल | (उर्दू) |

| 1 | 2 | | |
|---|---|---|---|
| 3. | स्मित न्यू मूल्या | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 4. | रंग और सुगंध | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 5. | वर्ता मामनू नगर | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 6. | खगोल यात्री | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 7. | विराट विभूतियो | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 8. | मोटनो काबलो | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 9. | प्रेरणा ना प्लूश | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 10. | सुखानो सूरज | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 11. | वडाना नी बातें | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 12. | कलाना ज्योतिर धारो | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 13. | जंगल में मोर नचायो | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 14. | रामायण, महाभारत एंड भागवत राइटर्स | (गुजराती) | (पुनः मुद्रित) |
| 15. | सांतों, भक्तो कवि पार्ट-1 | (गुजराती) | |
| 16. | इंडियन ट्राइब्स थ्रू एजेज | (गुजराती) | |
| 17. | मोहम्मद कुली कुतुबशाह | (उर्दू) | |
| 18. | हकीम अजमलखान | (उर्दू) | |
| 19. | शहीदों के खत | (असमिया) | |
| 20. | शहीतों के खत | (गुजराती) | |
| 21. | शहीदों के खत | (मराठी) | |
| 22. | शहीदों के खत | (उर्दू) | |
| 23. | शहीदों के खत | (पंजाबी) | |

| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| 24. | शहीदों के खत | (तेलुगु) |
| 25. | आवर नेशनल फ्लैग | (कन्नड़) |
| 26. | आवर नेशनल फ्लैग | (बंगला) |
| 27. | आवर नेशनल फ्लैग | (असमिया) |
| 28. | आवर नेशनल फ्लैग | (मलयालम) |
| 29. | आवर नेशनल फ्लैग | (मराठी) |
| 30. | आवर नेशनल फ्लैग | (तेलुगु) |
| 31. | आवर नेशनल फ्लैग | (पंजाबी) |
| 32. | आवर नेशनल फ्लैग | (गुजराती) |
| 33. | आवर नेशनल फ्लैग | (उर्दू) |
| 34. | आवर नेशनल फ्लैग | (तमिल) |
| 35. | क्विट इंडिया मूवमेंट | (तमिल) |
| 36. | स्टोरी आफ कालिदास | (तमिल) |
| 37. | सौदार्यो मिमांस्को | (गुजराती) |
| 38. | शिल्प शिक्षा | (बंगला) |
| 39. | शहीदों के खत | (तमिल) |
| 40. | शहीदों के खत | (मलयालम) |
| 41. | इंडियन फोल्क टेल्स | (तमिल) |
| 42. | फाउंडर्स आफ फिलोस्फी | |
| 43. | सरोजिनी नायडू | (उर्दू) |
| 44. | इंडियन फोक टेल्स | (तमिल) |
| 45. | महात्मा बुद्ध की हिदायतें | (उर्दू) |
| 46. | मदन मोहन मालवीय | (कन्नड़) |

वर्ष 1998-99 के दौरान प्रकाशित कुल शीर्षकों की संख्या:-

| | |
|---|---|
| इंगलिश | 21 |
| हिंदी | 59 |
| क्षेत्रीय भाषाएं | 47 |
| कुल | 126 |

भाषानुसार ब्यौरा :

| | |
|---|---|
| असमिया | 2 |
| बंगला | 2 |
| गुजराती | 18 |
| कन्नड़ | 2 |
| मलयालम | 2 |
| मराठी | 2 |
| पंजाबी | 3 |
| तमिल | 6 |
| तेलुगु | 2 |
| उर्दू | 7 |
| | 46 |

**एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए संयुक्त बेड़ा**

**597. श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के लिए संयुक्त बेड़ा रखने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त बेड़े की नई योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री अनंत कुमार)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

---

**अपराह्न 12.07 बजे**

## संचार संबंधी स्थायी समिति

### आठवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : महोदय, मैं दूरदर्शन द्वारा निर्मित और बाह्य निर्माताओं द्वारा निर्मित कार्यक्रमों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित संचार संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

**अपराह्न 12.07$^{1}/_{2}$ बजे**

## रक्षा संबंधी स्थायी समिति

### चौथा प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी** (होशियारपुर) : महोदय, मैं 'अत्याधुनिक जेट प्रशिक्षक' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी) संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

---

**अपराह्न 12.08 बजे**

## गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

### पचासवें से बावनवां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री मोतीलाल वोरा** (राजनंदगांव) : महोदय, मैं गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) लोकपाल विधेयक, 1998 का पचासवां प्रतिवेदन;

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 का इकावनवां प्रतिवेदन; और

(3) नोटरी (संशोधन) विधेयक, 1997 का बावनवां प्रतिवेदन।

---

अपराह्न 12.8½ बजे

## गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

### साक्ष्य

*[अनुवाद]*

**श्री मोतीलाल बोरा** (राजनांदगांव) : महोदय, मैं (1) लोकपाल विधेयक, 1998; (2) केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 और (3) नोटरी (संशोधन) विधेयक, 1997 के संबंध में गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिये गए साक्ष्य की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

अपराह्न 12.09 बजे

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

### तिरसठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी

**प्रो. आर.आर. प्रमाणिक** (मथुरापुर) : महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग) की खाद्य संरक्षण एवं सुरक्षा उपायों से संबंधित पहलुओं के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का तिरसठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

अपराह्न 12.09½ बजे

## कार्य मंत्रणा समिति के नवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**विद्युत, संसदीय कार्य और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुम्मरमंगलम)** : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 24 फरवरी, 1999 को सभापटल पर प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 24 फरवरी, 1999 को सभापटल पर प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

अपराह्न 12.10 बजे

## बजट (रेल) - 1999-000

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेल के 1999-2000 बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

### प्रस्तावना

इस सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने वाला है और इस दौरान भारतीय रेल से संबंधित एक "स्थिति पत्र" एवं "श्वेत पत्र" संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके द्वारा भारतीय रेलों के समक्ष वित्त पोषण, धन की अपर्याप्तता और विभिन्न चुनौतियों और कठिनाइयों से आपको अवगत कराया जा चुका है। मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि इनमें से कुछ मुद्दों पर हमने ठोस कदम उठाए हैं जिनका जिक्र मैं इस बजट भाषण में करूंगा।

संभवत: 1998-99 का वित्तीय वर्ष रेल मंत्रालय के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त राष्ट्र के लिए आर्थिक दृष्टि से एक कठिन वर्ष रहा है। विश्वव्यापी आर्थिक संकटों के कारण, एवं अन्य विभिन्न समस्याओं के बीच हमारा औद्योगिक और आर्थिक विकास प्रभावित रहा है जिससे रेल तंत्र भी अछूता नहीं रह सका। इस वर्ष माल ढुलाई आशा के अनुकूल नहीं रही। दूसरी तरफ पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रभाव स्वरूप खर्चों में वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थितियां अन्य किसी संस्थान को पूरी तरह हताश कर सकती हैं पर अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों के समक्ष भी हम पर्याप्त सफलताएं प्राप्त कर सके हैं। संसाधनों की कमी रहते हुए भी हमने इस वर्ष 100 लोकप्रिय गाड़ियों में 2 या अधिक सवारी डिब्बे लगाकर उनकी यात्री परिवहन क्षमता में विशेष वृद्धि की है और लगभग 440 अतिरिक्त

सवारी डिब्बे लगाकर प्रतिदिन 29,000 से अधिक यात्रियों को परिवहन सुलभ कराया है। इसके अतिरिक्त, 124 नई गाड़ियां चलाई गईं, 32 गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया और 32 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की गई। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 1998-99 में यात्री गाड़ियों के विषय में जो भी घोषणाएं की गईं थी उनमें, एक अपवाद को छोड़कर, बाकी सभी को कार्यान्वित कर दिया गया है।

**''1999-2000 – यात्री वर्ष''**

पिछले वर्ष यात्री सेवाओं में की गई वृद्धि से ही हम संतोष करके बैठे नहीं रहना चाहते हैं और इसलिए इस दिशा में और आगे बढ़कर हम वर्ष 1999-2000 को ''यात्री वर्ष'' के रूप में घोषित करना चाहते हैं। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम न केवल विश्वसनीय एवं बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें, वरन् हमारा यह भी प्रयास होगा कि हमारे कर्मचारी अधिक शिष्ट व्यवहार करें और यात्रियों को सुगम आरक्षण सहित बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि वर्ष के दौरान हर मंडल में कम से कम एक स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाया जाए जिसमें उन्नत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा कुछ चुनिंदा यात्री टर्मिनलों को अपग्रेड किया जाए। वैसे तो हम चाहते हैं कि सभी यात्री गाड़ियों में सुविधाओं का सुधार हो, परन्तु इस अभियान के पहले चरण में राजधानी तथा शताब्दी गाड़ियों के अतिरिक्त 30 मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि इनमें यात्री सुविधा संबंधी किसी प्रकार की शिकायत न हो।

अध्यक्ष महोदय, इस ''यात्री वर्ष'' के दौरान दलालों की गतिविधियों पर काबू पाने के प्रयास के पहले चरण में कलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली और चेन्नई को दलालों से मुक्त कराया जाएगा। हमें मालूम है कि यह बहुत कठिन कार्य है, पर इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

**यात्री सुविधाएं**

यात्री सुविधाओं को बेहतर करना रेलों का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। चालू वर्ष में भी हमने कई कदम उठाए हैं, जिन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा।

1. जनता के साथ सीधे संपर्क में आने वाले कर्मचारियों, जैसे टिकट कलेक्टर, बुकिंग क्लर्क आदि, के व्यवहार में अधिक विनम्रता एवं शिष्टता लाने के लिए दिल्ली में एक ''कस्टमर केयर इंस्टीट्यूट'' शीघ्र खुलने वाला है।

2. दिल्ली, सिकंदराबाद, कलकत्ता एवं मुंबई की यात्री आरक्षण प्रणालियों को नेटवर्किंग के द्वारा जोड़ा गया है और चेन्नई को भी 31 मार्च, 1999 तक इस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इस नेटवर्किंग के द्वारा अब किसी भी आरक्षण टर्मिनल से हर गाड़ी में आरक्षण कराने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

3. पिछले बजट में यात्री आरक्षण टर्मिनल के मानदंड को 300 आरक्षण प्रतिदिन से घटाकर 200 किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के दौरान 75 और केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़कर 400 से अधिक हो गई है।

4. रेलों के अपने ''रेल नेट'' स्थापित होने के साथ-साथ भारतीय रेल के 150 स्टेशनों पर यात्रियों की शिकायत की मॉनीटरिंग कंप्यूटर द्वारा सीधे मंडल एवं क्षेत्रीय मुख्यालय और रेलवे बोर्ड द्वारा की जा सकती है। इससे शिकायतों का शीघ्र निदान संभव हो सकेगा।

5. जनता को गाड़ियों में आरक्षण के लिए उपलब्ध स्थानों और महत्वपूर्ण गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान की वास्तविक जानकारी देने के वास्ते ''इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स प्रणाली'' की सुविधा को 44 स्टेशनों पर उपलब्ध करा दिया गया है।

6. यात्रीगण हमेशा गाड़ियों के चालन में वास्तविक स्थिति जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके लिए हमने पश्चिम और उत्तर रेलवे पर एक सफल प्रयोग किया है और इससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर अगले वर्ष एक ''राष्ट्रीय पूछताछ प्रणाली'' स्थापित हो जाने की संभावना है। इससे कहीं से किसी भी गाड़ी के चालन के बारे में सूचना प्राप्त की जा सकेगी।

7. नई दिल्ली स्थित आरक्षण परिसर में टेलीबुकिंग आरक्षण सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है।

8. भारतीय रेलों ने इंटरनेट पर अपना ''वेब पेज'' विकसित किया है जिसके फलस्वरूप विश्व में कहीं से भी गाड़ियों के शिड्यूल और उनके कनेक्शनों तथा पर्यटन गाड़ियों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है।

9. 100 से भी अधिक लम्बी दूरी की प्रमुख गाड़ियों में आरक्षण के लिए "तत्काल योजना" सफलतापूर्वक लागू की गई है। इससे यात्रियों को अल्प सूचना पर गाड़ी में आरक्षण कराने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

10. वर्ष 1998-99 में आठ गाड़ियों पर पैंट्रीकार सेवाएं शुरू करने की घोषणा की गई थी। यह कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। वर्ष 1999-2000 में आठ अन्य गाड़ियों में पैंट्रीकार लगाने की योजना है।

11. इस वर्ष के दौरान एक "रेल यात्री पत्रिका" प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। यह पत्रिका यात्रियों के पढ़ने के लिए गाड़ियों में उपलब्ध होगी। इसमें यात्रियों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए भारतीय रेल से संबंधित जानकारी के अलावा, पर्यटक स्थल, विशेष पर्यटक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं यात्रियों की रुचि के अन्य विषय भी सम्मिलित किए जाएंगे।

**संरक्षा**

अध्यक्ष महोदय, जब भी हम भारतीय रेल पर यात्री सेवाओं की बात करते हैं तो हमें उनकी संरक्षा का प्रश्न सर्वोपरि लगता है। अभी भी हमारे मानस पटल पर खन्ना में हुई अनहोनी व भीषण दुर्घटना गहराई से अंकित है और हमें झकझोरती एवं उद्वेलित करती रहती है। इस हादसे से रेल संरक्षा के कई पहलुओं पर प्रश्नि चिह्न लगे हैं और उनका शीघ्र समाधान ढूंढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर रेल मंत्रालय ने गहन चिंतन किया है और संरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। मैं माननीय सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि खन्ना दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी.सी. गर्ग की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय जांच आयोग गठित हो रहा है।

इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 50 वर्षों में यात्री एवं माल गाड़ियों में विशेष वृद्धि हुई है और सांख्यिकीय रूप से दुर्घटनाओं में कमी आई है, परन्तु हम इससे संतुष्ट नहीं रह सकते और वर्तमान परिसंपत्तियों पर अत्यधिक दबाव को देखते हुए विशेष कदम उठा रहे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपायों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा।

1. इस वर्ष "ए" एवं "बी" मार्गों पर चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को आपातकाल में सम्पर्क स्थापित करने के लिए वॉकी-टॉकी सेट दिए गए हैं। यह प्रयास बहुत सफल एवं उपयोगी रहा है इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि 31 मार्च, 1999 तक सभी यात्री गाड़ियों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। दूसरे चरण में अगले वर्ष इसे माल गाड़ियों में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

2. मानवीय भूल के कारण स्टेशनों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलें प्रतिवर्ष योजनाबद्ध तरीके से ट्रैक सर्किटिंग (रेलपथ परिपथन) करा रही हैं और प्रतिवर्ष इसे लगभग 600 स्टेशनों पर लगाया जा रहा है। "ए", "बी" और "सी" रूटों पर फाउलिंग मार्क से फाउलिंग मार्क तक ट्रैक सर्किटिंग का कार्य 31 मार्च, 1999 तक पूरा कर लिया जाएगा।

3. गलती से ड्राइवर खतरे के सिग्नल को पार न कर सके, इसके लिए दिल्ली-मथुरा खंड पर रेडियो पर आधारित स्वचल गाड़ी नियंत्रण प्रणाली (Automatic Train Control system) को एक पायलट परियोजना के रूप में इस बजट में शामिल किया गया है। सफल परीक्षण के बाद इसको और आगे बढ़ाया जाएगा।

4. रेल पटरियों के टूटने और वेल्डिंग की खराबियों के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं। इसे कम करने के लिए अल्ट्रासॉनिक फ्लॉ डिटैक्टर की मदद से गहन जांच की जा रही है और इसके लिए तेज गति वाली दो स्वचालित अल्ट्रासॉनिक रेल जांच गाड़ियों (स्पर्ट कार) को खरीदने का निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त रेल पटरी उत्पादकों द्वारा इस्पात की गुणवत्ता तथा रेल बनाने की सही प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जा रहा है।

5. संरक्षा के क्षेत्र में भारतीय रेल को एक नई दिशा प्रदान करने एवं स्वतंत्र अध्ययन के लिए रुड़की विश्वविद्यालय में दो अध्ययन सीटें स्थापित की गई हैं।

6. संरक्षा के उपायों को अधिक कारगर बनाने के लिए और उस पर विस्तृत पुनर्विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में गठित "रेल संरक्षा पुनरीक्षा समिति" कार्यरत है।

**समपारों पर दुर्घटनाएं**

पिछले दशक में समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कोई विशेष कमी नहीं आ पाई है। इस तरह की दुर्घटनाएं ज्यादातर सड़क उपयोगकर्ताओं की असावधानी के कारण होती हैं। इस समस्या का निदान ऊपरी अथवा निचले सड़क पुल बनाने से ही हो सकता है। बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में परिवर्तित करने से भी इस स्थिति में सुधार होगा। रेलों पर 40,517 समपार हैं, जिनमें से 24,359 बिना चौकीदार वाले हैं। सभी बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था करने में लगभग 2,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। व्यस्त समपारों पर ऊपरी अथवा निचले सड़क पुल बनाना आवश्यक है, पर इसके लिए और भी अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी क्योंकि सामान्यत: एक ऊपरी पुल बनाने में लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की लागत आती है तथा मानदंडों के अनुसार ऐसे लगभग 1,000 पुलों के निर्माण की आवश्यकता है। इन कार्यों में राज्य सरकारों की भी वित्तीय भागीदारी होती है। इस स्तर के संसाधन न तो रेलों के पास हैं और न ही राज्य सरकारों के पास। जैसा कि माननीय सदस्य देख रहे हैं कि समस्या बड़ी विकट है। बिना चौकीदार वाले समपार को चौकीदार वाला बनाए जाने हेतु एवं व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी एवं निचले सड़क पुल बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने एक फंड का सृजन करने का निर्णय लिया है और इसके लिए एक अलग प्लान हेड भी खोला जाएगा, जिससे कि रेलवे उसके वित्त पोषण में ध्यान केंद्रित कर सके और इन कार्यों की प्रगति पर नज़र रख सके। इसमें समुचित निधि का समावेश किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक समपार क्रमबद्ध तरीके से भविष्य में परिवर्तित किए जा सकें।

रेलों पर संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का भी योगदान चाहूंगा। वे ''सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'' के अंतर्गत बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में परिवर्तित करने की अनुशंसा कर सकते हैं। इसकी स्वीकृति कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से भी प्राप्त हो चुकी है। रेलों ने यह विनिश्चय किया है कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में जितने समपारों को चौकीदार वाले समपारों में परिवर्तित करने के लिए धन उपलब्ध कराएंगे, उतने ही समपारों का परिवर्तन रेलवे द्वारा अपने खर्चे पर भी किया जाएगा।

**रेल भर्ती बोर्ड**

पिछले बजट में रेल भर्ती बोर्ड के संबंध में मैंने जो घोषणाएं की थीं उन पर अमल किया जा चुका है। चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो चुकी है तथा कदाचार की संभावना को निर्मूल कर दिया गया है। अनुभव के आधार पर ऐसा देखा गया है कि इस प्रक्रिया में साक्षात्कार में पक्षपात की गुंजाइश थी। पक्षपात की थोड़ी सी भी संभावना को समाप्त करने के लिए, मैंने यह निर्णय लिया है कि अधिकांश कोटियों में लिखित परीक्षा के बाद लिए जाने वाले साक्षात्कार की प्रणाली को समाप्त किया जाए। प्राप्त नतीजों के आधार पर भर्ती की प्रणाली में और सुधार लाने के लिए हम अपने प्रयास जारी रखेंगे ताकि भारतीय रेल में उचित मेरिट के उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित हो सके।

**रेलों पर ग्रुप ''डी'' में भर्ती**

ग्रुप ''सी'' की भर्ती की प्रक्रिया में अपने प्रयत्नों की सफलता के बाद, अब हमारा प्रयास ग्रुप ''डी'' की भर्ती की प्रक्रिया में सुधार लाने तथा उसे पारदर्शी बनाने का है। रेलों पर ग्रुप ''डी'' की सीधी भर्ती की प्रक्रिया अभी तक साक्षात्कार पर आधारित थी। भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए मैंने यह विनिश्चय किया है कि ग्रुप ''डी'' (अकुशल) कोटि की भर्ती एक उपयुक्त स्तर की ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा के आधार पर हो। इस प्रक्रिया में साक्षात्कार नहीं होगा तथा चयन उम्मीदवार की लिखित परीक्षा में पाए गए अंकों के आधार पर होगा, बशर्ते यह शारीरिक रूप से उपयुक्त पाया जाए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि यह भर्ती रेल भर्ती बोर्ड की एक इकाई के द्वारा होगी, जो रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन कार्य करेगी। मुझे विश्वास है कि इस संशोधित प्रक्रिया से ग्रुप ''डी'' में सीधी भर्ती पूर्णत: निष्पक्ष हो जाएगी और रेलवे को उपयुक्त एवं योग्य कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे।

**टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन**

भारतीय रेल का निरंतर प्रयास रहा है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती जाए। अभी हाल में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में एक अत्याधुनिक 6,000 अश्व शक्ति वाले बिजली रेल इंजन का निर्माण किया गया है जो विकासशील देशों में अभूतपूर्व उपलब्धि है।

**पर्यावरण के सुधार में योगदान**

पर्यावरण के प्रति भारतीय रेल सजग है एवं इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि ''पर्यावरण दिवस'', 5 जून, 1999 को रेलवे स्टेशनों एवं यात्री गाड़ियों में सिगरेट-बीड़ी की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी।

रेल भूमि पर वृक्षारोपण की योजना उत्साह के साथ प्रारंभ की जाएगी। इससे उपलब्ध भूमि का सदुपयोग होगा तथा अतिक्रमण पर रोक लगेगी। भविष्य में इससे रेलों को आर्थिक लाभ भी

मिलेगा तथा आवश्यकतानुसार लकड़ी के स्लीपरों की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा।

**रेल भूमि का वाणिज्यिक उपयोग**

मुम्बई रेल विकास कार्पोरेशन को रेलवे की भूमि और उसके ऊपरी स्थान के वाणिज्यिक उपयोग से संसाधन जुटाने के लिए अनुमति मिल गई है। हमें आशा है कि हम देश के सभी भागों में इस प्रकार के प्रयासों से अपने विकास संबंधी निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन जुटा पाएंगे।

**1997-98 में परिचालनिक एवं वित्तीय निष्पादन**

अब मैं पूरे हुए पिछले वित्त वर्ष 1997-98 के परिचालनिक परिणामों का संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगा। रेलों ने 429.30 मिलियन टन प्रारंभिक राजस्व उपार्जक यातायात की ढुलाई की, जो 430 मिलियन टन के लक्ष्य के लगभग बराबर है। वर्ष 1997-98 में रेलों का वित्तीय निष्पादन भी संतोषजनक था। रेलों की यातायात से सकल प्राप्तियों में 17.6% की वृद्धि हुई जो कि 1996-97 के 24,319 करोड़ रु. से बढ़कर 1997-98 में 28,589 करोड़ रु. हो गई। संचालन व्यय भी मुख्यत: पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के कारण 21,001 करोड़ रु. से बढ़कर 25,876 करोड़ रु. हो गया। रेलवे कन्वेंशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पिछले वर्षों से संबंधित कुछ छूट के बाद, सामान्य राजस्व में 1,489 करोड़ रु. का अंशदान किया गया। रेलों का परिचालन अनुपात भी संशोधित अनुमान के 91% से बेहतर होकर 90.9% रहा। रेलों के निधि शेष में 194.67 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जो बढ़कर लगभग 3,565 करोड़ रु. हो गया। बाजार से जुटाई गई राशियों सहित, योजना परिव्यय करीब 8,239 करोड़ रु. तक हो गया, जो कि 8,403 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान से थोड़ा सा कम रहा।

**संशोधित अनुमान 1998-99**

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1998-99 हमारे लिए पिछले साल की तरह अनुकूल नहीं रहा है। हालांकि, रेलों ने पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक तथा "अन्य माल" का पिछले वर्ष की तुलना में एवं इस वर्ष के बजट अनुपात के मुकाबले ज्यादा लदान किया है, लेकिन कोयला, खाद्यान्न, लाहा और इस्पात, सीमेन्ट तथा लौह अयस्क आदि कोर सेक्टर वाली वस्तुओं की मांग में कमी का असर रेलों के माल यातायात पर पड़ा है। 450 मिलियन टन की बजट पूर्वानुमान की तुलना में रेलों का लदान 424 मिलियन टन तक ही होने की संभावना है। हालांकि वर्ष के बचे हुए बाकी समय में लदान को बढ़ाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान यात्री, अन्य कोचिंग व फुटकर आमदनी से होने वाली वृद्धि के बावजूद आमदनी में अनुमान से 1,056 करोड़ रुपए की कमी होने की आशंका है। बहरहाल, "ट्रैफिक सस्पेंस" से प्राप्ति के 260 करोड़ रुपए के बजट स्तर के लक्ष्य को संशोधित अनुमान में बरकरार रखा है। सकल यातायात प्राप्तियां बजट अनुमान के 31,472 करोड़ रुपए के स्तर से घटाकर 30,416 करोड़ रुपए रखी गई हैं।

इसके साथ ही पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण पेंशन के बकाया भुगतान में 1,530 करोड़ रु. की वृद्धि का अनुमान है, जो कि 2,300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,830 करोड़ रुपए पर रखा गया है। आमदनी में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए रेलों ने गैर-योजना खर्च में 345 करोड़ रुपए की बचत की है। साथ ही योजना खर्च का पुनर्मूल्यांकन करके अब 8,755 करोड़ रुपए पर रखा गया है, जो कि पहले 9,500 करोड़ रुपए था। रेलों को अतिरिक्त पेंशनीय दायिता वहन करने के लिए अपनी निधियों के शेष में से 1,313 करोड़ रुपए निकालने होंगे। इससे रेल निधियों का शेष 2,252 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सामान्य राजस्व को 1,752 करोड़ रुपए का लाभांश देने की भी व्यवस्था की गई है।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि योजना खर्च को इस प्रकार से कम किया गया है, जिससे संरक्षा संबंधी व निर्धारित लक्ष्य वाले कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। हालांकि, इसे सुनिश्चित करने के लिए रेलों को आई.आर.एफ.सी. (IRFC) के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण में 80 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी करनी पड़ी है। इस प्रकार बाजार से लिए जाने वाले ऋण 2,900 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,080 करोड़ रुपए हो जाएंगे।

**राजस्व बढ़ाने के लिए रेलों द्वारा उठाए गए कदम**

अध्यक्ष महोदय, लदान की दृष्टि से चालू वर्ष, हमारे विभिन्न प्रयासों के बाद भी, चिंताजनक रहा है। हाल में सुधार के कुछ लक्षण नजर आने लगे हैं और हमें आशा है कि अगला वर्ष हमारे लिए बेहतर साबित होगा। इस दिशा में अधिक माल ढोने के लिए मार्केटिंग के नए प्रयास किए जा रहे हैं और हमें आशा है कि कोयला, इस्पात, कच्चा माल इत्यादि जैसे कोर यातायात पर ही न निर्भर रहकर हम "अन्य वस्तुओं" को भी ज्यादा ढोएंगे। इस दिशा में रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें से कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूंगा:-

1. रेल मंत्रालय द्वारा कुछ वस्तुओं का वर्गीकरण घटाया गया है और लदान पर वाल्यूम डिस्काउंट दिया गया है, जिससे हम अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो सकें। इसके

अतिरिक्त 2 प्वाइंट रेक लोडिंग की सुविधा कुछ स्टेशनों पर प्रदान की गई है और रेकों की आपूर्ति 48 घंटे से भी कम समय में की जा रही है।

2. इस्पात क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया गया है जिससे इस क्षेत्र को रेल यातायात की ओर आकर्षित किया जा सके।

3. मुंबई के जवाहर लाल नेहरू पोर्ट और दिल्ली के बीच कंटेनर कार्पोरेशन द्वारा नई और उन्नत तकनीक के मालडिब्बों की गाड़ियां 100 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही हैं। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच लगने वाला समय 95 घंटे से घटकर 48 घंटे हो गया है। इसी के साथ-साथ कॉनकोर द्वारा फुटकर यातायात के गारंटीशुदा संचलन के लिए प्रतिमाह 40 ''कान्ट्रैक'' (CONTRACK) गाड़ियों को चलाने का पैकेज तैयार किया गया है जिससे अधिक मूल्यवान वस्तुओं जैसे टेलीविजन, रेफ्रीजरेटर, एयरकंडीशनर आदि को रेलों द्वारा ले जाया जा सके।

4. स्टेशन से स्टेशन दर के लिए अब महाप्रबंधकों को पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया गया है, जिससे मार्केटिंग की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने में तेजी लाई जा सके।

अध्यक्ष महोदय, लदान को बढ़ाने के कदमों के साथ-साथ मैंने वर्ष 1999-2000 में राजस्व वृद्धि के लिए कुछ अन्य नए कदम उठाने का निर्णय लिया है:-

1. सभी यात्री गाड़ियों की आगे वाली ब्रेक वान लीज पर देना।

2. पार्सल यान का पुन: उत्पादन शुरू करना ताकि पार्सल यातायात को बढ़ाया जा सके।

3. कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों और व्यापार केंद्रों के बीच विशेष पार्सल गाड़ियां चलाना, जिनमें स्थान लीज पर भी उपलब्ध हो सकेगा।

4. पैंट्रीकार एवं रिफ्रेशमेन्ट रूम के खानपान के ठेकों को अधिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए दो पैकेट की नई प्रणाली शुरू की जा रही है। इसके साथ-साथ एक न्यूनतम लाइसेंस फीस का प्रावधान रखा जा रहा है और इस लाइसेंस फीस को मौजूदा स्तर के दुगने से भी अधिक कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदारों के सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया जाएगा जिससे गलत कार्य करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

5. बिना टिकट यात्रा पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए करने का प्रस्ताव है। राजस्व बढ़ने के साथ-साथ इससे टिकटधारी यात्री की परेशानी भी कम हो सकेगी।

6. रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन की दरों में वृद्धि जो कि इस समय बहुत ही कम है।

7. राइट्स में अलग से एक निदेशालय का गठन किया जा रहा है जो रेलों के प्रमुख उपभोक्ताओं को माल ढुलाई के संबंध में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करेगा और एक निश्चित पैकेज तैयार करेगा जिससे उनकी परिवहन संबंधी लागतों में कमी आएगी तथा सुचारू यातायात के लिए सभी सेवाएं ''एक ही स्थान'' से उपलब्ध हो सकेंगी।

**यात्री सेवाएं**

अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधियों और जनता की ओर से हमेशा मांग की जाती है कि उनके क्षेत्रों में नई गाड़ियां चलाई जाएं, गाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएं, उनके चालन क्षेत्र का विस्तार किया जाए या गाड़ियों के ठहरावों में वृद्धि की जाए। संसाधनों की तंगी और कई तकनीकी कारणों से चाहते हुए भी इन सभी मांगों को सदैव पूरा करना संभव नहीं होता है। फिर भी सीमित संसाधनों के भीतर मेरा निम्नलिखित 14 नई रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है:-

* चेन्नई-तिरुपति शताब्दी एक्सप्रेस
* शालीमार-हल्दिया इंटरसिटी एक्सप्रेस
* सिकंदराबाद-मछलीपटनम एक्सप्रेस
* मुम्बई-सावंतवाडी-मडगांव इंटरसिटी एक्सप्रेस
* कुर्ला-पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में दो बार
* अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस बरास्ता नरकटियागंज सप्ताह में दो बार

* जयपुर-बेंगलोर एक्सप्रेस बरास्ता सिकंदराबाद सप्ताह में दो बार

* गुवाहाटी-चेन्नई एक्सप्रेस सप्ताह में दो बार

* दिल्ली-गांधीधाम एक्सप्रेस सप्ताह में दो बार

* दिल्ली-कोयम्बतूर एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार

* पुणे-एर्णाकुलम एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार

* रायचूर-गुलबर्गा इंटरसिटी सेवा

* कामाख्या-न्यू बोंगईगांव पैसेंजर

* पटना-मुगलसराय पैसेंजर बरास्ता गया।

निम्नलिखित गाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएंगे:-

* 8017/8018 हावाड़ा-पुरुलिया एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन से रोजाना

* 8463/8464 बेंगलोर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन से सप्ताह में 4 दिन

* 1095/1096 पुणे-अहमदाबाद अहिंसा एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन से 4 दिन

* 2101/2102 कुर्ला-हावड़ा सुपर डीलक्स एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन से सप्ताह में 3 दिन

निम्नलिखित गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया जाएगा:-

* 4047/4048 दिल्ली-गोरखपुर एक्सप्रेस नरकटियागंज के रास्ते रक्सौल तक

* 5207/5208 अमृतसर-बरौनी एक्सप्रेस कटिहार तक

* 4737/4738 बीकानेर-जयपुर एक्सप्रेस अजमेर तक (मीटर लाइन)

* 5741/5742 अलीपुरद्वार-सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी तक (मीटर लाइन)

* 471/472 विजयवाड़ा-विजयानगरम पैसेंजर रायगडा तक

* 1555/1556 गुना-खजुरी सेवा ग्वालियर तक

* 1143/1144 ग्वालियर-छपरा मेल को बरौनी तक

* 8301/8302 निजामुद्दीन-सांबलपुर हीराकुड एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चलने वाली तालचेर रोड के रास्ते भुवनेश्वर तक

* 2407/2408 निजामुद्दीन-नागपुर गोंडवाना एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन भुसावल तक।

* 6343/6344 एर्णाकुलम-निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती साप्ताहिक एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम तक

प्रतिदिन ग्रेंड कॉर्ड के रास्ते चलने वाली 2307/2308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन मेन लाइन होकर जाएगी।

आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने पर बड़ी लाइन की निम्नलिखित बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:-

* नरकटियागंज-गोरखपुर खंड पर 4 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां

* इंदारा-फेफना खंड पर 3 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां

* लालकुआं-काशीपुर खंड पर 3 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां।

निम्नलिखित खंडों पर एम.ई.एम.यू., डी.एम.यू. और रेल बस सेवाएं शुरू की जाएंगी:-

*एम.ई.एम.यू. गाड़ियां*

* झाजा-किऊल खंड

* विजयवाड़ा-काकीनाडा खंड

* काकीनाडा-विशाखापत्तनम खंड

* दुर्ग-रायपुर-बिलासपुर खंड

*डी.एम.यू. गाड़ियां*

* आनंत-खंबात (बड़ी लाइन)

* विजयवाड़ा-भीमावरम-नरसापुर (बड़ी लाइन)

* दिल्ली-शामली (बड़ी लाइन)

* मेहसाणा-तरंगा हिल (मीटर लाइन)

*रेल बस गाड़ियां*

* बंगारपेट-कोलार (बड़ी लाइन)

* तिरुतुरायपुंडी-अगस्तिआमपल्ली (मीटर लाइन)

* बनमंखी-बिहारीगंज (मीटर लाइन)।

**सुरक्षा**

रेलों पर सुरक्षा एक चिंता का विषय रहा है इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा भी असंतोष व्यक्त किया जाता रहा है। वैसे तो, रेलों पर कानून एवं व्यवस्था का विषय राज्य सरकार के अधीन होता है, फिर भी हमने रेल सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है। इस संदर्भ में अगस्त, 1998 में राज्यों के गृह सचिवों और राजकीय रेलवे पुलिस के प्रमुखों एवं रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक भी बुलाई गई थी। समन्वयन के इन प्रयासों से स्थिति में सुधार आएगा।

रेल सुरक्षा बल की कार्य प्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है और इनके अधिकारियों की जांच-पड़ताल की अधिक शक्तियां देने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, रेल सुरक्षा विशेष बल की दो अतिरिक्त बटालियनों की स्थापना को स्वीकृति मिली है और दो अन्य बटालियनों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

**रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन**

माननीय सदस्यों को याद होगा कि बहुत दिनों से रेल सुरक्षाबल अपनी एसोसिएशन को मान्यता देने के लिए आग्रह करता रहा है। इस सदन में भी यह मांग उठायी जाती रही है। मुझे यह बताने में हर्ष हो रहा है कि सुरक्षा बल एसोसिएशन की मान्यता को बहाल कर दिया गया है।

**वार्षिक योजना 1999-2000**

वर्ष 1999-2000 के लिए 9,700 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय रखा गया है। गत वर्ष के संशोधित अनुमान से यह 945 करोड़ रुपए अधिक है। योजना परिव्यय में वृद्धि सामान्य राजस्व से 2,540 करोड़ रुपए की पूंजी मिलने के कारण संभव हो सकी है। पिछले वर्ष यह राशि 2,200 करोड़ रुपए थी। प्रतिशत के हिसाब से यह राशि योजना परिव्यय का 26% है, जो कि वर्ष 1993-94 के बाद सर्वाधिक है। सामान्य राजस्व की पूंजी में वृद्धि के लिए मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी एवं योजना आयोग को धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि वे सामान्य राजस्व में दी जाने वाली पूंजी में 200 करोड़ रुपए की और वृद्धि करने की कृपा करें ताकि इस "यात्री वर्ष" में हम रेल यात्रियों की बेहतर ढंग से खिदमत कर सकें। मुझे पूरी आशा है कि वित्त मंत्री जी मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेंगे। रेल यात्री भी इस सहायता के लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देंगे।

जहां तक रेलों द्वारा आंतरिक संसाधन जुटाने का प्रश्न है, मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं कि रेलों का संचालन व्यय पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लेने के कारण बढ़ गया है। इससे वर्ष 1999-2000 का संचालन व्यय भी अछूता नहीं रहेगा। इसके अलावा, माल लदान की वृद्धि की दर में भी कमी आई है। इन कारणों से पर्याप्त मात्रा में आंतरिक संसाधनों का सृजन नहीं हो पाया, जिससे कि योजना खर्चों को पूरा किया जा सके। इसलिए रेलों के निधि शेष में से 1,000 करोड़ रुपए निकालने का मेरा प्रस्ताव है। गत वर्षों की ही तरह योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजट के बाहर से जुटाए जाने वाले संसाधनों, जो मुख्यत: भारतीय रेल वित्त निगम के जरिए बाजार से लिए जाने वाले ऋण हैं, की सहायता से योजना की शेष जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इस वार्षिक योजना में संरक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। रेलपथ नवीकरण योजना शीर्ष में 1998-99 के संशोधित अनुमान से लगभग 19% की बढ़ोत्तरी की गई है और अब यह आबंटन 1,500 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सिगनल और दूरसंचार योजना शीर्ष के आबंटन को 325 करोड़ रुपए के पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से बढ़ाकर 375 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे रेलपथ परिपथन और संरक्षा संबंधी अन्य कार्यों को तीव्र गति दी जा सके। लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए रेलपथ के दोहरीकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने इस योजना शीर्ष के आबंटन में लगभग 32% की वृद्धि की है अर्थात् इसे 472 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 625 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यात्री सुविधाएं योजना शीर्ष के आबंटन में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले लगभग 45% की वृद्धि की गई है। कलकत्ता, चेन्नई व मुम्बई शहरों में महानगर परिवहन परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर 300 करोड़ रुपए का आबंटन रखा गया है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 52% अधिक है।

देश के नए भागों को रेलों से जोड़ने हेतु नई लाइनों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की अपेक्षा लगभग 59% अधिक है। 90 के

दशक की शुरूआत में भारतीय रेल ने "एक आमान" परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना के तहत वर्ष 1998-99 तक 8,363 किलोमीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा चुका है। अगले वर्ष में आमान परिवर्तन के लिए हमने 645 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

**नई परियोजनाएं**

जैसा कि आपको मालूम है, इस समय भारतीय रेलों के पास इतनी परियोजनाएं हैं जिनके लिए लगभग 34,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इनमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं नई लाइनों से और 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आमान परिवर्तन से संबंधित हैं। इस बात के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने हाल ही में परियोजनाओं की प्राथमिकता मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के बाद तय कर दी है। परियोजनाओं में धन का आबंटन परिचालनिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त, पिछड़े क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा इसमें यथासंभव क्षेत्रीय असंतुलन का ख्याल रखा गया है।

पिछले वर्ष जब मैंने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तो रेलों के पास बहुत सी परियोजनाएं थीं जिनको अपेक्षित स्वीकृतियां नहीं थीं। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष बहुत सी परियोजनाओं को अपेक्षित स्वीकृतियां मिल गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

**नई लाइन :**

* कोडरमा से गिरिडीह
* मचेरला से नलगोंडा
* येरुमली के रास्ते अंगामाली से सबरीमाला
* ललितपुर से सतना, रीवा-सिंगरौली तथा खजुराहो-महोबा
* दीफू से करोंग
* हजारीबाग के रास्ते रांची-कोडरमा
* पुट्टापर्ती के रास्ते धर्मावरम से पेनुकोंडा
* चण्डीगढ़ से लुधियाना
* तरनतारन से गोइंदवाल
* कालका से परवानू
* विश्रामपुर से अम्बिकापुर
* बारामती से लोणंद
* बेंगलूरु से सत्यमंगलम
* बीदर से गुलबर्गा
* गडवाल से रायचूर
* दुमका से बैद्यनाथधाम

**आमान परिवर्तन:**

* जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज
* मदुरै-रामेश्वरम्
* कोल्लम-तिरुनेलवेली-त्रिचंदूर-तेनकासी-विरुदुनगर
- कटखल-भैराबी
- न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव
- बांकुरा-दामोदर रेलवे

**दोहरीकरण :**

* यशवंतपुर-तुमकुर

**विद्युतीकरण :**

* लखनऊ-कानपुर
* कुसुंडा-जमुनिया टांड
* लुधियाना-अमृतसर

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले बजट पर बहस के दौरान रेलों के सम्मुख इस दुविधा की चर्चा हुई थी कि क्या रेलें विभिन्न संसाधनों की कमी के समक्ष नए कार्यों की मांगें पूरी करती रहें अथवा अपने वर्तमान रेल तंत्र को संचित करके संरक्षा एवं आधुनिकीकरण को वरीयता दें। इस विषय में नीतिगत रूप से निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। "स्थिति पत्र" और "श्वेत

पत्र'' में भी बताया गया है कि हमारे पास अभी भी बहुत सी पुरानी योजनाएं लंबित हैं। संभवत: इस दुविधा का हल आसानी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों का विकास आवश्यक है और इसके बारे में नई मांगें बराबर आती रहती हैं। पर इस बजट में हम प्रयासरत हैं कि पहले वर्तमान रेल प्रणाली को और सुदृढ़ बनाएं जिससे संरक्षा को बेहतर कर सकें, रेल कार्य संचालन को अधिक कारगर बना सकें एवं रेलों का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कर सकें। फिर भी, जहां तक संभव हो सका है हमने नई मांगों को भी पूरा करने का प्रयास किया है।

**नई लाइनें**

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सीमित संसाधनों के बावजूद तालचेर-संबलपुर नई लाइन परियोजना, जिसकी लम्बाई 174 किलोमीटर है, का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही ग्वालियर और गुना के बीच सम्पर्क स्थापित करते हुए गुना-इटावा लाइन का पनिहार-खुजूरी खंड का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

बहरहाल, गोलपाड़ा-गुवाहाटी लाइन का कार्य, जिसे इस वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य था, कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण प्रभावित हुआ है और अब इसे आगामी वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा।

1999-2000 के बजट में शामिल की गईं नई लाइन की परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:-

* बाह और फतेहाबाद के रास्ते आगरा-इटावा नई लाइन परियोजना
* काकीनाडा से पीथापुरम परियोजना, जिसका कार्य अपेक्षित स्वीकृति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

वर्ष 1999-2000 के दौरान, नई लाइन परियोजनाओं के निम्नलिखित खंडों को पूरा किया जाएगा:-

| | खंड | कि.मी. |
|---|---|---|
| * | काशीनगर-काकद्वीप | 3 |
| * | बोनगांव-पेट्रापोल | 8 |
| * | गोलपाड़ा-कामाख्या | 124 |
| * | पेद्दापल्ली-करीमनगर | 35 |
| * | जारुरी-बांसपानी | 11 |
| * | कपड़वंज-मोडासा | 60 |
| * | **योग** | **241** |

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में काजीगुंड से बारामुल्ला तक रेल लाइन के निर्माण का काम शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से इसको मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल को सौंपने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

**आमान परिवर्तन**

1998-99 में रेलों ने निम्नलिखित खंडों का आमान परिवर्तन पूरा कर लिया है:-

* ताम्बरम-त्रिची
* त्रिची-डिंडीगुल
* शिवसागर-मोरानहाट
* मरियानी-जोरहाट

इसके अलावा, हमें आशा है कि वर्तमान वित्त वर्ष के शेष भाग के दौरान निम्नलिखित खंडों का आमान परिवर्तन पूरा कर लिया जाएगा:-

* नरकटियागंज-गोरखपुर
* बाबूपेट-बल्हारशाह
* सोलापुर-होटगी
* इंदारा-फेफना

वर्ष 1999-2000 के दौरान रेलों द्वारा कुल 541 किलोमीटर की आमान परिवर्तन परियोजनाओं के निम्नलिखित खंड पूरे किए जाने की आशा है:-

| | खंड | कि.मी. |
|---|---|---|
| * | पंढरपुर-कुर्डुवाडी | 52 |
| * | नौनेरा-सिवनी | 27 |

| | | |
|---|---|---|
| * | काशीपुर-लालकुआं | 60 |
| * | मुदखेड़-आदिलाबाद | 162 |
| * | आरक्कोणम-चेंगलपत्तू | 63 |
| * | येलहंका-यशवंतपुर | 17 |
| * | मैसूर-हसन लाइन पर लक्ष्मणतीर्थ पुल का पथांतरण | 1 |
| * | मोरबी से मलिया-मियाना व दहिनसारा-नवलाखी | 68 |
| * | धरंगध्रा-कुडा | 33 |
| * | गांधीधाम-भुज | 58 |
| | **योग** | **541** |

अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित खंडों का आमान परिवर्तन शुरू करने का भी हमारा प्रस्ताव है जो अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद शुरू किए जाएंगे:-

* कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा

* सेलम-वृद्धाचलम-कडलूर

**दोहरीकरण**

1998-99 में रेलवे द्वारा लगभग 280 कि.मी. की दोहरीकरण परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी। 1999-2000 में भी विभिन्न खंडों पर चालू कार्यों में लगभग 290 कि.मी. का दोहरीकरण और हो जाएगा।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बढ़ते हुए यातायात के प्रवाह को सुगम बनाने और कुछ संतृप्त खंडों पर अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की दृष्टि से निम्नलिखित दोहरीकरण के कार्यों को बजट में शामिल कर लिया गया है:-

* मथुरा-भूतेश्वर (तीसरी लाइन)

* पुनपुन-तरेगना

* अमरोहा-मुरादाबाद

* दयाबस्ती-ग्रेड सेपरेटर

* छपरा-हाजीपुर

* कर्पूरीग्राम-सीहो

* एर्णाकुलम जंक्शन-एर्णाकुलम मार्शलिंग यार्ड

* रजतगढ़-बारांग

* दिवा-कल्याण (पांचवीं व छठी लाइन)

* अत्तिपट्टू-कोरुक्कुपेट्टई (तीसरी लाइन)

**उपनगरीय परिवहन परियोजना**

मुझे सदन को यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि मुम्बई महानगर रेल परियोजना के संबंध में हम अपने प्रयास में सफल हुए हैं और मुंबई रेल विकास कार्पोरेशन की स्थापना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है।

जहां तक चालू परियोजनाओं का संबंध है, नवी मुम्बई में बेलापुर-पनवेल लाइन का दोहरीकरण और थाणे-तुर्भे-नेरूल-वाशी उपनगरीय गलियारे का निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। मुम्बई में सांताक्रुज-बोरीवली-पांचवीं लाइन निर्माण कार्य भी भली-भांति प्रगति कर रहा है। बोरीवली-विरार खंड के चौहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। कुर्ला-थाणे के बीच पांचवीं और छठी लाइन के दूसरे चरण के कार्य के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि कलकत्ता महानगर में हमने मेट्रो रेल का टॉलीगंज से गरिया तक विस्तार करने का निर्णय ले लिया है। साथ ही, कलकत्ता सर्कुलर रेलवे के चक्र को पूरा करने के लिए प्रिंसेपघाट से माजेरहाट तक की इकहरी रेल लाइन की परियोजना को इस बजट में शामिल कर लिया गया है। इसका दोहरीकरण व विद्युतीकरण करने के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। दमदम-टाला तक मौजूदा सर्कुलर रेलवे के विद्युतीकरण का कार्य पहले ही प्रगति पर है।

जहां तक चेन्नई महानगर का संबंध है, तिरुमइलई से वेलाच्चेरी तक द्रुत पारगमन प्रणाली (फेज-2) का कार्य भी भलीभांति चल रहा है। दिल्ली महानगर में "दिल्ली मेट्रो रेल निगम" द्वारा द्रुत पारगमन प्रणाली फेज-1 पर काम शुरू कर दिया गया है।

**रेल विद्युतीकरण**

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2,300 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण की योजना है। इसमें से 445 मार्ग किलोमीटर का कार्य 1997-98 में पूरा किया जा चुका है और चालू वर्ष में 500 मार्ग किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 1999-2000 में रेल विद्युतीकरण के लिए 350 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है और 500 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि निम्नलिखित खंडों के विद्युतीकरण के कार्य को बजट में शामिल किया गया है और अपेक्षित स्वीकृतियां मिलने के बाद इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा:-

* एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम
* मुगलसराय-ज़फराबाद (सुल्तानपुर के रास्ते मुगलसराय-लखनऊ के चरण-1 के रूप में)
* पटना-गया
* ताम्बरम-चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम
* चेंगलपट्टू-अरक्कोणम

**सर्वेक्षण**

माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर मैंने बजट 1999-2000 में कई सर्वेक्षण शुरू कराने का विनिश्चय किया है।

नई लाइनों के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण शुरू किए जा रहे हैं:-

* कटक-तालचेर-संबलपुर लाइन पर तालचेर स्टेशन लाने के लिए
* अगरतला से अखौरा
* अलमाट्टी से यादगीर
* अनूपगढ़ से बीकानेर
* बदलाघाट-आलमनगर-भवानीपुर-पूर्णिया-दलखोला
* बकरेश्वर-सिऊड़ी
* बिश्रामपुर से बिलासपुर
* चतरा-टोरी
* दहानू रोड से नासिक
* गुरारु, गुरवा, शेरघाटी और इमामगंज के रास्ते गया से डाल्टनगंज
* दमोह के रास्ते जबलपुर से पन्ना
* जैसलमेर से कांडला
* पुनालूर से इरुमेली
* खंडवा से नरदाना बरास्ता खारगोन, सेंधवा
* मुर्शिदाबाद से कांडी बरास्ता खगराघाट और बेहरामपुर
* नागापट्टीनम से वेलन्कानी
* रामगंज मंडी से भोपाल बरास्ता झालावाड़ अकलेरा, खिलचीपुर, राजगढ़ ब्यावरा, नरसिंहगढ़
* रोहतक से हिसार बरास्ता मेहम और हांसी
* तिंडीवनम से कडलूर बरास्ता पांडिचेरी
* पटना बाई-पास लाइन
* कोव्वूर-भद्राचलम रोड
* परलीवैजनाथ से घाटनदूर (रिग्रेडिंग के लिए)
* उमरेर से नागपुर बरास्ता खापरकेडा और कोराडी
* माकुम से साईखोवा तट

निम्नलिखित लाइनों के आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण शुरू किए जा रहे हैं:-

* बर्धमान-कटवा
* औंड़िहार-जौनपुर

* मेहसाणा-तरंगा हिल

* पीलीभीत-शाहजहांपुर

* वंसजलिया-जेतलसर

* त्रिच्चिरापल्ली-कराईकुडी-मानामदुरई

निम्नलिखित लाइनों के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण शुरू किए जा रहे हैं:-

* विद्युतीकरण सहित लालगोला-कृष्णनगर का दोहरीकरण

* रेणिगुंटा से तिरुपति

* बरुईपुर-लक्ष्मीकांतपुर

* विद्युतीकरण सहित दौंड-मनमाड का दोहरीकरण

* सेवड़ाफुली-तारकेश्वर

**कोंकण रेल निगम**

कोंकण रेल द्वारा कुर्ला-मंगलोर एक्सप्रेस और त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस सहित 7 जोड़ी यात्री गाड़ियां चलाई जा रही हैं। बहरहाल, कोंकण रेल को उतना माल यातायात नहीं मिल पाया, जितना उसके द्वारा ढोया जा सकता था। भारतीय रेल पर माल भाड़े के संचलन में हुई समग्र कमी का प्रतिकूल प्रभाव कोंकण रेल पर भी पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, चालू वर्ष में भी कोंकण रेलवे के वित्तीय परिणाम प्रत्याशा से कम रहने की संभावना है। तथापि, कोंकण रेल अपनी सेवाओं और राजस्व में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में, उसने यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाली "कोंकण स्टार सेवा" तथा "रोल-ऑन-रौल-ऑफ" फ्रेट सवाएं शुरू करने की योजना बनाई है। इस फ्रेट सेवा के अंतर्गत माल से लदे हुए ट्रकों को रेल वैगनों पर लाद कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है।

वास्तव में, किसी भी नई लाइन परियोजना को अपनी पूरी क्षमताओं का लाभ उठाने में कुछ समय तो लगता ही है। सामान्य राजस्व से वित्त पोषित नई लाइनों के मामले में, लाभांश का भुगतान, लाइन खुलने के पांच वर्ष तक की अवधि के बाद करने की छूट है। कोंकण रेल निगम का निर्माण मुख्य रूप से बाजार से लिए गए ऋण के द्वारा किया गया है और उसे प्रारंभ से ही ऋण सेवा संबंधी दायित्व का निर्वाह करना पड़ रहा है। इसलिए इस संगठन को निश्चित रूप से सहायता की आवश्यकता है। मैं माननीय सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय कोंकण रेलवे को समुचित रूप से परिचालनिक और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे कि यह निगम रेल तंत्र का एक मजबूत अंग बन सके।

**उत्पादन इकाइयां**

1997-98 के दौरान सभी उत्पादन इकाइयों ने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। चितरंजन रेल इंजन कारखाना और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी ने क्रमश: 165 बिजली रेल इंजनों और 164 डीजल रेल इंजनों का निर्माण किया। रेल डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर ने 1,010 सवारी डिब्बों का निर्माण किया। रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला ने 1,020 सवारी डिब्बों की लक्ष्य की तुलना में 1,031 सवारी डिब्बों का निर्माण किया। डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला ने 74 रेल इंजनों का पुनर्निर्माण किया और पहिया और धुरा संयंत्र, बैंगलोर ने 92,015 पहियों और 52,249 धुरों का निर्माण किया, जो अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है।

1998-99 के दौरान सभी उत्पादन इकाइयों में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और हमें आशा है कि वह इस वर्ष के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में समर्थ होंगी।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 1997-98 के दौरान रेलों के सार्वजनिक उपक्रमों का निष्पादन संतोषजनक रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) ने 50.3 करोड़ रुपए के लाभ के साथ 43.4 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी कमाई। इस कंपनी ने 1997-98 के दौरान मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल में परियोजनाओं को पूरा किया है। कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 627 करोड़ रुपए का कारोबार किया तथा शुद्ध मुनाफा 115 करोड़ रुपए कमाया। नवंबर, 1998 में भारत सरकार ने कॉनकोर के 90 लाख शेयरों की बिक्री की थी जिससे 225 करोड़ रुपए जुटाए गए। भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड ने 167 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसने वर्ष 1997-98 के दौरान रेलों के योजना संसाधनों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कुल 2,558 करोड़ रुपए जुटाए। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकॉनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) ने 133 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 14.55 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। इन सभी उपक्रमों ने कुल मिलाकर वर्ष 1997-98 में रेलों को लगभग 60 करोड़ रुपए का लाभांश दिया।

**अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.)**

आर.डी.एस.ओ. भारतीय रेल का अनुसंधान एवं अभिकल्प स्कन्ध है। यह रेलों के लिए तकनीकी विषयों में परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। आर.डी.एस.ओ. ने संरक्षा में सुधार लाने के लिए एक किफायती, यूनिवर्सल आपातिक संचार प्रणाली (यू.ई.सी.एस.) विकसित की है जिससे ड्राइवर, गार्ड एवं निकटतम स्टेशन के बीच तत्काल सम्पर्क स्थापित करना संभव होगा। इसके अतिरिक्त, 1500 वोल्टेज डी.सी. से 25 के.वी.ए.सी. में कर्षण प्रणाली का परिवर्तन करते समय मुम्बई क्षेत्र में निर्बाध ई.एम.यू. सेवाओं को बनाए रखने के लिए, दोहरे वोल्टेज के 3-फेज ड्राइव वाले ई.एम.यू. का डिजाइन तैयार किया है।

**चिकित्सा सेवाएं**

विश्व के विशालतम औद्योगिक संस्थान भारतीय रेल के कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भारतीय रेल का चिकित्सा विभाग कार्यरत है। इनका विशेष योगदान पल्स पोलियो टीकाकरण, एड्स नियंत्रण एवं परिवार कल्याण में रहा है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल परिवार में जन्मदर 14 प्रति हजार है, जबकि राष्ट्रीय जन्मदर 18 प्रति हजार है।

**औद्योगिक संबंध**

स्थायी वार्ता तंत्र (पी.एन.एम.), संयुक्त परामर्श तंत्र (जे.सी.एम.) एवं प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी (पी.आर.ई.एम.) संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है और भारतीय रेल में औद्योगिक संबंध मधुर एवं शांतिपूर्ण हैं।

**अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग**

संविधान एवं सरकारी आदेशों के अधीन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को उचित सुरक्षा और आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उनकी शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए हर स्तर पर आरक्षण प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

**खेलकूद**

मुझे माननीय सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि रेलवे खेलकूद नियंत्रण बोर्ड का नाम बदलकर अब "रेल खेलकूद संवर्धन बोर्ड" कर दिया गया है। मैंने पिछला बजट पेश करते समय यह उल्लेख किया था कि खेलकूद कोटे में की जाने वाली भर्ती में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से खुले विज्ञापनों के जरिए उदीयमान खिलाडियों को रेलों में भर्ती का अवसर दिया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है और खेलकूद कोटे में की जाने वाली 70 प्रतिशत रिक्तयों की भर्ती खुले विज्ञापनों के जरिए की जा रही है।

पहले की भांति रेलों ने इस वर्ष भी खेलकूद के क्षेत्र में अपनी भूमिका को अग्रणी बनाए रखा। हाल ही में रेलों ने बैंकाक में सम्पन्न हुए एशियाई खेलों में उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन का परिचय दिया। मुझे यह बताते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि भारत द्वारा जीते गए 7 स्वर्ण पदकों में से 5 स्वर्ण पदक रेलवे के खिलाड़ियों ने हासिल किए। मुझे विश्वास है कि रेलों पर खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों से हमारे खिलाड़ी भविष्य में भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।

**विशेष घोषणाएं**

*विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायतें*

शारीरिक रूप से विकलांग और अधरंग रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अपने साथ मार्गरक्षी को ले जाने पर इस समय किराए में पहले दर्जे तथा दूसरे दर्जे व शयनयान दर्जे में 75% की रियायत दी जाती है। मैंने यह विनिश्चय किया है कि भविष्य में यह छूट वातानुकूल 3-टियर तथा वातानुकूल कुर्सीयान में भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 50% की छूट अन्य नातानुकूल श्रेणियों में भी दी जाएगी।

*प्रेस संवाददाताओं को रियायतें*

भारत सरकार, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों से संबद्ध मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रतिमाह 2500 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पहले दर्जे में 25% तथा दूसरे दर्जे व शयनयान दर्जे में 50% की रियायत के लिए कूपन पुस्तिकाएं दी जाती हैं। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अब इन कूपन पुस्तिकाओं द्वारा सभी श्रेणियों में सालाना 30 हजार किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी।

*राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेताओं को रियायत*

उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक विजेताओं द्वारा दिए गए योगदान के महत्व को स्वीकारते हुए यह प्रस्ताव है कि साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें शताब्दी और राजधानी गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों की सभी श्रेणियों में यात्रा करने के लिए किराए में 30 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।

*लाइसेंसधारी पोर्टरों को दी जाने वाली रियायत*

रेल यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने में पोर्टरों की सेवाओं के महत्व को स्वीकारते हुए पिछले वर्षों में उन्हें वर्ष में एक बार अपने कार्य स्थल से किसी भी स्टेशन तक जाने के लिए स्वयं के वास्ते एक द्वितीय श्रेणी के पास की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस सुविधा का विस्तार करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में पोर्टरों को प्रतिवर्ष दूसरे दर्जे के एक सेट पी.टी.ओ. की सुविधा स्वयं और पति/पत्नी के लिए अपने कार्यस्थल वाले स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक के लिए प्रदान की जाए, जिसके जरिए वे किराए के एक-तिहाई का भुगतान करके यात्रा कर सकेंगे।

*यात्री आरक्षण टर्मिनल*

आम आदमी को आरक्षण की सुविधा सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने की दृष्टि से रेलवे की रेल टूरिस्ट एजेंट स्कीम और रेल यात्री सेवा एजेंट स्कीम के अंतर्गत प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों को, परीक्षण के आधार पर, उपयुक्त एहतियात बरतते हुए पार्टी की लागत पर यात्री आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटर टर्मिनल मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

*बजट अनुमान 1999-2000*

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 1999-2000 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था को वृद्धि, जो चालू वर्ष के दौरान हमारी प्रत्याशा से कम रही है, में अगले वर्ष तेजी आएगी। इस पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए 1999-2000 के लिए माल यातायात का लक्ष्य 450 मिलियन टन पर रखा गया है। जहां तक यात्री यातायात का संबंध है, मुझे आशा है कि गत वर्ष की तुलना में इसकी वृद्धि की दर तेज रहेगी। यह पूर्वानुमान लोकप्रिय गाड़ियों की परिवहन क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि और गाड़ी सेवाओं के स्वरूप में सुधार के आधार पर लगाया गया है। चालू वर्ष की तुलना में यात्री यातायात में 8.5 प्रतिशत वृद्धि की प्रत्याशा है। अन्य कोचिंग और अन्य फुटकर यातायात से होने वाला उपार्जन चालू वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है। इस आधार पर, सकल यातायात से होने वाली प्राप्तियां 32,411 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 200 करोड़ रुपए के बकाया की वसूलियां शामिल हैं।

रेलों का साधारण संचालन व्यय 25,740 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि चालू वर्ष के 23,375 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 10.1 प्रतिशत अधिक है। 2,365 करोड़ रुपए की इस वृद्धि से अनुरक्षण प्रयोजनों के लिए आवश्यक सामग्रियों और भुगतानों पर होने वाले बढ़े हुए ऐसे खर्चों को पूरा किया जाएगा जो संरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा पर होने वाले खर्च में भी वृद्धि की गई है। इस अनुमान में कर्मचारियों की वेतन एवं महंगाई भत्तों में वृद्धियां, ईंधन इत्यादि पर होने वाले खर्च के कारण होने वाली सामान्य वृद्धियां भी शामिल की गई हैं।

1999-2000 में पेंशन संबंधी दायिताएं 3,300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्ष 1996-97 के बाद इस राशि में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण दस लाख से अधिक रेल पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले लाभों का उदारीकरण हुआ है। राजस्व से पेंशन निधि में 2,954 करोड़ रुपए का विनियोग किए जाने का प्रस्ताव है जबकि 1998-99 के संशोधित अनुमान में यह राशि 3,425 करोड़ रुपए था। यह भी आवश्यक है कि इस निधि के शेष में से 200 करोड़ रुपए की राशि निकाली जाए।

राजस्व से मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में चालू वर्ष के संशोधित अनुमान के 1,600 करोड़ रुपए की तुलना में 1,589 करोड़ रुपए का विनियोग किए जाने का प्रस्ताव है। इस मामले में भी निधि शेष में से 600 करोड़ रुपए तक निकाले जाने आवश्यक होंगे।

इस प्रकार कुल संचालन व्यय 30,283 करोड़ रुपए होगा, जिससे शुद्ध यातायात प्राप्तियां 2,128 करोड़ रुपए होंगी। शुद्ध विविध प्राप्तियां 430 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसको शामिल करके शुद्ध राजस्व 2,558 करोड़ रुपए होगा। सामान्य राजस्व में किए जाने वाले लाभांश का भुगतान 1,914 करोड़ रुपए करना होगा, जबकि वर्ष 1997-98 के लिए रेल अभिसमय समिति (रेलवे कन्वेन्शन कमेटी) 1996 की तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में यह 1,752 करोड़ रुपए था। रेल अभिसमय समिति (रेलवे कन्वेन्शन कमेटी) 1998 को वर्ष 1999-2000 के लिए एक अंतरिम ज्ञापन सौंपा जा रहा है तथा उनकी सिफारिशें प्राप्त होने के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो, जरूरी फेर-बदल करने पड़ेंगे। इस वित्त वर्ष में "आधिक्य" कुल 644 करोड़ रुपए होने की संभावना है जो विकास निधि और पूंजी निधि के योजनागत खर्च की आवश्यकता से बहुत कम है, जो कि 1,765 करोड़ रुपए है।

इस प्रकार इन दोनों निधियों को प्रभार्य निर्माण कार्यों के वित्तपोषण के लिए 1,121 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इस खर्च के एक भाग को पूरा करने के लिए पूंजी निधि

के शेष में से 200 करोड़ रुपए और निधि पर ब्याज से 21 करोड़ रुपए निकालने की जरूरत होगी। तब भी 900 करोड़ रुपए की राशि को अतिरिक्त रूप से जुटाना होगा।

पिछले रेल बजट में माल भाड़े की दरों में साधारणतया वृद्धि नहीं की गई थी, परन्तु परिचालनों की लागत में वृद्धि होती रही है जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सभी वस्तुओं की माल भाड़ा दरों में समान रूप से 4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। यह वृद्धि कीमतों में हुई सामान्य वृद्धि से कम है। धुले कोयले और कास्टिक सोडा द्रव के लिए प्रभारों के वर्गीकरण में मामूली फेरबदल किए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक मामले में यह वृद्धि केवल एक सोपान की होगी।

100 किलोमीटर न्यूनतम दूरी से कम के माल यातायात पर लगने वाले भाड़े के प्रभार को घटाने के लिए काफी अभ्यावेदन मिलते रहे हैं। इसलिए मैंने यह विनिश्चय किया है कि 50 किलोमीटर तक की दूरियों के लिए ढोये जाने वाले माल भाड़ा दरों में 25 प्रतिशत रियायत दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, यात्री सेवाओं में सुधार के लिए हमेशा से मांग रही है। जैसा मैंने अपने भाषण में पहले उल्लेख किया है, रेलों ने चालू वर्ष में कुछ सुधार किए हैं तथा इन सुधारों को और सुदृढ़ करने की हमारी योजना है। इसके नतीजे संतोषप्रद रहे हैं और हमारे सम्मानित ग्राहकों ने इसका प्रत्युत्तर यात्री राजस्व में वृद्धि करके दिया है। इस कारण, हमने रेल यात्रियों को छूट देने का निर्णय लिया है। लगभग 90 प्रतिशत यात्रियों, जो दूसरे दर्जे में यात्रा करते हैं, को "यात्री वर्ष" के दौरान तोहफे के रूप में साधारण तथा मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के किराए में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। दूसरे दर्जे के सीजन टिकट के किराए में भी कोई वृद्धि नहीं होगी। जहां "यात्री वर्ष" में हम रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाएंगे, वहीं बिना टिकट यात्री के खिलाफ सघन अभियान भी चलाएंगे।

बहरहाल, स्लीपर दर्जे और ऊंचे दर्जों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर की आरामदायक सेवा मुहैया कराई जाती है। इसलिए, मैं समझता हूं कि उनसे इस बात की आशा करना उचित है कि वे अपनी यात्रा के लिए थोड़ा अधिक भुगतान करें। मेरा प्रस्ताव है कि बैठने के स्थान और सोने के स्थानों के बीच आराम के स्तर में अंतर के आधार पर तथा वातानुकूल श्रेणियों में बेहतर आराम तथा सुविधाओं को ध्यान में रखकर किरायों में फेरबदल करके उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाए। इस प्रकार, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे के किरायों को आधार मान कर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अन्य श्रेणियों के किरायों को निम्नलिखित के अनुसार युक्तिसंगत बनाए जाने का प्रस्ताव है:-

* स्लीपर दर्जा - 1.55 गुणा;
* वातानुकूल कुर्सी यान - 3 गुणा;
* वातानुकूल 3-टियर स्लीपर - 4.5 गुणा;
* पहला दर्जा - 5.25 गुणा;
* वातानुकूल 2-टियर - 7.2 गुणा; और
* वातानुकूल पहला दर्जा - 14.4 गुणा।

इसी प्रकार, साधारण पैसेंजर गाड़ियों में स्लीपर दर्जे और पहले दर्जे के किराए दूसरे दर्जे (साधारण) के किराए का क्रमश: 1.55 और 5.25 गुणा होंगे।

बहरहाल, कुछ दूरी खंडों में ऊंचे दर्जों का वर्तमान किराया उपरोक्त तरीके से युक्तिसंगत किए गए किरायों से अधिक है। इनमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों को भी उपयुक्त फेर-बदल करके संशोधित करने का प्रस्ताव है।

मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में सभी ऊंचे दर्जों में यात्रा करने के लिए प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी समान रूप से 100 किलोमीटर रखे जाने का प्रस्ताव है।

स्लीपर दर्जे में प्रभार के लिए 200 किलोमीटर न्यूनतम दूरी, ऐसे कुछ खंडों पर यात्रा करने के मामले में लागू नहीं होगी जहां रेलों ने कुछ गाड़ियों में स्लीपर दर्जे को अनारक्षित घोषित किया है तथा ऐसे मामलों में सामान्य स्लीपर दर्जे का ही किराया वसूल किया जाएगा।

माल भाड़े की दरों के ही समान, सभी पार्सल और सामान यातायात की ढुलाई पर 4 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है।

ये प्रस्ताव 1.4.1999 से लागू होंगे। इनसे पूरे वर्ष के दौरान 900 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। इसमें 700 करोड़ रुपए माल यातायात से और 200 करोड़ रुपए कोचिंग यातायात, जिसमें यात्री, पार्सल और सामान शामिल है, से प्राप्त होने की संभावना है।

परिचालन एवं आर्थिक उपलब्धियों के संदर्भ में 1998-99 एक संघर्षपूर्ण वर्ष रहा है। इसके बावजूद हतोत्साहित हुए बिना हम राष्ट्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में अपना योगदान देते रहे हैं। इस कार्य का सफल निष्पादन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। हर कठिनाई के क्षण में उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया है और सकारात्मक सहायता प्रदान की है। इसके लिए समस्त रेल परिवार उनका आभारी है।

**श्री किशन सिंह सांगवान** (सोनीपत) : यह हरियाणा के साथ सरासर धोखा है, हरियाणा के साथ ज्यादती की गई है। पिछले साल भी यह सवाल आया था। हरियाणा में रोज 10 लाख लोग रेल से सफर करते हैं, लेकिन हरियाणा के लिए कोई नई ट्रेन, कोई नई रेलवे लाइन इस बजट में नहीं है। पिछले साल हाउस में हरियाणा के लिए एश्योरेंस दिया गया था। ...*(व्यवधान)*

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : लखनऊ के लिए आपने क्या किया है? प्रधान मंत्री जी को आपने धोखा दिया है। ...*(व्यवधान)*

**श्री किशन सिंह सांगवान** : हरियाणा के साथ आपने ज्यादती की है, हरियाणा को आपने धोखा दिया है।

**श्री नीतीश कुमार** : मैं सभी रेलकर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी कठिन मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा के कारण रेलें अपना काम सफलता से पूरा कर सकी हैं। हमारे धन्यवाद के पात्र रेल के समस्त यात्री एवं उपयोगकर्ता भी हैं जिनका सहयोग हमें बराबर मिलता रहा है और मुझे विश्वास है कि यह भविष्य में भी मिलता रहेगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट 1999-2000 को सदन में संस्तुत करता हूं।

---

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : जो माननीय सदस्य मंत्री जी के भाषण से संतुष्ट नहीं हैं वे उनके पास समाधान हेतु जा सकते हैं।

अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.12 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.30 बजे**

*मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट पर पुन: समवेत हुई।*

**[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा नियम 377 के अंतर्गत मामलों पर चर्चा करेगी।

**अपराह्न 2.30$^{1}/_{2}$ बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले

*[हिन्दी]*

**(एक) कानपुर में काकिन और कल्याणपुर गांवों के बीच गंगा नदी पर लिफ्ट कैनाल के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री श्याम बिहारी मिश्र** (बिल्हौर) : कानपुर उत्तर प्रदेश में विकास खंड बिल्हौर, शिवराजपुर, चौबेपुर एवम् कल्याणपुर के सैंकड़ों गांव गंगा नदी के किनारे बसे हैं। इन ग्रामों में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। नहर की माइनरी का आखिरी टेल पड़ता है जिसमें पानी नहीं जाता है। खारा पानी निकलने के कारण सभी ट्यूबवैल फेल हैं और काम नहीं कर रहे हैं।

अत: जल संसाधन मंत्री से मांग है कि कानपुर नगर के बिल्हौर विकास खंड के ग्राम काकिन से कल्याणपुर तक गंगा नदी में लिफ्ट नहर का निर्माण कराके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करें। इसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक धन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

**(दो) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बांसगांव संसदीय क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री रामनारायण पासी** (बांसगांव) : मेरा संसदीय क्षेत्र बांसगांव, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता है, एक अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित नहीं है। यह क्षेत्र केवल कृषि पर ही आधारित है। लेकिन प्रति वर्ष बाढ़ की भयंकर विभीषिका

अथवा सूखे की चपेट में आ जाने की वजह से इस क्षेत्र की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है और यहां के गरीब लोग भूखमरी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है।

बांसगांव क्षेत्र को यदि नेशनल बेकवर्ड एरिया घोषित करके वहां पर प्राथमिकता के आधार पर सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित कर दिया जाए और प्रति वर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ की विभीषिका के रोकथाम हेतु कोई योजना बनाकर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाए तो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकता है।

अत: ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह बांसगांव संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु उपर्युक्त योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब बनाएं।

**(तीन) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यकरण की जांच हेतु विशेषज्ञों और जनता के प्रतिनिधियों वाली समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता**

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की आर्थिक स्थिति जर्जर अवस्था में है। अधिकारियों और कर्मचारियों, संवेदकों का बकाया राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। कम्पनी के उत्पाद में ह्रास हो रहा है। कम्पनी के विपणन विभाग के अकुशलता से कोयले की बिक्री प्रभावित हुई है। कोयला उत्पादन के गुणवत्ता का नजरअंदाज, ग्राहकों के द्वारा कोयले का मूल्य प्राप्त करने में विवाद उत्पन्न होना, एक ही स्थान पर अधिकारियों और कर्मचारियों का कई वर्षों तक पदस्थापना आदि कई कारण हैं, जो प्रबंधन को अकुशल, अप्रभावी और अव्यवहारिक बना रहा है।

वाशरीज में स्लरी और रिजेक्ट कोल का भारी भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी बिक्री नहीं की जा रही है। स्थानीय खरीद के नाम पर लाखों रुपए का अपव्यय हो रहा है। इन सारी स्थितियों के सम्बन्ध में मैंने समय-समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, लेकिन परिणामत: कम्पनी में स्थिति भयावह होती जा रही है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त मामले की जांच के लिए जनप्रतिनिधियों और कम्पनी के विशेषज्ञों की समिति गठित कर मामले को एक माह के अंदर निष्पादित करने की कृपा की जाए।

**(चार) असम में हाथियों द्वारा विध्वंस को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री विजय हान्दिक** (जोरहाट) : असम में विशेषकर जंगलों के निकट के गांवों और चाय बागानों में रहने वाले लोग हाथियों द्वारा किए जा रहे विध्वंस से उत्पन्न खतरे के बीच रह रहे हैं और इससे कई लोग हताहत हुए हैं और फसलों और मकानों को क्षति पहुंची है। इससे संरक्षणवादियों, जो वन्य जीवन की रक्षा और मानव तथा पशुओं के बीच सह अस्तित्व और आपसी समझ के संवर्द्धन की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है, के लिए गहरी चिन्ता उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों और वन्य जीवन के बीच टकराव होगा जो आगे चलकर हानिकारक ही होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्यों ने हाथियों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण किया है और उन्हें जंगलों से बाहर कर दिया है। लेकिन यह बहस करने का कोई लाभ नहीं है कि जब से मनुष्य जंगलों में घुस आये हैं, हाथियों के पास मनुष्यों के आवासों में प्रवेश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

चूंकि असम में हाथियों द्वारा विध्वंस की घटना एक आम बात रही है, सरकार के लिए यह अत्यावश्यक हो गया है कि वह एक कार्य योजना बनाए और एक साल में कम से कम सौ हाथियों को पकड़ने और देश के साथ ही विदेशों के चिड़ियाघरों, पार्कों तथा वन विभागों को उन्हें बेचने की अनुमति दे, साथ ही हाथियों द्वारा किए जाने वाले विध्वंस से प्रभावित क्षेत्रों में मृत और घायल व्यक्तियों और फसलों तथा सम्पत्ति की क्षति का बीमा करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कोई उपाय निकाले और अंतत: हाथियों को पुन: वनों में वापस भेजा जाना चाहिए। इस समस्या के प्रति हमारा रवैया प्रायोगिक, वास्तविक और साथ ही साथ पारिस्थितिकीय अनुकूल होना चाहिए।

**(पांच) दक्षिण-मध्य रेलवे में आंध्र प्रदेश में बित्रगुन्टा अथवा नेल्लोर अथवा गुड्डूर में एक नए रेल मंडल को सृजन किए जाने की आवश्यकता**

**श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** (नेल्लोर) : महोदय, मैंने सरकार को आंध्र प्रदेश में दक्षिण-मध्य रेलवे लाइन पर बित्रगुंटा अथवा नेल्लोर अथवा गुड्डूर में नया रेल मंडल बनाने के लिए बार-बार अभ्यावेदन दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बित्रगुंटा या नेल्लोर या गुड्डूर में नया रेल मंडल बनाना उचित है, चूंकि ये स्थान विजयवाड़ा-चेन्नई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित हैं, प्रचालनात्मक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह सुविधाजनक है। बित्रगुंटा क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं और 1000 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध है। नेल्लोर जिला मुख्यालय है और मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक इसी तरह, गुड्डूर तिरुपति और चेन्नई रेल लाइन को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेलवे जंकशन है।

उपर्युक्त उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त नेल्लोर क्षेत्र में इफको (आई.एफ.एफ.सी.ओ.) द्वारा एक बड़े यूरिया संयंत्र का निर्माण कार्य और अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा पत्तन का निर्माण कार्य चल रहा है।

यह विचित्र बात है कि रेलवे ने गुंटुर मुख्यालय में रेल मंडल बनाने का प्रस्ताव किया है जो विजयवाड़ा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और विजयवाड़ा एक मंडलीय मुख्यालय है। विजयवाड़ा और गुंटुर दोनों शहर साथ-साथ बसे हुए हैं और इनके बीच में केवल कृष्णा नदी का पुल है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और इसमें गुंटुर के स्थान पर दक्षिण-मध्य रेलवे के बित्रगुंटा अथवा नेल्लोर अथवा गुड्डूर में नए रेल मंडल बनाने पर विचार किया जाए।

**(छह) बरहामपुर-रायपुर राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता**

**श्रीमती जयंती पटनायक** (बरहामपुर) (उड़ीसा) : उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को खरियार-नवापुरा में गोपालपुर-रायपुर मार्ग को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार वर्ष 1983 से प्रत्येक वर्ष यह मांग करती आ रही है। यहां तक कि वर्ष 1982 में यह संकल्प स्वीकार कर लिया गया था। इस विशेष राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु भुवनेश्वर में अखिल भारतीय सड़क सम्मेलन आयोजित किया गया था। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष यह मांग करती आ रही है। यह मार्ग राज्य के आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और इससे आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय संपर्क और व्यापार में संवर्द्धन होगा, साथ ही यह रायपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-43 और बेरहामपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के बीच सम्पर्क का काम करेगा। यह गोपालपुर पत्तन के लिए महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करेगा। कालाहांडी-बोलांगीर-क्योंझर इन तीन जिलों के अलावा सूखा प्रभावित और पिछड़े जिले फुलबनी को संचार द्वारा मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। इसलिए, उड़ीसा के इन पिछड़े जिलों के हित में यही है कि बेरहामपुर-रायपुर राज्य मार्ग को अविलंब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

**(सात) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु और धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता**

**श्री टी. गोविन्दन** (कासरगोड) : मैं माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री का ध्यान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

केरल का 1015 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़कों की ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप नियमित रूप से दुर्घटनाएं होती हैं। अत्यावश्यक मरम्मत कार्य के लिए केरल को कम से कम 225 करोड़ रुपये की जरूरत है। जो धन दिया गया वह मरम्मत कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे वर्ष 1998-99 के दौरान जगह-जगह टूटी सड़कों की थोड़ी-थोड़ी ही मरम्मत हो सकेगी। ऐसी स्थिति के कारण दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हो गई है।

ऐसी परिस्थिति में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत किए जाएं।

**(आठ) गन्ना उत्पादकों और ब्रिटिश इंडिया कम्पनी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चीनी मिलों के श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कपड़ा मंत्रालय के उपक्रम ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश की गौरी बाजार, पडरौना और कठकुंईया तथा बिहार की मंढौरा चीनी मिलों को कौड़ियों के मोल एक ही व्यक्ति के हाथ बेच दिया है। यहां तक कि इनके मुख्यालय को बेचा गया है। इन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 19 करोड़ रुपया बकाया है। जिसके भुगतान की तत्काल व्यवस्था न करके अगले छः वर्षों के बाद भुगतान का करार किया गया है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। इतनी अवधि में बैंक भी जाम धनराशि का दो गुना पैसा अदा करते हैं, परन्तु किसानों को ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है। इसी प्रकार संबंधित मिलों के कर्मचारियों की सेवा को जारी रखने के संबंध में भी कोई समझौता नहीं हुआ है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके किसानों के बकाया धन का तत्काल भुगतान कराने तथा किसानों व श्रमिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

**(नौ) दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री तथागत सत्पथी** (ढेंकानाल) : इस वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय ने दो सुपरफास्ट और एक हफ्ते में दो बार चलने वाली राजधानी एक्सप्रैस सहित दस नई रेलें शुरू की हैं। सरकार ने पांच रेलों की बारम्बारता (चक्कर) भी बढ़ाई है। लेकिन इस मामले में सरकार ने उड़ीसा की, विशेषकर नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रैस की बारम्बारता बढ़ाने के मामले में उपेक्षा की है।

इस रेल के लिए मांग बढ़ती जा रही है। इस रेल की बारम्बारता बढ़ाने हेतु उड़ीसा सरकार ने कई ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं। शुरू से ही यह एक लोकप्रिय रेलगाड़ी रही है और यात्रियों में इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। अत: इसे सप्ताह में दो बार चलाने के स्थान पर रोजाना चलाने की मांग बहुत सही है।

इसको देखते हुए, मेरा सरकार से निवेदन है कि नई दिल्ली-भुवनेश्वर रेल की बारम्बारता बिना किसी देरी के दो दिन से बढ़ाकर रोजाना कर दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सत्पथी, आपको केवल मान्य पाठ ही पढ़ना है।

**(दस) ट्रकों की लदान क्षमता बढ़ाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता**

**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** (पटियाला) : हम प्रतिदिन समाचारपत्रों में कई राज्यों में ट्रक मालिकों और ट्रक चालकों को लूटने की कई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ट्रांसपोर्टर भयभीत हैं। भारत सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते-फिरते सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था करनी चाहिए। हरेक कोई जानता है कि परिवहन आजकल अतिरिक्त पुर्जों के महंगे होने से, तेल की कीमतें बढ़ने से और उद्योग में मंदी आदि के कारण फायदेमंद नहीं रहा है। दूसरा कारण एक ट्रक पर दस टन माल ढोने की सीमा का होना है। यह किसी भी मामले में व्यवहार्य नहीं है। जब हरेक कोई यह जानता है कि एक ट्रक बड़ी आसानी से पन्द्रह टन से अधिक माल ढो सकता है, तो ट्रकों की भार वहन क्षमता बढ़ाई जाये।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह क्षमता को पन्द्रह टन करने के लिए अखिल भारतीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करे। साथ ही शुरूआत में ही पथकर जमा करने की व्यवस्था की जाये और किसी भी राज्य सरकार को मार्गों में कर वसूली का अधिकार नहीं होना चाहिए।

**(ग्यारह) कर्नाटक में महालेखापरीक्षक के कार्यालय में नियुक्ति हेतु तमिलनाडु के उन्नीस व्यक्तियों को जारी किये गये नियुक्ति आदेशों को रद्द करने संबंधी निर्णय को वापस लेने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री के. पैरी मोहन** : तमिलनाडु के उन्नीस लोगों ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उन्हें योग्यता के आधार पर कर्नाटक में महालेखाकार के कार्यालय में वर्ग 'ग' श्रेणी में नियुक्त किया गया था। कर्मचारी चयन आयोग देश में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और महालेखाकार के कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की भर्ती करता है। आयोग ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि उम्मीदवार को जिस राज्य में नियुक्त किया जाना है उसने उस राज्य की भाषा उत्तीर्ण की हो या केवल पढ़ी ही हो। फिर भी, कर्मचारी चयन आयोग ने बाद में इन उन्नीस तमिलों को जारी किये गये नियुक्ति पत्रों को रद्द कर दिया।

अत:, मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति आदेशों को रद्द करने के आदेश को वापस लेने का निर्देश दे।

**(बारह) डुमरियागंज में 132 के.वी.ए. सब-स्टेशन का निर्माण कार्य किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री रामपाल सिंह** (डुमरियागंज) : महोदय, हमारे संसदीय जनपद सिद्धार्थनगर, उ.प्र. में बिजली की भारी कमी है जिसकी वजह से इस जनपद में औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। इस जनपद में एक 132 के.वी.ए. का एक सब स्टेशन डुमरियागंज में वर्ष 1989 से निर्माणाधीन है जोकि केन्द्र के पावर फाइनेंशियल कार्पोरेशन के द्वारा स्वीकृत हुआ था और जिसका शिलान्यास तत्कालीन केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने किया था। इस पर सरकार का लगभग तीन करोड़ रुपया व्यय हो चुका है और सब स्टेशन पर लगभग 70 प्रतिशत और लाईन पर तीस प्रतिशत कार्य पूरा हो

चुका है। धनाभाव में इस पर निर्माण लगभग पिछले पांच-छः वर्षों से बन्द पड़ा है। मैंने कई बार इसके विषय में प्रश्न उठाए हैं लेकिन अभी तक कार्य नहीं हो रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसको शीघ्र पूरा कराया जाए तथा एक और 132 के.वी.ए. का सब-स्टेशन जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर में निर्माण कराया जाए, जिससे इस जनपद का औद्योगिक विकास हो सके।

---

**अपराह्न 2.48 बजे**

## बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला विषय सांविधिक संकल्प का है।

**विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम)** : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप गृह मंत्री को संकल्प हेतु बुलाएं, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में, जैसा कि कार्य मंत्रणा सलाहकार समिति में निर्णय लिया गया था, जैसा कि सभा ने अब इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, हमें, इससे पहले कि गैर-सरकारी सदस्यों के मामले लिए जायें, आज इसके उत्तर मिलने हैं और हमें कल इस पर मतदान करना है। लेकिन हमें केवल पांच घंटे आवंटित किये गये हैं।

वास्तव में, हमने यह निर्णय लिया है कि हम आज बहस को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे और कल गैर-सरकारी सदस्यों के मामले शुरू होने से पहले मतदान करेंगे। लेकिन वक्ताओं की संख्या और आवंटित समय की गणना करने पर यह मालूम होता है कि यदि हम देर तक भी बैठे तो भी यह संभव नहीं लगता।

अतः मैं सभी दलों के नेताओं और सदस्यों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखता हूं कि कल का गैर-सरकारी सदस्यों के मामलों का समय स्थानान्तरित करके या तो पहले कर दिया जाये या फिर अगले सप्ताह चार मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया जाये।

**श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम)** : आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चार मार्च का अवकाश है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें बोलने दें।

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम** : ऐसी स्थिति में यदि यही हो सकता है तो यह चलेगा।

अन्यथा एक असुविधा यह है कि अगला सप्ताह होली का सप्ताह है क्योंकि एक, दो और तीन मार्च को अवकाश है। पांच मार्च भी गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है और विभिन्न समस्याओं के कारण हम सब के लिए एक साथ हाजिर होने में कठिनाई होगी। अतः मेरा यह सुझाव है कि या तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए अथवा सामान्य रूप से काम करें जिस पर हम कल को बहस समाप्त नहीं कर सकेंगे और हम संभवतः 8 अथवा 9 मार्च को सप्ताह के बाद ही बहस समाप्त करेंगे।

**श्री शरद पवार (बारामती)** : हम आज रात देर तक बैठ सकते हैं।

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम** : नहीं।

**श्री शरद पवार** : हम कल भी बैठ सकते हैं, कल उत्तर 4 अथवा 4.30 अथवा 5.00 बजे के आसपास हो सकता है।

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम** : गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही सांविधिक रूप से 3.30 अपराह्न में शुरू होती है, हम इसे स्थगित नहीं करते।

**श्री शरद पवार** : आप इसे अगले शुक्रवार तक बढ़ा सकते हैं।

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम** : मैंने यही सुझाव दिया था।

**श्री शरद पवार** : मैं सहमत हूं।

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम**: यह 4 मार्च तक बढ़ाई गई है। मैं इसे अगले शुक्रवार तक नहीं बढ़ा सकता। आप गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते कि इसे उस दिन तक बढ़ा दिया जाए जो पूर्ण कार्य दिवस हो।

**कुछ माननीय सदस्य** : इसे 4 मार्च को ही होने दीजिए।

**श्री शरद पवार** : बिल्कुल ठीक।

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम** : यही प्रस्ताव मैंने किया था।

**कुछ माननीय सदस्य** : हम सहमत हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब ऐसा लगता है कि सर्वसम्मति यह है कि गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही 4 मार्च तक बढ़ा दी जाए और तब यह कार्य कल ही पूरा कर लिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**गृह मंत्री ( श्री लाल कृष्ण आडवाणी )** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं संकल्प पेश करता हूं:

> "कि यह सभा बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 12 फरवरी, 1999 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

मान्यवर, कल मैंने इस बात का उल्लेख किया कि यह सरकार इस बात से सहमत है कि धारा 356 का उपयोग जब अनिवार्य लगे तभी करना चाहिए, सामान्य रूप से इसका उपयोग नहीं होना चाहिए और उपयोग भी हो तो संविधान निर्माताओं की मंशा को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति से प्रेरित होकर नहीं किया जाना चाहिए। कल गोवा के संबंध में जो अध्यादेश था उसकी बहस के दौरान ही यह बात स्पष्ट हुई कि गोवा के विषय में कोई मतभेद नहीं था, कोई विवाद नहीं था और गोवा के संदर्भ में जो उद्घोषणा राष्ट्रपति जी ने जारी की, उसके बारे में दलों के बीच विवाद नहीं था और आम जनता के बीच में भी गोवा या अन्यत्र कहीं विवाद नहीं था। मैं मानता हूं कि कल की उद्घोषणा और आज जिस उद्घोषणा पर बहस मैं आरम्भ कर रहा हूं उसमें बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि इस उद्घोषणा के संदर्भ में दलों में बहुत विवाद है लेकिन जनता में अधिक विवाद नहीं है। *...(व्यवधान)* कल की उद्घोषणा के संदर्भ में दलों में भी विवाद नहीं था और जनता में भी विवाद नहीं था, लेकिन आज की उद्घोषणा के संबंध में मैं स्वीकार करता हूं कि दलों में मतभेद हैं. दलों में विवाद हैं, लेकिन जनता में अधिक विवाद नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि विवाद नहीं है।

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या आपने सर्वे करा लिया है।

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** : हां, ...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह** : आप इलेक्शन हार गये हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : साथ-साथ मत बोलिए। उन्हें बोलने दीजिए फिर आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैंने कल ही कुछ हिंदी पेपरों में और कुछ अंग्रेजों पेपरों में एक सर्वे देखा, जिसको ऑपिनियन पोल कहते हैं। उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना उचित है या अनुचित है? तब 67 प्रतिशत लोगों ने, जिनसे यह राय मांगी गई थी, कहा कि उचित है और शायद 24-25 प्रतिशत लोगों ने कहा कि यह अनुचित है। मैं कोई अंतिम सत्य कहकर इस बात को प्रस्तुत नहीं कर रहा लेकिन किसी ने पूछा कि क्या सर्वे किया गया तो मुझे लगता है और मैं मानता हूं कि बिहार में यह स्थिति होगी। यदि बिहार में हम इस प्रकार का सर्वे करेंगे तो शायद बहुत बड़ी संख्या में लोग कहेंगे कि यह उचित कदम था, इसके अलावा कोई दूसरा कदम संभव नहीं था *...(व्यवधान)* मैं अपने लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप उनको सुनें, वे भी हमें सुनें। यह दो दिन की बहस एक प्रकार से तर्क-वितर्क होगी। सब अपनी-अपनी बात रखें। इसलिये मेरा आप सबसे अनुरोध है कि शान्तिपूर्वक इस बहस को चलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की परिस्थिति कोई अभी पैदा हुई, ऐसा मैं नहीं मानता। बिहार के बारे में काफी समय से लोगों में चिन्ता रही है। बिहार प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दुस्तान का दूसरे नम्बर का राज्य है। इतना ही नहीं, जितने संसाधन इस प्रदेश में उपलब्ध हैं या मानव संसाधन या मैटीरियल संसाधन मिलते हैं, उतने सबसे बड़े प्रदेश में नहीं होंगे। जितने पुराने प्रशासक रहे हैं, वे कहते हैं कि 1953 में श्री पौल ऐपल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों में शासन कैसा है, इस बारे में अपना एक प्रतिवेदन कैबिनट सैक्रिट्रिएट को प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत प्रतिवेदन में हिन्दुस्तान के राज्यों के प्रशासन की प्रशंसा की गई लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य था जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई थी। अभी श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार देश में सबसे अच्छे प्रशासन वाला राज्य है। मैं इस बात को खोज नहीं पाया। मैंने ढूंढ़ने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। इसलिये इस बात की पुष्टि नहीं करूंगा लेकिन जानकारी यह मिलती है कि बिहार को एक अच्छा प्रशासनिक प्रदेश माना जाता रहा है। यह 1953 की बात है लेकिन वहां से चलते-चलते हम कहां आ पहुंचे हैं।

उपाध्यक्ष जी, उपरोक्त संदर्भ में हाई कोर्ट के एक जस्टिस महोदय थे जो बिहार के केस पर अपनी टिप्पणी दे रहे थे। शायद उनका नाम श्री बी.पी. सिंह था। जो भारत के गृह सचिव हैं, वे नहीं....

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : उनका नाम श्री बी.पी. सिन्हा था।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जज के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। मैं अब जान गया। उन्होंने केस के समय यह कहा कि बिहार की जो दशा है, उसे देखकर कोई विचारवान व्यक्ति या तो आत्महत्या करेगा या बिहार छोड़कर चला जायेगा। खुले न्यायालय में ये टिप्पणियां खंडपीठ द्वारा की गई हैं जिनकी सूचना प्रेस में दी गई है। इतना तो मैं उद्धरण दे सकता हूं। आप 1998 का जजमेंट देख सकते हैं जिसे मैंने अखबारों में पढ़ा। बाकायदा यह जजमेंट में लिखा हुआ है कि इस प्रदेश में अब यह स्थिति पैदा हो गई है कि ऐसा लगता है कि यहां जानवर रहते हों। मानों वहां जानवर रहते हों। यह भाषा है जिसका उपयोग उस विशेष निर्णय में किया गया है। माननीय न्यायधीश की ओर से औपचारिक निर्णयों के दौरान कही गई यह टिप्पणी कितनी गंभीर है। बिहार की इस अवस्था पर हम सब लोग विचार करें।

**अपराह्न 3.00 बजे**

यह स्थिति या यह सारी बहस या जो निर्णय है वह निर्णय किसी पार्टी के पक्ष में या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैं मानता हूं कि यह निर्णय इस सरकार ने विशुद्ध बिहार की जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया है। विशुद्ध बिहार के विकास की कल्पना को ध्यान में रखकर लिया है। विशुद्ध बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होने के लिए इस हिसाब से लिया है और कोई इसमें कंसिडरेशन मोटिवेशन सिवाय बिहार के हित के नहीं है।

मैंने कहा कि यह स्थिति अचानक नहीं पैदा हुई है, 1998 में ही पैदा नहीं हुई। सचमुच में तो पहला-पहला जो नरसंहार हुआ वह 1997 में हुआ। हुए तो बहुत हैं मगर 1997 में जो हुआ वह भयंकर था जिसमें 58 या 60 दलित मारे गए। उसके बाद में और इसमें हमारे उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट वहां पर गए। हमारे उस समय के गृह सचिव वहां पर गए। जितनी बात हुई या मेरे जो पूर्व अधिकारी गृह मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, उन्होंने वहां की सरकार से वार्तालाप किया, मैंने वह सब देखा है। उस समय जो हमारे राज्यपाल थे, उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी उनको भी मैंने देखा है और उन सबमें इस बात की गंभीर चिन्ता प्रकट की गई है कि इसको रोका जाए और इसको रोकने के लिए जितनी सहायता केन्द्र से चाहिए, हम देने को तैयार हैं और सहायता दी भी गई, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई, लगातार बिगड़ती गई। एक के बाद एक हत्याकांड होते रहे और क्योंकि इस सारी अराजकता की तह में जो एक प्रमुख समस्या है जिस समस्या को हमको पहचानना चाहिए, वह है बिहार राज्य में भूमि सुधार संबंधी कानूनों का ठीक प्रकार से कार्यान्वयन न होना। यह चूंकि प्रमुख कारण है और इस पर सब लोग सहमत हैं, मेरे से पूर्व जो सरकार थी, उनकी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, उसकी सारी चर्चाएं देखी हैं। अगर वहां का खेतिहर मजदूर है, उसके लिए मिनिमम वेज तय किया गया कि उसको 39.00 रुपये मिलने चाहिए या 40 रुपये मिलने चाहिए तो अधिकांश भूस्वामी उनको एक कौड़ी नहीं देते, पैसा नहीं देते और तीन किलो चावल देते हैं जिसकी कीमत जो मिनिमम वेज निश्चित है, उसके आधे से भी कम है। तो कैसी स्थिति होगी, इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है। और क्योंकि खेतिहर मजदूर अधिकांश दलित हैं, इसीलिए जितने सारे नरसंहार के कांड होते हैं, उसमें भुक्तभोगी प्राय: दलित होते हैं, अधिक से अधिक दलित होते हैं। इन तथ्यों को समझकर इस समस्या को देखना चाहिए। क्यों नहीं क्रियान्वयन हुआ? क्यों कार्रवाई नहीं हुई?

कल दूसरे सदन में जब इसकी चर्चा हुई प्रश्नकाल में तो रणबीर सेना का नाम आया। रणबीर सेना का नाम आते ही कहा गया कि रणबीर सेना ऐसी हैं, इस पोलिटिकल पार्टी से संबंधित है। मैं तो सुनकर हैरान हुआ क्योंकि मेरी पार्टी का नाम लिया गया था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने जानकारी की है और रणबीर सेना एक बैन्ड ऑर्गनाइजेशन है, इसको इल्लीगल घोषित किया गया है और इल्लीगल घोषित करने के बाद पहले भी आरोप लगे थे कि इस संस्था या संगठन का इसके साथ संबंध है। तो 1997 में बिहार की सरकार ने रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमीरदास की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। उनको कहा गया कि छ: महीने के अंदर आप इस बात की जानकारी करिये कि कौन राजनैतिक तत्व इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस संस्था की ऐफिलिएशन्स क्या हैं, जिसके कारण इतने सारे हत्याकांड हो रहे हैं और दलितों को मारा जा रहा है। ये कौन लोग हैं? जानकारी करते हैं तो पता लगता है कि उसकी इस डेढ़ साल में एक मीटिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि उनका काम ही शुरू नहीं हुआ। उनको दफ्तर नहीं दिया गया, उनको कुछ भी नहीं दिया गया। यह अकेले अमीरदास कमीशन की बात नहीं है। एक और कमीशन बनाया गया था, जब एक एम.एल.ए. मारा गया था। उनकी पत्नी इस सदन की सम्मानित सदस्या हैं और जब दो एम.एल.ए. मारे गये थे तो उनकी हत्या के बारे में भी एक कमीशन बनाया गया था। उसमें भी हाई कोर्ट का जज रखा गया, लेकिन उसकी भी वही दुर्दशा हुई, कोई प्रगति नहीं हुई, कोई मामला आगे नहीं बढ़ा। उसको कोई दफ्तर, कोई सुविधाएं, कोई स्टाफ नहीं दिया गया, हर एक मामले में वैसा का वैसा ही रहा। यहां तक कि ट्राइबल वैलफेयर काउंसिल का गठन करना आवश्यक है। वह संविधान के अधीन बनाया, उसको तीन साल हो गये, लेकिन उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर एक मामले में यही हुआ।

कल बिहार की चर्चा के समय इस बात का उल्लेख कई माननीय सदस्यों ने किया, उनके द्वारा दो बातें कही गई, चर्चा तो गोवा की हो रही थी, लेकिन अनिवार्य रूप से बिहार का उल्लेख इधर से भी होता था और हमारी ओर से भी होता था। उसमें कहा गया कि गोवा में जो किया वह ठीक किया, वहां सरकार के पास बहुमत नहीं रहा, इसीलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन बिहार में जो सरकार थी, उसके पास बहुमत था, उसको क्यों हटाया, बहुमत वाली सरकार को क्यों बर्खास्त किया?

दूसरी बात यह कही गई कि अगर किसी प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए, अपराधों की संख्या बढ़ जाए, अपराधी बढ़ जाएं, हत्याएं होने लगें, हिंसा होने लगे, क्या धारा 356 लगाने का यह आधार है और अगर यह आधार है तो एक सदस्य ने कहा कि हिंदुस्तान में कितने प्रदेश बचेंगे जिनमें धारा 356 न लगानी पड़े। हर एक में धारा 356 लगानी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)* मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें। कृपया अपने आसन पर बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : किसी ने आसाम के बारे में कहा, किसी ने महाराष्ट्र का उल्लेख किया ...*(व्यवधान)* मैं तो आपके तर्क दे रहा हूं, जो तर्क कल बिहार के संदर्भ में उठाये गये थे कि धारा 356 लगाते हुए आपने यह बात भी ध्यान में नहीं रखी कि वहां पर सरकार को बहुमत प्राप्त है। गोवा में बहुमत नहीं था, लेकिन बिहार में तो बहुमत है, आपने इस बात को ध्यान में रखा कि यह अकेला बिहार नहीं है कि जहां तक कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, हत्याओं और हिंसा की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रदेश भी तो हैं। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि ऐसे और प्रदेश भी हैं। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि इस समय जो सरकार बिहार में थी, उसके बहुमत के बारे में किसी को संदेह नहीं था। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि यह बात जो कभी-कभी धारा 356 के संदर्भ में कही जाती है कि इस सरकार को बहुमत प्राप्त है, अगर उस सरकार को बहुमत नहीं होता तो धारा 356 की क्या जरूरत पड़ती। अगर बहुमत नहीं है तो धारा 356 की जरूरत पड़ने का सवाल ही नहीं है, वह सरकार ऐसे ही चली जाती। इसीलिए कभी-कभी जो बहुमत वाली बात कही जाती है, वह उचित नहीं है, क्योंकि धारा 356 में यह नहीं कहा गया है कि धारा 356 का उपयोग वहां किया जाए जहां पर सरकार अपना बहुमत खो दे, यह इसमें नहीं कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि जहां पर सरकार संविधान के अनुसार काम न कर रही हो, संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम न कर रही हो ...*(व्यवधान)* उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि मैं यह नहीं मानता हूं कि कहीं पर कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए तो एकमात्र कारण हो सकता है कहीं पर धारा 356 लगाने का, मैं इस बात से सहमत हूं-

*[अनुवाद]*

कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट अथवा बढ़ता अपराध और बढ़ती हिंसा अपने आप अनुच्छेद 356 लगाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता।

हम इस पर स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट नहीं हैं।

*[हिन्दी]*

इसमें दो मत नहीं हैं, अलबत्ता जो बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने कुछ बातों का उल्लेख किया है, मैं और कहना चाहता हूं कि धारा 356 बनाने के बाद वे सिर्फ धारा 356 तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि संविधान निर्माताओं ने उसके साथ-साथ धारा 355 भी बनाई और उसमें उन्होंने किसी को अधिकार नहीं दिया है, हमको अधिकार नहीं दिया है, 356 में हमें अधिकार दिया है, लेकिन 355 में जवाबदारी दी है। धारा 355 करती है-

> "कि संघ का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।"

हमको लगता था कि यह जो दायित्व या जवाबदारी सरकार पर डाली गई है उसका निर्वाह करने के लिए जो स्थिति हम बिहार में देख रहे हैं, उसे हमें चुपचाप बैठकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमको कुछ करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन सिंह** : आपने उल्टा भाषण कर दिया। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया साथ-साथ मत बोलिए।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : और यह टिप्पणी केवल सरकार नहीं कर रही है, इस टिप्पणी को दो-तीन बार पटना हाई कोर्ट ने किया है। ...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन सिंह** : उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट है। ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मुझे एक निर्णय ऐसा दिखा दीजिए कि कहीं किसी प्रकार का निर्णय हो, तो हम उसका नोटिस जरूर लेंगे। ...*(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल) : उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि जंगल राज है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मोहन सिंह, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। इस प्रकार व्यवधान न डालें।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : पिछले दिनों जब अजीत सरकार और बृज बिहारी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद सेंट्रल ऑफीसर्स की एक टीम गई थी। उसकी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि चिन्ता इस बात की है कि - बिहार में यह हालत है कि लोगों की अपराधियों से सुरक्षा करने के बजाए उन्हें शरण और संरक्षण दिया जाता है। चिन्ता की बात यह नहीं है कि अपराध बढ़ गए हैं या अपराधी बढ़ गए हैं, बल्कि चिन्ता की बात यह है कि अपराधियों को राज्य शासन का संरक्षण मिलता है। यह स्थिति संविधान के अनुरूप नहीं है। इसी कारण यह निष्कर्ष निकालना पड़ा। कोर्ट ने यह कहा कि हम शासन कैसे करें, हम तो शासन कर नहीं सकते। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया ये टिप्पणियां बंद करें।

**अपराह्न 3.14 बजे**

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, एनक्रोचमेंट की चर्चा थी। उस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि–

*[अनुवाद]*

हमने राजधानी शहर पटना के अतिरिक्त अन्य शहरों में अतिक्रमणों को हटाने के लिए समय-समय पर आदेश पारित किए हैं क्योंकि सार्वजनिक भूमि और सार्वजनिक सड़कों आदि का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। यातायात के सुचारू रूप से चलने में बाधक होने के अतिरिक्त ऐसे अतिक्रमणों से बड़ी मात्रा में गंदगी पैदा होती है, जिससे जीवन अस्वास्थ्यकर हो जाता है और उन स्थानों में रहने वाले लोग जो राज्य के सम्मानित नागरिक भी हैं, जानवरों का जीवन जीने को बाध्य हैं। यदि प्राधिकारी जिनसे न्यायालय के आदेशों को लागू करने की अपेक्षा की जाती है, इन आदेशों को लागू करने से मना करते हैं अथवा असमर्थ रहते हैं तो इससे निश्चित रूप से संवैधानिक योजना असफल हो जाएगी और प्रशासन खराब हो जाएगा।

*[हिन्दी]*

इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा:

> "राज्य प्राधिकारियों की ओर से यह जानबूझकर किया गया प्रयास है।"

यह चार्ज है। जब इन्होंने देखा कि 3,300 कन्टैम्पट केसेस से अधिक सरकार या सरकारी अधिकारी के खिलाफ पैंडिंग हैं तब उन्होंने कहा कि:

> "न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करना राज्य प्राधिकारियों की ओर से जान-बूझकर किया गया प्रयास है।"

डिजाइन ऐफर्टस, योजनाबद्ध रूप से शासन न्यायपालिका की अवमानना कर रहा है। न्यायपालिका की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार चलाने के लिए साधन नहीं हैं।

उन्होंने कहा:

> "हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। हमसे ऐसा करने की आशा नहीं की जा सकती। संविधान हमसे ऐसा करने की आशा नहीं कर सकता।"

ऐसी स्थिति में यह सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि वास्तव में केन्द्र को इस स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए।

कल मैंने, सरकारिया कमीशन ने पोलिटिकल क्राइसिस किसको कहा है, वह गोवा के संदर्भ में पढ़कर सुनाया था। इस स्थिति के बारे में आज सरकारिया कमीशन ने क्या कहा है, मैं उसका थोड़ा उल्लेख करूंगा क्योंकि वह इसको इंटरनल सबवर्शन की संज्ञा देते हैं। कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी लेकिन इंटरनल सबवर्शन और उसका जो एक्सप्लेन सरकारिया कमीशन ने किया है:

*[अनुवाद]*

"जहां राज्य सरकार, भले ही मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हो, को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, संविधान और कानून का अपमान करके एक अवधि तक जानबूझकर चलाई गई हैं।"

*[हिन्दी]*

इसकी पुष्टि मैंने अभी जो फैसला आपको पढ़कर सुनाया जिसमें कहा है कि अगर यह मानहानि के मामले आज तक लम्बित हैं, तो

*[अनुवाद]*

"यह राज्य सरकार द्वारा सोचा-समझा षडयंत्र है कि वह यह देखे कि हमारा अपमान किया जाता है, न्यायालयों का अपमान किया जाता है, संविधान का अपमान किया जाता है और कानून का अपमान किया जाता है।"

यह अरूण कुमार मुखर्जी बनाम बिहार राज्य के मामले पर दिया गया निर्णय है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इसमें कौन सा खंड शामिल है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अवमानना के मामलों का यहां उल्लेख नहीं किया जाता है। वे अलग मामले हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उन्होंने इसका हवाला नहीं दिया है?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : नहीं।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** : गवर्नर की चिट्ठी में है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : है, वह केस तो पेंडिंग है।

*[अनुवाद]*

अन्यथा वह 'डिजाइन' नहीं कहेंगे। सामान्यतया अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं लेकिन क्योंकि वह पूरी स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं इसलिए उन्होंने 'डिजाइन' शब्द का प्रयोग किया। और मैं इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय मानता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह एक निराशाजनक निर्णय है।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार 1998 में कुल मिलाकर एक्सट्रीन्यूअस वायलेंस की 500 घटनायें हुई हैं जिसमें 600 लोग मारे गये हैं। उसमें 50 पुलिसकर्मी थे और उसमें ज्यादातर दलित हैं। उसका कारण भूमि सुधार, भूस्वामी और एग्रीकल्चर लेबर हैं। उनके सारे संघर्षों में दलित ही शिकार होते हैं। इस तथ्य को समझकर भारत सरकार ने कुछ महीने पहले भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन उस समय राष्ट्रपति जी ने हमको कहा कि आप पुनर्विचार करिये और उस पुनर्विचार करने में उन्होंने एक बात यह भी कही कि सरकार को एक-आध बार एडवाईज या वार्निंग देनी चाहिए। हम उस हिसाब से चलते रहे। यद्यपि हमने राष्ट्रपति जी को उस समय भी अवगत किया कि हम समझते हैं कि हमारा निर्णय सुविचारित है। बिहार का केस ऐसा है, जो केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करने के योग्य है। यह अनुच्छेद 356 के लिए उचित मामला है। लेकिन आपके विचारों का आदर करते हुए, समादर करते हुए इस समय हम इस पर पुनः आग्रह नहीं कर रहे हैं, यह कहकर हमने वापिस भेजा था। इस बार हमने उसकी पुनरावृत्ति की। कुछ लोग कहते हैं कि आपने पुनरावृत्ति क्यों की क्योंकि मैंने कहा कि उस समय हमने कहा था कि हमारी राय यह है कि वहां पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं चल रहा है इसलिए हम इस बात को दोहराते हैं। आपके विचार का आदर करते हुए हम इस समय नहीं कर रहे हैं। दोबारा जब हमने किया तो हमने सोचा कि शायद राष्ट्रपति केवल मात्र दोबारा मंत्रिमण्डल जब सिफारिश करता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि संविधान की अपेक्षा है, वह हस्ताक्षर ही करेंगे। उन्होंने केवल हस्ताक्षर ही नहीं किए बल्कि उन्होंने अपनी राय भी उसके साथ जोड़ी कि मैं इस बात से सहमत हूं और उसमें इस बात का भी नोटिस दिया था कि भारत सरकार ने उनको एडवाईज भी दी, चेतावनी भी दी, उनको बताया कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, उसके बावजूद भी वे लगातार उसी दिशा में चलते रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां पर संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या हम उस अनुशंसा दस्तावेज को देख सकते हैं? जो हवाला आप दे रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं उस दस्तावेज से नहीं पढ़ रहा हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप वह बात कह रहे हैं जिसे माननीय राष्ट्रपति जी ने एक फाइल पर कहा है। आप या तो उसकी ओर इशारा कर रहे हैं या उसी से पढ़ रहे हैं। मैं यह सवाल नहीं कर रहा, परन्तु, यदि आप माननीय राष्ट्रपति जी की अनुशंसा की बात कर रहे हैं तो हमें भी इसकी प्रति मिलनी चाहिए। अन्यथा, इसका हवाला न दें।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे यह पता था कि यदि मैं उद्धरित करूंगा तो मुझे उसकी प्रति उपलब्ध कराने की अनिवार्यता होगी। मैंने कुछ भी उद्धरित नहीं किया है, मैंने केवल सार बताया है। मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं, मुझे ज्ञात है कि उद्धरित करना नियमों का उल्लंघन होगा। परन्तु, सार बताने पर नियमों की कोई बाध्यता नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : कृपया, राष्ट्रपति जी को बीच में न लाएं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : ठीक है, लेकिन यह मामले की पृष्ठभूमि है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या राष्ट्रपति जी ने इसे वापिस कर दिया है?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : हां, उन्होंने इसे लौटा दिया है।

**श्री ई. अहमद** (मंजेरी) : राष्ट्रपति जी ने जो कहा, गृह मंत्री वह बताना चाहते थे। यह भी स्वीकार्य नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल मुनी चौबे** (बक्सर) : 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने बयान दिया है। उन्होंने ऐसा ही कहा है। अखबार में यह बात आई है। *...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जिस समय हमने निर्णय लिया, उस समय हम इस बात से परिचित थे कि लोक सभा में इस सरकार का बहुमत है, राज्य सभा में बहुमत नहीं है और संविधान के अनुसार इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में पारित कराना आवश्यक है। हमने सोचा कि हम धारा 355 के अधीन अपने कर्त्तव्य की पूर्ति करें और हम अपेक्षा करते हैं कि जो शेष दल हैं, जो बिहार के बारे में चिंतित हैं, वे भी हमारा समर्थन करेंगे। मैं आर.जे.डी. की बात समझ सकता हूं, बाकी की नहीं समझ सकता क्योंकि उनकी सरकार थी और वह सरकार बरखास्त की गई है तो पोलीटिकली उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और वह मेरी समझ में आता है। इसलिए पहले-पहले जब कांग्रेस पार्टी के महामंत्री ने तुरंत हमारे निर्णय के बाद उसका स्वागत किया तो हमको बहुत खुशी हुई। ये यहां बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री सुशील कुमार शिंदे** (शोलापुर) : हमने स्वागत कभी नहीं किया है, हमने दलितों की बात की। *...(व्यवधान)* महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। इतना ही नहीं, मैंने आपके गृह मंत्री जी को उस रात उनके ऑफिस में जाकर साढ़े सात बजे, जिस तरह दलितों पर अत्याचार हुआ, यह बात भी की लेकिन जब आप उसका पोलीटिकल व्यू लेते हैं फिर उसका अर्थ अलग हो जाता हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : गृह मंत्री जी से मिलकर आपने क्या-क्या कहा, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने भारत सरकार के इस निर्णय के बारे में तुरंत जो पहली प्रतिक्रिया प्रकट की, वह उचित थी। मैं उसके शब्दों में नहीं जाता। उसमें भी हमको इस बारे में आश्वस्त किया कि हमको विश्वास है कि जिस समय सदन में हम इसकी चर्चा करेंगे तो कोई पार्टी ऐंगल से नहीं देखेगा, वह कुल मिलाकर बिहार के हित में देखेगा। कुल मिलाकर लगातार इस प्रकार से दलितों की हत्या होती रहे, उसको रोकने की इच्छा से देखेगा। उसके साथ-साथ संसद में विपक्ष की प्रमुख पार्टी के अध्यक्ष का जो बयान आया, मुझे लगा कि स्वाभाविक रूप से एक गैर-राजनैतिक स्तर पर इस मामले पर विचार होगा। अगर नहीं होगा तो उसका नुकसान, मैं अगर पार्टी ऐंगल से सोचूं तो हमको फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। *...(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सारे इतिहास में, अगर उन्होंने शाहबानों का निर्णय न किया होता तो शायद इतिहास दूसरा होता। मुझे लगता है कि एक बार पुन: हिन्दुस्तान के राजनैतिक इतिहास में जिसका स्थान पर कांग्रेस पार्टी आज पहुंची है और जिस स्थान पर पहुंचते-पुहंचते *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री फ़ातमी, कृपया साथ-साथ मत बोलिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है।

*....(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. शकील अहमद** (मधुबनी) : कांग्रेस ने बिल्कुल ठीक काम किया था, शाहबानों के मामले में बहुत सही काम किया था। कांग्रेस ने शाहबानो के केस में अच्छा काम किया था। *...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : आप छोड़ो।

मैंने कहा कि हर एक पार्टी अपने पूरे इतिहास को ध्यान में रखकर उस हिसाब से निर्णय करती है और मेरे मित्र अभी स्मरण दिला रहे हैं कि हिन्दुस्तान के इस 50 साल के इतिहास में पहली बार अगर कांग्रेस पार्टी धारा 356 के प्रोक्लेमेशन का विरोध करेगी तो बिहार का विरोध करेगी, इसको अपने इम्प्लीकेशंस हैं। इसका विरोध करेगी, क्योंकि इस प्रोक्लेमेशन को जहानाबाद में इतने दलितों की हत्या के बाद लाया गया। इसीलिए इस समय मैं इस प्रोक्लेमेशन को संसद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि देश में ऐसे इश्यूज़ हैं, जिन इश्यूज़ पर नॉन पार्टीजन लेबिल पर हमको विचार करना चाहिए और उन नॉन पार्टीजन लेविल पर विचार करने के लिए यह एक स्पेसिफिक इश्यू है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ई. अहमद, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : डा. शकील अहमद, कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं। *...(व्यवधान)*

**श्री शान्तिलाल चपलोत** (उदयपुर) : आप गलत कोट मत करो।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या यह आपके आर.एस.एस. राज्यपाल द्वारा किया जाना है?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अगर आर.एस.एस. राज्यपाल का प्रश्न अभी-अभी उठा है। इस तरह देखें तो हममें से अधिकांश आर.एस.एस. के हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी** (रायगढ़) : हमने अनुच्छेद 356 के प्रयोग का 1977 में भी विरोध किया था। यह कोई पहली बार नहीं है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : वह तब की बात है जब इसका प्रयोग आपके विरुद्ध किया गया था।

**श्री अजीत जोगी** : स्वभावत:, जब हम विपक्ष में होंगे तो इसका विरोध करेंगे।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इस सीमा तक मैं अपने वक्तव्य में सुधार करता हूं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इसमें मैंने सुधार कर लिया है।

*[हिन्दी]*

मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस प्रश्न पर अगर हम दलों से ऊपर होकर, दलगत दृष्टिकोण को छोड़कर, क्योंकि अगर दलगत दृष्टिकोण को देखकर कांग्रेस यह काम करेगी तो हमको कोई नुकसान नहीं होगा, हमको तो फायदा ही फायदा होगा, हमारा तो भला होगा, लेकिन उससे कुल मिलाकर बिहार को नुकसान होगा। बिहार में, वर्षों से विकास अवरुद्ध हो गया है, बिहार में वर्षों से लगातार इस प्रकार के हत्याकाण्ड हो रहे हैं और लगातार कमजोर वर्गों पर इस प्रकार के प्रहार होते रहे हैं, इसके कारण सामाजिक समरसता को संकट पैदा हुआ है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

**श्री शरद पवार** (बारामती) : माननीय अध्यक्ष जी, सदन के सामने अनुच्छेद 356 के बारे में जो बिहार का प्रस्ताव आया है, इसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

[श्री शरद पवार]

कल सदन के सामने गोवा का सवाल था, तब मेरी पार्टी ने और हमारे सभी विपक्ष के साथियों ने उसका समर्थन किया, क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग थी। एक तो मेरी पार्टी की ही सरकार थी, वह बहुमत खो चुकी थी। उनका बहुमत खत्म करने के लिए जो जिम्मेदार थे और विपक्ष के नेता थे, उन्होंने सरकार बनाने की तैयारी नहीं दिखाई। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, जिनके चार सदस्य थे। उन्होंने मांग की कि बर्खास्त करेंगे तो ही ठीक होगा। तब गोवा के सभी लोग बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, यह कोई गलत बात नहीं थी इसलिए हम सभी साथियों ने उसका समर्थन किया था। मगर बिहार की परिस्थिति अलग है। ...*(व्यवधान)* जहां तक दलितों के हित की बात होती तो शायद हम अलग निर्णय लेते। मुझे मालूम है कि जो कदम हमने उठाने की तैयार की है, उसकी कीमत शायद बिहार में बैठे हुए मेरे साथियों को देनी पड़ेगी। वह देने की तैयारी करके मैं यहां विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिहार में चुनी हुई सरकार थी, बहुमत था। जब चार या पांच महीने पहले सरकार को बर्खास्त करने की बात थी, तब उस सरकार ने वहां अपना बहुमत साबित किया था। विधान सभा में स्पष्ट बहुमत है, पूरे देशवासियों के सामने यह बात थी। फिर भी यह सरकार बर्खास्त करने का काम महामहिम राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार किया। सच बताऊं तो यहां स्पष्ट बहुमत होने के बाद सरकार बर्खास्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ज़रूरी था तो धारा 355 का इस्तेमाल करके सरकार को सूचना दे सकते थे, मगर धारा 356 के इस्तेमाल करने की बात सरकार ने की। यह बात एक दिन, दो दिन में या एक महीने में हुई, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब इस लोक सभा के चुनाव हुए, तब भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल, जो आज सरकार में है, उसके नेताओं ने चुनाव के समय अपने मैनिफैस्टों में बिहार की जनता से कहा था कि दिल्ली में हमारा बहुमत आने के बाद हम राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर देंगे।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज) : मैनिफैस्टों में नहीं कहा था, बात कही थी।

**श्री शरद पवार** : आपने कहा था, ठीक है आपने बात कही थी, यह तो मान लिया।

**एक माननीय सदस्य** : चुनाव सभा में कहा था।

**श्री शरद पवार** : चुनाव सभा में कहा था, तो यहां हुकूमत आने के पहले दिन से ही आप वहां की सरकार बर्खास्त करने की साजिश में लग गए थे।

बिहार के बारे में बहुत बातें की गईं, कानून और व्यवस्था के बारे में भी कहा गया। संविधान संकट में पड़ गया, इस बारे में भी कहा गया। कई जगह पर सरकारिया कमीशन का भी जिक्र किया गया। मैं इससे सहमत हूं कि किसी राज्य को प्रगति के रास्ते पर जाना है तो वहां कानून और व्यवस्था एक स्तर तक होने की आवश्यकता है। सरकार में बैठने वाले कोई भी हों, उनकी यह जिम्मेदारी है कि आम जनता को इस तरह से विश्वास कराएं कि उनकी जान की रक्षा करने के लिए वे सरकार में बैठे हैं। मगर खाली कानून-व्यवस्था का मामला लेकर धारा 356 लगाकर वहां की सरकार बर्खास्त करनी पड़े, यह मैं नहीं मानना चाहता। मैंने आदरणीय राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट भी देखी है। इसमें कई बातें कही हैं, वॉयलेंस, पुलिस ऑफिशियल्स की किलिंग, आई.एस.आई. एक्टिविटीज, फाइनेंशियल लॉसेज, पंचायत इंस्टीट्यूशंस की जो सिटी है, वहां से कांस्टीट्यूशनल ब्रेक-डाउन कैसे हुआ है, इन सबके बारे में भी इसमें कहा है। मैंने भारत सरकार की जो रिपोर्ट्स हैं, जो हर स्टेट में क्राइम के बारे में इंफार्मेशन देती है, वह जमा की है और देखने की कोशिश की है कि बिहार कहां और बाकी अन्य राज्य कहां जाकर बैठे हैं। मैं सभी स्टेट्स की फिगर्स नहीं देना चाहता और सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मंथली क्राइम स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, इसमें उसकी कॉपी मिल सकती है।

*[अनुवाद]*

भारत सरकार के मासिक अपराध आंकड़े – वर्ष 1997 के दौरान राज्यों में अपराधों की घटनाएं : महाराष्ट्र 1,85,000 व अधिक; राजस्थान 1,65,469; उत्तर प्रदेश 1,48,917; गुजरात 1,00,990; और बिहार 94,752 ।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : बिहार में जो क्राइम होता है, वह दर्ज ही नहीं होता है। ..(व्यवधान)

**प्रो. रीता वर्मा** (धनबाद) : बिहार में सिर्फ क्राइम होते हैं, वे रजिस्टर नहीं होते। ...*(व्यवधान)*

**श्री शरद पवार** : 1998 के मैंने फिगर्स देखे हैं। यहां बिहार का डॉटा नहीं है, इसलिए मैं नहीं देना चाहता हूं। बच्चों पर अत्याचार : बिहार 459; उत्तर प्रदेश 590; और महाराष्ट्र 1002 ...*(व्यवधान)* महिलाओं के खिलाफ बिहार में 1995 में ...*(व्यवधान)*

**प्रो. रीता वर्मा** : वहां क्राइम होता है लेकिन दर्ज नहीं होता। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक नहीं है। यह क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)*

**प्रो. पी.जे. कुरियन** (मवेलीकारा) : महोदय, सदन की यह परम्परा है कि जब अध्यक्ष महोदय या विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उन्हें कोई नहीं टोकता। *...(व्यवधान)* हम भी अध्यक्ष महोदय के भाषण के दौरान टोका-टोकी कर सकते हैं। कृपया, टोका-टोकी न करें। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं हम कभी टोका-टोकी नहीं करते। *...(व्यवधान)*

**श्री शरद पवार** : महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं : बिहार 2172; राजस्थान 6422; उत्तर प्रदेश 11,975; महाराष्ट्र 16,330 अपराध ब्यूरो 1995 की रिपोर्ट, अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की घटनाएं : बिहार 232, गुजरात 486, महाराष्ट्र 505, राजस्थान 1,784 ।

अपराध ब्यूरो 1995 की रिपोर्ट, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं 1995 : बिहार 747, गुजरात 1724, महाराष्ट्र 1,622, राजस्थान 5,197, उत्तर प्रदेश 14,205 ।

*[हिन्दी]*

यह भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी और लॉ-एंड-आर्डर की स्थिति के बारे में भारत सरकार की रिपोर्ट्स के आंकड़े दिए हैं और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है। सदन में धारा 356 का गैर-इस्तेमाल करके राज्यों की सरकारों को बर्खास्त न करने की बात कही गई और यह बताया गया कि परिस्थिति अनिवार्य हो, तो अमल करने की आवश्यकता है। लेकिन लगता है कि पूरे देश में इसका विश्वास नहीं रहेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हुकूमत में बैठने वाली पार्टी, समता पार्टी और बाकी सहयोगियों ने पहले ही दिन से मांग की थी कि राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में हम लोगों ने वायदा किया है और वह वायदा पूरा करना चाहिए। इस काम को करने के लिए भले ही उनके पास बहुमत न हो, भले ही जन-साधारण न हो, लेकिन उस सरकार को बर्खास्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य और यूनियन्स के संबंध ठीक रहने की आवश्यकता है। भारत सरकार में कोई भी बैठा हो, उनका फर्ज है कि वह देखे कि राज्यों को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके सवालों पर किस तरह से ध्यान दिया जाए और पब्लिक में किस तरह से बात की जाए। मैंने एक अखबार में पढ़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से कहा गया, जो भारत सरकार की हुकूमत में है, कि बिहार में जंगल राज है। मुझे नहीं लगता है कि यह शोभाजनक बात है। भारत सरकार में बैठे हुए लोग राज्यों के बारे में इस तरह से बातें कहने लगें तो राज्यों और यूनियन्स में और अंतर बढ़ेगा तथा उससे देश की एकता के लिए खतरा पैदा होगा। इसलिए जिम्मेदारी से बोलने की मुझे आवश्यकता लगती है।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में लिखा है - संविधान के अनुच्छेद 356 जैसे प्रावधान का दुरुपयोग और राजभवनों को केन्द्र में सत्तारूढ़ उपभवन मानकर उनका दुरुपयोग होने से, देश के संविधान की पवित्रता नष्ट हो गई है। भाजपा ईमानदारी से सुधार और पुनरुद्धार कार्यक्रमों के माध्यम से गणराज्य के इस संस्थान को सुदृढ़ करने का कार्य करेगी। इसको पढ़ने से इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, यह नतीजा हम सब के सामने आया है। इससे पहले भी, जैसा कि जिक्र आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया, कुछ दिन पहले बिहार के राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था और केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश की थी, लेकिन उस समय आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया और वह मामला वहीं पर थम गया। इतना होने पर भी प्रैशर कायम रहा, तनाव कायम रहा कि बिहार की सरकार को बर्खास्त करना होगा, क्योंकि हमने जनता से वायदा किया है। हमारे राजनैतिक हित में यह कहने की आवश्यकता है। जब तक वहां लालू प्रसाद जी के नेतृत्व की सरकार रहेगी तब तक राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के जो काम हमने अपने हाथ में लिए हैं, उसमें हम कामयाब नहीं होंगे इसलिए यह सरकार बर्खास्त करने की आवश्यकता है। यह बात जिनके मन में थी उन्होंने इस पर ध्यान दिया। मैं इस बारे में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं और यह टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के चार जुलाई के संस्करण में है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार के राज्यपाल, श्री सुंदर सिंह भंडारी ने तब क्या वक्तव्य दिया था, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। *...(व्यवधान)* जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर समता पार्टी या उनका कुछ प्रेशर है तो उन्होंने जवाब दिया—

[श्री शरद पवार]

*[अनुवाद]*

"राष्ट्रपति शासन के लिए समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाइयों के दबाव की बाबत श्री भंडारी कहते हैं: 'दबाव मुझ पर नहीं केंद्र पर है'।"

*[हिन्दी]*

उन्होंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया था उसमें ऐसा कहा। इसलिए पहले दिन से प्रेशर था। यहां की परिस्थिति कितनी खराब है, इस बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दो दिन से सब की नजर हैदराबाद पर है कि चन्द्र बाबू नायडू का क्या रुख रहेगा। ...*(व्यवधान)* सरकार की परिस्थिति ऐसी है तो क्या करे। समता पार्टी के छः या सात साथियों ने कुछ प्रेशर डाला तो वह नजरअंदाज करने की ताकत इस सरकार की नहीं है, भले ही वाजपेयी जी उस रास्ते से जाना चाहते हों या न जाना चाहते हों मगर परिस्थितियों से मजबूर हो गए होंगे और इसलिए शायद उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा होगा।

राज्यपाल जी ने संविधान की धारा 356 लगाए जाने के पक्ष में कुछ कारण बताए। मैंने लॉ एंड आर्डर की बात, अन्य स्टेटों की बात, पाइनेंशियल मिस-मैनेजमेंट की बात सदन के सामने रखी। राज्यपाल जी का जो स्टेटमेंट हमें सरकुलेट किया गया है उसे देख कर मुझे ताज्जुब हुआ। उन्होंने कई इश्यूज पर जो अपनी राय दी है वह किस तरह से दी है। ...*(व्यवधान)*

लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, इसमें स्टेट्स की फाइनेंशियल परिस्थिति के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक है, यह रिजर्व बैंक के गवर्नर की लेटेस्ट रिपोर्ट है। मुझे मालूम नहीं इसकी कॉपी आदरणीय गवर्नर के पास गई है या नहीं, इसलिए इस बारे में उनके द्वारा कुछ और कहा गया। हाई कोर्ट के स्टीक्वर्स के बारे में भी कहा गया।

मैं गृह मंत्री जी से इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सिर्फ मुम्बई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच, नागपुर बेंच और बाम्बे बैंच, इन तीनों बैंचों के सामने सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कितने केसेज चालू हैं इसकी एक रिपोर्ट मांगी। ...*(व्यवधान)* उसे देखने के बाद बिहार के बारे में यहां जो परिस्थिति थी इससे खराब परिस्थिति आपको वहां दिखाई नहीं पड़ेगी। कंटेम्प्ट पिटीशन के बारे में यहां कहा गया। मैंने जिस स्टेट का नाम लिया वहां के तीनों बेंचों में स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कितनी पिटीशन पड़ी हैं इसकी इन्फोर्मेशन गृह मंत्री जी ने मांगी थी। वहां के राज्यपाल जी ने इस बारे में जो सिफारिश की है, वह इस बारे में शायद अलग तरह से सोचते थे। ऑफिशियल मिस-मैनेजमेंट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात मैंने कही। इसमें एक बड़ी रोचक रिपोर्ट है कि कॉस्टीट्यूशनल ब्रेक-डाउन कैसे हुआ। फरवरी 11, 1999 को भंडारी जी ने आडवाणी जी को लिखा है, इसमें आइटम 11 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में है।

*[अनुवाद]*

पंचायत संस्था : पिछले ग्राम पंचायत चुनाव पंचायती राज अधिनियम, 1947 के तहत 1978 में हुए थे। वर्ष 1992 में संविधान के 75वें संशोधन के जरिए पंचायत, खंड और जिला स्तर पर तिहरी ग्राम पंचायत प्रणाली चालू की जानी थी। जहां तक मुझे ज्ञात है, इस देश के अन्य सभी राज्यों में तिहरी पंचायत प्रणाली का गठन करके संविधान के 73वें संशोधन को लागू कर दिया गया है।"

यह भी सही नहीं है। आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां यह नहीं है। यदि आप असम और कुछ अन्य स्थानों पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** : इसी लोक सभा में उत्तर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**श्री शरद पवार** : इसका मतलब राज्यपाल महोदय को स्वयं भी सही जानकारी नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने यह टिप्पणी की है।

वह आगे कहते हैं:

"बिहार में पंचायत ही नहीं हैं, तिहरी प्रणाली की बात ही छोड़िए। खण्ड विकास अधिकारी पंचायतों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों को किसी सहायता या ग्रामीणों से संवैधानिक परामर्श के बिना कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई पूरी राशि को अधिकारी मनमाने ढंग से खर्च कर रहे हैं। अतः, इस दृष्टि से भी, पूर्णरूप से वहां संवैधानिक संकट है।"

यह राज्यपाल का वक्तव्य है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि राज्यपाल ऐसे वक्तव्य कैसे दे सकते हैं।

*[हिन्दी]*

मैंने देखा, जांच की क्या स्थिति है। इस बारे में 73 अमेंडमेंट के बाद बिहार की सरकार ने अपने कानून में परिवर्तन करके आरक्षण की नीति को स्वीकार करके अपने स्टेट के लिए अलग पंचायती राज का कानून लागू किया। उसमें जो रिजर्वेशन की बात थी उसे लेकर कुछ लोग वहां के हाई कोर्ट में गये और वहां के हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन के खिलाफ डिसीजन दे दिया। मैं कोई लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पटना होई-कोर्ट के डिसीजन आते हैं उसमें दिलचस्पी लेने की आवश्यकता है। बहुत सी बाते हैं जिन पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हाई-कोर्ट का डिसीजन आने के बाद बिहार सरकार सुप्रीम-कोर्ट के सामने गयी। उसके सामने उन्होंने दो मांगें की। एक यह कि आरक्षण कायम रखिये और जब तक आरक्षण कायम नहीं रखते तब तक इलेक्टिड मुखिया के हाथ में गांव का कारोबार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया जो 24 फरवरी 1997 का है।

*[अनुवाद]*

इसका अन्तिम प्रचलनात्मक भाग यह है:

> "तथ्यों तथा परिस्थितियां एवं पार्टियों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हमारा निर्देश है कि तत्काल प्रभाव से बिहार राज्य में सभी ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लाक पंचायत समितियों का प्रशासन जिला कलैक्टर के अधीन रहेगा। इस तरह के प्राधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र के तहत जिले के उक्त निकायों के कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन, अपने तहत 'बी.डी.ओ. के माध्यम से जैसा उपभोगी एवं उचित समझेंगे करेंगे। ऐसे सभी निकायों के चुने हुए सदस्य कार्य नहीं करेंगे और जितनी जल्दी संभव हो अपने-अपने पदों को छोड़ देंगे। अगर आवश्यक हो तो, न्यायालय से अतिरिक्त निर्देश लेने की स्वतंत्रता है।"

*[हिन्दी]*

यह क्या बिहार सरकार ने किया है। आदरणीय गवर्नर साहब ने यह रिपोर्ट दी कि कांस्टीट्यूशनल ब्रेक-डाउन हो गया और ब्रेक-डाउन इसलिए हुआ कि वहां बी.डी.ओ. के हाथ में गांव की हुकूमत दी गयी है। दिल्ली की केन्द्र सरकार से आने वाला सब पैसा उनके हाथ में दे दिया और वे अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। यह जो शिकायत उन्होंने की क्या उनको इतना मालूम नहीं था कि इस सरकार ने यह कानून बनाया है, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैटर पैंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन्स दी हैं कि बी.डी.ओ. गवर्नर के अंडर पूरी पंचायत दी जाये। यह देखने के बाद गवर्नर साहब एक इलैक्टेड सरकार के खिलाफ भारत सरकार से इस तरह की गंभीर शिकायत करते हैं जो सत्य से परे हैं। इसका कोई आधार नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन के बाद यह मुद्दा गवर्नर साहब को वापस बुलाने के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा इस बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। यह बिल्कुल असत्य पर आधारित है। इसमें जो और मुद्दे लिखे हुये हैं, मैंने उन्हें गहराई से नहीं देखा लेकिन एक मुद्दा देखा बल्कि मैं कहता हूं कि उसे असत्य के आधार पर स्वीकार करके यह कार्य किया है।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : यही कारण है कि वो उन्हें वापस बुलाना चाहते थे ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शरद पवार** : मैं गृह मंत्री जी से जवाब चाहता हूं कि इस बारे में क्या स्थिति है। उन्हें गलत रिपोर्ट दी गई होगी और यह गलत रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति के बारे में भारत सरकार किस प्रकार का कदम उठाना चाहती है, यह भी बताना चाहिये क्योंकि पूरा सदन और यह देश जानना चाहता है।

अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने कुछ राज्यों की प्रशासन व्यवस्था के बारे में कुछ बातें कही हैं। यह बात सच है। उस जमाने में मैंने भी सुना था कि अच्छे प्रशासन के बारे में तीन-चार राज्यों के नाम लेते थे जिनमें मद्रास, मुम्बई और बिहार स्टेट प्रमुख थे। इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं। मगर प्रशासन में कुछ ढील हो गई है, कुछ खराबी हो गई है तो क्या धारा 356 इस्तेमाल करने की आवश्यकता है? इस बारे में पहले भी कांस्टीटुअंट असेम्बली में बहस हुई थी। कांस्टीटुअंट असैम्बली में पं. हृदय नाथ कुंजरू ने युनाइटेड प्रोविंस में सवाल उठाया था जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर प्रीसाइड कर रहे थे।

*[अनुवाद]*

> "**पं. हृदय नाथ कुंजरू** : क्या मैं माननीय मित्र से एक बात स्पष्ट करने के लिए कह सकता हूं? क्या अनुच्छेद 278 और 278 (क) का मकसद – उन दिनों 356 के बजाय यही प्रारूप था - प्रांतों में अच्छी सरकार के लिए केंद्र सरकार को प्रांतों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देना है?
>
> **डा. बी.आर. अम्बेडकर** : नहीं, नहीं, केन्द्र को ऐसा अधिकार नहीं है।

[श्री शरद पवार]

**पं. हृदय नाथ कुंजरू** : या केवल तब, जब प्रांतों में कुशासन के कारण सार्वजनिक शान्ति को खतरा है?

**डा. बी.आर. अम्बेडकर** : केवल तभी जब सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। प्रांत में सुशासन है या नहीं यह निर्धारित करना केन्द्र का कार्य नहीं है। मैं इस बिन्दु पर बिल्कुल स्पष्ट हूं।"

*[हिन्दी]*

इसलिये संविधान की रक्षा की बात हमेशा होती है। संविधान के बारे में बार-बार कहा जाता है। इस संविधान में जो कुछ बताया गया है, इसको स्वीकार करने की तैयारी आज की सरकार द्वारा दिखाई नहीं देता क्योंकि यह मामला अलग है। यह सरकार समता का साथ लिये बना चल नहीं सकती। इसलिये भले ही डा. अम्बेडकर ने सलाह दी होगी। भले परिस्थिति कुछ भी रही होगी। मैं आज जिस जगह से खड़ा होकर बोल रहा हूं, हमसे पहले धारा 356 के बारे में कांग्रेस के खिलाफ कई बार बात कही गई होगी और यह विचार किया होगा लेकिन आज भारत सरकार ने मजबूरी में यह कदम उठाने की तैयारी की होगी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मगर एक बात मुझे कहने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ ऐसे कदम उठाये थे। हमारे जनरल सैक्रेट्री ने बयान दिया था और कुछ बातें कही थीं। मैं कहता हूं कि जरूर कही थीं। दलितों की हत्या एक बार नहीं, दो बार हो गई। 1977 में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थीं जब बेलछी में दलितों की हत्या की गई थी। उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां गई थीं। उन्होंने उस परिवार के आंसू पोंछने का काम किया था।

**अपराह्न 4.00 बजे**

इस समय नारायणपुर में कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी खुद गईं। वहां के परिवार से मिलीं और वहां की परिस्थिति देखी और परिस्थिति देखने के बाद उन्होंने कहा कि परिस्थिति ठीक नहीं है। उनकी रक्षा की जिम्मेदारी कोई भी सरकार नहीं छोड़ सकती। मोरल राइट की बात भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई। कांस्टीट्यूशन के राइट की बात हमने नहीं कही, मोरल राइट की बात हमने की। ऐसी परिस्थिति उड़ीसा में हुई, वहां भी मोरल राइट की बात हम लोगों ने की और वहां हमने परिवर्तन किया। जब हम बोलते हैं और हमारे हाथ में अधिकार हैं तो हमने वहां परिवर्तन करने की तैयारी की और वहां हम लोगों ने परिवर्तन किया। मैं नहीं समझता कि हम लोगों ने कुछ बयान दे दिये और उन बयानों का आधार लेकर इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठाने की क्या आवश्यकता थी।

**श्री मोहन सिंह** : उसी में फंस गये।

**श्री शरद पवार** : फंस गये, क्योंकि मामला यह है कि उनको जार्ज साहब ने सलाह दी कि कांग्रेस ने ऐसा बयान दिया है यह सुनहरा अवसर है। अभी एक्ट करो, अभी कांग्रेस कहीं नहीं जा सकती। उनको जार्ज साहब का कम अनुभव है, इन लोगों को ज्यादा है, बेचारे फंस गये। आज के अखबार में आया है कि भा.ज.पा. के सीनियर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यह मत करिये। लेकिन यह करने की जिम्मेदारी जार्ज साहब और उनके साथियों ने ली होगी और इसमें आप लोग फंस गये। हम कैसे मदद करेंगे। किसी कारण से पूरी स्टेट की जिम्मेदारी हाथ में रहेगी। आज जो वहां के राज्यपाल हैं वह कहते हैं:-

*[अनुवाद]*

मुझे गर्व है कि मैं आर.एस.एस. का हूं। मैं आर.एस.एस. हूं और आर.एस.एस. रहूंगा।

*[हिन्दी]*

ठीक है, इससे पहले भी आर.एस.एस. में रहने का उनका अधिकार है, उनके विचार स्वीकार करने का उन्हें अधिकार है, इस बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं हैं, वह जरूर उस रास्ते से जा सकते हैं, उनकी विचारधारा का समर्थन कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। मगर बिहार के राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद "मैं आर.एस.एस. हूं, आर.एस.एस. का समर्थक हूं", यह कहने का उन्हें अधिकार नहीं है ...*(व्यवधान)* जो व्यक्ति इतने बड़े महत्व के पद पर बैठने के बाद यह फर्ज निभाने की तैयार नहीं रखता है, उसके हाथ में पूरी स्टेट की जिम्मेदारी देना, पूरी स्टेट के समाज के गरीब वर्गों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी धोखादायक परिस्थिति होगी। हम इसका कभी समर्थन नहीं कर सकते। मामला रणवीर सेना से नारायणपुर और बाद में शंकर बिगहा का आया। लेकिन दलितों पर जो हमले हो रहे हैं, यह एक बड़ी निंदनीय बात है। मैं समझता हूं कि शोषितों और दलितों पर बिहार में और दूसरी जगहों पर जो हमले हो रहे हैं, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने दलों के हितों को दूर रखकर इस पर धयान देने की आवश्यकता है। इस पर एक माहौल तैयार करने की आवश्यकता है जिससे कि समाज के गरीब वर्गों को एक तरह का विश्वास मिलेगा।

माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि भूमि सुधार प्रक्रिया जो कुछ वहां शुरू हुई, उसके कारण ये मामले बिहार में बार-बार आ रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं। कई सालों से यह बातें वहां हो रही हैं। मेरी पार्टी भी वहां हुकूमत में थी, किसी की कोई जिम्मेदारी

नहीं है, यह मैं नहीं मानता, इसमें हम भी जिम्मेदार होंगे। जिस तरह से बाकी स्टेट्स में कदम उठाये गये, वहां भी कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन वहां जो कदम उठाये गये और जिस तरह से रिकार्ड रखा गया, उसमें और बाकी स्टेट्स में फर्क है। इससे जमीदारों का एक वर्ग यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि समाज का गरीब वर्ग आज जाग उठा है। वह अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है, संघर्ष करने की तैयारी कर रहा है और जिनको यह पसंद नहीं है उन्होंने रणवीर सेना जैसी शक्तियों को मदद करके उनके आधार पर इस तरह से हमले करने का काम वहां कई सालों से शुरू किया है। ऐसे हत्याकांड हमने वहां कई बार देखे हैं और नारायणपुर में जहां दलितों की हत्याएं हुईं, जहां 11 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष गई थीं, वह मामला भी इसी का एक हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय, रणवीर सेना की बात आई है कि किस की है, किसको इसने समर्थन दिया, किसकी मदद की, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, मगर इस डिटेल में जाने की आवश्यकता है और इस सरकार में बैठने वालों को इसके विस्तार में जाना जरूरी है ताकि इसका सही रूप लोगों के सामने आ सके। वहां की जो परिस्थिति है, उसको देखने के बाद, दलितों की वहां जो हत्या हुई, उसे देखने के बाद और वहां की सरकार उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं रही या कम रही और रणवीर सेना के भी कुछ रिश्ते आर.जे.डी. के साथ हैं, इस प्रकार की कुछ बातें उस समय कही गईं, इस प्रकार के इल्जाम लगाए गए, यह मुझे नाइंसाफी की बात लगती है और खाली मुझे लगती है, ऐसी बात नहीं है बल्कि इस पार्टी को समर्थन देने वाले जो नेता लोग हैं, उनके भाषणों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा है। मैं वह पढ़ रहा हूं—

*[अनुवाद]*

> "सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति (एस.पी.जी.सी.) के अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोहरा और एस.ए.डी. के लोग सभा में मुख्य सचेतक प्रेम सिंह चन्दूमाजरा ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि रणबीर सेना द्वारा की गई हत्याओं के आधार पर इस तरह की कठोर कार्रवाई "अन्यायपूर्ण एवं आधारहीन" है।
>
> श्री तोहरा ने कहा कि बिहार में स्थिति विरोधाभासी है जहां जमींदारों की निजी सेना, रणबीर सेना भूमि सुधार का विरोध करती है तथा राष्ट्रीय जनता दल जो दलितों और पिछड़े वर्गों की प्रबल समर्थक है, का दलितों की हत्याओं के मुद्दे पर हटाया जाना विश्वसनीय नहीं लगा।"

यह 16 फरवरी, 1999 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ।

*[हिन्दी]*

ये वे नेता हैं जिनका इस सरकार को समर्थन प्राप्त है। यह बात आपके साथियों ने भी मानी है कि दलितों के लिए, उनके सवालों को हल करने के लिए सरकार कुछ करना चाहती है, लेकिन यह जिन लोगों को पसन्द नहीं है, उन लोगों ने इस सरकार को संकट में डालने के लिए और जो दलित जाग उठा है, उसकी आवाज को बन्द करने के लिए, ये हमले किए हैं और इसके कारण आपका उस सरकार को बर्खास्त करने का प्रस्ताव मुझे ठीक नहीं लगता।

राजनीति अपनी-अपनी होती है, मगर अपनी राजनीति के लिए दलितों का इस्तेमाल करना हम लोगों को बन्द करना चाहिए। सवाल यह है कि यहां की परिस्थिति क्या होगी, यह जो मोशन इस सदन में आएगा, उसका क्या होगा। मेरे पास कोई पक्की मालूमात नहीं है क्योंकि हैदराबाद से मेरे पास कोई इन्फर्मेशन नहीं आई है और हैदराबाद की स्पेश्यलिटी यह है कि आखिरी मूवमेंट तक वे पता नहीं लगने देते कि वे क्या करेंगे।

**श्री प्रभुदयाल कठेरिया** (फिरोजाबाद) : पेट्रोल बम बनाकर हम अपनी सरकार को नहीं बचाएंगे। ...*(व्यवधान)*

**श्री शरद पवार** : दो-तीन दिन के बाद, राज्य सभा में मोशन जाने के बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, वहां की परिस्थिति उनको भी मालूम है और पूरे देश को मालूम है, वहां यह मोशन नामंजूर होने वाला है। वहां मोशन के नामंजूर होने के बाद, क्या होने वाला है, यहां रा.ज.द. की सरकार आएगी, इस सरकार में कैबीनेट को प्रिजाइड ओवर जिस मंत्री ने किया क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी क्योंकि हमने पढ़ा था और हमें मालूम है कि प्रधान मंत्री जी तो बाहर थे। ...*(व्यवधान)* जब-जब बाहर जाते हैं तब-तब ऐसा होता है। ...*(व्यवधान)* आप जरा यहां ज्यादा रहिये। ...*(व्यवधान)* इनके ऊपर जिम्मेदारी जाती है, यह मुझे मालूम नहीं। जिन माननीय गवर्नर साहब ने असत्य का आधार लेकर यहां सिफारिश की, उनकी स्थिति क्या होने वाली है, मुझे मालूम नहीं मगर एक बात पक्की है कि राज्य सभा में यह मोशन रिजैक्ट होने के बाद वहां असेम्बली बुलानी पड़ेगी। जिसकी मैजोरिटी है, उसको वहां बुलाना पड़ेगा और वह व्यक्ति वहां औथ लेकर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आयेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके पास यह जिम्मेदारी आने वाली है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धारा 356 का आधार लेकर वहां आर.एस.एस. का

**प्रो. रीता वर्मा** : मैं जो बोल रही हूं, सच्चाई के साथ बोल रही हूं। अब सच्चाई बोलने का वक्त आ गया है।

**सभापति महोदय** : उसके लिए नियम बने हुए हैं। सबूत के साथ, आसन से सहमति लेनी होती है। बिना आसन की सहमति से किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध आक्षेप नहीं किया जा सकता।

**प्रो. रीता वर्मा** : मैं आपको सबूत लाकर दूंगी। आपकी बात मानते हुए मैं दूसरी तरह से अपनी बात कहना चाहती हूं। इनके एक यशस्वी सदस्य थे, जो अभी भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं, चुनाव के कुछ दिनों के बाद स्मग्लिंग के सिलसिले में जब पुलिस अधीक्षक ने इनका पीछा किया तो इन्होंने उस पर गोलियां चलाई। पुलिस अक्षीधक ने केस किया।

**मोहम्मद शहाबुद्दीन** (सिवान) : वह मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है।

**प्रो. रीता वर्मा** : मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इससे ये बाज नहीं आए। हाल में इन्होंने अपने सशस्त्र बल के साथ अपने कलेक्टर के आफिस में एक विधायक पर हमला किया और ड्यूटी पर काम कर रहे हैड कांस्टेबल की राइफल छीन ली। शरद जी, आप मेरी बात सुनिए, तभी आपको पता चलेगा कि बिहार में संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हुई या नहीं। ये जो माननीय सदस्य हैं, ये कलेक्टर के आफिस में घुसकर विधायक के साथ मारपीट की और हैड कांस्टेबल की राइफल छीन ली और केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, उनको बाकायदा सर्विस विमान से बिहार से जाने की इजाजत मिल गई।

**मोहम्मद शहाबुद्दीन** : हमने जमानत कराई थी ...*(व्यवधान)*

**प्रो. रीता वर्मा** : शरद जी, आपको मेरी तरफ तवज्जोह देनी चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि बिहार में केस बहुत कम हैं। यह केस जो हुआ कलेक्टर के आफिस में, इसकी भी रिपोर्ट नहीं की गई। जब पूर बिहार में कांस्टेबुल यूनियन ने भारी दबाव डाला तब जाकर केस दर्ज हुआ। वहां केस दर्ज होना भी बड़ी टेढ़ी खीर है, यूं ही सत्ताधारी दल के लोगों के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो जाते।

इनके एक और यशस्वी सदस्य हैं। इनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथियों की लिस्ट में और आई.एस.आई. की लिस्ट में है। एक दिन वहां पर पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि इनके घर में दाऊद इब्राहिम के गिरोह के आदमी छिपे हुए हैं, वह पुलिस अधीक्षक महिला थीं और मेरी तरह से ही एक बहादुर महिला थीं। वह जब इनके घर रेड करने गई तो उनको रेड करने से रोका गया। न सिर्फ सांसद महोदय ने रोका, बल्कि उनकी हत्या करने की साजिश भी की गई। वह पुलिस अधीक्षक अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आईं। जिस बिहार में एक पुलिस अधीक्षक की जान सुरक्षित नहीं है, वहां एक गरीब आदमी की, दलित की जान कैसे सुरक्षित रहेगी, क्या शरद जी आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछती हूं कि एक भूमिहीन दलित पर अत्याचार हो, वह ऐसी अव्यवस्था में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है?

इनके एक और यशस्वी सदस्य हैं, वे भी माननीय सदस्य हैं। एक जमाने में उनके डर से उनके क्षेत्र की लड़कियों ने कालेज जाना छोड़ दिया था, उतने बदनाम थे। पांच-छः साल पहले की बात है, सदन के बहुत से लोगों को बहत सी बातें पता नहीं होंगी। पांच-छः साल पहले की बात है। मैंने न्यूज में सुना कि औरंगाबाद से एक रशियन डिप्लोमैट की कार चोरी हो गई। मैंने सोचा कि यह आपका औरंगाबाद है या हमारा औरंगाबाद है तो बाद में पता चला कि अपना ही बिहार का औरंगाबाद है।

**श्री शरद पवार** : यह कब की बात है?

**प्रो. रीता वर्मा** : यह पांच साल पहले की बात है।

**श्री शरद पवार** : फिर हमारा औरंगाबाद नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

**प्रो. रीता वर्मा** : नहीं, नहीं, हमारा औरंगाबाद था। मैंने कहा कि फलां-फलां व्यक्ति जो उस समय विधायक था, उसी का हाथ होगा। दो-तीन दिन के बाद चोरी हुई गाड़ी फिर से वहीं एबैंडन्ड मिल गई क्योंकि यह बात उनको समझाई गई कि अरे बेवकूफ, बाकी गाड़ियां तो तुम चोरी करते हो, फिर इसे क्यों चोरी करते हो, यह रशियन डिप्लोमैट की गाड़ी है। ...*(व्यवधान)* यह उनको समझाया गया कि बाकी गाड़ियां आप उठाकर ले जाते हो लेकिन डिप्लोमैंट्स की गाड़ियां क्यों ले जाते हो? इसमें बड़े झमेला हो जाएगा। फिर दो-तीन दिन बाद वहीं गाड़ी उसी स्पॉट पर लाकर दे दी गई। वह भी सत्ताधारी दल का विधायक था। ...*(व्यवधान)* संवैधानिक व्यवस्था किसको कहते हैं? ...*(व्यवधान)* जब रक्षक ही भक्षक हो जाएं, भक्षक ही रक्षक हो जाएं, दोनों ही हो गए हैं, ...*(व्यवधान)* जो भक्षक थे, जो अपराधी और गुंडा तत्व थे, वे सत्ता में चले गये और जो सत्ताधारी थे, वे उन तत्वों के साथ मिल गये। जब रक्षक ही भक्षक हो गये तो जनता कहां जाए? जनता किससे फरियाद मांगने जाएगी? ...*(व्यवधान)* हां मैं बहुत भारी गुंडा तत्व हूं। आप बिहार में जाकर पूछ लीजिए। ...*(व्यवधान)* आप जो बिहार से चुनाव लड़ते हैं, बिहार की चुनाव व्यवस्था के बारे में मैं क्या कहूं? आज सब लोग रोना-पीटना कर रहे हैं कि आर.एस.एस. के लोगों को डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है। ऐसे

पुलिस अफसर पर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निर्दोष करार दिया है, उसे जिले में पोस्ट कर रहे हैं, तो आर.एस.एस. का एजेंडा लागू हो रहा है वगैरह-वगैरह। आप भी जानते होंगे कि हमारे यहां बिहार में लालू प्रसाद यादव जी और उनकी धर्म पत्नी जी, दोनों के राज्य में अफसरों की पोस्टिंग किस तरह होती थी।

**श्री लालू प्रसाद** : जब हम सड़क पर हैं, राबड़ी देबी सड़क पर हैं तो हम लोगों का नाम, हमसे आपको क्या चिढ़ है? बार-बार हम लोगों का नाम आप लोग क्यों लेते हैं? अगर कोई चिढ़ हो तो बताइए, इस चिढ़ को हम दूर कर दें। ...*(व्यवधान)*

**प्रो. रीता वर्मा** : चिढ़ की क्या बात है? ...*(व्यवधान)* इन लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में अफसरों की पोस्टिंग उन्हें एक डैफिनिट ब्रीफ देकर होती थी कि आपको यहां फलां-फलां व्यक्ति को हराने के लिए पोस्ट किया जाता है। मैं कहती हूं कि मैंने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ 1996 में चुनाव नहीं लड़ा बल्कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा और उस डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर ने हर तरह की धांधली की। मेरा पूरा विश्वास है कि एक-सवा लाख बोगस वोट मेरे खिलाफ डलवाये गये लेकिन जिसको जनता का विश्वास हासिल है, जिसके पास जन समर्थन है, उसका कौन क्या कर सकता है? फिर भी मैं 22000 वोटों से किसी तरह निकलकर आ गई। अपने डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर से जो चुनाव लड़े, वह किसी तरह ही निकल सकता है, उसका निकलना ही एक क्रैडिट की बात है। आज यशवंत जी के चुनाव क्षेत्र में ऐसे ही एक व्यक्ति को पोस्ट किया गया है कि अगले चुनाव में आपको यशवंत जी को हराना है। अरे कौन हराएगा? आपको हमारे वनांचल क्षेत्र में पूछता कौन है? आप कुछ करते रहिए। अगर इतनी आपकी चलती तो आप कब का हम लोगों को हरा चुके होते। आप जितना हमारे पीछे लगते हैं, उतना ही हमारी संख्या और ताकत बढ़ती जाती है। अगर हराना होता तो 1996 में ही आप हरा चुके होते जब एक-सवा लाख बोगस वोट हमारे खिलाफ डलवाये गये थे। पूछ-पूछ कर आफिसर्स की पोस्टिंग करते थे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या एक मुख्य मंत्री का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि वह थानेदार की पोस्टिंग करता है। बिहार में पुलिस सुप्रीटेंडेंट अपनी मर्जी से थानेदार की भी पोस्टिंग नहीं कर सकता, उसकी भी लिस्ट मुख्य मंत्री के निवास पर आती थी और कहा जाता था कि फलाने आदमी का यहां और फलाने आदमी की वहां पोस्टिंग कर दो। लेकिन ये लोग कम्पलेंट कर रहे हैं कि आरएसएस का शासन चल रहा है और आरएसएस के लोगों को फील्ड में भेजा जा रहा है। आप बिहार के लोगों से जाकर पूछिए, जो कह रहे हैं कि लालू जी और उनकी धर्मपत्नी के शासन में ईमानदार और योग्य व्यक्तियों को कभी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिल सकती थी और घोटाला करने वालों की पोस्टिंग हुआ करती थी। जिसने घोटाले को उजागर किया, उन सब की शंटिंग कर दी जाती थी, चाहे वह...* जिन लोगों ने चारा घोटाले को बेनकाब किया, उन सब की शंटिंग कर दी। हमारे यहां योग्यता और कर्मठता को यही पुरस्कार मिलता है।

दलितों के बारे में बात कही गई। मैं सदन को बताना चाहती हूं, आप ही के विधायकों ने पांच साल पहले महिला के साथ बलात्कार किया। वे शायद कटिहार या पूर्णिया के विधायक थे। आप ही के विधायक ने खुले आम एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया और आप भूल रहे हैं। उनका नाम शायद *.... था। जब वह लपेटे में आ गया, तो आपने निकाल दिया, लेकिन वह आप ही का विधायक था। शुरू में तो उसका अपराध भी दर्ज नहीं हुआ था। एफआईआर लाज नहीं हुई थी। लड़की पूरा ब्लीड कर रही थी, उसको हास्पिटल ले जाना पड़ा, फिर भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जब दलितों के बारे में बात हो रही हैं, तो इनके दलित प्रेम के बारे में कहना जरूरी हो जाता है। मैं आपको लालू जी और राबड़ी देवी जी के दलित प्रेम के बारे में बतलाना चाहती हूं। एक संस्था अनुसूचित सहकारिता विकास निगम नाम से है, जिसमें केन्द्र ने अनुसूचित जाति के विकास के लिए 100 करोड़ रुपया दिया। दलितों से बहुत प्रेम है और आप तसल्ली दे रहे हैं कि हम दलितों से प्रेम करेंगे और आप कह रहे हैं कि "नहीं-नहीं राबड़ी जी ऐसा मत करिए, इतने लोगों को एक साथ मत मरने दीजिए। थोड़ा बहुत तो होता रहता है, लेकिन इतने लोगों का संहार नहीं होना चाहिए।" इस निगम को केन्द्रीय सरकार ने जो पैसा दिया था, उसमें से 40 करोड़ रुपए के तो शेयर खरीद लिए गए और कहा गया कि अनुसूचित जाति के विकास का कार्यक्रम हो रहा है और बाकी 6 करोड़ रुपया केन्द्र को वापिस नहीं किया गया, उस राशि से सैलरी बांटी गई। कारण यह कि इतना घोटाला होने के बाद राज्य के कोषागार में पैसा नहीं था और जब पैसा नहीं होता है, तो इसी तरह से पैसे मारे जाते हैं। यह सीएजी की रिपोर्ट है कि राज्य ने 100 करोड़ रुपए दलितों के विकास के नाम पर लिए गए और इतना विकास उन्होंने किया है।

दलितों की बात पर मैं एक बात और कहना चाहती हूं। दलित जो सिर पर मैला ढोहते हैं, उनसे भी ज्यादा दलित और कोई हो सकता है। आजादी के पचास सालों के बाद भी सिर पर मैला ढोहया जाता है। भंगी-मुक्ति योजना भारत सरकार ने चलाई थी और इस योजना में चार करोड़ रुपया मिला था, लेकिन एक पैसा भी भंगी मुक्ति कार्यक्रम पर खर्च नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[प्रो. रीता वर्मा]

यह फैक्ट है। मैं झूठ नहीं बोलती हूं और अपनी ईमानदारी के बल पर टिकी हुई हूं। ...*(व्यवधान)* सारे के सारे पैसे इधर-उधर सैलरी और घोटालों में खर्च कर दिए गए। इसी तरह से विशेष अंगीभूत योजना इन लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई है, जो पिछले पांच वर्षों से ठप्प है। विशेष अंगीभूत में पिछले पांच वर्षों से एक भी कार्य नहीं किया गया। दलितों की बात चलती है, अनाथ बच्चों के लिए एक दीन बंधु योजना बनी थी वह भी केन्द्र की योजना थी उसमें भी इनका काम एकदम जीरो था। जब ये अल्पसंख्यकों के हित रक्षक हैं, इतने भारी सेक्यूलर हैं, उनकी इतनी बात करते हैं, अल्पसंख्यक वित्त निगम और पिछड़ा वर्ग वित्त निगम जैसी संस्थाओं का बिहार में क्या रिकार्ड है। मैं नहीं कहूंगी, आप अपने कांग्रेसी जनों से पूछ लीजिए कि ये कितना अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग का कल्याण कर रहे हैं. इन्होंने यह घोषणा की थी - "धोती, साड़ी योजना।" सभी को धोती और साड़ी मिलेगी, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।

महोदय, आपको मालूम है कि इस धोती, साड़ी योजना में भी 200 करोड़ का घोटाला हो गया। ये अपने को सेक्यूलर क्रिडेंशियल्स कहते हैं, आरएसएस से मुकाबला करने के नाम पर, साम्प्रदायिकता के विरोध के नाम पर, आप भी इसलिए इनका समर्थन कर रहे हैं। उनके वोटों पर शायद आपकी नजर है। उनसे थोड़ा रिकार्ड भी पूछ लीजिए। मैं आपको एक घटना सुनाती हूं। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं अल्पसंख्यक भाईयों को भी अपनी बात सुनना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)* कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को बड़ा प्यार करते हैं। मैं एक जिलाधिकारी की बात सुना रही हूं, यह तीन-चार साल पहले की बात है। उसके जिले में कोई घटना हुई थी, दंगा होने की आशंका थी। इस जिलाधिकारी की कुशलता और मुस्तैदी के कारण दंगा नहीं हुआ। जब वह पटना गया। ...*(व्यवधान)* मैं जिनकी बात कह रही हूं वह अभी भी जिलाधिकारी हैं। वह जब गए तो उन्हें मुख्य मंत्री जी से डांट पड़ी और उन्होंने डांट कर कहा कि आप तो हमारी सारी राजनीति खराब कर देंगे। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वह मैं नहीं बोलना चाहती। दस-बारह मुसलमानों के लिए एक डेरोगेटरी शब्द था वह मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी - "मारा जाता, दंगा होता तभी तो हमारी शरण में आते, आप जैसे जिलाधिकारी रहेंगे तब तो हमारी सारी राजनीति खराब हो जाएगी।" ...*(व्यवधान)* ये अल्पसंख्यकों के प्रेमी हैं। आप इनकी वकालत कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अब समय आ गया है, अल्पसंख्यकों को भी पता लगे कि कौन उनके सच्चे मित्र हैं और कौन उनको डरा-धमका कर अपने साथ रखना चाहते हैं।

महोदय, ये अल्पसंख्यकों का रोना रोते हैं और उनको तसल्ली देते हैं। ...*(व्यवधान)* एक जमाने में अल्पसंख्यकों को डराने के लिए ही भागलपुर दंगा आयोजित किया गया था और आज भी वही राजनीति बिहार में चल रही है कि कैसे इनको डरा कर अपने साथ बांधा जाए। इन्होंने आपको भरोसा दिया है। ...*(व्यवधान)* आप इतने क्यों घबरा गए, हमने आप लोगों की बातों को बहुत देर तक सुना है। इन्होंने भरोसा दिया है कि दलितों की रक्षा करेंगे। हम भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करेंगे। आज मैंने पेपर में पढ़ा, यह आश्वासन दिया गया है कि भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करेंगे। एक शेर याद आता है। "गजब किया, तेरे वायदे पे एतबार किया।" पिछले चालीस-पचास सालों में आप लोगों ने भूमि सुधार लागू नहीं किया। वहां 9 साल इनके भी हो गये हैं, इन्होंने भी भूमि-सुधार लागू नहीं किया। दोनों एक दूसरे से वायदे करते रहिये, आप लागू कीजिए, हम भी लागू करेंगे। लागू करने की इच्छा होती तो कब का लागू हो गया होता। लालू प्रसाद जी की बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है यह झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी पूछ लीजिए। जिस समय ये बिहार में माइनोरिटी में थे तब इनको जे.एम.एम. के दोनों गुटों के लोगों ने खुलकर समर्थन दिया था। इन्होंने बिहार विधान सभा से प्रस्ताव अलग राज्य के गठन का पास करा लिया था। याद है न कि इनके वायदे कहां जाते हैं और ये भी याद रखिये कि जिसने भी इनसे हाथ मिलाया उन्हीं की पार्टी इन्होंने तोड़ी है। लालू जी और मुलायम जी की यह खासियत है कि जिससे हाथ मिलाते हैं उसी का एक हाथ तोड़ लेते हैं। इसलिए भाइयों, हाथ मिलाते समय अपने हाथ का ख्याल रख लीजिएगा, कहीं हाथ मिलाते-मिलाते दाहिना हाथ उखाड़कर न ले जाएं। ...*(व्यवधान)* दलितों के नरसंहार की बात जब होती है तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ कामरेड इंद्रगुप्त जी यहां बैठे हुए हैं। जब होम -मिनिस्टर थे आप लक्ष्मणपुर बाथे गये थे और वहां आपके मन में कुछ भावनाएं आई थीं और इसी सदन में वे भावनाएं इनके मुंह से निकल गयीं। बाद में, यह ठीक है कि सत्ता की मजबूरियां होती हैं लेकिन एक सच्चे इंसान के मन में जो भावनाएं आती हैं वह फूटकर प्रकट हो जाती हैं। भले ही बाद में उस पर लीपा-पोती कर दी जाए। लक्ष्मणपुर बाथे में इन्होंने क्या देखा, यह इनसे पूछिये। ये लोग वहां भी पॉलिटिक्स करते हैं। वहां इन लोगों ने वायदा किया कि घर के एक आदमी को नौकरी देंगे, इतने लाख रुपया मुआवजा देंगे, पक्का मकान देंगे आदि-आदि। लेकिन अपने वायदे पर ये कभी अमल नहीं करते हैं। पुराने जो नरसंहार हुए हैं उन्हीं के लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। दूसरा बगल वाला जो गांव है वहां ये जाते नहीं हैं, वहां जाकर देखते तक नहीं हैं। जिन लोगों को, गांवों को पड़ोस में ही रहना है, एक अच्छी सरकार उनमें समरसता लाने का प्रयास करती है, लेकिन ये उसमें भी राजनीति करते हैं। लक्ष्मणपुर बाथे गांव में गये तो कहा कि एक-एक लाख रुपये का मुआवजा, नौकरी, पक्का मकान देंगे लेकिन मुझे विश्वास है कि 90 प्रतिशत लोगों को आज तक कुछ नहीं

मिला होगा। रामपुर चौराहा में नरसंहार हुआ तो ये वहां गये नहीं। आप तो परमानेंट दीवार लोगों के मन में गांव में डाल रहे हैं। अब कभी वे गांव मिलकर नहीं रह सकते हैं। जहां तक हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अमीर दास आयोग का उल्लेख किया है। एक साल होने को आया लेकिन उसे एक चपरासी तक नहीं मिला, एक कमरा तक नहीं मिला, स्टेनो-टाइपिस्ट की बात तो छोड़ दीजिए। ये तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं। महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति कितने दिनों से लम्बित हैं क्योंकि कोर्ट के सब मामले इन्हें उलझाकर रखना है, सुलझाने में तो विश्वास रखते नहीं हैं। इसलिए कोर्ट ने क्या क्या कहा कि बिहार में जंगल राज है और यहां तक कहा कि बिहार में कोई ईमानदार ऑफिसर दिखता नहीं है। बिहार सरकार जानबूझ कर कोर्ट की अवमानना कर रही है। कोर्ट की बातें बहुत लोग कर चुके हैं लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि वह कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं। लालू जी को जब जेल जाना पड़ा था, याद कीजिए वह दिन। जिस बेचारे जज ने फैसला दिया, उसी अदालत में घुस कर जो हंगामा किया गया, उनको जो धमकियां दी गईं, वहां क्या न्याय का शासन रहेगा? उसी अदालत में असामाजिक तत्व घुस कर न्यायाधीश को धमकाते हैं, वहां कौन से न्याय का सम्मान हो सकता है? शरद जी, आप एक बार बिहार को नजदीक से आकर देखिए, तब बोलिए। ...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में 1997 में एक केस दर्ज किया गया था कि* कई बिहार के मंत्री और सांसद हथियारों की खरीद-फरोख्त के धंधे में लिप्त थे। ...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश में यह केस पकड़ा गया था। इसमें पुलिस अफसर का नाम है। इसमें तीन लोग गिरफ्तार भी हुए। वे बिहार के हथियारों के सौदागर* थे। इसमें* ..... के अलावा इनके एक मंत्री का भी नाम था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। इनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री थे। यह कहा गया कि बोगस कागजों के आधार पर इन्होंने हथियारों की खरीद-फरोख्त की है। उसमें एक डी.आई.जी. का भी नाम था। मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन्होंने बताया कि विगत ढाई वर्षों के दौरान ग्वालियर से 85 राइफलें और 65 हजार कारतूसों की अवैध बिक्री की गई। ...*(व्यवधान)* वह इनकी सरकार थी, हमारी नहीं थी। आप पूछ लीजिए कि ऐसा केस है या नहीं? ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : प्रधान मंत्री जी के घर ग्वालियर से अवैध हथियार बिक रहे थे जो खत्म हो गए। ...*(व्यवधान)*

**प्रो. रीता वर्मा** : खरीद-फरोख्त वाले कौन लोग थे, यह आप जानिए। ...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मैं अंत में एक ही बात कहना चाहती हूं। अभी राजनैतिक मजबूरियों के चलते इतनी भ्रष्ट और अपराधी शासन को यह लोग समर्थन दे रहे हैं लेकिन याद रखिए मरी खाल की स्वास सों लौह भस्म हो जाए, आप चाहे कितने ताकतवर हों, दलित की हाय में इतनी बड़ी आग होती है कि वह बड़े से बड़े मनसूबों को भी भस्म कर देती है। यह बात कबीर दास ने कही थी। आज भले ही आप लोग अपने-अपने अहंकार में सत्ता की जोड़-तोड़ में दलित की हाय को भूल रहे हैं, उनके खून को भूल रहे हैं लेकिन समय आपको दिखा देगा कि इसका क्या अंजाम होता है? मैं कांग्रेस को किन शब्दों में, मैं तो खुश हूं कि उन्होंने बिहार से अपना तम्बू उखाड़ लिया है। आप जाकर देखिए। आज के पेपर में आया है कि कांग्रेस के 40 पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया है।

**डा. शकील अहमद** : किसी ने नहीं दिया।

**प्रो. रीता वर्मा** : आप वहां जाकर उनकी भावनाएं सुन लीजिए। वहां 50 साल तक कांग्रेस को पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। आपने ऐसा काम किया है।

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त करिए। आपका समय समाप्त हो गया है। आप अपना आसन ग्रहण कहिए।

**प्रो. रीता वर्मा** : मैं आपकी बात का आदर करते हुए दो लाइनों में अपनी बात समाप्त करती हूं। कांग्रेस सारी गलती इसलिए कर रही है कि हमारे प्रधान मंत्री जी अभी लाहौर यात्रा पर गए थे। उसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ है। इससे अल्पसंख्यक बहुत खुश हैं। इसलिए इन्हें चिंता हो गई है।

दूसरी बात यह है कि जब आपकी नेता कह सकती है कि वह नेहरू गांधी परिवार की बड़ी प्राउड मैम्बर हैं तो भंडारी जी कहें कि वह आर.एस.एस. के प्राउड मैम्बर हैं तो इसमें क्या है। जब वह कह सकती हैं तो यह भी कह सकते हैं। इसमें क्या बात है? ...*(व्यवधान)* उन्होंने आर.एस.एस. कहा है, बी.जे.पी. नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब समाप्त कीजिये।

**प्रो. रीता वर्मा** : सभापति महोदय, उधर के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। रामदास जी आप हमारे मित्र हैं, आप दलितों के लिये खड़े हैं। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[प्रो. रीता वर्मा]

सभापति जी, मैं राष्ट्रकवि श्री दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियां अपने कांग्रेसी साथियों और आप के लिये बोलकर जा रही हूं:

समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी इतिहास।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : सभापति महोदय, घोषणा के नतीजे को देखते हुए हमें आशा थी कि सरकार समझदारी दिखाते हुए अपनी गलती को मानते हुए घोषणा को वापस ले लेगी। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, मैं इस घोषणा का विरोध करता हूं। माननीय गृह मंत्री ने सरकार की इस घोषणा के तथाकथित भारी समर्थन की बात कही। उन्होंने कुछ समाचार पत्रों का उल्लेख किया। प्रो. रीता वर्मा ने किसी जनमत संग्रह का उल्लेख किया। विधान सभा की चार वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है तथा मार्च 2000 में चुनाव होने हैं।

मैंने सोचा कि माननीय गृह मंत्री संसदीय प्रजातंत्र के प्रबल समर्थक हैं क्योंकि इस सदन में एवं बाहर वो राष्ट्रपति शासन का विरोध करते रहे हैं। प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी हमारे साथ तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलने गए थे जब एन.टी.आर. की सरकार बर्खास्त की गई थी।

संसदीय प्रजातंत्र में हम, चुनाव के अतिरिक्त किस प्रकार लोक समर्थन या जनमत संग्रह के स्तर पता लगा सकते हैं? अक्टूबर 1998 में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की विफलता के बाद भा.ज.पा. तथा इसके समर्थक चुनाव हार गए, इस मुद्दे पर भी जनमत संग्रह की बात आती है। यह सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। इसका पता मेरी प्रिय बहन श्रीमती सुषमा स्वराज के भाग्य से देखा जा सकता है। दिल्ली में उनकी सरकार कहां है? वो उप-चुनाव में भी हार गए है।

मैं. प्रो. रीता वर्मा द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का सम्मान करता हूं। मगर मैं सोच रहा था कि मैं बिहार (विधान) सभा में बैठा हूं या लोक सभा में। ये मामले किस स्थान पर उठाए जाने चाहिए? चार या पांच वर्ष पहले किसी ने किसी का अपहरण करने का प्रयास किया, और किसी ने किसी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, इसलिए गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। इस देश में क्या हो रहा है? मैं आरंभ में ही यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार में जो कुछ हुआ, उससे हम बहुत चिंतित हैं।

**अपराह्न 5.00 बजे**

हमने पहले ही स्पष्ट शब्दों में नृशंस हत्याओं की निंदा की थी। और हम इसे फिर दोहराते हैं। इस तरह की घटना भारत में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। मगर आज हम प्रतियोगिता में पड़कर यह पता लगाने में पड़ गए हैं कि कौन सा राज्य अधिक अपराधग्रस्त है। आज स्थिति यह है कि सुशासन के बजाय आंकड़े अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि संविधान के नाम पर की गई कार्रवाई को न्यायोचित ठहराना या अन्यायपूर्ण ठहराना ही मात्र उद्देश्य है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि देश में अनुच्छेद 356 का 102 बार या 103 बार इस्तेमाल किया गया है। ना केवल मैं बल्कि न्यायमूर्ति सरकारिया ने भी कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल अधिक किया गया है तथा इसका उचित इस्तेमाल कम किया गया है। इसका गलत इस्तेमाल 90 बार किया गया है। कल जब गोवा का मामला विचार-विमर्श के लिए आया तो हमने सदन की प्रतिक्रिया देखी। हमने सदस्यों का रवैया देखा हमारे दल के सदस्य कामरेड कुरूप ने बहस में हिस्सा लिया और कहा कि हम सिद्धांत रूप में इसके विरुद्ध हैं तथा इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं।

वास्तव में कोई भी सरकार खुश नहीं होगी। मुझे खुशी होती यदि गोवा में राज्यपाल ने विधान सभा भंग करके चुनाव की घोषणा की होती। प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता नहीं थी। मुझे विश्वास है कि आपने यही सुझाव दिया होता, अथवा ऐसी ही आपकी अनुपस्थिति में हुआ होता। दुर्भाग्य से हमने फिर देखा - एक तरह से हमें आश्चर्य नहीं हुआ - कि इस कमजोर सरकार ने जिसे अपने सहयोगी दलों को खुश रखना है ऐसा फिर किया। यदि चेन्नई में कोई नाराज है तो केन्द्र के दो मंत्री चले जाते हैं। यदि कोई कलकत्ता में कुछ कहता है तो तीन और मंत्री चले जाते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने सहयोगियों की नाराजगी की अधिक चिंता है ना कि इस देश के आम अदमी के आंसू की। इसी कारण उन्हें अपनी सरकार बचाने की ज्यादा चिंता है। मुझे ऐसा लगता है कि अकुशलता या अक्षमता के कारण यदि इस देश में किसी सरकार को बर्खास्त करना है, तो वह केन्द्र सरकार है। लेकिन मैं इसके लिए नहीं कहता हूं। इसलिए नहीं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं करता। यही कोई साल भर पहले बिहार की जनता ने अपना जनादेश दिया था जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए था। 'आउटलुक' पत्रिका के जनमत संग्रह या कुछ गुमनाम व्यक्तियों के विचार के आधार पर आज भारत के गृह मंत्री

श्री लाल कृष्ण आडवाणी अपनी कार्यवाही को उचित ठहरा रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा मानना है कि संविधान के इस कठोर प्रावधान का बहुत ही बुरे इरादे से किये गये प्रयोग का यह दूसरा विकृत उदाहरण है और इसे जितनी जल्दी हटाया जाय, उतना ही अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, लोग सरकार द्वारा इस निर्णय से इस सरकार की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जैसाकि मैंने कहा, इस देश में सरकार के रूप में यह एक बहुरंगा गठबंधन हैं। इसकी विश्वसनीयता क्या है और इसका नैतिक कर्त्तव्य क्या है? सभापति महोदय, यह एक लेन-देन वाली सरकार है जिसका मतलब होता है, "सात वोट मुझे दो, मैं तुम्हें 28 रेलवे परियोजनायें दूंगा या यूं कहें कि पांच वोट मुझे दो मैं तुम्हें तीन अन्य परियोजनायें दूंगा।" क्या सरकार इस ढंग से चल सकती है? इसलिए, मुझे श्री वाजपेयी जी को कहना चाहिए था। बहुत हो चुका। हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान से संबंध सुधारने के उनके प्रयासों की आज हम सभी सराहना करते हैं। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है? कहां है सरकार? इस देश की आर्थिक दशा क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में क्या हो रहा है? इसकी उपलब्धि क्या है? बहुत ही कम अर्थात् नगण्य।

**श्री तपन सिकदर** (दमदम): पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी से कोई द्वेष नहीं है। उनके प्रति मेरा जो व्यक्तिगत सम्मान है उसे वे जानते हैं। मुझे उनके साथ कई समितियों आदि में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है, किन्तु यहां मैं उनकी उपलब्धि का विश्लेषण कर रहा हूं। वे अपने सहयोगियों के पैकेज के भार से दबे हुए हैं और बुरी तरह पीड़ा से कराह रहे हैं। पैकेजों से वे चिंतित हैं। ऐसी स्थिति में वे क्या कर सकते हैं? जैसाकि श्री शरद पवार ने पहले ही इस बात को उद्धृत किया था कि वे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना नहीं चाहते थे। चुनावों के दौरान, जैसाकि श्री दिग्विजय सिंह ने भी स्वीकार किया है, उनके दो वरिष्ठ सहयोगी और हमेशा विपत्ति में काम आने वाल संकटमोचक श्री जॉर्ज फर्नान्डीज और श्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी अभियान में कहा था, "भाजपा को केन्द्र में सत्तासीन करें। हम सात दिनों के अंदर लालू-राबड़ी से छुटकारा दिलायेंगे।" एक साल बीत गया है। यही मांग डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी की ओर से भी है। वह यह कि तमिलनाडु में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लाने की हास्यास्पद मांग है। उन्हें इन सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना उनकी बाध्यता है।

महोदय, हम क्यों इसका विरोध करते हैं? कृपया मुझे थोड़ा समय दिया जाय, ज्यादा नहीं क्योंकि वे स्वयं कलंकित हैं। अनुच्छेद 356 की उत्पत्ति क्या थी? इसकी उत्पत्ति भारत सरकार के एक गर्हित अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, 1930 के परिणामस्वरूप हुई थी, जैसाकि न्यायमूर्ति सरकारिया ने स्वयं उल्लेख किया है। उन्होंने कहा था कि जब इसका प्रयोग 1951 में सबसे पहले किया गया था, मेरा मानना है कि तबसे उसका दुरुपयोग होता रहा। डा. अम्बेडकर के विचारों से सभी अवगत हैं। वे संविधान के निर्माता थे। यदि गुस्ताखी माफ की जाय तो मैं उनके वक्तव्यों को उद्धृत करूं। उन्होंने कहा था:

> "मुझे उम्मीद है कि ऐसे अनुच्छेदों का कभी भी प्रयोग नहीं किया जायेगा और वे मृत-कानून के रूप में निष्क्रिय रहेंगे।"

क्यों? किसी भी संघीय प्रणाली में ऐसे प्रावधान नहीं है। यदि कभी किसी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र विप्लव हुआ हो तो उस समय इस प्रावधान का प्रयोग किये जाने पर बात समझी जा सकती है। यह प्रावधान उस समय इसलिए किया गया क्योंकि उस समय हमारा गणतंत्र शैशवकाल में था। तब देश दोनों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ था और उस समय उसके साथ कोई दोस्ताना संबंध नहीं था और इसलिए किसी राज्य में कुछ अप्रिय घटनायें घट सकती थीं। वे राज्य अपनी देखभाल या सुरक्षा करने में असमर्थ होंते। अत: बड़ी आशा और उम्मीद के साथ यह सोचा गया था कि इसका इस्तेमाल कभी भी न किया जायेगा और यह एक मृत कानून के रूप में रहेगा। इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि कुप्रशासन, अराजकता और कानून-व्यवस्था अनुच्छेद 356 का विषय नहीं हो सकता। बोम्बई मामले में न्यायमूर्ति सावंत ने कहा हैं:

> "अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा तब तक नहीं जारी की जा सकती जब तक कि राज्य की आंतरिक शांति इस कदर बाधित न हो जाय जिससे लगे कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। केवल आंतरिक अशांति जिसमें सशस्त्र विद्रोह न हो, को उद्घोषणा या अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति के लिए जायज नहीं ठहराया जा सकता; और न ही ऐसी-अशांति को अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने को उचित ठहराया जा सकता जब तक कि संवैधानिक मशीनरी विफल नहीं हो गयी हो।"

लेकिन अभी तक किसी ने यह संकेत नहीं दिया कि कौन-सी संवैधानिक मशीनरी विफल हुई है।

फिर कैसे इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जाय?

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर) : गुजरात में किस तरह का सशस्त्र विद्रोह था? उसका भी उल्लेख आपको यहां करना चाहिए। जब सुरेश मेहता सरकार को बर्खास्त किया गया था तो आपने और आपकी पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। आप एक वरिष्ठ नेता हैं तो कृपया आप उसका उल्लेख कीजिये। सुरेश मेहता सरकार की बर्खास्तगी का आपने समर्थन क्यों किया था? गुजरात में किस तरह का सशस्त्र विद्रोह था? आपने खुद उस पर जोर दिया था।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अब और समय नहीं लेना चाहता।

**श्री खारबेल स्वाईं** : आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं है ...*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उस प्रस्ताव को लाने वाले हमारे बीच एक बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। वे इतिहास और संवैधानिक कानून के जाने-माने ज्ञाता हैं। उद्धरणों को उद्धृत कर मुझे उन्हें कष्ट देने की जरूरत नहीं है। वे उन उद्धरणों को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए न्यायमूर्ति सरकारिया और डा. अम्बेडकर द्वारा न्यायपालिका के बहुत ही सुस्थापित प्रावधान और अवलोकन हैं कि इसका प्रयोग केवल कानून एवं व्यवस्था की मशीनरी के विफल होने या फिर कुप्रशासन के लिए नहीं किया जा सकता। मैं माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से एक प्रश्न करना चाहूंगा। राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद भी कुछ हत्यायें हुई थीं और इसे श्री भंडारी के राज में दूसरे नरसंहार की संज्ञा दी जा रही है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? कैसे इसे परीक्षण के रूप में देखा जा सकता है?

*[हिन्दी]*

**डा. विजय सोनकर शास्त्री** (सैदपुर) : वह तो करवाया गया था। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, प्रतिपक्ष के नेता द्वारा सरकार की रिपोर्ट के संबंध में कुछ संदर्भ दिये गये हैं। मैंने सोचा था कि कम-से-कम आडवाणी जी तो उस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं ही करेंगे। उन्होंने तो राज्यपाल की कार्यवाही को उचित ठहराया है क्योंकि अदालत ने कहा था कि सरकार संविधान या प्रशासन के अनुसार नहीं चल सकती थी। क्यों? यह फैसला अनुबंध में शामिल किया गया है और हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन, यह मामला सड़क से अतिक्रमण हटाने के संबंध में है; झाटालों को हटाने के संबंध में है। यह पटना शहर में गाड़ियों में लाल बत्ती के प्रयोग से संबंधित है और ट्रैफिक लाइट से संबंधित है या फिर नाली व्यवस्था की सुलभ-सफाई से संबंधित है।

*[हिन्दी]*

**प्रो. रीता वर्मा** : जब ट्रैफिक लाइट वाला काम भी कोर्ट को करना पड़े तो सरकार क्या करती है?

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैंने कहा है कि आप बहुत बढ़िया बोली हैं, लेकिन यदि आप चाहती हों तो आप को यहां न होकर बिहार विधान सभा की सदस्या होना चाहिए।

मैं उन सभी प्रबुद्ध न्यायाधीशों का सम्मान करता हूं, पर यह मेरे लिए कल्पनातीत है कि अतिक्रमण हटाने और नालियों की सफाई के मामले में न्यायपालिका ऐसी टिप्पणी करेगी और यह कहते हुए कि संवैधानिक मशीनरी बुरी तरह चरमरा गयी है, इसलिए सरकार को बर्खास्त करने का निर्देश देगी। क्या इस देश में कोई ऐसा शहर या नगर है जहां अतिक्रमण नहीं है। मैं तो नहीं जानता। अगर आप इस दिनों लुटियान निर्मित दिल्ली से बाहर जाएं तब आपको मालूम होगा कि हर जगह क्या हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में यह सरकार कैसे रह सकती है? इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग झुग्गी और झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। दिल्ली में भी, ऐसे कई स्थान हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें शर्म आनी चाहिए। हाल ही में, मैं मुम्बई, बंगलौर और पुणे गया था। क्या वहां झुग्गी-झोपड़ियां नहीं है? हम इससे खुश नहीं हैं। क्या एक राष्ट्र के रूप में हम खुश हैं? क्या हमें इस बात का गर्व है कि यह कुछ अन्य राज्यों में हो रहा है; मेरे राज्य में नहीं? क्या इससे मैं खुश रहूं, आनन्दित होऊं और इसकी सराहना करूं?

और, क्या उन राज्यों में सरकारों की बर्खास्तगी के लिए इसे एक आधार बनाया जायगा? माननीय राज्यपाल ने इसकी आधारशिला रखी, चक्रव्यूह रचा और श्री लालकृष्ण आडवाणी उस व्यूह में फंस गये। मुझे इसका बेहद अफसोस है। महोदय, इस घोषणापत्र का उद्देश्त गलत है। उद्देश्य और अपनायी गई कार्यविधि भी गलत है। निःसन्देह जहां तक इसके अंतिम भाग का प्रश्न है, यह कानूनी तौर पर गलत है।

माननीय राज्यपाल की पहली रिपोर्ट 18 सितंबर, 1998 की थी। राष्ट्रपति जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। किसी निर्णय पर न पहुंचा जा सका। तो, अगली रिपोर्ट की निर्धारित तिथि चार या पांच माह बाद 11 फरवरी, 1999 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत,

पुन: विचार करने के बाद यदि सुझाव भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय राष्ट्रपति जी को क्या सूचना दी गयी। क्या सुझाव पेश किया गया? क्या इसे उनके पास मंत्रिमंडल के पुनर्विचारित दृष्टिकोण के रूप में भेजा गया था? यदि ऐसा हुआ तो, वह उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।

मैं राष्ट्रपति महोदय का बहुत सम्मान करता हूं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पास ऐसे चरित्रबल वाला राष्ट्रपति है। यदि उन्हें वह सुझाव दिया गया था, उन्हें दिग्भ्रमित किया गया था। उन्हें गलत सुझाव दिया गया था क्योंकि यह पुनर्विचारित मत नहीं हो सकता। यह पांच माह पश्चात् नहीं हो सकता। समय में कुछ निकटता, कुछ बंधन अवश्य होना चाहिए। पांच माह पश्चात् कुछ भेजा जाता है।

मैंने राज्यपाल की नवीनतम रिपोर्ट को पढ़ा था। वह कहते हैं कि यह पिछली रिपोर्ट की अनुपूरक होनी चाहिए। उसे पढ़कर मैंने यह अनुमान लगाया, मैं समझता हूं कि, जैसा कि उसमें वर्णित था, उसी रिपोर्ट को भेजा जा रहा था। यह ताजा रिपोर्ट नहीं है। यदि आप फरवरी, 1999 के बाद की रिपोर्ट को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि एक मुद्दे के अतिरिक्त, यद्यपि वे सभी मुद्दे कानून और व्यवस्था से संबंधित बहुत गंभीर मुद्दे हैं, किसी नयी बात का उल्लेख उसमें नहीं था, जैसा कि पंचायती संस्थाओं के बारे में राष्ट्रपति को दी गई गलत सूचना के संबंध में श्री शरद पवार ने रहस्योद्घाटन किया था।

सक्रिय राजनेताओं को राज्यपालों के रूप में नियुक्त करने का यही खतरा है। इस घोषणा के माध्यम से उनके अपने आदमी द्वारा बिहार में विपक्ष की सरकार लाने का लक्ष्य था। उन्हें टेलीविजन के माध्यम से विश्व को यह कहने में गर्व है कि : "मैं आर.एस.एस. का आदमी हूं। आर.एस.एस. का आदमी होने का मुझे गर्व है।"

सभापति महोदय, सरकारिया आयोग ने एक बात कही है। उसमें राज्यपाल की भूमिका के संबंध में, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में वर्णन है। मुझे विश्वास है कि श्री आडवाणी के सामने भी सरकारिया आयोग की एक प्रति है। पृष्ठ 121 पर संविधान सभा में दिया गया पण्डित जवाहरलाल नेहरू का भाषण उद्धृत किया गया है। उसमें उन्होंने कहा है:

> "लेकिन कुल मिलाकर संभवत: बाहर से लोगों को लेना वांछनीय होगा – प्रसिद्ध लोग, कभी-कभी उन लोगों को लेना वांछनीय होगा जिन्होंने राजनीति में बहुत अधिक हिस्सा नहीं लिया है। संभवत: राजनीतिज्ञ अपने कार्यकलापों के लिए अधिक सक्रिय क्षेत्र को पसंद करेंगे।"

तो, न्यायाधीश सरकारिया क्या कहते हैं? अपनी स्पष्टतम सिफारिश में, वह कहते हैं:

> "जीवन के किसी क्षेत्र में राज्यपाल की प्रसिद्धि होनी चाहिए। वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिये। वह एक निष्पक्ष और राज्य की स्थानीय राजनीति में ज्यादा नजदीक से जुड़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए; और वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने साधारण रूप से और विशेष रूप से हाल ही के विगत समय की राजनीति में ज्यादा भाग न लिया हो। यह वांछनीय है कि किसी अन्य पार्टी अथवा अन्य पार्टियों के समूह द्वारा चलायी जा रही केन्द्र सरकार में शासक पार्टी के राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नियुक्त न किया जाये।"

इस सिफारिश का पूरा-पूरा उल्लंघन करते हुए उनकी नियुक्ति की गई थी। तो गृह मंत्री महोदय ने अपनी बुद्धिमत्ता और लम्बे अनुभव से यह निर्णय लिया कि अब उन्होंने कम-से-कम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बिहार सरकार बरख्वास्त कर दी गयी है। किसी अन्य व्यक्ति को आने दो। अन्यथा, इस प्रकार की टिप्पणियां की जायेंगी। इसलिए वह चाहते हैं कि बिहार का राज्यपाल एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति बने। इसीलिए, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वह केन्द्र में शासक पार्टी के सक्रिय राजनेता हैं और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह एक खास ढांचें से संबंध रखते हैं जो प्रधान मंत्री को कार्य भी नहीं करने दे रही है। लेकिन वह यह लक्ष्य प्राप्त न कर सके। श्री आडवाणी जी को अपना गर्व और फैसला वापस लेना पड़ा। अब वह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हैं। संभवत:, अब वह यह सोच रहे हैं कि उस तरफ बैठने की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता का प्रस्ताव कहीं अच्छा था।

अत: इन प्रत्ययपत्रों के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, भारत सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल इस उद्देश्य के लिए रात्रि में बैठा। समाचार-पत्रों में भी हमने यही पढ़ा। हम यह आलोचना करते थे कि कांग्रेस के लोग केवल रात के दौरान सोच सकते हैं। अब जब वे सरकार में हैं तो पूरी कर्त्तव्यनिष्ठा और पूरे जोश के साथ कांग्रेस पार्टी की सभी बुरी बातों का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन कहीं हम क्षमता के साथ।

महोदय, मंत्रिमंडल की पिछली सिफारिश को वापस करने के लिए राष्ट्रपति जी को विनम्रतापूर्वक बधाई देता हूं। जब श्री इन्द्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के संबंध में की गयी

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सिफारिश को भी लौटा दिया था। उन्होंने पुन: बिहार के संबंध में फैसला सुनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि दी गई सलाह के आधार पर, यदि संविधान के 74वें अनुच्छेद के अधीन इसे वे भेजने के लिए बाध्य हैं तो उस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि इसमें पुन: कुछ जोड़ा गया था अथवा नहीं। यदि यह नयी रिपोर्ट थी, इसमें कुछ भी नया नहीं था और यदि यह पुरानी रिपोर्ट थी तो ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसके कारण बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये।

महोदय, कृपया समर्थक दृष्टिकोणों को देखें। वे जल्दी-से-जल्दी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते थे क्योंकि वर्ष के भीतर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन वे हमारे मित्र सरपोतदार की पार्टी की सरकार को नाराज नहीं कर सकते। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? यदि इसी तरह का कुछ बिहार में घटा होता तो श्री आडवाणी क्या करते? महाराष्ट्र में, उस रिपोर्ट को अनौपचारिक रूप से न केवल अस्वीकृत कर दिया गया, यहां तक कि न्यायाधीश को भी नहीं बख्शा गया। तत्कालीन, मुख्य मंत्री ने उन्हें गंदी-गंदी गालियां दीं।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : ये गलतफहमी फैला रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने श्रीकृष्ण आयोग को क्रिटीसाइज किया है, श्रीकृष्ण जी को इंडीवीजुअली क्रिटीसाइज नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, संभवत: वह वहां के नये मुख्य मंत्री के संबंध में बात कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** : नहीं, मैं वही बोल रहा हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मैं महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का समर्थन नहीं करता। लेकिन क्या उन्होंने इस पर विचार किया? क्या उन्होंने गुजरात के संबंध में इस पर विचार किया? *...(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोतदार** (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, जानकारी के रूप में मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह उस राज्य के संबंध में बताएं जहां किसी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया हो। यहां तक कि जैन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया और इसी कारण उनकी पार्टी द्वारा समर्थित सरकार गिरा दी गई।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वे सत्ता से बाहर इसलिए कर दिये गये क्योंकि उन्होंने उस रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया है और उनकी पार्टी का भी यही हाल होगा। उन्होंने स्वयं कहा था कि उन्हें इसी कारण सत्ता से अलग कर दिया गया है। यही उनके साथ भी होगा।

महोदय, जहां तक गुजरात का संबंध है, यदि अव्यवस्था और संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अर्थ संविधान के प्रावधानों को कार्यान्वित करना अथवा संवैधानिक तंत्र का चरमरा जाना है, तो गुजरात से अधिक विकृत और भद्दा अन्य कौन सा राज्य है?

महोदय, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की अब एक मूलभूत विशेषता है। ऐसा बार-बार कहा जाता रहा है। इस मामले में उन्होंने इस राज्य के साथ कैसा व्यवहार किया? माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं और केवल एक ताजा बहस की संभाव्यता के संबंध में बोलते हैं। उड़ीसा में एक मंत्रियों का दल गया। बिहार में दूसरी टीम गयी। नि:सन्देह, वहां जो मंत्री गये वे सभी मंत्रिपरिषद के मंत्री थे। आधे घंटे के भीतर उन्हें हर बात की जानकारी हो गई और वे वापस आ गये। बिहार के मामले में, उन्होंने कहा था कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। ये सभी चीजें आधे घंटे अथवा एक घंटे के भीतर की गई हैं। मुझे लगता है कि श्री जटिया भी उनका साथ निभाने के ही उद्देश्य से बिहार गये थे। इससे पता चलता है कि किस प्रकार संविधान के प्रस्ताव को जिसका उपयोग दुर्लभतम अवसरों से भी दुर्लभ अवसर पर किया जाना चाहिए और जिसका उपयोग कम-से-कम किया जाना चाहिए, उसका उपयोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए चयनात्मक रूप से भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा रहा है।

इसीलिए, महोदय, सभी दृष्टिकोणों से इस संवैधानिक प्रावधान के विशाल दुरुपयोग का यह एक उदाहरण है। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि यह प्रधानमंत्री बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। वह उनका समर्थन कर रहे 18 हताश समर्थक दलों सहित एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री तपन सिकदर** : ये आपका सरदर्द नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : बेशक, यह आपका सरदर्द है। आप कांप रहे हैं, स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं।

**श्री तपन सिकदर** : आपको बार-बार हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं आपको नसीहत नहीं दे रहा। इसमें मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। आप छूट नहीं सकते, लोग आपके बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने एक गलती की है। वे हर बार ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। मैं यह कह रहा था उन्हें सजा हुई है। ये वहां चल रही सरकार पर कैसे निर्णय ले सकते हैं? ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली और हैदराबाद के बीच हॉटलाइन जुड़ी हुई है।

कश्मीर में एक समस्या जोर जकड़ रही है। पहले भी तीन माननीय सदस्य ऐसा कह चुके हैं। श्री चौटाला के साथी पहले ही छोड़कर चले गए हैं। अकाली अनिश्चय में है। इस विषय का अंजाम राज्य सभा में अच्छी तरह मालूम है।

महोदय, जब मैंने अपना भाषण शुरू किया, मैंने कहा कि यह मसला सरकार द्वारा क्यों उठाया जा रहा है जबकि वे कम से कम राज्य सभा में इसका अंजाम जानते हैं। वे इस अवसर का उपयोग केवल प्रचार पाने के लिए ही कर रहे है। हमारे बहुत अच्छे मित्र, श्री प्रमोद महाजन, टी.वी. और आकाशवाणी का बहुत उपयोग कर रहे हैं जबकि वे प्रसार भारती में हस्तक्षेप से अपना पल्ला झाड़ने की बात करते हैं। वे संपादकीय नीति आदि पर उपदेश दिया करते है। इसीलिए, सारे देश में, लोग समझते हैं कि वे मीडिया का उपयोग राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, मीडिया का एक वर्ग यह महसूस भी करता है कि इस तरह ये किसी के खिलाफ बोलते हैं। मैं श्री लालू प्रसाद यादव के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा। मैं भारत के संविधान के बारे में बात कर रहा हूं।

इसीलिए, मैंने सोचा कि इस प्रस्ताव का अंजाम जानते हुए सरकार, इस सदन और सरकार से मत-विभाजन कराने का प्रयास नहीं करेगी। मैंने इस घोषणा की अपरिहार्यता को तब तहेदिल से स्वीकार करता, जब कम से कम हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को निपटाया होता या उन पर बात की होती।

इसीलिए, महोदय, ऐसा लगता है कि न सिर्फ इस सरकार का बुरा हश्र होगा बल्कि दुर्भाग्य यह है कि इसके साथ, देश का भी बुरा होगा। इसीलिए देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जितने जल्दी इसका पतन हो, उतना अच्छा, और जैसा मैंने पहले कहा था, इस पर कोई आंसू नहीं बहाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** (बाहरी दिल्ली) : सभापति महोदय, अभी मैंने विपक्ष के नेता का भाषण सुना है और सी.पी.एम. के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी जी का भी भाषण सुना है। मुझे ऐसा लगा कि शायद उनकी कुछ राजनैतिक मजबूरियां होंगी जिनके कारण वह बिहार में राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रहे हैं लेकिन जो तर्क दिये जा रहे हैं, वे तर्क ऐसे हैं कि उन तर्कों के आधार पर शायद वह स्वयं एक भी बात सत्य सिद्ध नहीं कर पाये हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सौ से अधिक बार देश में राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं और मैं आज यहां यह कहना चाहता हूं कि अगर सौ बार जो राष्ट्रपति शासन लगाये गये हैं, उनमें से अगर कोई एक राष्ट्रपति शासन जिसको कि युक्तियुक्त कहा जा सकता हैं, आधार युक्त कहा जा सकता है, अगर कोई हैं तो वह बिहार में लगाया गया राष्ट्रपति शासन हैं। अगर हम उन लोगों की सारी बातें सुनें, अभी सोमनाथ जी 356 का विरोध कर रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। 15 दिसम्बर, 1992 को भारतीय जनता पार्टी के चार प्रदेशों पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और यह कांग्रेस ने लगाया और उसके सब साथी दलों ने इसका समर्थन किया। क्या वह 356 नहीं था? क्या हमारे पास मैजोरिटी नहीं थी। क्या वहां पर दो तिहाई से ज्यादा मैजोरिटी नहीं थी? 356 का समर्थन आपने क्यों किया और आज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आपने उस दिन मेरा भाषण पढ़ा था।

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : हां, मैं जानता हूं।

*[हिन्दी]*

लेकिन इसके साथ मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि अभी एक वर्ष हमारे शासन का हुआ है और एक वर्ष में केवल एक प्रदेश है जहां 356 लगाया गया है। हम एलाइज के दबे हुए हैं तो बहुत से प्रदेशों में हैं और भी प्रदेशों में हैं लेकिन एक प्रदेश के बारे में यह एक्शन केन्द्र ने लिया है। इस एक्शन में जब एक बार राष्ट्रपति जी ने वह प्रस्ताव वापस कर दिया तो उसे काफी देर तक दोबारा नहीं भेजा। वह तब भेजा जब लगातार दो बार दलितों की हत्याएं हो गईं और एक ऐसा नरसंहार हो गया और प्रदेश में इतनी ज्यादा हत्याएं हो गईं तब जाकर यह लगा कि अब इसे न भेजना हमारे लिए और अपनी सरकार के लिए कर्त्तव्य से और पीछे रखना होगा तब लगा कि अब सरकार का यह आवश्यक कर्तव्य है कि इसे भेजा जाए। बिहार में भी पहले छः बार राष्ट्रपति

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

शासन लग चुका है और उसमें किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है लेकिन इस बार आपत्ति की जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कैसी-कैसी अजीब घटनाएं हुई हैं। 1984 में जब आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति जी ने और कांग्रेस की इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर कांग्रेस की तरफ से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तब एक महीने तक कैम्पेन हुआ और आखिर में उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया और फिर से वह गवर्नमेंट रैस्टोर हुई, ऐसा उदाहरण आप हमारा प्रस्तुत करके बताइए।

इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं। गुजरात में तो बहुमत सिद्ध करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। किसी ने उसके बारे में नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में तो विधान सभा के चुनाव होने के बाद एक दिन के लिए एसेम्बली नहीं बुलाई गई और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन लगाना कांग्रेस के काल का चरित्र है और आज कांग्रेस के लोग सिद्धान्त का मुखौटा पहनकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन का समर्थन करने वाले और आज सिद्धांत की बात करने लग जायें, तो कौन विश्वास करेगा।

आप लोग कह रहे हैं कि हमने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर गलती की है। आप हमें यह भी समझा रहे हैं कि इसके बारे में पोपुलर ओपिनियन नहीं है। मैं लालू जी से कहना चाहता हूं, आप घबराते क्यों हैं, अच्छा यह होगा कि इस राष्ट्रपति शासन के विषय के नाम को लेकर बिहार में चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तथा पता लग जाएगा कि वहां जनता किसके साथ हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस ने बिहार में राष्ट्रपति शासन का विरोध किया है, उस स्थिति में जबकि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ। इसके अलावा दो और कारण हैं - एक दलितों पर अत्याचार और दूसरे महिलाओं पर अत्याचार। बिहार में महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार हुए हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने बिहार में राष्ट्रपति शासन का विरोध किया है। यहां सदन में कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी और स्पोक्समैन बैठे हुए हैं। उन्होंने 11 तारीख को कहा - इस सरकार को बने रहने को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब उनको एकदम लगता है कि उनको अधिकार तो नहीं है, लेकिन कान्स्टीच्युशनल राइट है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, यह दोहरा मापदंड क्यों है। उड़ीसा में दो तीन लोगों की हत्या हो गई और आपने नेता बदल दिया। आपने कह दिया कि मोरल रिसपांसिबिलिटी ले ली, लेकिन बिहार में इतनी बड़ी घटनायें हो गई और आप राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रहे हैं। मैं कांग्रेस और बाकी दलों को चेतावनी देना चाहता हूं कि बिहार का विषय साधारण विषय नहीं रहेगा, यह विषय जनता तक जाएगा और इसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी और उसके एलायेंस दो-तिहाई बहुमत के साथ आगे आयेंगे। आप इसको अजमाकर देख लें। आप गलतफहमी में न रहें, आप इस तरह से गलत सिद्धान्तों का समर्थन करके ...*(व्यवधान)*

**श्री कांतिलाल भूरिया** (झाबुआ) : गुजरात में ईसाइयों पर हमले हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : आप मुझे एक भी उदाहरण दे दीजिए कि वहां किसी एक आदमी की हत्या हुई है, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। ...*(व्यवधान)*

**श्री कांतिलाल भूरिया** : वहां ईसाइयों पर हमले हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री हरिन पाठक** : किसी को चोट तक नहीं लगी। कोई इंजर नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : आपने गुजरात के बारे में शोर मचाया है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गुजरात में शान्ति है। वहां ईसाइयों और गैर ईसाइयों ने मिल एक पीस कमेटी बनाई है और वह पीस कमेटी काम कर रही है। गुजरात में एक भी नई घटना नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप उड़ीसा और मध्य प्रदेश की चिन्ता करिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री कांतिलाल भूरिया** : बिहार में शान्ति है। वहां तो चुनी हुई सरकार हैं।

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : आपके सामने हम लोग जो बात कह रहे हैं, बिहार के बारे में लालू जी और आप चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं उससे यह लगता है - जैसे कहते हैं कि मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। शरद जी कह रहे हैं कि 73वां अमेंडमेंट हुआ और पंचायती राज अगर वहां लागू नहीं हुआ, तो हम समझते हैं वह कोर्ट के उदाहरण दे रहे हैं। इस देश में बिहार के अलावा कोई अन्य प्रदेश नहीं है जहां 73वें अमेंडमेंट के बावजूद पंचायत शासन नहीं चल रहा, केवल बिहार ही क्यों रह गया। ऐसा क्यों है?

क्या कोर्ट ने कोई स्टे दिया, रोका? क्या कोर्ट की इन बातों से आप लाभ उठा कर वहां पंचायत शासन खत्म कर रहे हैं। वहां फाइनेंशियल क्राइसेज हैं, हिंसा है, हत्याएं हैं, बलात्कार हुए हैं और दलितों के साथ अन्याय हुआ है। कितनी बार राष्ट्रपति शासन के विषय आएंगे, आगे भी आएंगे। मैं आपको एक सुझाव देना

चाहता हूं, सोमनाथ बाबू और शरद पवार जी से भी कहना चाहता हूं कि इस लोक सभा में यह अमेंडमेंट लाएं कि संविधान में यह अमेंडमेंट लाया जाए कि धारा 356 का उपयोग केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले प्रदेशों पर ही किया जा सकता है बाकी प्रदेशों पर नहीं किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप रिपील के लिए ले आइए। ...*(व्यवधान)*

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : आप रिपील के लिए कहिए। आज तक इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक स्टेट में एक घटना के कारण चार प्रदेशों में 356 लगा दिया गया। लालू जी के दस साल के शासन का लेखा-जोखा आपके सामने है। हमने तो आंकड़ों से कहा है और आंकड़ों से यह कह रहा हूं कि इन दस सालों में बिहार में 58,565 हत्याएं हुई हैं, 18,485 अपहरण हुए हैं, 8,377 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, 495 राजनैतिक हत्याएं हुई हैं, 390 बड़े-बड़े नरसंहार हुए हैं, बड़ी-बड़ी वारदातें 48 हुई हैं। केवल जहानाबाद में 20 वारदातें हुई हैं जिन पर यह सरकार नियंत्रण और अंकुश लगाने में विफल रही है। इतना ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े घोटाले भी हुए हैं। आप जानते हैं कि पशुपालन घोटाला एक हजार करोड़ रुपए का हुआ है, और भी इस तरह के घोटाले हुए हैं। मैं कह सकता हूं कि मस्टर रोल का घोटाला 2500 करोड़ रुपए का हुआ। ऐसे घोटालों की जांच कराने के लिए आप मांग करते तो हम मानते कि आप कोई जनहित की मांग कर रहे हैं। आप जहानाबाद घटना के बारे में कहते तो हम सोचते कि आप जनहित की बात कर रहे हैं, जनहित की एक भी बात कांग्रेस की तरफ से या सोमनाथ बाबू की तरफ से बिहार के बारे में नहीं आई। इस सरकार ने कौन सा जनहित का कदम पिछले दस सालों में उठाया, सिवाय इसके कि अपने और अपने परिवार के लिए काम किया।

मुझे इस बात की खुशी है कि लालू जी सोनिया जी से मिले और उन्होंने कहा कि आपने हमें बिहार सौंप दिया है और हमने आपको सारा देश सौंप दिया है। यह इनका आपस में समझौता हुआ।

**श्री लालू प्रसाद** : शर्मा जी, आप सीनियर आदमी हैं, हम लोग आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि नाराज होकर आप अन्न-जल छोड़ देते हैं। कहां से आप यह बात ला रहे हैं कि मैंने कहा कि सोनिया जी, आप हमें बिहार सौंप दीजिए, हम आपको सारा देश सौंप देंगे। यह पक्की बात है कि अब आपकी सरकार के दिन गिने-चुने हैं क्योंकि उस दिन बिल्ली ने रास्ता काट दिया है।

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : मैंने टी.वी. में सुना। आपने कहा कि यह स्वागत योग्य है।

**श्री लालू प्रसाद** : कांग्रेस के फैसले का हमने एकदम वैलकम किया है, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : मुलायम सिंह जी के लिए उत्तर प्रदेश को तो छोड़ देते। कह देते कि उत्तर प्रदेश छोड़कर देश सौंपा है।

**श्री लालू प्रसाद** : क्या यह मुलायम सिंह और हममें फूट डालो और राज करो की नीति है?

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : मुलायम सिंह को अपने साथ ले जाने में आपको क्या संकोच था। ...*(व्यवधान)*

**श्री अब्दुल गफूर** (गोपालगंज) : लालू प्रसाद यादव को सारी दुनिया और हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि ये किंग मेकर हैं ...*(व्यवधान)* हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं। अगर सोनिया जी से बातचीत की है तो कोई बुरा काम तो नहीं किया। ये तो आपकी पार्टी के शेखावत जी से भी बातचीत करते हैं। ये तो किसी के यहां भी जाकर बातचीत कर सकते हैं।

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : आपने बता दिया कि ये सबसे बात कर सकते हैं, अच्छा है। मैं इस नयी बात को थोड़ा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। बिहार के साथ जो किस्से जुड़े हुए हैं कि वहां कैसा विकास हो रहा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। जापान का एक डैलीगेशन बिहार में गया तो वहां के अधिकारियों से बात की और वहां के मुख्यमंत्री से भी बात की कि यहां इतने प्राकृतिक साधन हैं, खनिज हैं फिर बिहार पिछड़ा क्यों हैं। अगर आप तीन महीने के लिए बिहार हमें सौंप दें तो हम उसको जापान की तरह खुशहाल बना देंगे। उत्तर में कहा गया कि आपका काम तो बड़ा स्लो है। आप जापान हम पर छोड़ दें तो हम तीन दिन में उसको बिहार बनाकर दिखा देंगे। मुझे लगता है कि सोनिया जी से मिलकर वे यह कहना चाहते हैं कि हमें बिहार को ऐसा बनाए रखने दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे ताकि आप सारे देश को भी बिहार बना दें, इसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। जो इनके बीच में समझौता हुआ है उसके बारे में तो देश के लोग फैसला करेंगे। लालू जी को एक बात का जवाब तो अवश्य देना होगा कि वहां विकास के काम क्यों ठप्प हैं, जो न्यायिक कमीशन बना वह क्यों नहीं चला, ट्राइबल-कौंसिल ने काम क्यों नहीं किया, रिपोर्ट क्यों नहीं दी और फाइनेंशियल लेप्सिज क्यों हो रहे हैं? एक हजार करोड़ रुपया जो सेंट्रल ऐड का था उसको कर्टेल करके कहां खर्च किया? पच्चीस सौ करोड़ रुपया प्लॉन एक्सपेंडीचर

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

का आपने कहां खर्च किया? इसके बारे में तो लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप किस तरह का शासन वहां चला रहे हैं और किस तरह की बातें वहां सामने आ रही हैं। इसलिए अगर कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा-वैसा कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं और उस आधार पर बिहार पर समर्थन जो आज उन्होंने किया और लालू जी से हाथ मिलाया है तो अब सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गयी है। केन्द्र में एक साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का चला। एक साल के शासन में इतनी अच्छी एचिवमेंट्स हुईं। मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि आज तक के इतिहास में कोई भी सरकार इस देश में रही हो, उसका एक साल का इतना अच्छा शासन नहीं रहा। आप अगर हमें कम्युनल कहते हैं तो आप बताएं कि एक साल में कौन सा बड़ा दंगा हुआ। एक साल में एक भी भ्रष्टाचार और स्कैम का मामला नहीं हुआ। आप कोट करिए। एक साल में हमने अपने देश को दुनिया की महाशक्ति बना कर खड़ा कर दिया। उसकी आप निन्दा कर रहे हैं। आप उसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। आपको अच्छा लगता अगर आडवाणी जी बाला साहेब ठाकरे जी से मिलने न जाते। अगर वह उनसे मिलने न जाते तो टैंशन बनी रहती, क्रिकेट का मैच नहीं होता। टैंशन हो जाती। इस बात की किसी ने प्रशंसा नहीं की। आडवाणी जी ने वहां जाकर बाला साहेब ठाकरे जी से बात की। मैं आज सदन में बाला साहेब ठाकरे को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आडवाणी जी के जाने के बाद अपना प्रोटैस्ट विदड्रा कर लिया। उन्होंने देश के हित में इतना बड़ा कदम उठाया लेकिन इसकी कोई प्रशंसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्रिकेट और हाकी के मैच शांति से हो गए तो आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है। प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान यात्रा हो गई तो आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि यह सरकार एक साल में इतने काम करके बता दे। आपने देखा कि अमेरिका और बाकी देश भारत के बारे में सम्मान से सोचने लगे हैं। ऐसी स्थिति दूर नहीं जब सैंक्शन्स हट जाएंगे और हम आर्थिक स्थिति को सुधार कर देश को फिर से खड़ा करेंगे लेकिन जो नैगेटिव रोल इस समय कुछ दलों ने अपने सिर पर ले लिया है, वह इच्छी तरह समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके साथ सारे सहयोगी मित्र एकजुट हैं, यह सरकार पूरे पांच साल चलेगी चाहे आप कितना विरोध करें। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप पहले से विश्वासघात करके अलग-अलग हो चुके हैं। अटल जी और आडवाणी जी ने इतना अच्छा शासन दिया है कि आप उसकी तारीफ करिए। जम्मू-कश्मीर की स्थिति पहले से सुधरी है। सारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से सुधरी है। बिहार को छोड़ दिया जाए लेकिन बाकी जगह कुछ न कुछ सुधार हुए हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन के बाद काफी सुधार होने की गुंजाइश है। आज समय है जब सब लोग अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखें। अगर हम पहले छोटी-छोटी बातों पर राष्ट्रपति शासन का समर्थन करते रहे हैं तो इस समय इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद अगर हमने राष्ट्रपति शासन का विरोध किया तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इनको एंटी दलित और एंटी महिला कह कर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आखिर में फैसला लोग करेंगे और आपको उसका पता चल जाएगा।

जहां तक वाजपेयी जी के नेतृत्व का सवाल है, हमारी सरकार का सवाल है, हमने आपको एक साल में ऐसा शासन दिया जिस की तुलना किसी पिछले शासन से नहीं की जा सकती। वाजपेयी जी ने आपके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। वह सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वह सब के सहयोग से चलना चाहते हैं और देश का नाम और सम्मान सारे विश्व में ऊंचा करना चाहते हैं। आपका सहयोग होगा तो भी अच्छा होगा, नहीं होगा तो उसके बिना हम और हमारे सभी मित्र दल मिल कर शासन चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बिहार के अंदर जितनी घटनायें हुई हैं, आपके सामने उनका दोबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का समर्थन कर रहा हूं और आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप भी इसका समर्थन करें क्योंकि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का समर्थन नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि भविष्य में शायद ही किसी प्रदेश में आप लोगों को कोई सीट मिलेगी। न इस बात का कोई संकेत मिलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म नहीं होने देना चाहिये, महिलाओं और दलितों के खिलाफ कोई अपराध नहीं होने देना चाहिये।

सभापति जी, मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। माननीय वाजपेयी जी का जहां तक सवाल है, उन्होंने हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण रखे ...*(व्यवधान)* श्री लालू जी ने ऐसी बातें कही हैं और कहा कि रणवीर सेना से समता और बीजेपी का साथ है। अगर उनका कहना सही है तो मैं समझता हूं कि उनका और राबड़ी देवी की सरकार का हटना और भी जरूरी है क्योंकि अगर उन्हें पता है कि समता और बीजेपी का साथ है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, न गिरफ्तार कर रहे हैं और न आइडैंटिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सरकार का फेल्योर है और सरकार की असमर्थता और अयोग्यता इस बात से सिद्ध हो गई। अब लालू जी को बिना किसी आधार के दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिये।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या अयोग्यता पर सरकार चली जायेगी?

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : रणवीर सेना को कौन संरक्षण दे रहा है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। वे एंटी दलित नीति अपनाये हुये हैं। शंकरपुर बाथे में दलितों की हत्या के बाद कमीशन बनाया गया लेकिन उसकी रिपोर्ट तो दूर, उसको अभी तक आफिस तक नहीं दिया गया है यदि उसकी रिपोर्ट आती तो पता चल जाता कि कौन दोषी है। मैं यह समझ सकता हूं कि अगर सिद्धांत का सवाल बनाया तो भी यह सवाल है कि अगर धारा 356 संविधान में दी हुई है तो बिहार में वह लागू करने के लिये है, और यह धारा बिहार में ही लागू की जा सकती है। बिहार में जितने बड़े कांड हुये हैं, यदि आपने जरा सा भी एक्शन दिखाया होता तो यह स्थिति न बनती। पहले 60 दलित मारे गये, उसके बाद 21 मारे गये और फिर 11 दलितों की हत्या की गई। आप मुझे कोई भी दूसरा उदाहरण बताइये जिस राज्य में तीन सिटिंग एम.एल.ए. मारे गये हों। एक एम.एल.ए. तो पुलिस कस्टडी में अस्पताल में कत्ल किया गया और हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गये। ...*(व्यवधान)* क्या आप इन तीन हत्याओं को गंभीर मानते हैं या नहीं? यदि मानते हैं तो क्या एक्शन हुआ? किसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही हुई? श्री सोमनाथ बाबू यहां बैठे हुये हैं, एक एम.एल.ए. श्री अजीत सरकार तो उनकी पार्टी के थे। उनके एम.एल.ए. की हत्या हो गई और आज इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं लेकिन उनकी कौन-सी ऐसी मजबूरी है। क्या उनको इस तरह से करना चाहिये?

**अपराह्न 6.00 बजे**

मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* एक छोटी सी बात और मैं कहूंगा कि जहां तक सुन्दर सिंह भंडारी जी का सवाल है, उनके बारे में बहुत सारे अपशब्द वहां विधान सभा में बोले गए। बिहार में भी बोले गए और यहां भी बोले गए। मैं उसकी निन्दा करता हूं। राज्यपाल के बारे में इस तरह के शब्द बोलना और उनके प्रति अपमान की भाषा इस्तेमाल करना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर भंडारी जी ने कहा कि "मुझे आरएसएस का व्यक्ति होने पर गर्व हैं।" इस पर आपको बहुत आपत्ति है, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने 1963 में आर.एम.एस. के लोगों को 26 जनवरी की परेड में राजपथ पर शामिल किया था। यह इतिहास में केवल एक घटना है जिसमें, हम लोग जानते हैं कि आर.एस.एस. के लोगों को बुलाया गया और इसलिए उनकी देशभक्ति पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। उन्होंने देश के हर आंदोलन में भाग लिया है। यहां चंद्रशेखर जी बैठे हैं। वे जानते हैं कि जयप्रकाश जी के आंदोलन में हजारों लोग जेल गए थे। उन्होंने कभी किसी प्रकार से देश के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर अंगुली उठाई जा सके। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब शाम के छः बज चुके हैं। अगर सभा की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही का समय आगे बढ़ाया जाए।

**कुछ माननीय सदस्य** : एक घंटा बढ़ा दीजिए।

*[अनुवाद]*

**विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम)** : महोदय, चूंकि हम कल मतदान कराने का कार्य पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं और हमने, यदि मुझे कहने की इजाजत मिलें, इस मायने में एक कड़ा कदम उठाया है कि हम सब 'गैर सरकारी सदस्यों के कार्य' को स्थगित करने पर सहमत हो गए हैं, इसीलिए हमें लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अतः, मैं सदन से अनुरोध करता हूं और विचारार्थ यह प्रस्ताव रखता हूं कि हम शाम के 8 बजे, यदि नहीं तो कम से कम शाम 7.30 बजे तक बैठक करें क्योंकि वक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है केवल तभी, ऐसा हो सकता है। आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : क्या सभा की सहमति है कि सदन की कार्यवाही आठ बजे तक बढ़ाई जाए?

*[अनुवाद]*

**प्रो. पी.जे. कुरियन** : हम सदन की कार्यवाही शाम 8 बजे तक बढ़ाने पर सहमत है।

*[हिन्दी]*

**कई माननीय सदस्य** : ठीक है, ठीक है।

**सभापति महोदय** : सभा की सहमति है इसलिए सदन की कार्यवाही आठ बजे तक चलेगी। श्री कृष्ण लाल शर्मा अपना भाषण जारी रखें।

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : सभापति जी, अभी तक मैंने बिहार में राष्ट्रपति शासन के समर्थन में सारे तर्क रखे हैं। मैं समझता हूं कि इस पर सदन में गंभीरता से विचार होगा। जो काम एक साल में वाजपेयी जी की सरकार ने करके दिखाए हैं, उनका भी जिक्र मैंने किया। मैं आखिर में इतनी बात कहूंगा कि एक तरफ तो

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

आर.एल.एम. अपना कैम्पेन चलाए हुए है, पता नहीं इन्होंने आर.एल.एम. नाम क्यों रखा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा नाम रखा है या मेरे हिसाब से क्योंकि तीन शब्द बड़ी सावधानी से चुने हैं – आर शायद राबड़ी देवी जी के लिए, एल शायद लालू जी के लिए है और एम शायद मुलायम सिंह के लिए हैं। वह आर.एल.एम. राबड़ी देवी, लालू जी और मुलायम सिंह का दल बनकर रह गया है और इसकी कोई मान्यता किसी जगह नहीं है। वह इस देश में पहले ही शासन चलाकर अपनी साख खो चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वाजपेयी जी ने जो उदाहरण और आदर्श हमारे शासन रखे हैं, हमारी सरकार ने और सहयोगी दलों ने जो उदाहरण रखे हैं, उसके बारे में मैं अपनी बात एक शेर के साथ खत्म कर रहा हूं–

"अब जिसके जी में आए वो ही पाए रोशनी।
हमने तो दिल जलाकर सरे-आम रख दिया।"

**श्री लालू प्रसाद** (मधेपुरा) : सभापति महोदय, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सोमनाथ बाबू और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित बुजुर्ग नेताओं के भाषण मैंने सुने। माननीय सदस्य रीता वर्मा जी के भाषण को भी मैंने सुना, आगे भी सुनते रहेंगे। हम कोई आपके दुश्मन नहीं हैं। आपको याद होगा जब आप कुछ नहीं थीं तो मेरे कमरे में आई थीं, तकलीफ में थीं। आपके स्वर्गीय पति हमारे बड़े समर्थक थे, पटना यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्समैन थे, मैं जनरल सैक्रेटरी था और उनकी बहुत इज्जत करता था। उनके दाह-संस्कार में मैं हाजिर हुआ था। उन बातों को गिनाने और याद कराने की जरूरत नहीं है। आप बिहार की महिला हैं, संभ्रांत घर से आती हैं, आप तकलीफ में हैं। आप जिस पार्टी में बैठी हैं, उसका क्या सम्मान हुआ है, आपको पता है। अब आगे क्या सम्मान होना है, उस पचड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता।

सभापति महोदय, माननीय नेता विरोधी दल और सोमनाथ बाबू ने उन मूल बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की, जिनको आधार बनाकर बिहार में धारा 356 का इस्तेमाल किया गया और 18 महीने पुरानी राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त किया गया। मेरे ऊपर एलीगेशंस आये, मुकदमे थे, मैंने इस्तीफा दिया। वही दफा मेरे ऊपर है जो दफा माननीय आडवाणी जी ऊपर थी। आप देखें कि कांस्पिरेसी क्या है, सी.आर.पी.सी. एक्ट या जो भी है। हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम गरीबों, दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं। हमें विरासत में जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी के विचार मिले और उनसे प्रभावित होकर हम लोग राजनीति में आये। हमारे बाप-दादा राजनीति में नहीं थे। हमने बिहार में पहचान बनाई। लोग बोलते हैं लालू नाटकिया है। हमने पूरे देश में कहा कि हम भैंस चराये, गाय चराये, बकरी चराये, मजदूरी किये, जूता नहीं, चप्पल नहीं, खाना नहीं, नाश्ता नहीं – लोगों ने यह कहा कि ललुआ चरवाहा कहां से आ गया। हमने बिहार में गरीबों को एक्सट्रीमिस्ट्स बनने से रोकने का काम किया है। बड़े पैमाने पर 1970 से, बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन के बाद, बिहार को चुना गया। आडवाणी जी आपको मालूम होगा कि बिहार फ्यूडल स्टेट था, वहां मैन्टेलिटी है, फ्यूडलिज्म भरा हुआ है। सिर्फ भूमि का सवाल नहीं है, हमारी इज्जत का सवाल है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चाहे होली हो या कोई त्यौहार रहा हो। जातियों और फ्यूडलों के विषय में अंग्रेज जो गजेटीयर छोड़कर गये हैं, आप जरूर उसका अध्ययन करिये।

सभापति महोदय, बिहार के विषय में जो वर्णन उन्होंने किया है और जो रायबहादुर, लालबहादुर, सरबहादुर, खानबहादुर, मैं सभी के लिए नहीं कहता, यह पदवी किसने दी थी, किस काम के लिए दी थी और ये लोग आज कहां खड़े हैं, यह सबको मालूम है। मैं अल्पमत में आया था और मेरे शासन के पहले आपको मालूम होगा कि 1990 के पहले तक, ईद हो, बकरीद हो, दशहरा हो, कोई भी त्यौहार हो, जो त्यौहार सारे देश में खुशियां लाते, वहां बिहार में चारों तरफ दंगे ही दंगे होते, राइट ही राइट। हमारा बिहार देवताओं की भूमि, बिहार ऋषियों की भूमि, बिहार महर्षियों की भूमि, बापू की कर्मभूमि, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पवित्र भूमि, लेकिन हम दुनिया में चेहरा दिखाने लायक नहीं थे। हमने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के सामने मजबूती के साथ वायदा किया था कि खबरदार, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो, कोई भी बड़ी से बड़ी पार्टी क्यों न हो, अगर मेरे राज्य में दंगा करेगी, तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमने छोटी-छोटी जातियों के लोगों को बुलाया, गरीबों की रैली की।

सभापति महोदय, उस समय आडवाणी जी, आप पूरे भारत में रथ पर निकले थे। मेरे लिए बड़ी परेशानी थी। मैंने आपके घर पर आपसे बात की थी और आग्रह किया था कि बिहार को छोड़ दीजिए। बिहार में बड़ी मुश्किल से सद्भावना हमने कायम की है, लेकिन आप नहीं माने, मैं भी नहीं माना। मैं चाहता तो आपको बिहार में घुसने भी नहीं देता। रीता वर्मा जी के पति और अमानुल्ला जो अब एम्बैसेडर हैं। धनबाद तक आपको जाना था और धनबाद से नार्थ बिहार में आना था। मैंने कहा था कि आडवाणी जी को यही रोको। एक कारण और भी था। उसको मैं आपको बताना नहीं चाहता, नहीं, तो मैं आपको घुसने भी नहीं देता। वही फाइल, वही संचिका हमारे साथ है लालू यादव को कितना नीचे ले जाएंगे। चबन्नी नहीं, अठन्नी नहीं, खाना नहीं, नाश्ता नहीं, आप हमें और कितना नीचे ले जाएंगे? हमने और मुलायम सिंह ने बैक बैंचर की बात को उठाया। जय प्रकाश

नारायण ने टोटल रिवोल्यूशन का नारा दिया। किस के लिए यह आन्दोलन किया। उन वर्गों और तबकों के लिए जो सबसे पीछे थे, जो विकास की अंतिम सीढ़ी पर थे, उनको उठाने के लिए था। कल हमने इसी बात की चर्चा की थी, लेकिन आपके साथी समझ नहीं पाए। त्रिपाठी जी समझ नहीं पाए। जे.पी. आन्दोलन में ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग, सभी लोग थे, उन्होंने आह्वान किया कि नया देश बनाना है, नया बिहार बनाना है, नया समाज बनाना है, तो तो बेटो जनेऊ को फेंक दो इससे जातिवाद की बू आती है और लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया। उस आन्दोलन में हम भी थे आप भी थे। इमर्जेंसी बाद में आई। हम सब लोग थे, लेकिन जय प्रकाश बाबू के इस कार्यक्रम में ऊंची जाति के लोगों ने झगड़ा किया और रोकने का काम किया।

सभापति महोदय, जहां तक पिछड़े वर्गों की बात करनी है, तो मैं मानता हूं कि मिथिला की ब्राह्मण और राजपूत जातियों में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी गरीबी का बखान किया जाए, तो वह कम है। हमने सोश्यल जस्टिस की बात कही। हमने दबे, कुचले लोगों को ऊपर उठाने की बात कही। अगर नरसंहार का सिलसिला मैं पढ़कर बताऊं, तो उसका कोई अंत नहीं है। मैं उसको पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। आज राबड़ी देवी और लालू यादव को बुरा कह रहे हो और उनको जिम्मेदार बता रहे हो कि हमने जाति-पांति की भावना पैदा कर दी, मुलायम सिंह ने जाति-पांति पैदा कर दी। याद होगा भागलपुर रायट के मामले में आप भी इंडिक्टेड थे। जब हमने कार्रवाई शुरू की थी तब आप हाई कोर्ट से के.एस. द्विवेदी को, उन पदाधिकारियों की पहचान करने में हमसे भूल हो गई। श्री के.एस. द्विवेदी, जहां एक हजार लोग मारे गये थे। ...*(व्यवधान)*

**प्रो. रीता वर्मा** : सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। यह गलत बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आडवाणी जी का नाम ही नहीं है। श्री के.एस. द्विवेदी को भी सुप्रीम कोर्ट से एग्जोनरेट किया गया है। ...*(व्यवधान)* यह गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट है कि वे लोग दोषी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* यह गलत बयानी हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : बहन रीता जी, आडवाणी जी को कोर्ट ने रोका कि आप कार्यवाही अभी नहीं कर सकते हैं। पोलिटिकल पार्टी आडवाणी जी नहीं हैं। वे और लोग हैं। आप कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। श्री के.एस. द्विवेदी को पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आप बिना नोटिस दिये कार्यवाही नहीं कर सकते। माफ नहीं किया गया। हमारे पदाधिकारी जिन्होंने विलंब किया है। ...*(व्यवधान)*

**प्रो. रीता वर्मा** : मैंने पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट से वे एग्जोनरेट हुए हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। ...*(व्यवधान)* मैं कैसे नहीं मानूंगी? ...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट आप मानते हैं या नहीं मानते?

**श्री लालू प्रसाद** : मैं एक भी शब्द नहीं बोला था। आप बैठिये। ...*(व्यवधान)* क्या आप अपने बिहार की और आगे पहचान बनाना चाहती हो? लालू जी, रीता वर्मा जैसे लोग बिहार में पैदा हुए हैं। ...*(व्यवधान)* आप बैठिये। कम से कम आप बिहारी होने के नाते कुछ अंडरस्टैंडिंग करिये। मैं यह बताना चाहता था कि 1990 में जब अल्पमत में थे, नरसंहार की सूची और घोटालों की सूची, भूमि घोटाला, दवा घोटाला, पशुपालन घोटाला आदि कौन सा घोटाला कैसे हुआ, वह सब मैं आपको और सदन के माननीय सदस्यों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो हमने राष्ट्रपति जी को भी दिया है। बिहार में नरसंहार कब-कब हुए, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उन दिनों गई थी। यह जाति की बात नहीं है, इज्जत और मान सम्मान की बात है। गरीब का बेटा अगर बस के आगे केश झाड़कर निकलता है, वह दलित है, पिछड़ा है तो उसके कान ऐंठो और थप्पड़ मारो - साले तुम्हारी हिम्मत बस में बैठने की कैसे हुई, तुम पीछे बैठो। लालू यादव आये, बोले जागो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जीने का ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : यह बयान सही नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : आपको बोलना है?

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : हां, बोलना है।

**श्री लालू प्रसाद** : हम भुक्तभोगी हैं। फुलवरियां गांव में क्या हुआ, वह आपको मालूम नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप बैठिये। बिहार के गरीबों को जगाया। नौ साल मेरा और राबड़ी देवी का मिला-जुला शासन रहा। जिसके बारे में आपने कहा कि लालू जी जेल नहीं गये हैं, वे जेल से ही शासन चला रहे हैं, रिमोट से शासन चला रहे हैं। ललुआ हो गया, कमाल हो गया, बड़ा खराब हो गया क्योंकि हम संभ्रांत घर के लोग नहीं हैं। दस बाई दस वाले रूम में नहीं रहते हैं। वेटरिनेटरी कालेज में हमने जीवन बिताया और बच्चों को भी उसी में रखा। वहीं से हम चार महीने के बाद मुख्यमंत्री बने।

21 नवम्बर, 1971 को पूर्णियां, चंदवा में 14 आदिवासी मारे गये। 1977 में भोजपुर, धर्मपुरा में चार दलित मारे गये। 1977 में पटना के बेलच्छी, भूमि सेना, नीतीश जी यहां नहीं बैठे हैं, उन्हें

[श्री लालू प्रसाद]

जवाब देना पड़ेगा। उनकी समता पार्टी के एम.एल.ए. श्री अरूण चौधरी भले हो कोर्ट से बाद में छूट गये हों। श्रीमती इंदिरा गांधी और अन्य लोग वहां गये थे। बेलच्छी में 14 दलित बूचड़ किये गये थे। भोजपुर धर्मपुरा में चार दलित मारे गये। 1979 में रोहतास के समझौता में चार दलित, पटना पिपरा में भूमि सेना ने 11, पिपरा में 14 दलित मारे गये, 1981 में जहानाबाद परसबीघा में 11 दलित मारे गये। 1984 में रोहतास जिले के परसबीघा में 5 दलित मारे गए, 1985 में मुंगेर लक्ष्मीपुर में 12 अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लोग मारे गए, 1986 में औरंगाबाद ...*(व्यवधान)* जो बात हैं मैं बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)* 17 अत्यन्त पिछड़े लोग मारे गए। औरंगाबाद दरमिया में 11 सवर्ण जाति के लोग मारे गए, 1987 में औरंगाबाद के दलहईचक, बघौरा में 56 राजपूतों को बूचड़ किया गया। ...*(व्यवधान)* कौन मारा है, आपको समझना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* जहानाबाद के नौनीह नगवा में 19 दलित मारे गए, जहानाबाद के दमहुआ, खगड़ी में 11 दलित मारे गए, 1988 में जहानाबाद के गोलकपुर में 4 दलित मारे गए, 1988 में जहानाबाद, कोडरिया में 7 दलित मारे गए, 1989 में रोहतास के तिजोरपुर में 6 सवर्ण जाति के लोग मारे गए, 1989 में जहानाबाद मालीबीघा में 5 अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लोग मारे गए, 1990 में रोहतास के केसरी में 10 दलित लोग मारे गए, जहानाबाद लखवार में 5 दलित मारे गए 1990 में पटना के दरियापुर में 4 दलित मारे गए, पटना की ठोरा में 14 दलित मारे गए, पलामू में जबरिया में 11 दलित मारे गए, भोजपुर देवसिया में 14 दलित मारे गए, जहानाबाद सावनबीघा में जिस राह में गांव नारायणपुर है, वहां पहले भी 3 आदमी मारे गए, जहानाबाद, मेन बरसीमा में 9 दलित मारे गए, पटना, कगरबीघा में 4 दलित मारे गए, ...*(व्यवधान)*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरी) : सभापति जी, यह सुनने के लिए यदि सदन में श्री पवार होते तो अच्छा होता। ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हजारों वर्षों ...*(व्यवधान)* मैं सबके शासन की बात करता हूं। ...*(व्यवधान)* एक तरफ गरीबों की इज्जत और सम्मान, भूमि का सवाल है। लोगों ने मेरे शासन में ही नहीं, पैरलल कोड बना लिया है। अहिंसा के रास्ते को बिहार ही नहीं, जिस बाबू को आप तलाश रहे हैं, आंध्रा पीपल्स ग्रुप, पूरा लिंक है, वहां से ट्रेनर्स आते हैं। जब मैं मुख्य मंत्री था तो होम मिनिस्टर ने बुलाया था। बात हुई थी कि भारत सरकार गतिविधियों की मौनीटरिंग करे, ऐक्सट्रीमिस्ट्स के मूवमेंट को देखने के लिए। हजारों वर्ष हो गए, जिनको इंसाफ नहीं मिला, इज्जत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, खेत नहीं, खलिहान नहीं, उन्हें राज्य सरकार ने लाखों एकड़ जमीन बांटी है। लालू यादव ने ऐलान किया था कि खबरदार, अगर एक भी गरीब बेदखल हुआ तो मैं मानूंगा कि गरीब बेदखल नहीं हुआ, लालू यादव की सरकार बेदखल हो गई। एक तरफ ऐक्सट्रीमिस्ट्स बोलते हैं कि लालू यादव यादव है, पिछड़ा मास उसके साथ है। ऐक्सट्रीमिस्ट्स लोग अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं सभी जातियों की बात नहीं कहता, लालू यादव नहीं, एक किताब है। क्या हुआ है बिहार में, एक षडयंत्र कौन्सपीरेस के तहत हुआ है। जो नेता विरोधी दल ने कहा, सारा देश जानता है। आपने कह दिया कि लालू यादव के शासन से मुक्ति दिलाएंगे समता, बी.जे.पी.।

**अपराह्न 6.25 बजे**

**[श्री के. येरननायडू *पीठासीन* हुए]**

अकेले समता पार्टी नहीं है, कांग्रेस का वोट गया, बी.जे.पी. का वोट पहले शहरों तक सीमित था, कांग्रेस के जो वोट थे, वे आपके पास शिफ्ट कर गये। जिसको आपने खुद कहा, हमारे पडरौना के एम.पी. साहब राम नगीना मिश्र जी नहीं हैं, उन्होंने कल कहा था कि लालू यादव ने कहा था कि भूराबाल साफ करो। हमने कहीं कहा था, कैसे-कैसे हमारे साथ अन्याय होता रहा। सवर्ण जाति के लोगों से कैसे हमको अलग-थलग करके घृणा का वातावरण पैदा किया गया।

यह नरसंहार और भूमि का सवाल है, आडवाणी जी यहां बैठे हुए हैं। यह लड़ाई, क्रोनिक डिसीज़ है। आन्ध्र प्रदेश में आप देखें, चारों तरफ देखें। इसीलिए मैंने एन.डी.सी. की मीटिंग में कहा था कि जब तक इस देश में आप ईमानदारी से तय नहीं करेंगे, आपकी पार्टी आये या नहीं। मैंने कहा कि आप लैंड टू दि टिलर कर दीजिए, जो जमीन को जोते-बोये, वह जमीन का मालिक हो तो जाति टूटेगी और लैंडोर्ड हटेगा। आप इसको ले लीजिए, आज आप पूरी मजबूती से इस कानून को बनाइये। हमारे सारे दल इस कानून को बनाने में आपका साथ देंगे। कितने लोग गरीब, दबे-कुचले लोगों के पीछे खड़े होते है, यह पर्दा खुल जायेगा। हमारा रिकार्ड है, हमारा अभिलेख है, हमने एन.डी.सी. की मीटिंग में कहा था कि भू-स्वामियों को लैंड के मामले में राज्य हैल्पलैस हो जाता है, पंगु हो जाता है। इसमें रिट का जूरिस्डिक्शन नहीं रहना चाहिए। कोर्ट क्या कर रहा हैं, हर्ड स्टे, हर्ड स्टे, इसमें समय लगता है। आज कितनी जमीन इसके कारण लिटिगेशन में है। हजारों एकड़ जमीन है, जो रुकी हुई हैं, इसलिए आप लैंड के मामले को नाइंथ शैड्यूल में डालिये, लैंड टू दि टिलर करिये।

कहां हम अमेरिका के पास घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, इकोनोमिक सैंक्शन के लिए। जसवन्त बाबू ने अमेरिका से बात की, आपने उनको भेजा कि बात करो, निगोसिएशन करो, कार्डियल रिलेशंस बनाओ। लेकिन हमने यह भी सुना है कि विकास के

लिए जो वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता था, वह भी बन्द कर दिया गया। यह षड़यंत्र हमारे साथ हो रहा है। लालू यादव जेल जाने से भी जनता में नहीं मर रहा है, राबड़ी देवी नहीं मर रही है। हम गये थे, हम दोबारा जेल गये थे, लेकिन फिर भी चारों सीट वहां जीतीं। वहां अजीत सरकार जी थे, सी.पी.एम. का हम लोगों ने समर्थन किया। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ब्रज बिहारी जी की हत्या हुई, उनका भाई जीता, मैं जेल में था। रघुनाथ झा समता पार्टी के अध्यक्ष थे, शिवहर में कौन हारा था? आप वनांचल की बात कर रही हैं, यहां जसवन्त बाबू नहीं हैं, आपने साउथ बिहार में, कोडरमा में ललकारा, यही परीक्षा है, कहा कि बिहार बंटेगा, बी.जे.पी. को जिता दो, और कोडरमा की जनता ने, वनांचल की जनता ने आपको पराजित करके आर.जे.डी. को, लालू यादव की अनुपस्थिति में जिताने का काम किया। वहां हम 22 हजार वोटों से जीते।

**श्री शंकर प्रसाद जायसवाल** (वाराणसी) : फिर ब्रज बिहारी जी की हत्या की जांच की मांग आपने क्यों ठुकरा दी?

**श्री लालू प्रसाद** : आप बैठिये। यह आपकी षड़यंत्र की किताब है, जो वाटर गेट काण्ड हुआ था, उससे भी भयानक आपने काम किया, उससे आप बच नहीं सकते। समता पार्टी बोली कि डिसमिस करये, नहीं तो समर्थन वापस ले लेंगे। बी.जे.पी. का मेमोरेण्डम का जितना पुलिन्दा था, एक मिशन के तहत महामहिम राज्यपाल महोदय को आपने वहां भेजा। राबड़ी देवी से इस बारे में राय नहीं ली। मैं आपसे बात नहीं कर सकता था, मैं बगल में बैठा था, मैंने कहा कि आप आडवाणी जी को फोन करो। आज भी भंडारी साहब वही हैं, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को तबाह किया था। भंडारी जी नहीं, पैनल में नाम मांगो, पूछो, कहो कि 4-5 नाम भेजिये, हम उसमें अपनी राय देंगे। वाजपेयी जी से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि बहुत भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, कोई नुकसान करने वाले नहीं हैं। इस तरह मीठा-मीठा बोलकर गर्दन काटने का आपने काम किया। यह यहां पर सुप्रीम कोर्ट का वैल सैटल्ड जजमेंट है। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लेना। आपने मस्जिद तोड़ी, तब बी.जे.पी. की सरकार बर्खास्त हुई, वह उचित था।

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : लालू जी एक मिनट, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप यह साबित कर दें कि अयोध्या में जो ढांचा गिरा, वह मस्जिद था तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना आप छोड़ देना। पहले आप यह साबित करें कि वहां मस्जिद थी। सारी दुनिया में अपने देश को बदनाम करने के लिए यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। मंदिर गिरे होंगे, लेकिन मस्जिद कभी नहीं गिरी ...*(व्यवधान)*

**श्री कांति लाल भूरिया** : आपके शब्दों में ढांचा था तो क्यों गिराया?

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : हमने नहीं गिराया। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : श्री शर्मा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : पहले यह साबित करें कि वह मस्जिद थी।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (मिदनापुर) : शर्मा जी जरा सुनिए, मस्जिद नहीं थी, धर्म स्थान नहीं था, खुदा का घर नहीं था तो क्यों आपने तोड़ा?

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : हमने नहीं तोड़ा।

**श्री लालू प्रसाद** : मैं यह बता रहा था कि आपने चुनाव घोषणा पत्र में उन मतदाताओं को कहा जो बराबर फ्लोट करते रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कि लालू यादव से मुक्ति दिला देंगे। हमारा कसूर क्या था, यही कि हमने कहा था कि पोलो-टेक्नीक में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और पंचायत में आरक्षण लागू करेंगे। जैसा विरोधी दल के नेता ने भी कहा, तो मेरा कसूर यही था कि आन दि बेसिज आफ पापुलेशन कास्ट, जब 73वां संशोधन हुआ, 99 प्रतिशत पंचायत, बैकवर्ड क्लासेज, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. को लीगल आरक्षण होगा। दिल्ली मे डीलिमिटेशन हो गया। न्यायिक कार्मिक प्रशासन को अधिकार दिया गया, पावर का विकेन्द्रीकरण किया गया। मजदूर, टीचर अगर ड्यूटी पर नहीं आता है तो पंचायत सभा को अधिकार है कि उसको डिसमिस कर दे। ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है। आप कानून मंगाकर देख सकते हैं, हमने ब्लाक स्तर पर जो ब्लाक प्रमुख होगा, बी.डी.ओ. तक को सस्पेंड करने का, डिसमिस करने का अधिकार दिया था।

**डा. विजय सोनकर शास्त्री** : इन्होंने तो चुनाव ही नहीं कराए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यगण, कृपया उनकी बात सुनिए। मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। आपको जब अवसर मिले तो जो चाहें वह कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री लालू, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

*...(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : महोदय, मैं देख रहा हूं कि आप कैसे सदन का संचालन कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

यह हाई कोर्ट में डीलिमिटेशन हुआ। बैलेट बक्सा खरीदा गया, पर्चा छप गया, पेपर छप गया और बी.जे.पी. के लोग हाई कोर्ट में चले गए कि लालू यादव ने पिछड़े, गरीब और दलितों को पंचायत से भी भगा दिया। हाई कोर्ट ने हमारे उस एक्ट को रोक दिया। अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं। पूरे देश को सामाजिक न्याय का नारा देने वाली सरकार को उसने नोटिस देकर पूछा है। हम प्रार्थना करते रहे कि काम करने के लिए पुराने मुखिया को ही रिस्टोर कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कि कलैक्टर और बी.डी.ओ. ही रहेंगे। इस तरह की गलत अनुशंसा, प्रिजुडिस्ड, बदले की भावना से, बिना डैप्थ में गए हुए आपने राष्ट्रपति जी को भेज दी कि यह कांस्टीट्यूशनल ब्रेक-डाउन है। बाबू वी.पी. सिंह जी बिहार में जज हैं, अच्छे ईमानदार आदमी हैं, और वी.पी. सिंह जी के यहां वर्षों से एक पब्लिक लिटिगेशन पैटीशन पैंडिंग है जो किन्हीं मुखर्जी साहब ने दी है। मुखर्जी साहब को आशा है कि पटना को सिंगापुर बना दिया जाए। पटना शहर नहीं है, पटना गांव है। बिहार मैट्रोपोलिटन सिटी नहीं है। वहां गली में गली और झोंपड़ी में झोंपड़ी हैं। थोड़ा सा जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, वही नया कंस्ट्रक्शन है जहां राज्यपाल वगैरह रहते हैं, बाकी तो गांव है। उन्होंने कहा कि यहां गाय का गोबर महक रहा है, महकने से मतलब बैड स्मैल है। ऐसा उन्होंने पैटीशन में कहा और यहां पर हमारा सी.पी. ठाकुर जी से बड़ा झगड़ा हुआ, वह इसी कारण हारते रहे। उन्होंने कह दिया कि गोबर से डेंगू मच्छर पैदा होता है। आप जिस हिन्दू धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, हमने कहा कि आपको गोबर से महक आती है, अरे यह गोबर तो शादी-ब्याह में हिन्दू लोगों के लिए "गाय के गोबर से महादेव ने चौका लीपा" महादेव अर्थात् शंकर जी गौरी गनै - गोबर का ढेर उस पर रखा जाता है क्योंकि वजन ज्यादा होता है। ये संभ्रांत लोग गोबर का मर्म नहीं जानते हैं। गोबर हमारा ओढ़ना-बिछौना है। गाय का मूत पीने से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। आजकल तो अपना मूत लोग पी रहे हैं और ये लोग बोलते हैं कि यहां से गाय और भैंस को हटाओ। *...(व्यवधान)*

आपके आन्ध्र से मछली, अंडा आता है। आन्ध्र से हमारे मार्केट में पचास-सौ ट्रक आते हैं। मुखर्जी साहब ने कहा कि यहां ट्रक नहीं लगने चाहिए। मैं उस समय जेल में था। फिर ट्रक कहां लगेंगे, दानापुर में लगेंगे। बाई-पास में चारों तरफ इतने ट्रक लगने लगे कि पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। फिर जज साहब ने कहा कि इतने बजे से इतने बजे तक ट्रक लगेंगे और आपने बोल दिया कि वहां जंगल राज है। वहां जंगल राज नहीं है, वहां मंगल राज है। वह बिहार है और बिहार को जिसने भी छेड़ा है, दिल्ली में परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। बिहार में जाकर आप लोग क्या-क्या बोलते हैं। वहीं जैन संत हुए हैं, वहीं भगवान बुद्ध भी हुए हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिली तो उन्हें हमारे यहां पेड़ के नीचे जगह मिली। उस बिहार को आप जंगल राज बोलते हैं। शर्मा जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपने भी कहा कि बिहार के विषय में लोग बोलते हैं कि वह इतना साधन-सम्पन्न है। बिहार तो धनी है पर बिहारी गरीब है। यह हमारा अपमान है। क्या आपने इस चीज को समझा? वहां लोहा, कोयला, लिग्नाइट, आइरन दक्षिण बिहार में हैं तो हम बिहार के मालिक हैं। यशवंत बाबू जी कहां हैं? आपने कह दिया कि वहां मिसमैनेजमैंट है, पॉवर्टी है। हमारे समता पार्टी के छोटे भाई दिग्विजय जी बोल रहे है कि बिहार से चार करोड़ मजदूर बाहर भाग गए। जहां माइनस एंड मिरल्स रेगुलेशन एक्ट हैं, वहां हमारी पूरी बैल्ट है, उसका मालिक दिल्ली बन गया। अब कोयला डिपार्टमेंट ने रायल्टी 800 रुपए तय कर दिया हैं। इसको लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहे हैं और कहते रहे हैं कि इसके एड्‌वलोरम करो। आपने बिहार को कन्ज्यूमर बना दिया है। आजादी के पचास साल के बाद भी बिहार में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने एक पैसा भी खर्च किया हो, तो बता दीजिए। नहीं तो जो देश सजा देना चाहे, वह मैं भोगने के लिए तैयार हूं। हमारा कोयला, हमारा लोहा और हम बाल्टी कन्ज्यूम कर रहे हैं, कपड़ा कन्ज्यूम कर रहे हैं, मैडिसिन कन्ज्यूम कर रहे हैं। बिहार की नौ करोड़ जनता बाजार बनी हुई है और दोष लालू-राबड़ी देवी को दे रहे है। हम दोषी नहीं हैं। पी.वी. नरसिंह राव जी के समय हमने कहा था, फ्रैट इक्विलाइजेशन पालिसी आन स्टील को एबालिश करो। हम को गाली देते हैं कि महुवा चलो, नोएडा चलो। हमारे लोहे से साइकिल चंडीगढ़ में बनती है, लेकिन अकाली दल के बादल जी कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि गुरुगोविन्द जी की जन्मस्थली है बिहार। हम साइकिल कन्ज्यूम कर रहे हैं, लालटेन कन्ज्यूम कर रहे हैं। हम बाजार बने हुए हैं और कुदरत ने हमको माइन्स दी हैं। हमारा उत्तर बिहार बैस्ट फर्टाइल लैंड है। गंगा मैया हमारी राष्ट्रीय नदी है। बिहार को दो भागों में करती है। हर साल इरोजन और वाटरलोगिंग देखिए। बिहार में अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। नेपाल से बूढ़ी गंडक के रूप में बागमती हर साल वाटरलोगिंग कर [illegible] रेलों, पुलियों और अन्य चीजों को ध्वस्त करती हैं। हम

चिल्लाते रहे, क्या राबड़ी देवी ने कभी आपसे प्रार्थना नहीं की - प्रधान मंत्री जी। हमारी मदद करिए, हमारा उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रस्त है। आप जाकर उत्तर प्रदेश में इतने करोड़ और फलाना जगह इतने करोड़ तथा बंगाल और बिहार में 60-70 करोड़ रुपए देने की बात कहते हैं, लेकिन पैसा एक भी नहीं मिला। ...*(व्यवधान)* गुजरात को भी नहीं मिला। आप भारी चले हैं, हमसे हिसाब लेने के लिए। बिहार में कोई इंसीडेंट नहीं है, रोपनी, कोरनी, धनकटनी और पिटनी, मध्य बिहार में हम लोग एलर्ट रहे। कहीं झगड़ा नहीं था। पूंछ में आग लगाकर जला डालते हैं, धान काटिए और जमा करिए। एक्सट्रीमिस्ट जलाकर राख कर देंगे। हमने जाकर डिस्प्यूट को सैटल किया। तीन पोलिटकल मर्डर करें, लेकिन लालू जेल में था। हमारे दो-तीन-पांच साल के बच्चे और हमारी बहनें, लेकिन वहां पर कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं। लेकिन पूरे बिहार को डिसलॉग करने की कोशिश हो रही है और लालू प्रसाद जेल में। हमने कार्यवाही की थी, हमने जो कार्यवाही करनी है, वह करेंगे छोड़ेंगे नहीं। यह वर्चस्व की लड़ाई है। इस विषय पर सभी पार्टियों के लीडर को बुलाकर बात करने के लिए आपको कुछ लेना-देना नहीं है।

मेरे हाथ में राज्यपाल महोदय की यह डाक्ट्रेट रिपोर्ट है, अनुशंसा है। यह भारतीय जनता पार्टी की किताब दिल्ली से रिलीज हुई, जिसमें कहा गया कि भूराबाल साफ करो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उनका आदर करता हूं। आन्दोलन के दिनों में मेरे साथ रहे, जिन्होंने यह रिलीज किया है। मैं कहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। एक-एक बिन्दू को होम मिनिस्टिर साहब आपने पढ़ा है। मैं विस्तार से क्राइम मेटर में नहीं जाना चाहता हूं। विरोधी दल नेता ने कहा कि मेरे पास दस्तावेज हैं। यह किताब 20.10.98 को रिलीज हुई और मूल्य पांच रुपये है। भारतीय जनता पार्टी प्रकाशन संख्या एच-1098, केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली और दूरभाष तीनों आपको पता है। मुद्रक पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है - लालू-राबड़ी राज खत्म करो। क्या बोली बोल रहे हैं। एक्स्ट्रीमिस्ट बोलता है, नौ इंच, छः इंच खत्म करो और आप बोलते हैं, लालू-राबड़ी खत्म करो। इसमें विस्तार से लिखा है और लिखते-लिखते एक अखबार का भी हवाला दिया है। वही अनुशंसा है, आप देख लीजिए। धरातल की बात नहीं, जो आपके मन की विकृति है, बदले की भावना है, सोशल जस्टिस पर हमला है, माइनोरिटी पर हमला है और बिहार जो दुर्ग बना हुआ है उसे अपना लक्ष्य बना कर रखा है। इसमें उसने आगे जाकर क्या कहा, उस पत्रकार को बोलिए, उनको बुला लीजिए, बाकी बात को सभी माननीय सदस्यों को मैं फोटो कॉपी कराकर कल दे दूंगा। इसमें इन्होंने कहा और उद्धरण किया। गृह मंत्री जी, न्यूज टाइम का सम्पादकीय केन्द्रीय शासन लागू हो, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, उसका हिन्दी अनुवाद है। उन्होंने इतना पोरशन अंग्रेजी में नहीं लिखा था। जिन्होंने लिखा है उन्होंने यह जोड़ दिया - भूमिहारों ने भूमिहीनों की गर्दन दबोच रखी है, जागीर बना कर बांट दिया गया और वे नक्सलपंथी बन गए हैं। भूस्वामियों की कुख्यात रणवीर सेना जैसी निजी सेनाएं भूमिहीनों का नरसंहार करती हैं। भूमिहार भाइयों के प्रति बहुत आदर है। बिहार में हमारे कल्पनाथ जी भूमिहार हैं। सी.पी. ठाकुर जी, आपके होम सैक्रट्री साहब, पांडेय जी, उनकी पत्नी, हम भूमिहार बोल रहे हैं, न ब्राह्मण, न ठाकुर, भूमिहार लोग ऊंजी जाति में आते हैं। यह किताब है। चौबे जी यहां बैठे हैं, जनार्दन यादव जी राज्य सभा के मेम्बर हैं। श्री ताराखंड झा, जो पहले अध्यक्ष थे, यशोदा नंद सिंह जी, कामेश्वर पासवान जी दलित की बात कर रहे हैं वह आपके मजबूत आदमी थे। चार-पांच लोगों ने कहा कि तुमने क्यों लिख दिया, अब तो हम लोग साफ हो गए। कैलाशपति मिश्रा जी को वहां बैठा दिया ताकि भूमिहार भाई नाराज न हो जाएं। दो-तीन आदमियों को निकाल कर बाहर कर दिया और यह घटना बड़ी सोच-समझ कर कराई गई, तीनों जगह पोलिटीकल मर्डर हुआ। प्रमोद महजान जी ने क्या कहा, जब राष्ट्रपति जी ने लौटा दिया, तो उन्होंने कहा कि लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। फिर जब दबाव पड़ेगा तो बोलेंगे कि हम पासिंग रेफरेंस में बोलते हैं। उन्होंने जो बोला वह हम पढ़ कर सुनाते हैं - पितृ पक्ष के बाद हम लोग उपाय कर देंगे। पितृ पक्ष में वही है, सारे हिन्दुओं के दैवी-देवता, पुरखा, हम लोगों के माता-पिता की आत्मा विष्णुपद में, गया में रहती है। पितृ पक्ष में जाकर पिंडा डाला जाता है, जो लोग नहीं समझ पाते उनको बता रहा हूं। राष्ट्रपति जी ने जब उसे लौटा दिया तो प्रमोद महाजन जी क्या बोले।

*[अनुवाद]*

"भा.ज.पा. इसे पिछले छह महीनों से देख रही है। पितृपक्ष समाप्त हो जाने दीजिए। हम राबड़ी सरकार को हटाने का पुण्य कार्य शुरू करेंगे - महाजन ने एक बैठक में सोल्लास कहा था।"

*[हिन्दी]*

सैक्रेड टास्क क्या है कि लालू-राबड़ी को खत्म करो। रहने वाले हम ही हैं वहां। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी ने आपकी चोरी पकड़ी। आप रणवीर सेना की बात सुन लीजिए। उन्होंने हमारे लिए कहा कि किसान विरोधी सरकार के जुल्म, जातिवादी अफसरान के खिलाफ, क्रांति के स्वर को तेज करो। हमने उसको बैन किया था लेकिन फिर उन्होंने संगठन बनाया और हमको और सरकार को गालियां दीं। हमारे विषय में बोलते हैं कि सामंतों को खत्म करो।

[श्री लालू प्रसाद]

कहते हैं कि लालू भाषण देते होते मस्त, हत्या लूट ऐसी मचाओ कि शासन हो जाए पस्त। ये है किसानों का भाई रणवीर सेना। हमने असैम्बली में बोला है, अमीर दास का कमीशन नैतिक है, सर्कूलर दिया है। इन लोगों ने चैलेंज किया, अमीर दास जी जांच करें। ठीक है, उसमें विलम्ब हुआ, लेकिन जिन्होंने विलम्ब किया, उन पर कार्यवाही होगी, यह हमने कहा, लेकिन तब तक आपने हमें डिसमिस कर दिया।

**डा. मदन प्रसाद जायसवाल** : आपके समय में छोड़ा गया है। उनका लीडर पकड़ा गया और आपने छोड़ दिया।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया टोकिए मत।

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद** : जायसवाल जी, किडनेपिंग का गुरू आप ही बेतिया से हैं। बेतिया से शुरू हुआ, उसका लीडर आप ही हैं।

**डा. मदन प्रसाद जायसवाल** : आपने तो एक दिन मुझे भी कहा था कि आपको उठवा लेंगे।

**श्री लालू प्रसाद** : हमने कहा था कि किस दल में फंसे हो, यहां आ जाओ, नहीं आओगे तो आपका उठा लेंगे। अब तो आप उठाने के लायक भी नहीं रह गये हैं। मैं पढ़कर बता रहा हूं, बाद में किसी को चाहिएगा तो दे दूंगा। रणवीर सेना का जो परमेश्वर है। सेना में अगर आदमी है तो सेना से भी हथियार जा रहा है, बिजनैस में है तो बिजनैस से जा रहा है, किसी सेवा में है तो रणवीर सेना को फंडिंग और हर तरह की मदद जा रही है। उन्होंने 16 फरवरी 1998 को होने वाले आम चुनाव के बारे में सारे मित्रों को लिखा है कि अपने संगठन राष्ट्रवादी किसान महासभा और देश को ध्यान में रखते हुए आरा संसदीय क्षेत्र से भाजपा-समता के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया गया है। इस चुनाव में आपसे अनुरोध है कि आप सभी बंधुगण सभी प्रकार की वैमनस्यता को भुलाकर कल दिनांक 16 फरवरी 1998 को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदान करने का कष्ट करेंगे। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने मत का प्रयोग सोच-समझकर अनिवार्य रूप से करें। भाजपा-समता को वोट दें। यह इनके विचार हैं। सब इन कागजों में लिखा हैं।

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी)** : इन कागजों को सदन के पटल पर रखा जाए। माननीय सांसद गलत बात कह रहे हैं। ऐसा कहां लिखा है? यह इसे खुद बना कर लाए हैं।

**श्री लालू प्रसाद** : राज्यपाल महोदय ने तथ्य से परे की बातें लिखी हैं। यह असत्य का पुलिंदा है। ...*(व्यवधान)* आप इसकी जांच करा लीजिए। ...*(व्यवधान)* इसमें दस्तखत हैं। ...*(व्यवधान)* सरकार की स्पैशल ब्रांच ने बिहार में जिसे जब्त किया है, मैं वह कागज दे रहा हूं। जाली लोगों को सब बात जाली समझ आती हैं। ...*(व्यवधान)*

यह कहना कि वित्तीय प्रबन्धन पूर्णत: चौटालाग्रस्त हो गया है, बिल्कुल असत्य है तथा दुर्भावना से प्रेरित है। वस्तु स्थिति इसके ठीक विपरीत है। वित्तीय प्रबन्धन को काफी चुस्त-दुरुस्त किया गया है। कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। लगभग आधे कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। वेतन निकासी भी आवंटन पर आधारित कर दी गई है ताकि अधिक निकासी को कवर-अप करने का स्कोप न रहे। सरकार ने लेखा-जोखा पर प्रभावकारी नियंत्रण की दृष्टि से एकाउन्ट्स सर्विस गठित करने का वित्त विभाग ने निर्णय लिया था। लेखा-जोखा रखने में कीर्तिमान स्थापित किया गया है। सारे कोषागारों द्वारा हर माह का लेखा-जोखा अगले माह महालेखाकार को भेजा गया। मुख्य महालेखाकार ने जनवरी 1999 में वित्त मंत्री से भेंट कर राज्य सरकार की इसके लिए मुक्त कंठ से सराहना की।

धन के दुरुपयोग होने की बात निराधार है। कहीं कोई शिकायत मिलने पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। चालू वर्ष में योजना आवंटन में काट-छांट करने के लिए पूर्णत: केन्द्र दोषी है। योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केन्द्रीय सहायता में 800 करोड़ रुपए की कमी होगी। इसके अतिरिक्त 183 करोड़ रुपए की राशि कोयले पर रायल्टी में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली थी। प्रति तीन वर्ष पर रायल्टी का पुनरीक्षण किया जाता है। कोयले की रायल्टी के पुनरीक्षण के पूर्व इसके लिए केन्द्र ने एक अध्ययन दल गठित किया था जिसका प्रतिवेदन वर्ष 1997 में ही कोयला मंत्रालय को प्राप्त हो गया था लेकिन केन्द्र द्वारा आज तक कोयले की रायल्टी का पुनरीक्षण नहीं किया गया जिसके चलते राज्य सरकार को अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष की अप्रत्याशित बाढ़ के कारण राज्य सरकार को इसका प्रभावकारी ढंग से मुकाबला करने के लिए 109 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि से अग्रिम रूप से लेने पड़े। केन्द्र ने इस मद में कोई विशेष अनुदान नहीं दिया। राज्य सरकार को अपने ही साधन स्रोत से अभूतपूर्व बाढ़ का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को लगभग 250 करोड़ रुपए अंतरिम राहत के रूप में भुगतान करना पड़ा क्योंकि फिटमैंट कमेटी की रिपोर्ट आने में विलम्ब हुआ। इन सब कारणों से राज्य योजना के आकार में कमी होना स्वाभाविक है।

तनख्वाह बढ़ने से राज्यों के ऊपर कहर पड़ रहा है। कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। सब जगह हड़ताल हो रही है। रिटायरमैंट की उम्र दो साल बढ़ा दी। ऐसा करके बेरोजगारों के पेट में लात मारी। इतना होने पर भी बिहार सरकार ओवर-ड्राफ्ट में नहीं है। हम अन्न और खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। हम अनाज किसी से नहीं मांगते। कहा जाता है कि मजदूर पंजाब जा रहे हैं। पंजाब के किसान जब बिजनस में चले गए तो हमने बिहार के मजदूरों को कहा कि पंजाब में जाओ और वहां मजदूरी करो, सारे खेत अपने नाम लिखवा लो। हम पंजाब तक पहुंचे हैं। यह कहते हैं कि मजदूर पंजाब चले गए। बिहार के लोगों ने मारिशस और सूरीनाम में अपना देश बना लिया। ...*(व्यवधान)*

**श्री दिग्विजय सिंह** (बांदा) : हमने बहुत गम्भीरता से इस बात को उठाया है। वे लोग गरीबी में मारिशस गए थे और आज गरीबी में पजाब और हरियाणा जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : आप इस बारे में नहीं जानते। वह अमेरिका जा रहे हैं। आज चारों तरफ बिहार हैं। महाराष्ट्र सरकार बिहार के मजदूरों को वहां से भगाना चाहती है। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में ठाकरे जी की पार्टी बिहार वासियों को और मुसलमानों को वहां से भगाना चाहती है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : महोदय, इन्हें बिना सबूत के नहीं बोलना चाहिए। इन्हें सबूत लाना चाहिए।

**सायं 7.00 बजे**

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : सभापति महोदय, जिनको अपने राज्य में खाने को नहीं मिलेगा, भूखे होंगे, वे गांव छोड़कर जायेंगे। मजदूर भूखा है तो खाने की तलाश में बाहर जायेगा। बिहार में यही स्थिति है। वह खाने की तलाश में बाहर जाता है, आप उसको खाना दो, भाषण मत दो।

*[अनुवाद]*

**श्री खारबेल स्वाईं** : महोदय, इनने पहले ही एक घण्टा ले लिया है।

**सभापति महोदय** : मैं इनसे समाप्त करने को कह रहा हूं। श्री लालू प्रसाद यादव, आपने पहले ही एक घण्टा ले लिया है। कृपया समाप्त कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद** : सभापति जी, मैं बता रहा था ....

**श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी** (भागलपुर): सभापति जी, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। 1998 तक जब बिहार में कांग्रेस का शासन था तो 42 प्रतिशत गरीबी थी और जब ये सत्ता में आये तो 56 प्रतिशत गरीबी हो गई।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं। मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा, वह समाप्त कर रहे हैं। कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं। आपको बाद में मौका मिलेगा। आप बाद में कह सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद** : गरीब, दलितों और पिछड़ों का एक्सट्रमिज्म खत्म हो। हमने दलितों को बड़े पैमाने पर 20-20 हजार रुपया और गांव में पक्का मकान दिया है। इम्युनाइजेशन, सैनिटेशन, एजुकेशन के लिये काम किया है। हमने सक्वैंजर्स के बच्चों को, जो गोली खेला करते थे या मुसहर या डोम जाति के लोग कागज चुनने का काम करते थे, उनको एक रुपया रोज का दिया कि स्कूल जाओ। जब राबड़ी देवी आई तो सभी जाति के गरीब बच्चों को एक रुपया देने का ऐलान किया और कहा कि स्कूल जाओ, पढ़ो और कलम चलाओ। तलवार छोड़ों, हिंसा छोड़ो, पढ़ो या मरो। यह हमारा संकल्प है। हम गांधीवादी लोग हैं जबकि आप फासिस्ट्स हैं, कम्युनल हैं। आपके जहन में ये बातें भरी पड़ी हैं। आप पूरे देश को तहस-नहस करना चाहते हैं। देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं। आपने गरीब की सरकार पर हमला किया है और हमला ऐसी जगह किया है, आपने बिल्ली के खोता में उंगली डालने का काम किया है। आप कहते हैं बिहार को बांट दिया जाये, खंडित कर दो, इस सरकार को हटाइये। बिहार को नीचा दिखाने का आपने काम किया है। माननीय आडवाणी जी, आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी। एलीगेशन लगाने से कोई आदमी भ्रष्ट नहीं हो जाता। आप तो जम्मू कश्मीर के प्रभारी मंत्री हैं। वहां नर-संहार हो रहा है, आपने इस्तीफा नहीं दिया। ये लोग कहते हैं कि कौर्डियल एटमास्फेयर हो गया है। वाजपेयी जी पाकिस्तान गये, उनको नहीं जाना चाहिये था, आपको पहले जाना चाहिये था। यदि आप जाते तो देश और प्रदेश में एक और बात होती। ऐसी बात नहीं कि बी.जे.पी. में बहादुर लोग नहीं हैं। यहां खुराना जी जैसे लोग है। पता नहीं उनको कहां रख दिया है? जिस इन्सान ने दिल्ली को बनाया, जिस इन्सान ने अकालियों को आप लोगों

[श्री लालू प्रसाद]

का मेल करवाया, अब वह इन्सान दर-दर की ठोकर खा रहा है। आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? यहां श्री के.एल. शर्मा बैठे हुये हैं। कभी कभी अन्न जल छोड़ देते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। पता नहीं, भीतर-भीतर इनकी क्या डिमांड्स हैं? ये क्या चाहते हैं? इसलिए मेरा सुझाव है कि देश में तानाशाही को मत पनपने दीजिए। आज आप उधर हैं तो कल इधर आएंगे। हम लोग जल्दी उधर जाएंगे। सोनिया जी से मिल लिये ...*(व्यवधान)*

**श्री कृष्ण लाल शर्मा** : आप अभी इधर आ जाइए।

**श्री लालू प्रसाद** : 1977 में हम साथ थे, लेकिन आपसे बिछड़े थे दोहरी सदस्यता पर, कि आर.एस.एस. और जनता पार्टी दोनों साथ मेम्बर नहीं रह सकते हैं। हम लोगों ने छोड़ दिया। राजनारायण जी के साथ गए, चौधरी साहब के साथ गए और आप लोगों को गवर्नर भेजा? हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम उनका आदर करते हैं। ...*(व्यवधान)* क्या बोला है हमने? कुछ नहीं बोलते। मैंने यह कहा कि बिहार की सीढ़ियां बहुत तंग हैं सरकार चलाने में। हमने यही कहा कि अगर वह गोल घर पर चढ़ जाएं गवर्नर साहब, तो राष्ट्रपति शासन का हम विरोध नहीं करेंगे। यह कोई गाली है क्या? यह गोल घर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। जवान आदमी भी नहीं चढ़ सकता। आपने ठीक किया था कि आपका काम बिहार में पूरा हो गया, अब आप इधर चले आइए। लेकिन जो मजबूत परिवार है - संघ परिवार, वह आपकी नाक में दम करता है यह हमें मालूम है। फिर आपकी मजबूरी हुई। आपने कहा कि उनको तो जाना नहीं चाहिए था। बोरिया, बिस्तर, लोटा, गिलास, किसी आदमी ने जो कागज दिया था लपेटे हुए सामान में, हमने कहा कि आखिर जा रहे हैं तो हम लोगों को भी इनफॉर्म करते, हम लोग भी उनको प्रणाम करते, सी ऑफ कर देते। आप बड़े अच्छे लोग हैं, सिद्धांतवादी लोग हैं लेकिन लोभ कितना मन में है, लालच कितना है? फिर उनका सारा अपमान खत्म हो गया कि नहीं आप ही वहां रहिये। आप रखे हैं और बोल रहे हैं कि आर.एस.एस. के हम हैं। आप रहिये, आर.एस.एस. के आप हैं तो रहिये। हम लोग तो जानते हैं कि आर.एस.एस. के ...*(व्यवधान)*

**प्रो. रीता वर्मा** : कितना समय लेंगे? ...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं** : दस मिनट पहले बोल रहे थे कि अभी-अभी खत्म करेंगे। ..(व्यवधान) कल तक बोलेंगे क्या?

**सायं 7.09 बजे**

**[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : लालू जी, अपनी बात खत्म करेंगे? आपने एक घंटा ले लिया है। अब खत्म कीजिए।

**श्री लालू प्रसाद** : मैं जानता हूं कि जब आप आसन पर आ जाते हैं तो हम लोग ऐलर्ट हो जाते हैं। हम लोग कम बोलेंगे, ज्यादा काम आप ही कर दीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सुन्दर सिंह भंडारी जी ने गलत तथ्य राष्ट्र को दिये। राष्ट्रपति जी को वे कागज फॉरवर्ड किये आडवाणी जी ने, जार्ज फर्नान्डीज और नीतीश जी ने। नीतीश जी को अभी आप नहीं जानते हैं। हम नीतीश जी का रत्ती-रत्ती जानते हैं। नयी दोस्ती आपकी अभी हुई है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : रत्ती-रत्ती?

**श्री लालू प्रसाद** : रत्ती-रत्ती का मतलब हुआ भोजपुरी में गतार-गतार हम जानते हैं। समता टूट के कगार पर खड़ी है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर दीजिए। कल समता रमता हुई नजर आएगी। अभी तक इंतजार में बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)* कम्यूनल रॉयट्स से लोकप्रिय सरकार का, गरीब, दबे, कुचले, पिछड़ों की सरकार का गला रेता गया है। हम सदन से विशेषकर सेक्यूलर पार्टीज से अपील करते हैं कि इनके धारा 356 लगाने के प्रस्ताव को ऐसा धक्का दिया जाए कि इनका कहीं अता-पता न रहे। इसको रिजेक्ट किया जाए यही मैं सदन से कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य लॉबी में जाना चाहते हैं, वे चुपचाप जा सकते हैं, वे कृपया यहां शोर न करें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष जी, बिहार में धारा 356 के तहत विधान सभा को निलम्बित किया गया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य लॉबी में जाना चाहते हैं, वे चुपचाप जा सकते हैं। कृपया यहां आकर शोर न करें।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में धारा 356 के तहत बिहार विधान सभा को निलम्बित किया गया है, जिसके अनुमोदन के लिए माननीय गृह मंत्री जी द्वारा आज सदन में प्रस्ताव लाया गया है, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोधी दल के नेता श्री शरद पवार जी जब बोल रहे थे तो मैं बड़े गौर से उनके भाषण को सुन रहा था। मेरे मन में यह विश्वास था कि शरद पवार जी मराठा सरदार हैं और उनके दिल में कहीं न कहीं शिवाजी की आभा जरूर होगी और शिवाजी की आत्मा के अनुरूप वह बिहार की भावना को समझेंगे, बिहार की पीड़ा को समझेंगे, बिहार के कष्टों को महसूस करेंगे। लेकिन शायद उन्होंने बिहार के कष्ट और पीड़ा को महसूस करने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक भाषण देने का काम किया है। जब सोमनाथ जी बोल रहे थे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, चूंकि 1764 में बक्सर युद्ध के बाद जिस समय बिहार, उड़ीसा और बंगाल को मिलाकर एक राज्य का चर्चा किया गया था, उस समय भी बंगाल के लोगों ने बिहार और उड़ीसा के लोगों का शोषण किया था। उस समय शिक्षा में भी गिरावट इसीलिए आई थी चूंकि शिक्षा के बड़े पदों पर बंगाल के लौग मौजूद थे। प्रशासन में गिरावट इसलिए आई थी चूंकि बड़े* ... और बिहार की पीड़ा को बिना महसूस किये हुए आज जो वकालत सोमनाथ बाबू कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मैं इसका दृढ़तापूर्वक खण्डन करता हूं. इसे कार्यवाही वृत्तांत में नहीं लिया जाना चाहिए।* यह क्या बात कर रहे हैं। हाउस में यह क्या बात हो रही है?

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : इसका इतिहास साक्षी है *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में नहीं लिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, हम भारत की एकता में विश्वास करते हैं मुझे भरोसा है कि श्री आडवाणी जी इस सबको नहीं चलने देंगे *...(व्यवधान)*

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : महोदय, कई बिहारी लोग बंगाल में शान्ति से रह रहे हैं *...(व्यवधान)*

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** (दरभंगा) : महोदय, हमें कोई समस्या नहीं है। बिहार में कई बंगाली है। हमारे उनके अच्छे संबंध है, ये किस संबंध में बात कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, हम लोगों को उनकी भाषा या धर्म से नहीं तौलते। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, 1893 में बंगाल से उड़ीसा और बिहार अलग हुए थे और डा. सच्चिदानंद सिंह की मांग पर बिहार अलग राज्य बना। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार का एक गौरवमय इतिहास रहा है। लालू जी ठीक ही बता रहे थे कि हजारों वर्षों तक बिहार आसमान में दैदीप्यमान रहा है। एक हजार वर्ष तक बिहार शक्तिपीठ रहा है। बिहार के देवचर में महादेव निवास करते हैं, वहीं पर आमी में जगदम्बा निवास करती है। गज और ग्राह की लड़ाई में स्वयं भगवान विष्णु सोनपुर में आये थे। वही भगवान राम गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या का उद्धार करने के लिए आये थे। बिंबसार, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महाराजों ने बिहार में शासन किया है। भगवान महाबीर, भगवान बुद्ध ने वहीं से प्रबुद्ध होने का काम किया है। राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, महान विद्वान मंडन मिश्रा, चरक विद्यापति उसी बिहार के हैं। परिकल्पना के जनक शेरशाह, गुरू गोविन्द सिंह उसी बिहार के हैं। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह उसी बिहार से शुरू हुआ। बिरसा मुंडा की कहानी आज भी आदिवासियों की जबान पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई में सबसे पहले आरा के बाबू कुवंर सिंह की 80 वर्ष के बुढ़ापे की कहानी देश का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने तलवार की टंकार से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया। जय प्रकाश नारायण, डा. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, बाबू जगजीवन राम, स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी रहे। बिहार के खुदी

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

राम बोस ने फांसी के फंदे को खुशी से चूमने का काम किया। बिहार से ही वैशाली की आम्रपाली थीं जिनके कारण और जहां से प्रजातंत्र की सीख मिली। जहां उत्तर बिहार की भूमि समृद्धिशाली तथा उपजाऊ है वहां दक्षिण बिहार खनिज सम्पदा से भरपूर है, यह कल का बिहार था, लेकिन आज का बिहार?

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम आज के बिहार की चर्चा करते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद से कांग्रेस का शासन रहा और लगभग 10 वर्ष तक, लालू जी और राबड़ी देवी जी का शासन रहा। इस दौर में बिहार की जो स्थिति हुई, वह शर्मनाक है। जैसा सोमनाथ बाबू कह रहे थे कि जब संविधान का उल्लंघन होता है, जब संविधान काम नहीं करता है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कैसा संविधान? बिहार में रहने वाले लोगों के दिलों की पीड़ा को तो जानिए? कोई व्यवस्था नहीं, कैसा बिहार, बिहार के बारे में उच्च न्यायालय ने क्या कहा था, जंगल-राज चल रहा है, यह कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय, लालू जी भाषण दे रहे थे, तो मैं सुन रहा था। बिहार में कांग्रेस के जमाने का नरसंहार का ये चिट्ठा बता रहे थे, लेकिन अपने राज्य का लालू जी ने नहीं बताया। सिर्फ कांग्रेस के जमाने का इतिहास और भूगोल बताया। ...*(व्यवधान)* वह भी बता देंगे और यह भी बता देंगे कि ये नरसंहार क्यों हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रभुनाथ सिंह जी, आप मुझे एड्रेस करके बोलिए। उधर मत देखिए, इससे कन्फ्रंटेशन कम होगा।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों में जो बिहार की स्थिति बनी है, चाहे वह विकास के मामले में हो, चाहे राज्य के मामले में हो, चाहे बिहार के खजाने के मामले में हो, प्रशासन के मामले में हो, विधि-व्यवस्था के मामले में हो, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के मामले में हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था के मामले को ले लीजिए, विद्युत के मामले को ले लीजिए, किसी भी मामले को ले लीजिए, सब मामलों में पूरी तरह फेल हुई है। विधि व्यवस्था नाम की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो बिहार में प्रवेश कर जाते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पता नहीं कब कौन सी जगह कहां क्या हो जाने वाला है। यह स्थिति लालू जी ने बिहार की बना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, लालू जी ने लोक सभा में कहा था कि मैं लोक सभा में कृष्ण बनकर आया हूं। मैं थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक ही कहा है। लालू जी निश्चित तौर पर कृष्ण बनकर आए हैं, लेकिन द्वापर के नहीं, कलियुग के। द्वापर के कृष्ण जब मक्खन चुरा कर खाते थे और उनकी माता पूछती थी, तो वे कहते थे कि "मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो" अब कलियुग के कृष्ण लालू जी ने सोचा कि मक्खन तो तभी होगा जब गाय दूध देगी, फिर दही बनेगा, तब मक्खन बनेगा। इन्होंने चारा ही चट कर दिया, न चारा होगा, न गाय खाएगी, न गाय दूध देगी और न मक्खन बनेगा। जब लालू जी से सी.बी.आई. वालों ने और कोर्ट वालों ने पूछा, तो इन्होंने कह दिया कि "सी.बी.आई. वालों मैं नहीं चारा खायो"। इस प्रकार लालू जी सच्चे मायने में कलियुगी कृष्ण हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप बिहार में प्रवेश करेंगे, तो आप राज्य में सड़कों की स्थिति को देखेंगे, आपको मालूम हो जाएगा, कितनी खराब स्थिति है। लालू जी जब मुख्य मंत्री बने थे, तो कहते थे कि मैं बिहार की सड़कों को हेमामालिनी के गालों की तरह बना दूंगा, लेकिन बिहार की सड़कों की स्थिति को जाकर देखें, तो आप पाएंगे वे हेमामालिनी की गालों की तरह तो नहीं बल्कि ओम पुरी के गालों की तरह हो गई हैं। सड़कों पर मत्स्य पालन जैसी स्थिति हो रही है। पूरा पानी ही पानी है, यह है बिहार का विकास। केन्द्र से भी बिहार के विकास के लिए जो धन जाता है, उसकी भी लूट ऊपर से नीचे तक किस तरह से हो रही है, इसके बारे में मैं पहले भी इसी सदन में कई बार निवेदन कर चुका हूं और मामला उठा चुका हूं। माननीय मंत्री श्री राम नाईक जी बिहार गये थे। उनकी बैठक में हमने इस बात को उठाया था कि केन्द्र से जो पैसा आता है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में केन्द्र के पैसे का उपयोग नहीं होता है। इंदिरा आवास की चर्चा करते थे कि हम हरिजनों के आवास बना रहे हैं। आप जरा बिहार में जाकर हरिजनों का आवास देख लीजिए। जो भी पैसा जाता है, उसका 30 प्रतिशत राजद के विधायक, राजद के एजेंट, राजद के दमदार उसको पहले काट लेते हैं और हरिजनों से जबरदस्ती ठप्पा लिया जाता है। यह हरिजनों के बड़े शुभचिंतक बने हुए हैं। हरिजनों की जो दर्दशा हुई है, वह इनके कारण हुई है। यह नरसंहार की बात करते हैं। यह बात ठीक है कि किसी जमाने में इन्होंने रणबीर सेना पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन रणबीर सेना से इनकी दोस्ती उस समय हो गई जब श्री राम विलास पासवान से इनकी तनातनी हो गई। बिहार के सारे हरिजन श्री राम विलास पासवान की तरफ झुक गये। इनका एक पुराना हथियार है कि जो लोग उनसे अलग होते हैं, वे उन्हें दबाकर शासन करते हैं या उन्हें मुकदमें में फंसाकर शासन करते हैं या उन्हें मरवा देते हैं। श्री राम विलास पासवान की लड़ाई का कारण यह हुआ कि रणबीर सेना और लालू प्रसाद की दोस्ती हुई और बिहार में हरिजनों का नरसंहार शुरू हो गया। यह बिहार की स्थिति है और यहां पर बिहार का रोना रोते हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** श्री राम विलास पासवान को कितने हरिजन चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** फातमी साहब बड़ा गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत में भागलपुर में हजारों मुसलमानों का कत्ले-आम हुआ। उसका मुख्य अभियुक्त कौन था...* जो लालू प्रसाद जी के साथ बैठता रहा। उसका क्या हुआ आप जरा बताइए। आप मुसलमानों का बड़ा रोना रोते हैं। सीतामढ़ी में लालू प्रसाद जी के जमाने में दंगा हुआ। उसमें कौन अभियुक्त था – लालू जी का एम.एल.ए., लालू जी का एम.पी.। उसका क्या हुआ आप जरा बताइए? हम आपसे जानना चाहते हैं। आप मुसलमानों का रोना रो रहे हैं। पटना सिटी में जो दंगा हुआ, वहां पर क्या हुआ? ...*(व्यवधान)* हम आपसे जानना चाहते हैं आप कुछ तो बताइए। इसलिए फातमी साहब, इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप इस तरह उनसे बात करते रहेंगे तो मुझे हाउस चलाना मुश्किल हो जाएगा।

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** हम आपसे ही कह रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि राज्य का कोई उद्योग बिजली की बदौलत ही फलता-फूलता है लेकिन बिहार राज्य में आप चलकर देख लीजिए कि क्या हालत है। गांवों की बात तो छोड़ दीजिए, जो छोटे-छोटे शहर हैं, वहां भी महीनों तक बिजली देखना मुश्किल है। गांवों की स्थिति का तो कहना ही क्या? अगर किसी गांव में एक पोल गढ़ भी गया तो तार का पता नहीं है। केन्द्र से पैसा जाता है लेकिन जो परसेंटेज राज्य सरकार को देना है, वह परसेंटेज राज्य सरकार नहीं दे पाती है जिसके चलते केन्द्र का पैसा भी वापस हो जाता है। बिजली के मामले में इन्होंने बिहार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि कोयले के दाम का भुगतान नहीं हो रहा है जिसके चलते एक झमेला खड़ा हुआ है। बिहार को इन्होंने विनाश के कगार पर पहुंचाने का काम किया है। जब बिहार में रेलगाड़ियां चलती हैं तो उसमें कहीं के भी पैसेन्जर हो, वे सीधे भगवान का नाम लेने लगते हैं। दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर रेलगाड़ी में जा रहा था, ट्रेन में डकैती हो गई, उसने अकेले चार डकैतों से मुठभेड़ की, लेकिन वह बेचारा कुछ नहीं कर सका। वहां उसकी जान चली गई। आये दिन ट्रेनों में डकैती आम बात हो गई है। ...*(व्यवधान)* कृषि के मामले में किसानों की स्थिति कंगाल जैसी हो गई है। यह बोलचाल के बड़े धनी हैं। ये कभी किसी पार्टी को कह देते हैं कि कुकुर की पार्टी है। जिस समय समता पार्टी का निर्माण हुआ, उन्होंने कहा कि कुकुर की पार्टी है। कोई भी पूर्वी लोग और राजपूत जाति को मिलाकर कुकर शब्द कहा था। कभी इन्होंने कहा था कि भूरे बाल साफ कर दो। यह तो बात के बड़े धनी व्यक्ति हैं। इनके बोलने पर कोई लगाम नहीं है। ये किसी को भी गाली दे सकते हैं। आपने कल ही देखा होगा यहां पर एक सदस्य को गाली दे रहे थे। इसी तरह ये राजनीति चलाते हैं।

**श्री लालू प्रसाद* :** सेल का विक्रेता है, ठेकेदार है। इसकी जांच करा दीजिए। दर्जनों बेटियां विडो होकर दर-दर मार खा रही हैं। ...*(व्यवधान)* यह क्या बोल रहा है? ...*(व्यवधान)* क्या यह डिबेट है? क्या मैं सुनता रहूं? ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभनाथ सिंह :** क्रिमिनल हम हैं या आप, हम इस बात पर आ जाते हैं। आप सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, 1985 में हम बिहार विधान सभा में निर्दलीय विधायक हुए, उस समय हमारे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। 1990 में हम जनता दल से जीतकर आए। जिस समय लालू जी मुख्य मंत्री हुए, उस समय हम पर एक भी मुकदमा नहीं था। 1991 में श्री लालू यादव के गलत कारनामों का हमने विधान सभा से लेकर सड़क तक विरोध करना शुरू कर दिया। एक वर्ष के बाद श्री लालू यादव ने हमको दल से निकाल दिया। हमने बिहार पीपल्स पार्टी बनाई। कुछ दिनों तक चंद्रशेखर जी की अगुवाई में काम किया। जब हम लालू प्रसाद का विरोध करने लगे तो हम राज के अपराधी हो गए लेकिन उसके पहले हम अपराधी नहीं थे। शहाबुद्दीन जी, आप न्यायालय का जजमैंट देख लीजिए, हम आप पर टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहते है। उसके बाद हम पर मुकदमे हुए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय :** सारी आपत्तिजनक बातें मैं कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। चिन्ता मत करें।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** लालू जी, आपका ईमान हो तो बताइए। पन्द्रह दिन पहले पटना से हम और आप एक ही प्लेन में आ रहे थे। आपने प्लेन में कहा था कि मुझसे गलती हो गई, मेरा फलाना मंत्री, किसी व्यक्ति का नाम लेकर कहा, गलती करके आपको मुकदमे में फसवा दिया। आप राजद में चले आइए, हम

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

सारा मुकदमा ठीक-ठाक कर देंगे। लालू जी, हम राजद में चले जाएं। ...*(व्यवधान)* पन्द्रह दिन पहले की बात है, आपने कहा था। ...*(व्यवधान)* लालू जी, आपका यही धंधा है। ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : आपको राजद में लेकर क्या हमको राज खत्म करना है?

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : लालू जी, आपका राज तो अब खत्म हो चुका है। चुनाव आने दीजिए, पता लगेगा, काहे भ्रम में पड़े हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सब क्या है? आप जनरल बात कर रहे हैं या स्पीच बना रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : आप उधर नहीं बोलते। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी तक आपने जो कहा, वहां बोलने से आप बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : जहां तक विधि और व्यवस्था की बात है ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : यदि श्री प्रभुनाथ विधि और व्यवस्था की बात करेंगे तो देश का नाश हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : लालू जी, बैठकर सुनिए। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इधर देखकर कन्सरन्ड बात कीजिए, आधा घंटा हो गया है।

...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : आप कम से कम सुनिए तो। ...*(व्यवधान)* हम बताना चाहते हैं कि राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। आप प्रतिदिन के किसी भी अखबार का पन्ना देख लीजिए. बिहार के अखबारों में सबसे पहले यही घटना मिलती है और घटना के पीछे राजसत्ता का हाथ रहा है। उदाहरण के तौर पर हम एक-दो घटनाओं का जिक्र करना चाहते हैं। जिस समय श्रीमती राबड़ी देवी मुख्य मंत्री बनी थी, पटना में दशहरे के मेले में एक सोलह साल की बच्ची अपनी मां के साथ घूमने गई थी। ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : आठ साल की बच्ची सुधार लो, *...

**प्रो. रीता वर्मा** : ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, इनकी पार्टी आर.जे.डी. का मैम्बर था, इन्हीं के घर आना-जाना है। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : जहां पूरा शहर पुलिस के घेरे में था, वैसी स्थिति में उस लड़की के साथ दस लोगों ने बलात्कार किया लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जब पुलिस को जानकारी हुई और वह मुख्य मंत्री के निवास पर गई तो बलात्कारी मुख्य मंत्री के निवास पर बैठे हुए थे। यह बिहार की घटना है। बिहार में इस तरह अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। जहां तक अपहरण का सवाल है, पटना में एक डाक्टर की गाड़ी छीन ली गई। वह लालू जी का निजी डाक्टर था। जब उसकी गाड़ी छीन ली गई तो उसने सोचा कि लालू जी मुख्य मंत्री हैं, जरा इनसे मदद लें, हमारी गाड़ी मिल जाए। जब वे वहां पर गये तो देखा कि गाड़ी छीनने वाले और गाड़ी वहीं लगी हुई थी। जब उसने लालू यादव जी से जाकर कहा तो लालू यादव जी ने कहा कि सब लड़के बेकार हैं, कुछ पैसे दे दों, तुम्हारी गाड़ी छोड़कर लौटा देंगे। ये राज्य के मुख्य मंत्री हैं।

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : अलिफ लैला की कहानी सुनी है, वही कहानी यहां पर सुना रहे हैं।

**श्री लालू प्रसाद** : आप देखिये, आपके यहां कैसे-कैसे लोग हैं।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : ये लोग चिढ़ाते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होती। अब मुझे एक कहानी याद आ गई है। फातमी साहब, आप सुन लीजिए।

**श्री लालू प्रसाद** : इन्होंने भागकर एक जज की नौकरी ले ली। ये भागे हुए थे और छपरा में एक जज के घर में ये छिपे हुए थे, उस बेचारे जज की नौकरी भी चली गई। आप पता कर लो, सच्ची बात बताओ।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : आप सह ही नहीं पाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो लालू जी चाहते हैं, मैं पहले वहीं कहानी सुना देता हूं। हम एक दूसरे के जानने वाले हैं। शिंदे साहब, आप ठीक कहते हैं। मैं लालू यादव जी को उस दिन से जानता हूं, ....* मैं इन्हें उस दिन से जानता हूं। मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूं।

**श्री विलास मुत्तेमवार** (नागपुर) : उपाध्यक्ष जी, ये डिबेट में कहां जा रहे हैं?

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो ऑब्जैक्सनेबल होगा, वह एक्सपंज कर दिया जायेगा।

**श्री चन्द्रशेखर** (बलिया) (उ.प्र.) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अब तक जो बहस चल रही थी, चल रही थी। अब इस स्तर पर लोक सभा में बहस होगी। दोनों लोगों से मैं यह अनुरोध करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि यह सब रिकार्ड से निकाला जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो भी ऑब्जैक्शनेबल होगा, वह सारा रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो भी बातें आपत्तिजनक हैं, उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रशेखर** : मैं कहता हूं कि आप देख लीजिए। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जो लोग इस सदन में नहीं हैं, उनमें से किसी के गाल का जिक्र, किसी के मुंह का जिक्र, कोई भी ऐसे लोग जो हैं, जो इस सदन में नहीं हैं, अगर लालू यादव कहें, तब भी और प्रभुनाथ सिंह कहें, तब भी, आप कृपा करके उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए। इससे सदन की गरिमा कम होती है। *...(व्यवधान)* जो हो गया, सो हो गया, वह परमानेन्ट नहीं होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*[अनुवाद]*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : यदि इसे निकाल रहे हैं तो जो कुछ भी श्री लालू प्रसाद यादव ने कहा उसे भी निकाला जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद** : वहां लिखा हुआ है।

**श्री मधुकर सरपोतदार** : मैं वही बोल रहा हूं।

*[अनुवाद]*

पहले भी ये घण्टे भर से अधिक बोल चुके हैं और प्रत्येक बात कार्यवाही-वृत्तांत में है। जब श्री प्रभुनाथ सिंह ने बोलना आरंभ किया तो ऐसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह 'लो और दो' की नीति यहां चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा श्री चन्द्रशेखर ने कहा, कोई भी आपत्तिजनक या अशोभनीय बात, चाहे श्री लालू प्रसाद यादव ने की हो या फिर श्री प्रभुनाथ सिंह ने या किसी और ने, उसे हटा दिया जाएगा।

**श्री मधुकर सरपोतदार** : जब श्री लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे, श्री चन्द्रशेखर यहां मौजूद थे। उन्हें उसी समय यह कहना चाहिए था, तब सही होता।

**श्री चन्द्रशेखर** : ये सही है। श्री लालू प्रसाद यादव सरकार की कार्यवाही की बात कर रहे थे। वे बलात्कार या हम सब के बारे में बात नहीं कर रहे थे *...(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : श्री प्रभुनाथ सिंह कानून और व्यवस्था की बात कर रहे हैं और यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। वे ऐसा क्यों नहीं कह सकते?

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री प्रभुनाथ सिंह अब अपनी बात समाप्त करेंगे। प्रभुनाथ सिंह जी, अब कहानी को खत्म करके सीधे अपनी बात करिये।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : इनको आपने एक घंटा बुलवाया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको कौन रोकता है।

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह सदन की सम्पत्ति बन गई है।

**श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : इधर से जो मैम्बर बोल रहे हैं, इनको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे स्वयं अपनी बात कह सकते हैं। आप उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं?

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा था कि बिहार की घटनाएं और बिहार में अपराधियों को सरकार से किस तरह संरक्षण मिलता आ रहा है। एक और उदारहण मैं देना चाहूंगा। बिहार में एक कमिश्नर स्तर के अधिकारी की पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई।

**श्री लालू प्रसाद** : कब हुई, तारीख बताओ?

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : और घटना करने वाला राजद की एक महिला सदस्य, जो समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन हैं, उनका पुत्र था। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में पदाधिकारियों की इज्जत, प्रतिष्ठा भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में सचिवालय के पदाधिकारियों की पिटाई की जाती है। जहां तक ये प्रशासन की बात करते हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि भूखली देवी नाम की महिला को किसके राज में नंगा घुमाया गया, वह किस जाति की थी, क्या वह हरिजन जाति की नहीं थी? उसको नंगा घुमाया गया, उस पर आपने क्या किया? हिम्मत है तो इसका जवाब दें। मुजफ्फरपुर में एक रिक्शा चालक के सीने में पुलिस कांस्टेबल ने बारूद भर दिया, वह तड़प-तड़पकर मर गया। उस पुलिस वाले के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? सामाजिक न्याय का ढोंग रचने वाले लालू जी, वह रिक्शा चालक नोरिया जाति का था और उस पुलिस वाले को आपने पदोन्नति दी। दरभंगा में छात्र आंदोलन हुआ। एक छात्र के सीने में बारूद भर दिया और वह भी पुलिस वाले ने भरा, उस पुलिस वाले पर आपने क्या कार्रवाई की? सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, वह छात्र किस जाति का था? आप ढोंग के सिवा कुछ नहीं जानते। आपके राज में आपने क्या-क्या नहीं किया।

आप पहले मुख्य मंत्री थे, मैं भी विधान सभा का सदस्य था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ललितेश्वर प्रसाद साही के पुत्र हेमंत साही विधान सभा में हमारे साथ थे। उन्होंने जब आपका विरोध करना शुरू किया तो उनकी हत्या किस तरह कर दी गई। उनकी हत्या प्रांगण में की गई और उनके अंगरक्षक की हत्या करके हत्यारे भाग गए। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे उस हत्यारे की एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए लालू जी मुख्य मंत्री की हैसियत से वहां गए थे। यह हम कांग्रेस वालों को बताना चाहते हैं। जिन लोगो ने इनके विरोध में आवाज उठाई, उसका यही हश्र हुआ।

मैं 1995 में किस ढंग से हराया गया, मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता। चूंकि मैं हार गया था इसलिए मैंने हार स्वीकार कर ली थी। लेकिन उसके बाद एक अशोक सिंह नामक विधायक की हत्या हुई। उस हत्या में मैं, मेरे दो छोटे भाई, मेरा साला और मेरा बहनोई, यानी हम सब अपराधी माने गए थे। तीन दिन के बाद लालू जी ने हमारा नाम एफ.आई.आर. में दर्ज कराया था। जिसके नाम पर रिपोर्ट दर्ज की गई, उसने कहा कि प्रभुनाथ सिंह तो उस समय घटनास्थल पर थे ही नहीं और न ही उनके परिवार का कोई था, इस तरह से हमें फंसाया गया। लालू जी वही कहानी सुनना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बृज बिहारी मिश्र की हत्या की कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं जीतकर आया, उस समय संसद में ओथ नहीं ली थी। आप भी बिहार भवन में रह रहे थे और मैं भी वहीं था। एक दिन आपने रात को एक बजे मुझे एक व्यक्ति को भेजकर अपने कमरे में बुलाया था, आपको याद होगा। उस समय बात के क्रम में मैंने आपको कहा था ...*(व्यवधान)* जरा सुनिए तो सही, इसीलिए बिहार में धारा 356 लगाने की भूमिका बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बैठे हुए थे। कुछ अपराधी बिहार निवास के चारों तरफ घूम रहे थे और कहीं से चर्चा चल रही थी, मैंने लालू जी को जाकर उस समय बताया कि हमें मालूम हुआ है बृज बिहारी मिश्र की हत्या तीन-चार दिनों में होने वाली हैं। लालू जी, सच बोलिए कि मैंने कहा था या नहीं कहा था और यह भी कहा था कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आपने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की इसलिए उनकी हत्या हो गई।

**श्री लालू प्रसाद** : यह असत्य बात है, बेबुनियाद बात है। एक साजिश के तहत ये ऐसी बात कह रहे हैं।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : आप सी.बी.आई. से जांच कराकर पता लगाइए, शक की सुई आप तक पहुंचती है या नहीं कि बृज बिहारी मिश्र की हत्या किसने की, हकीकत सामने आ जाएगी। अजीत सरकार की हत्या हुई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, 22 तारीख को ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री अजीत जोगी** : महोदय, लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 353 के अंतर्गत, कोई भी सदस्य किसी दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकता, जब तक कि ऐसी सूचना न दी जाए। ये आरोप लगा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**मेजन जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम** (गढ़वाल) : अभी लालू जी ने इनके ऊपर हत्याओं का चार्ज लगाया, इनको जवाब देने दें।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : दोनों तरफ से आरोप लगाए गए हैं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी सीट पर जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आरोप-प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपा करके ऐसा न करें।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : मैं बिहार की परिस्थिति बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं इसका भुक्त-भोगी हूं। बाईस महीनों में मेरा घरबार तोड़ा गया है। ...*(व्यवधान)* मैंने कौन सा अपराध किया था जो मैं बाईस महीने जेल में रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आप इस बात को समझिए। मैं किसी पर गलत दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। जो हकीकत हैं, वही आपके सामने बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : क्षमा कीजिए, महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद** : यह मिथ्या है। ...*(व्यवधान)* यह असत्य बात बोल रहे हैं। यह गलत बात बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं इसका खंडन करता हूं। ...*(व्यवधान)* यह बात बनाकर बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह मिथ्या बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सविनय निवेदन यह है कि माननीय सदस्य ने कोई बात कही है। यदि श्री लालू प्रसाद यादव के अनुसार यह कथन मिथ्या है अथवा दिग्भ्रमित करने वाला है तो मैं यह समझता हूं कि यह श्री लालू प्रसाद यादव का अधिकार है कि वह उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लायें क्योंकि सब कुछ रिकार्ड में जाना है। अत: उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए?

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद** : यह मिथ्या बात बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री मधुकर सरपोतदार** : आपको विशेषाधिकार प्रस्ताव हेतु नोटिस देना चाहिए ...*(व्यवधान)* उन्हें विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने दें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभुनाथ सिंह, यदि आप किसी के भी विरुद्ध अभियोग लगाएगे तो उन्हें यह अधिकार है कि वे अपना स्पष्टीकरण दें और मुझे उन्हें मौका देना पड़ सकता है।

*...(व्यवधान)*

**डा. रामकृष्ण कुसमरिया** (दमोह) : महोदय, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : डा. कुसमरिया, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

*[हिन्दी]*

**डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : वह अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आरोप तो उन्होंने लगाया है। ...*(व्यवधान)* वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम** : उनको कहने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब मैंने कह दिया कि आरोप-प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री अग्निहोत्री, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : आपको बोलने का अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री अजीत जोगी** : महोदय, जो कुछ ये कह रहे हैं वह कहने की अनुमति नियम 353 के अंतर्गत नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुसमरिया जी, आप शांत रहिए। आप आराम से बैठिए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम** : महोदय, यह केवल श्री प्रभुनाथ सिंह जी पर ही लागू नहीं होता है। यह बहुत बुरी बात है। कृपया ऐसा न करें। अन्यथा, हमें इस पूरे वाद-विवाद को पुनः शुरू करना होगा। बहुत हो चुका। ...*(व्यवधान)*

**श्री अजीत जोगी** : नियम अनुपालन के लिए ही बनाये जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री पी.आर. कुमारमंगलम** : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं बोलने के लिए खड़ा हूं।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे ख्याल से शुरू से ही इस प्रकार की बहस कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की गई है।

मेरा विनिर्णय यह है कि जब तक सदस्य कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करता है तब तक उसकी बातें कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की जायेंगी। यदि यह विशेषाधिकार का मामला है तो यह उठाया जा सकता है।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन को बिहार की विधि-व्यवस्था की स्थिति के बारे में बता रहे थे। बिहार में अपहरण मुख्य उद्योग धन्धा हो गया है। आप इसकी जांच किसी एजेंसी से करा सकते हैं। शरद पवार जी जब बोल रहे थे, तो वे बिहार की तुलना अन्य राज्यों से कर रहे थे और आंकड़े दे रहे थे। मैं कहता हूं कि, किस प्रकार का आंकड़ा, बिहार में तो एफ.आई.आर. दर्ज ही नहीं होती है। जब एफ.आई.आर. दर्ज हो तो वह सरकार की सूची में आये। बिहार में एफ.आई.आर. होती ही नहीं है। एफ.आई.आर. तो पटना के इशारे पर दर्ज होती है। एस.पी. के यहां टेलीफोन जाता है कि फलां पर मुकदमा कर दो

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और फलां को जेल में ठूंस दो या फलां पर मुकदमा नहीं करना है। अपहरण के 25 प्रतिशत मामले तो दर्ज ही नहीं होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपहरण को उद्योग-धंधा समझकर वहां अपहरण का धंधा किया जाता है और अपहरणकर्ताओं को राज्य सरकार का संरक्षण बराबर मिलता रहा हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बिहार के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आप बिहार की जनता की भावना को जानिये। मैं फिर कहता हूं कि आप बिहार की स्थिति की किसी एजेन्सी से समीक्षा कराइये। आज बिहार की जनता अमन-चैन से सो रही है। लेकिन पहले उसकी स्थिति जीने और मरने की थी। आज अखबारों में और टी.वी. के माध्यम से सूचना जा रही है कि सरकार जो प्रस्ताव लाई है, वह लोक सभा में पास होगा और राज्य सभा में फेल होगा। जब हम डेरे पर जाते हैं तो टेलीफोन आते हैं और लोग पूछते हैं कि बिहार का क्या होगा? लोग बिहार से चिंतित हैं, लोगों के मन में चिंता है कि अगर कहीं यह दोबारा आ गये तो बदले की भावना से कत्लेआम का धंधा शुरू करेंगे और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर सबसे अधिक जायेगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि वहां से 40 विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिये हैं। वे बिहार की भावना को जानते हैं, बिहार की पीड़ा को जानते हैं। आप भले ही उनके इस्तीफे स्वीकार न करें, लेकिन आप उनसे अलग नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी इस भावना को केन्द्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का काम किया है।

**श्री अजीत जोगी** : किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इनकी भावना को गंभीरता से लीजिए।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभुनाथ सिंह अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे हमारा या बी.जे.पी. का कुछ जाने वाला नहीं है। लालू यादव को प्राप्त होने वाला है, लेकिन आपका तो समापन होने वाला है। कम से कम इससे सबक लीजिए और आप अपने ही लोगों में यह तय कीजिए कि आपको क्या करना है। वोटिंग के समय सोच-समझकर वोटिंग कीजिए, यहां मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह और विनती कर रहा हूं। बिहार को विनाश के कगार से बचाइये। बिहार की पीड़ा को महसूस कीजिए। बिहार को राक्षसों के हाथों में न जाने दीजिए। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप बिहार की पीड़ा को समझिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहां एक कहानी याद आ रही है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कहानी से हमें बहुत परेशानी है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : हम आपको बताना चाहते हैं कि एक राजा के दरबार में उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और उन्होंने पहलवान, युद्ध करने वाले और सभी को निमंत्रण दिया। सभी लोग आये, लेकिन एक पंडित जी एक लड़के के सिर पर अपना पोथी-पत्रा रखकर ले गये। हाथी की सूंड में वरमाला दी गई कि वर को चुनकर माला डालो। हाथी घूमता-घूमता आया और जो किताब लिये हुआ लड़का बैठा हुआ था, उसी के गले में माला डाल दी। इससे राजा को गुस्सा आया और कहने लगा कि कल फिर वरमाला होगी। फिर दूसरे दिन वरमाला हुई, लेकिन पंडित जी ने उस लड़के को बाहर ही छोड़ दिया। दूसरी बार भी हाथी ने उसी लड़के के गले में वरमाला डाल दी। फिर इससे राजा को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें भट्टी में झोंकवा दूंगा। अगले दिन फिर जब वरमाला हुई तो वह लड़का बाहर बगीचे में बैठा हुआ था लेकिन हाथी ने फिर बगीचे में जाकर उसी लड़के के गले में माला डाल दी। इस पर राजकुमारी ने कहा कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। शादी के बाद जब वह लड़का राजसिंहासन पर बैठा तो वह अत्याचार, अनाचर, जुल्म और व्यभिचार करने लगा। वहां के कुछ लोग दौड़ कर गए और पंडित जी से कहा कि आपका शिष्य था आप चल कर समझाइए कि कहीं जनता के राहत की बात करें, जब पंडित जी गए तो पंडित जी की बात सुन कर उन्होंने कपड़ा और 500 रुपया विदाई दिया। जाने के बाद उसने फिर उस पर थोड़ा जुल्म बढ़ा दिया। फिर थोड़े दिन के बाद पंडित जी के यहां वहां की जनता गई, जब पंडित जी वहां गए तो फिर पंडित जी की बात सुनी और उन्होंने फिर 1000 रुपए विदाई दिया और वस्त्र दिए। फिर पंडित जी चले आए और उसका जुल्म बढ़ता ही गया। पंडित जी को लोगों ने कहा कि आप उसको डांटिए, वह ठीक हो जाए तो पंडित जी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम समझते नहीं हो कि राज कैसे चलता है, क्यों ऐसा राज चला रहा है तो उसने कहा कि पंडित जी, आप होश में है या नहीं, राजा मैं हूं आप पंडित हैं, आप ठीक से रहिए। यदि इस राज का किस्मत अच्छा होता तो क्या हाथी मेरे ही गले में जयमाला डालता?

मैं जानता हूं कि अगर बिहार का किस्मत दूरूस्त होता तो यही स्थिति बिहार में न होती, उस व्यक्ति के हाथ में जयमाला न पड़ती जो बिहार का सत्यनाश कर रहा है। बिहार का दुर्भाग्य है यह जो धारा 356 के तहत बिहार की किस्मत लिखने का इस सदन में सवाल उठा है, हम चाहें कि सदन और हर दल के लोग बिहार की किस्मत को नये सिरे से लिखें। बिहार की किस्मत जिस तरह चरमराई गई है, बिखेरी गई है, जात-पांत के नाम पर जिस

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

तरह समाज को तोड़ा गया है, भाईचारे को समाप्त किया गया है इसको बहाल करने के लिए धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए अब निलम्बन नहीं बल्कि बिहार सरकार को बर्खास्त करने में समर्थन करें जिससे बिहार की किस्मत नये सिरे से लिखी जा सके।

लालू जी समता पार्टी, नीतीश कुमार जी और जार्ज जी पर कह रहे थे कि उन लोगों के दबाव की वजह से और चुनाव में उन लोगों की घोषणा की वजह से धारा 356 का इस्तेमाल किया गया है। 1998 में हम भी उसी दल में थे, जार्ज जी और नीतीश जी भी उसी दल में थे लेकिन जब बिहार में भ्रष्टाचार सीमा तोड़ने लगा, विधि-व्यवस्था की स्थिति खराब होने लगी तो समता पार्टी में जो लोग आज मौजूद हैं उन लोगों ने लालू जी का साथ छोड़ दिया। समता पार्टी इसलिए बनाई थी कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेकेंगे। उन्होंने चुनाव में जनता के साथ वायदा किया था तो कोई गलत नहीं किया था। समता पार्टी ने यह निर्णय किया है कि बिहार में समता मूलक समाज बना कर ही हम दम लेंगे। बिहार नया बिहार बनेगा, यह समता पार्टी का संकल्प है। इस संकल्प के तहत निश्चित तौर पर हम लोगों ने कहा है कि बिहार को कंगाली की हालत से बचाने के लिए बिहार को नयी राह दिखाने के लिए, वहां विधि-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, बिहार के खजाने लूटने वालों पर अंकुश लगाने के लिए, चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, बिजली, पानी मुहैया कराने के लिए, सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, बिहार के लोगों की किस्मत लिखने के लिए धारा 356 आवश्यक है और निलम्बन नहीं बल्कि बर्खास्त करना आवश्यक है। इसलिए हम सदन से निवेदन करेंगे कि धारा 356 का समर्थन करते हुए बिहार सरकार को बर्खास्त करने में आप अपना योगदान दें।

**डा. शकील अहमद** (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने की संपुष्टि के लिए गृह मंत्री जी जो प्रस्ताव लाए हैं उस पर चर्चा के लिए हम खड़े हुए हैं। मैंने चर्चा सुनी, गृह मंत्री जी को छोड़ कर सत्ता पक्ष के किसी भी सदस्य ने राष्ट्रपति शासन लगाने का जो तर्क होता है वह एक भी युक्तिसंगत तर्क नहीं दिया। गृह मंत्री जी ने जो तर्क दिए हैं उनका भरपूर जवाब और पाइंट वाइज़ जवाब हमारे विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने दिया है। उनका एक बयान काफी था। आपको समझ होती तो आप प्रस्ताव वापिस ले लेते। आपके एक-एक तर्क का जवाब उन्होंने दिया है। उपाध्यक्ष जी, बिहार में दो जगह दलितों की हत्याएं हुई है। किसी भी सभ्य समाज में अगर ऐसा होता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। यह कोई पहला अवसर नहीं है जब दलितों की हत्याएं हुई है। कभी-कभी बिहार में फारवर्ड क्लास के लोगों की भी जो गरीब हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं हत्याएं हुई हैं। कांग्रेस पार्टी से शासन में भी हत्याएं हुई हैं। जब 1977 में आपकी पार्टी की सरकार थीं तो हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा जी बेलछी गयी थीं। उस समय आपने अपना चोला बदल लिया था, नाम बदल लिया था, लेकिन हत्याएं तब भी हुई थीं। जनता पार्टी में आप भी शामिल थे। हत्याएं होना कोई अच्छी बात नहीं है और हम सभी को उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में राजनीति का खेल नहीं होना चाहिए। आज दलितों की हत्या और मान-सम्मान की बात वे ही लोग कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबू जगजीवन राम जी ने जब सम्पूर्णानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया था तो उसे गंगा जल से धुलवाने वाले लोग आज दलितों के लिए हाय-हाय कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है और रणवीर सेना ने इसे स्वीकार भी किया है कि उन्होंने दलितों की हत्याएं की हैं। वहां खेत का झगड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है। रणवीर सेना, एम.सी.सी. तथा और लोगों के बीच में यह हो रहा है। उपाध्यक्ष जी, गौर करने की बात है कि खेत के झगड़े के समय में वह रणवीर सेना हो जाती है लेकिन वोट वे किसको देते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। रणवीर सेना के लोग भाजपा और उसके सहयोगियों को वोट देते हैं। मैं बिहार से आता हूं। वहां एक षड्यंत्र हुआ है। रणवीर सेना का नाम लेकर दलितों की प्लान्ड-वे में हत्याएं करके राबड़ी देवी सरकार को डिसमिस करने का षड्यंत्र किया गया है। यह एक राजनैतिक षड्यंत्र है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि गृह मंत्री जी में अगर राजनैतिक ईमानदारी है तो यह जो नारायणपुर में दो नरसंहार हुए हैं और जिन पर राबड़ी देवी सरकार डिसमिस की गयी है उसकी ठीक से इंक्वायरी कराएं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। वहां जमीन का झगड़ा है, मान-सम्मान का झगड़ा है। मैं सदन में पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि ये दोनों घटनाएं राबड़ी देवी सरकार को डिसमिस करने के लिए की गयी हैं और इसकी जांच देश की सबसे बड़ी संस्था से करानी चाहिए। जिससे भी सदन सहमत हो, निश्चित रूप से उससे जांच करानी चाहिए। अभी माननीय गृह मंत्री जी भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि अपराधियों की पकड़-धकड़ नहीं होती है, कमीशन को कुछ नहीं दिया गया है, उसकी रिपोर्ट लागू नहीं की गयी है, उसको स्टॉफ नहीं दिया गया है। मगर उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई दंगों से संबंधित श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट का इनकी सरकार ने क्या हाल किया है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। गृह मंत्री जी को कमीशनों की बड़ी फिक्र है। लेकिन जो उनकी सरकार है और जिसको यह सहयोग दे रहे हैं उसकी फिक्र नहीं है। उसने श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट का क्या किया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आप बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं। समय समाप्त होने के बाद मैं सभा की अनुमति लूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री मधुकर सरपोतदार** (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मेरा अनुरोध है कि यदि वह श्री कृष्ण आयोग के बारे में कोई चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं।

*[हिन्दी]*

**डा. शकील अहमद** : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप कितने मिनट और लेंगे।

**डा. शकील अहमद** : 10-15 मिनट और लूंगा या कल कान्टीन्यू करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है। अब सभा कल ग्यारह बजे पूर्वाह्न पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**रात्रि 8.00 बजे**

*तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 26 फरवरी, 1999/ 7 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---